



भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक
का
मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन
सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र



बिहार सरकार
वर्ष 2015 का प्रतिवेदन संख्या—2

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक
का

मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन
सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र

बिहार सरकार

वर्ष 2015 का प्रतिवेदन सं.- 2

विषय सूची

वर्णन	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ / अभियुक्तियाँ
प्राककथन		vii
विहंगावलोकन		ix
अध्याय-I		
परिचय		
बजट की रूपरेखा	1.1	1
राज्य सरकार के संसाधनों के अनुप्रयोग	1.2	1
सतत बचतें	1.3	2
राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधे स्थानांतरित निधियाँ	1.4	2
भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	1.5	2
लेखापरीक्षा का आयोजना एवं संचालन	1.6	3
निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रति सरकार की उदासीनता	1.7	3
महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों (प्रारूप कंडिकाओं/समीक्षाओं) के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया	1.8	4
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर कृत कार्रवाई	1.9	5
लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप वसूली	1.10	5
राज्य विधान सभा में स्वायत्त निकायों के लिए पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुतिकरण की स्थिति	1.11	6
अध्याय-II		
निषादन लेखापरीक्षा		
स्वास्थ्य विभाग		
बिहार में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) का कार्यान्वयन	2.1	7
भवन निर्माण विभाग		
भवन निर्माण विभाग का कार्यकलाप	2.2	33
जल संसाधन विभाग		
त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम	2.3	51

वर्णन	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ / अभियुक्तियाँ
सामान्य प्रशासन विभाग		
“बिहार लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन” की विषयगत लेखापरीक्षा	2.4	69
वित्त विभाग		
“सामान्य भविष्य निधि प्रणाली की सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा” की अनुवर्ती लेखापरीक्षा	2.5	86
अध्याय-III		
अनुपालन लेखापरीक्षा		
सामान्य प्रक्षेत्र		
गृह विभाग		
सरकार को हानि	3.1	93
योजना एवं विकास विभाग		
सोलर स्ट्रीट लाईट के क्रय एवं अधिष्ठापन पर आधिक्य व्यय	3.2	94
सामाजिक प्रक्षेत्र		
ग्रामीण कार्य विभाग		
निष्फल व्यय	3.3	95
व्यर्थ व्यय	3.4	96
परिहार्य व्यय	3.5	97
नगर विकास एवं आवास विभाग		
निष्फल व्यय	3.6	99
शिक्षा विभाग		
सर्व शिक्षा अभियान निधि का अनियमित अवरोधन	3.7	100
आर्थिक प्रक्षेत्र		
कृषि विभाग		
फर्जी इनवॉइस पर अनुदान का कपटपूर्ण भुगतान	3.8	101
सरकारी धन का गबन	3.9	102

वर्णन	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ / अभियुक्तियाँ
जल संसाधन विभाग		
व्यर्थ व्यय	3.10	103
पथ निर्माण विभाग		
परिहार्य अधिक भुगतान	3.11	105
गन्ना उद्योग विभाग		
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का अमान्य प्रतिपूर्ति	3.12	106
भवन निर्माण विभाग		
परिशिष्ट		
1.1 लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों / कंडिकाओं को दर्शाती विवरणी	1.7	109
1.2 लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों के कंडिकाओं का विभिन्न प्रकारों के अनियमितताओं को दर्शाती विवरणी	1.7	110
1.3 राज्य विधानमंडल में स्वायत्त निकायों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुतीकरण की स्थिति को दर्शाती विवरणी	1.11	111
2.1.1 चयनित रेफरल अस्पताल / प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र / अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र / स्वास्थ्य उपकेन्द्र को दर्शाती विवरणी	2.1.5	113
2.1.2 बिना चिकित्सक एवं ए.एन.एम. के एम.सी.एच. एल.-1 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं स्वास्थ्य उपकेन्द्र का परिचालन की विवरणी	2.1.10.3	116
2.1.3 बी.एम.एस.आई.सी.एल. द्वारा शुरू नहीं किए गए कार्यों की विवरणी	2.1.11.5	117
2.1.4 नमूना जाँचित स्वास्थ्य इकाइयों में आधारभूत सुविधाओं की स्थिति	2.1.11.7	119
2.1.5 बी.एम.एस.आई.सी.एल. अन्तर्गत औषधियों की मार्च 2014 की स्थिति की विवरणी	2.1.11.8	120
2.1.6 नमूना जाँचित जिलों में वर्ष 2010–14 तक दवा के उपलब्धता हेतु आपूर्तिकर्ताओं के पास बकाया अग्रिम राशि की विवरणी	2.1.11.8	127
2.1.7 विलंब से दवा आपूर्ति की सूची	2.1.11.8	129
2.1.8 नमूना जाँचित जिलों में दवा संविदा का VIII एवं IX प्रक्रियान्तर्गत दवा आपूर्तिकर्ताओं से गुणवत्ता परीक्षण शुल्क का कटौती नहीं किए जाने से संबंधित विवरणी	2.1.11.8	130

वर्णन		संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ / अभियुक्तियाँ	
2.1.9	नमूना जाँचित स्वास्थ्य केन्द्रों में अपर्याप्त मानवबल को दर्शाती विवरणी	2.1.15	131
2.2.1	क्षेत्रीय स्तर पर नमूना जाँचित कार्यालयों की सूची	2.2.5	132
2.2.2	भ.नि.वि. में वर्ष 2010-15 के दौरान कार्यों की विभागवार प्रगति	2.2.6	133
2.2.3	नमूना जाँचित प्रमंडलों में निर्माण कार्यों की प्रगति (मई 2015)	2.2.6 एवं 2.2.8.3	134
2.2.4	तकनीकी स्वीकृति, निविदा को अंतिम रूप देने और एकरारनामा करने में विलम्ब	2.2.7.2 एवं 2.2.9.4	136
2.2.5	वर्ष 2010-15 के दौरान विद्युत कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए स्थानांतरित निधि	2.2.8.4	137
2.2.6	महीनों की ओवरलैपिंग के कारण अनुसूचित दर का गलत तैयारी	2.2.9.1	138
2.2.7	प्रचलित अनुसूचित दर में उद्घत दरों की तुलना में मदों की बढ़ी हुई दर	2.2.9.2	139
2.2.8	दिल्ली अनुसूचित दर के श्रम और सामग्री की उच्च दर को शामिल कर बढ़ी हुई दर का प्रावधान	2.2.9.2	141
2.2.9	तकनीकी स्वीकृति में विलम्ब के कारण लागत वृद्धि	2.2.9.5	146
2.2.10	कार्यों के अतिरिक्त मदों के कार्यान्वयन के लिए अनाधिकृत भुगतान	2.2.9.6	148
2.2.11	अपूर्ण कार्य पर निष्फल व्यय	2.2.9.7	149
2.2.12	स्वीकृत प्राथमिकता सूची के परे मरम्मति एवं अनुरक्षण कार्य का निष्पादन	2.2.9.8	150
2.3.1	ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत परियोजनाओं की विवरणी	2.3.5	151
2.3.2	मुख्य अभियंता तथा कार्यपालक अभियंता का परियोजनावार विवरणी	2.3.5	152
2.3.3	मोबेलाईजेशन अग्रिम की गैर-वसूली तथा उस पर ब्याज से संबंधित विवरणी	2.3.9.2	153
2.3.4	विपत्र में गणना के गलत तरीके के प्रयोग के कारण अधिक भुगतान	2.3.9.3	154
2.3.5	रॉयल्टी वापसी तथा रॉयल्टी की कम कटौती की विवरणी	2.3.9.3	155
2.3.6	गुणवत्ता नियंत्रण प्रतिवेदन के अभाव में रोकी गई राशि की विवरणी	2.3.10	155
2.4.1	आर.टी.पी.एस. के अधीन सेवाओं का नाम	2.4.1	156
2.4.2	चयनित कार्यालयों का नाम	2.4.5	161

वर्णन		संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ / अभियुक्तियाँ	
2.4.3	आवेदनों के निष्पादन में भिन्नता दर्शाती हुई विवरणी	2.4.9.2	164
2.4.4	मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से संबंधित लंबित मामलों एवं निधि की उपलब्धता से संबंधित विवरणी	2.4.9.2	166
2.4.5	अस्वीकृत मामले किन्तु कम्प्यूटर डाटाबेस में स्वीकृत के रूप में दर्शाए गए मामलों की विवरणी	2.4.9.3	167
2.4.6	प्रशिक्षित नियमित कर्मी एवं नाम निर्दिष्ट लोकसेवकों के पदस्थापना से सम्बंधित विवरणी	2.4.10.1 एवं 2.4.10.2	168
2.4.7	सेवा केन्द्रों पर आधारभूत संरचना की उपलब्धता	2.4.10.2	171
2.4.8	नागरिकों के बीच जागरूकता में अभीवृद्धि करने से संबंधित विवरणी	2.4.11.1	173
2.4.9	कार्यालयों में अपील मामलों का अप्रलेखीकरण	2.4.12.2	176
2.5.1	ई-जीपीएफ डाटाबेस में अंशदाता के खाते में दिखाए गए ऋणात्मक अंतर्शेष	2.5.4.2	178
2.5.2	सी.टी.एम.आई.एस. एवं ई-जीपीएफ डाटा एक्समान नहीं रहे	2.5.4.2	178
2.5.3	अंशदाता के खाते अद्यतन नहीं थे	2.5.4.2	178
2.5.4	अंशदाता जिनको हकदारी से अधिक लौटाने/नहीं लौटाने योग्य अग्रिम निकासी को अनुमति दी गई	2.5.4.3	179
2.5.5	अंशदाता जिनको हकदारी से अधिक अंतिम भुगतान की अनुमति दी गई	2.5.4.3	179
2.5.6	अंतिम आहरण के बाद ई-जीपीएफ प्रणाली में अंतर्शेष को दिखाया जाना	2.5.4.3	179
3.1.	लीड के अविवेक प्रावधान के कारण परिहार्य व्यय की गणना को दर्शाने वाली विवरणी	3.5	180
3.2	छ: वि.प.प्र. जिन पर कार्य प्रारंभ नहीं किया गया सहित नौ वि.प.प्र. को तैयार करने में हुए व्यय की विवरणी	3.6	183
3.3	(अ) असैनिक कार्य से संबंधित अतिरिक्त कक्षा कक्ष (अ.क.क.)/नव विद्यालय भवन (न.वि.भ.) के निर्माण कार्य का वर्षवार वित्तीय स्थिति को दर्शाती विवरणी	3.7	184
	(ब) असैनिक कार्य से संबंधित अतिरिक्त कक्षा कक्ष (अ.क.क.)/नव विद्यालय भवन (न.वि.भ.) के निर्माण कार्य का वर्षवार वित्तीय स्थिति दर्शाती विवरणी। (विद्यालय जिसमें कार्य शुरू नहीं किया गया)	3.7	184

वर्णन		संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ / अभियुक्तियाँ	
	(स) असैनिक कार्य से संबंधित अतिरिक्त कक्षा कक्ष (अ.क.क.) / नव विद्यालय भवन (न.वि.भ.) के निर्माण कार्य की स्थिति के संबंध में कार्य का वर्षवार वित्तीय स्थिति दर्शाती विवरणी। (विद्यालय जिनमें कार्य अधूरे थे)	3.7	185
	द (i) असैनिक कार्य से संबंधित अतिरिक्त कक्षा कक्ष (अ.क.क.) / नव विद्यालय भवन (न.वि.भ.) के निर्माण कार्य का वर्षवार भौतिक एवं वित्तीय स्थिति दर्शाती विवरणी। बिहार शिक्षा परियोजना, सीतामढी	3.7	186
	द (ii) असैनिक कार्य से संबंधित अतिरिक्त कक्षा कक्ष (अ.क.क.) / नव विद्यालय भवन (न.वि.भ.) के निर्माण कार्य का वर्षवार भौतिक एवं वित्तीय स्थिति दर्शाती विवरणी। बिहार शिक्षा परियोजना, मुजफ्फरपुर	3.7	187
	द (iii) असैनिक कार्य से संबंधित अतिरिक्त कक्षा कक्ष (अ.क.क.) / नव विद्यालय भवन (न.वि.भ.) के निर्माण कार्य का वर्षवार भौतिक एवं वित्तीय स्थिति दर्शाती विवरणी। बिहार शिक्षा परियोजना, कटिहार	3.7	188
	द (iv) असैनिक कार्य से संबंधित अतिरिक्त कक्षा कक्ष (अ.क.क.) / नव विद्यालय भवन (न.वि.भ.) के निर्माण कार्य का वर्षवार भौतिक एवं वित्तीय स्थिति दर्शाती विवरणी। बिहार शिक्षा परियोजना, पूर्णिया	3.7	190
	द (v) असैनिक कार्य से संबंधित अतिरिक्त कक्षा कक्ष (अ.क.क.) / नव विद्यालय भवन (न.वि.भ.) के निर्माण कार्य का वर्षवार भौतिक एवं वित्तीय स्थिति दर्शाती विवरणी। बिहार शिक्षा परियोजना, सीवान	3.7	191
	द (vi) असैनिक कार्य से संबंधित अतिरिक्त कक्षा कक्ष (अ.क.क.) / नव विद्यालय भवन (न.वि.भ.) के निर्माण कार्य का वर्षवार भौतिक एवं वित्तीय स्थिति दर्शाती विवरणी। बिहार शिक्षा परियोजना, बेगुसराय	3.7	192
	द (vii) असैनिक कार्य से संबंधित अतिरिक्त कक्षा कक्ष (अ.क.क.) / नव विद्यालय भवन (न.वि.भ.) / रिसोर्स केन्द्र के निर्माण कार्य का वर्षवार भौतिक एवं वित्तीय स्थिति दर्शाती विवरणी। बिहार शिक्षा परियोजना, दरभंगा	3.7	195
3.4	486 किसानों को भुगतान की गई अनुदानों की विवरणी	3.8	196
3.5	अन्य व्यक्ति से संबंधित स्वीकृत अनुदान की विवरणी	3.8	204
3.6	रकम प्राप्ति को दर्शाती विवरणी	3.9	205
3.7	भारत सरकार के अधिसूचना के विरुद्ध संवेदकों को भुगतान की गई सेवा कर राशि की विवरणी	3.11	209

प्रावक्थान

1. यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत बिहार के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।
2. राज्य सरकार के विभागों के व्यय की लेखापरीक्षा नियंत्रक—महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 13 के तहत किया जाता है।
3. इस प्रतिवेदन में सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्रों के अन्तर्गत बिहार सरकार के विभागों के निष्पादन लेखापरीक्षा तथा अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम सम्मिलित हैं।
4. प्रतिवेदन में वैसे मामले भी शामिल हैं जिन्हें वर्ष 2014–15 के दौरान लेखाओं के नमूना लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया तथा साथ—साथ वैसे मामलों को भी उल्लेखित किया गया है जो पूर्ववर्ती वर्षों में पाए गए परंतु पूर्व प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किए जा सके थे। प्रतिवेदन में वर्ष 2014–15 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी आवश्यकतानुसार शामिल किया गया है।
5. भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा संपादित किए गए हैं।

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में तीन अध्याय सम्मिलित हैं: प्रथम अध्याय में राज्य की वित्तीय स्थिति, योजना तथा लेखापरीक्षा का संचालन और लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्यवाई सम्मिलित है। इस प्रतिवेदन के अध्याय दो में पाँच निष्पादन लेखापरीक्षा समीक्षा जिसमें एक विषयक लेखापरीक्षा तथा एक अनुवर्ती लेखापरीक्षा समीक्षा शामिल है तथा अध्याय तीन विभिन्न विभागों के अनुपालन लेखापरीक्षा से संबंधित है। इस प्रतिवेदन में निष्पादन लेखापरीक्षा, विषयक लेखापरीक्षा/अनुवर्ती लेखापरीक्षा तथा अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाओं के जाँच परिणाम सम्मिलित हैं, जिनका कुल मौद्रिक मूल्य ₹6299.22 करोड़ है।

लेखापरीक्षा भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग हेतु विहित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार संचालित की गई है। लेखापरीक्षा नमूनों का चयन, संख्यकीय नमूना प्रणाली के साथ—साथ जोखिम आधारित विवेकपूर्ण नमूना के आधार पर किया गया है। प्रत्येक निष्पादन लेखापरीक्षा में अंगीकृत विशिष्ट लेखापरीक्षा प्रक्रिया को दर्शाया गया है लेखापरीक्षा निष्कर्ष निकाले गये हैं तथा अनुशंसाएँ सरकार के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए की गई है। मुख्य लेखापरीक्षा परिणामों का सारांश इस विहंगावलोकन में प्रस्तुत किया गया है।

1. विभागों/कार्यकलापों/कार्यक्रमों का निष्पादन लेखापरीक्षा

(i) बिहार में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) का कार्यान्वयन

भारत सरकार (भा.स.) द्वारा अप्रैल 2005 में समाज के सभी वर्गों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से एक विस्तृत स्वास्थ्य कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) शुरू किया गया।

स्वास्थ्य केन्द्रों में अपर्याप्त जन्मपूर्व देखभाल तथा स्त्री—रोग विशेषज्ञ की कमी के कारण लगभग गर्भवती महिलाओं की आधी संख्या द्वारा गृह प्रसव को ही चुना गया। मातृ मृत्यु दर 1,00,000 गर्भवती महिलाओं पर 100 के लक्ष्य के विरुद्ध 208 पाया गया।

राज्य में रेफरल अस्पताल (आर.एच.) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी.एच.सी.) तथा स्वास्थ्य उप—केन्द्र (एच.एस.सी.) क्रमशः 923, 3077 तथा 18460 की आवश्यकता थी। तथापि, राज्य में मात्र 70 आर.एच., 1883 पी.एच.सी. तथा 9729 एच.एस.सी. थे।

प्रत्येक रेफरल अस्पताल/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में आयुष का गठन नहीं किया गया था तथा आयुष औषधियों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की गई थी।

राज्य में चिकित्सा पदाधिकारियों/विशेष चिकित्सा पदाधिकारियों (एम.ओ.) की स्वीकृत बल 12,178 थी, जिसके विरुद्ध मात्र 5212 चिकित्सा पदाधिकारी ही कार्यरत थे। राज्य में औक्जिलरी नर्स तथा मिडवाईफ (ए.एन.एम.)/स्टॉफ नर्स 29,582 की आवश्यकता थी जिसके विरुद्ध 20,917 पदस्थापित थे।

(कंडिका 2.1)

(ii) भवन निर्माण विभाग के कार्यकलाप

भवन निर्माण विभाग (भ.नि.वि.) का उद्देश्य सिंचाई और वन विभाग एवं बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के भवनों को छोड़कर सभी विभागों के आवासीय और गैर—आवासीय सरकारी भवनों का निर्माण, मरम्मत तथा रख—रखाव करना है।

भ.नि.वि. द्वारा कार्यों का वार्षिक योजना, बिना मु.अ. से प्रस्ताव को प्राप्त किये तथा बिना वास्तविक निधि की आवश्यकता को सुनिश्चित किये जाने के परिणामस्वरूप

निश्चित कार्यों में निधि आवश्यकता से अधिक हो गया तथा अन्य निश्चित कार्यों में निधि की कमी पाई गई।

चार कार्य प्रमंडलों के अंतर्गत सात कार्यों के परिणाम विपत्रों को भ.नि.वि. द्वारा अधिक दर पर तैयार किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹8.32 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

मुख्य अभियंता (निरूपण) के द्वारा देरी से तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के परिणामस्वरूप 11 नमूना जाँचित कार्यों में ₹158.12 करोड़ की लागत में वृद्धि हुई।

भ.नि.वि. के पास निर्माण कार्य के कार्यान्वयन हेतु पर्याप्त तकनीकी मानव-बल का अभाव था क्योंकि स्वीकृत पद 24 अधीक्षण अभियंता (अ.अभि.) के तथा 496 कनीय अभियंता (क.अभि.) के पद के विरुद्ध क्रमशः केवल 11 अ.अभि. तथा 170 क.अभि. थे।

(कांडिका 2.2)

(iii) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) भारत सरकार (भा.स.) द्वारा वर्ष 1996–97 में राज्य के वृहद् तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को केन्द्रीय सहायता (के.सहा.) देने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी।

जल संसाधन विभाग द्वारा ए.आई.बी.पी. हेतु कर्णाकित राशि को खर्च न कर पाने तथा दावा को समय से प्रस्तुत नहीं करने के कारण केवल सात प्रतिशत का केन्द्रीय सहायता भा.स. से प्राप्त हो सका।

भूमि के अधिग्रहण, वन क्लीअरेंस में विलंब, किसानों के पूर्ववास कार्य के विचाराधीन होने एवं भुगतान न होने के कारण ₹2849.15 करोड़ व्यय करने के पश्चात् भी ए.आई.बी.पी. अंतर्गत नमूना जाँचित पाँच परियोजनाओं में से चार अपूर्ण रहे।

सभी जाँचित परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब के कारण लागत एवं समय वृद्धि हुई।

(कांडिका 2.3)

(iv) “बिहार लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन” की विषयगत लेखापरीक्षा

बिहार सरकार ने 15 अगस्त 2011 से बिहार लोक सेवाओं का अधिकार (आर.टी.पी.एस.) अधिनियम को लागू किया।

नौ विभागों यथा वाणिज्यिक कर, खाद एवं उपभोक्ता संरक्षण, सामान्य प्रशासन विभाग, गृह शिक्षा, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध, राजस्व एवं भूमि सुधार, समाज कल्याण और परिवहन से संबंधित 51 अधिसूचित सेवाओं जिनमें प्रमुख सेवा अर्थात् जाति, आय आवासीय, चरित्र प्रमाण—पत्र, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, दाखिल खारिज, भूमि धारण प्रमाण—पत्र और पंजीकरण सेवाएँ थी।

आर.टी.पी.एस. के विषयगत लेखापरीक्षा में पाया गया कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत नमूना जाँचित नौ जिला शिक्षा अधिकारियों एवं दो विश्वविद्यालयों में अधिसूचित सेवाओं जैसे छात्रवृत्ति का वितरण, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा प्रकाशन के बाद परिणाम एवं अंक—पत्र सुधारने एवं पुर्णगणना, मार्ईग्रेशन प्रमाण—पत्र आदि प्रदान नहीं किये गये थे।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, राजस्व एवं भूमि सुधार एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा कर्मचारियों की कमी के कारण नियत समय पर केवल 27 से 61 प्रतिशत आवेदनों का ही निष्पादन किया जा सका।

(कांडिका 2.4)

(v) सामान्य भविष्य निधि प्रणाली की सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा की अनुवर्ती लेखापरीक्षा

स्वीकार्य किए गए अनुशंसाओं जो की मार्च 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के निष्पादन लेखापरीक्षा में सम्मिलित था का अनुपालन अभी तक भविष्य निधि निदेशालय (भ.नि.नि.) द्वारा कार्यान्वयन किया जाना शेष था।

प्रणाली डिजाईन अभिलेखन एवं अद्यतनीकरण के तैयारी को सुनिश्चित करने के अनुशंसा के विरुद्ध यह पाया गया कि यद्यपि ई-जी.पी.एफ. प्रणाली का प्रणाली डिजाईन अभिलेखन भ.नि.नि. द्वारा अनुमोदित था फिर भी आंकड़ों के अद्यतनीकरण हेतु सॉफ्टवेयर प्रदाता पर निर्भरता थी।

स्वीकार किये गए अनुशंसा के अनुसार सभी वैज्ञानिक अभिलेखों एवं केन्द्रीयकृत डाटा बेस की सत्यनिष्ठा एंवं विश्वसनीयता सुनिश्चित करने हेतु प्रमाणिकता जाँच किया जाना था, बावजूद यह पाया गया कि ई-जी.पी.एफ. प्रणाली की प्रर्याप्त प्रमाणिकता जाँच एवं इनपुट नियंत्रण जाँच सन्निहित नहीं थे, परिणामतः प्रणाली द्वारा अपूर्ण एवं अविश्वसनीय आँकड़े दिये जा रहे थे।

प्रभावी पहुँच नियंत्रण प्रणाली की स्थापना सुनिश्चित करने की अनुशंसा के विरुद्ध यह पाया गया कि प्रणाली में विविध विसंगतियों के अंतर्गत अंशदान से अधिक निकासी शामिल था।

प्रभावी आपदा से बचाव एवं व्यावसायिक निरंतरता योजना को स्थापित किये जाने की अनुशंसा को स्वीकार किये जाने के बावजूद अभी तक इसे कार्यान्वित नहीं किया गया।

(कांडिका 2.5)

2.

अनुपालन लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने संवेदनशील क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कमियों को पाया, जो राज्य सरकार की प्रभावशीलता को प्रभावित करता है। अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न कुछ प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्षों (12 कांडिकाओं) को प्रतिवेदन में प्रस्तुत किया गया है। प्रमुख अवलोकन नियमों एवं विनियमों के गैर-अनुपालन, औचित्य के विरुद्ध लेखापरीक्षा तथा बिना पर्याप्त औचित्य के व्यय के मामले एवं दृष्टिचूक / शासकीय विफलता से संबंधित है। उनमें से कुछ का उल्लेख नीचे किया गया है:

- बेऊर कारा, पटना के 83 आवासीय परिसर में पृथक विद्युत मीटर अधिष्ठापित नहीं किये जाने तथा घरेलू विद्युत उपभोग हेतु उच्च क्षमता संबंध से विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति के साथ एकरारित माँग से अधिक विद्युत खपत किये जाने के फलस्वरूप ₹1.12 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

(कांडिका 3.1)

- जिला योजना पदाधिकारी, दरभंगा एवं खगड़िया द्वारा निर्धारित ब्रेडा दर से अधिक दर पर सोलर स्ट्रीट लाईट्स की क्रय एवं अधिष्ठापन के परिणामस्वरूप ₹7.01 करोड़ का आधिक्य व्यय हुआ।

(कांडिका 3.2)

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत साहनगाँव से तियारपारा के बीच सड़क का निर्माण करते समय ग्रामीण कार्य प्रमण्डल, पूर्णियाँ, पुलों के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाने में विफल रहा। राज्य तकनीकी अभिकरण तथा बिहार ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण भी इस चूक पर ध्यान देने में विफल रहे। इसके परिणामस्वरूप, ₹4.15 करोड़ की लागत से निर्मित सड़क सितम्बर

2013 से नदियों के आर-पार से असम्बद्ध रहे, जिससे व्यय निष्फल साबित हुआ।

(कांडिका 3.3)

- भार-मुक्त भूमि सुनिश्चित किए बिना कार्य प्रारंभ करने के फलस्वरूप कार्य समय पूर्व बंद हो गया तथा अनुसूचित जाति की बस्ती को बारहमासी संपर्क पथ उपलब्ध कराने का उद्देश्य विफल हुआ तथा ₹83.60 लाख का व्यर्थ व्यय हुआ।

(कांडिका 3.4)

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पाँच सड़कों के निर्माण में लघु खनिजों के प्राप्ति में लीड के अविवेकपूर्ण प्रावधान के फलस्वरूप ₹2.01 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ एवं सरकार को समान राशि की हानि हुई।

(कांडिका 3.5)

- आवंटित स्थलों के अतिक्रमण तथा विभाग द्वारा बाधामुक्त भूमि उपलब्ध कराने में विफलता के परिणामस्वरूप आवासीय इकाइयों का निर्माण नहीं हो पाया जिससे छ: विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों (वि.प.प्र.) पर किया गया व्यय ₹4.42 करोड़ निष्फल हुआ।

(कांडिका 3.6)

- बिहार वित्तीय नियमों के प्रावधानों का गैर अनुपालन, जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (जि.का.पदा.) के निगरानी के अभाव एवं प्रधानाध्यापक/सचिव, विद्यालय शिक्षा समिति से सर्व शिक्षा अभियान योजना के कार्यान्वयन हेतु प्रदत्त निधियों के गैर समायोजन/गैर वसूली के कारण सात जि.का.पदा. द्वारा ₹2.72 करोड़ का अनियमित अवरोधन।

(कांडिका 3.7)

- जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा अनुश्रवण की कमी के फलस्वरूप ट्रैक्टर की अधिप्राप्ति में कृषकों द्वारा प्रस्तुत फर्जी इनवॉइस के विरुद्ध उनको ₹2.29 करोड़ के अनुदान का कपटपूर्ण भुगतान हुआ।

(कांडिका 3.8)

- बिहार कृषि उपज बाजार विनियम, 1975 के प्रावधानों के गैर अनुपालन एवं बैंक खाता में दैनिक प्राप्तियों के संग्रह और उनके जमा की जाँच में विशेष पदाधिकारी-सह -अनुमंडल पदाधिकारी की विफलता के परिणामस्वरूप ₹50.40 लाख सरकारी धन का गबन।

(कांडिका 3.9)

- वर्ष 2010 बाढ़ के पहले कटाव निरोधक समिति द्वारा बोल्डर सतहीकरण कार्य की कटौती की अनुशंसा के अविवेकपूर्ण निर्णय के फलस्वरूप सरकार द्वारा ₹1.18 करोड़ का व्यर्थ व्यय किया गया।

(कांडिका 3.10)

- सेवा कर को विमुक्त किए जाने के भारत सरकार के अधिसूचना की अवहेलना करते हुए मुख्य अभियंताओं द्वारा प्राक्कलन में सेवा कर की अनियमित समावेशन के फलस्वरूप संवेदकों को ₹11.23 करोड़ का परिहार्य अधिक भुगतान हुआ।

(कांडिका 3.11)

- गन्ना विकास विभाग के संकल्प के प्रावधान का अनुपालन नहीं किये जाने के फलस्वरूप ₹5.85 करोड़ की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का अदेय प्रतिपूर्ति की गई।
(कांडिका 3.12)

अध्याय-I

परिचय

1.1 बजट की रूपरेखा

राज्य में 44 विभाग एवं 28 स्वायत्त निकाय हैं। वर्ष 2010–15 के दौरान राज्य सरकार के बजट अनुमान तथा उसके विरुद्ध वास्तविक व्यय तालिका 1.1 में दी गई है।

तालिका 1.1 : वर्ष 2010–15 के दौरान राज्य सरकार के बजट एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15	
	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक
राजस्व व्यय										
सामान्य सेवाएँ	15448.33	15286.97	18505.11	17729.72	22192.64	18645.11	25469.15	22018.47	28155.44	26408.18
सामाजिक सेवाएँ	17816.09	15089.42	20862.15	18728.78	25632.67	23107.37	32004.63	26394.85	43617.60	31712.71
आर्थिक सेवाएँ	7409.82	7836.28	10562.18	10037.82	13129.83	12709.96	15779.73	14060.06	19988.27	14445.05
सहायक अनुदान एवं सहायता	4.12	3.25	4.12	3.17	4.12	3.71	4.12	3.85	4.12	4.04
कुल (1)	40678.36	38215.92	49933.56	46499.49	60959.26	54466.15	73257.63	62477.23	91765.43	72569.98
पूँजीगत व्यय										
पूँजीगत परिवर्य	13080.19	9195.94	15392.31	8852.01	17727.56	9584.52	18830.30	14001.00	25120.74	18150.41
संवितरित ऋण एवं अग्रिम	730.67	1102.63	1036.60	1906.08	1260.71	2085.95	1394.38	807.38	406.49	368.71
लोक ऋण का प्रतिदान	1915.56	2190.03	2907.89	2922.46	3054.48	3069.96	3238.73	3119.56	3562.90	3608.95
आकस्मिक निधि	0	1150.00	0	800.00	0	2250.00	0	1450.43		1650.00
लोक लेखा संवितरण	5068.21	16749.02	5819.74	21393.22	7108.79	24798.82	7019.00	29452.57	12143.96	39200.48
आंतिम रोकड़ शेष	0	2735.44	0	1509.45	0	3715.58	0	6156.39		6337.11
कुल (1)	40678.36	38215.92	49933.56	46499.49	60959.26	54466.15	73257.63	62477.23	91765.43	72569.98
कुल (2)	20794.63	33123.06	25156.54	37383.22	29151.54	45504.83	30482.41	54987.33	41234.09	69315.66
सकल योग (1+2)	61472.99	71338.98	75090.10	83882.71	90110.80	99970.98	103740.04	117464.56	132999.52	141885.64

(स्रोत: वार्षिक विवरण एवं राज्य बजट के स्पष्टीकरण ज्ञापन)

1.2 राज्य सरकार के संसाधनों के अनुप्रयोग

वर्ष 2014–15 में ₹140022.59 करोड़ के कुल बजट के विरुद्ध कुल व्यय ₹96096.79 करोड़ था। वर्ष 2010–15 के दौरान राज्य का राजस्व व्यय, पूँजीगत व्यय और ऋण एवं अग्रिम मिलाकर कुल व्यय ₹48515 करोड़ से ₹91089 करोड़ तक बढ़ गया। राज्य सरकार का राजस्व व्यय 90 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्ष 2010–11 में ₹38216 करोड़ से वर्ष 2014–15 में ₹72570 करोड़ हुआ। वर्ष 2010–15 की अवधि के दौरान गैर-योजनागत राजस्व व्यय 72 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹27316 करोड़ से ₹47059 करोड़ एवं पूँजीगत व्यय 97 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी के साथ ₹9196 करोड़ से ₹18150 करोड़ हुआ।

वर्ष 2010–15 के दौरान कुल व्यय का 79 से 82 प्रतिशत हिस्सा राजस्व व्यय का था एवं कुल व्यय का 14 से 20 प्रतिशत हिस्सा पूँजीगत व्यय का था। इस दौरान, कुल व्यय 17.06 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि की दर से बढ़ा, जबकि वर्ष 2010–15 के दौरान राजस्व प्राप्ति 17.42 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर से बढ़ा।

1.3 सतत बचतें

11 मामलों के प्रत्येक में सतत बचतें ₹20 करोड़ से ज्यादा थीं और पिछले पाँच वर्षों के दौरान कुल अनुदान का 13 से 76 प्रतिशत के बीच था।

तालिका 1.2 : वर्ष 2010–15 के दौरान सतत बचतों वाले अनुदान की सूची

(₹करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान के नाम एवं संख्या	बचत की राशि एवं प्रतिशतता									
		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15	
	राजस्व-दत्तमत										
		राशि	प्रतिशतता	राशि	प्रतिशतता	राशि	प्रतिशतता	राशि	प्रतिशतता	राशि	प्रतिशतता
1	2—पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	165.72	40.67	210.59	43.22	426.49	44.31	607.69	62.55	211.59	32.11
2	12—वित्त विभाग	55.64	13.46	122.72	43.27	223.31	31.97	106.32	27.48	124.99	45.19
3	20—स्वास्थ्य विभाग	479.42	23.92	528.85	21.52	569.78	22.26	623.24	22.30	914.11	21.60
4	27—विधि विभाग	130.41	26.37	148.50	26.19	151.31	26.11	141.61	22.78	179.09	26.60
5	40—राजस्व एवं भूमि-सुधार विभाग	128.43	23.06	148.70	24.05	72.52	14.96	132.67	21.20	224.14	31.73
6	41—पथ निर्माण विभाग	198.29	33.58	120.06	18.44	109.32	16.45	413.22	32.96	359.65	28.57
7	50—लघु जल संसाधन विभाग	108.29	15.78	291.77	50.39	92.81	25.99	668.14	66.10	375.41	57.59
	कुल	1266.20		1571.19		1645.54		2692.89		2388.98	
	पूँजीगत-दत्तमत										
8	3—भवन निर्माण विभाग	66.52	36.16	292.26	57.49	722.07	69.33	659.52	40.88	1719.79	60.50
9	36—लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	268.62	29.99	137.81	31.09	265.47	50.66	97.55	13.62	601.57	40.46
10	49—जल संसाधन विभाग	1722.91	56.81	625.86	26.65	672.73	27.47	1853.56	53.61	1262.62	50.27
11	50—लघु जल संसाधन विभाग	181.26	75.96	110.50	42.42	127.24	43.26	108.10	35.51	181.00	50.03
	कुल	2239.31		1166.43		1787.51		2718.73		3764.98	
	सकल योग	3505.51		2737.62		3433.05		5411.62		6153.96	

(स्रोत: संबंधित वर्ष के विनियोग लेखे)

1.4 राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधे स्थानांतरित निधियाँ

वर्ष 2014–15 के दौरान भारत सरकार ने राज्य के विभिन्न कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधे तौर पर ₹651.74 करोड़ का स्थानांतरण किया। चूंकि इन निधियों को राज्य बजट/राज्य कोषागार के माध्यम से परिचालित नहीं किया गया था, ये राज्य के लेखे में प्रतिबिबित नहीं हुए।

1.5 भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान वर्ष 2010–11 में ₹9699 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014–15 में ₹19146 करोड़ हो गया जिसे तालिका 1.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.3 भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

(रुपयोग में)

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
गैर-योजना अनुदान	1924.78	2562.62	2412.58	3288.13	3271.21
राज्य योजना व्यवस्था के लिए अनुदान	5456.95	5065.39	5051.97	6238.39	14935.68
केन्द्रीय योजना व्यवस्था के लिए अनुदान	175.70	95.78	35.69	136.65	117.49
केन्द्रीय प्रायोजित योजना के लिए अनुदान	2141.13	2159.19	2777.68	2920.96	821.88
कुल	9698.56	9882.98	10277.92	12584.03	19146.26
पूर्व वर्ष से प्रतिशत में वृद्धि	28.22	1.90	4.00	22.44	52.15
राजस्व प्राप्ति	44532	51320	59567	68919	78417
राजस्व प्राप्ति के प्रतिशतता के रूप में	21.78	19.26	17.25	18.26	24.42
कुल अनुदान					

(स्रोत: संबंधित वर्ष के लिए राज्य के वित्त लेखे)

1.6 लेखापरीक्षा का आयोजना एवं संचालन

लेखापरीक्षा प्रक्रिया विभिन्न विभागों, स्वायत्त निकायों, योजनाओं/परियोजनाओं आदि का, उनके कार्यकलापों की नाजुकता/जटिलता, प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों का स्तर, आंतरिक नियंत्रण तथा हिस्सेदारों के प्रति रवैया एवं पिछले लेखापरीक्षा परिणामों के जोखिम आकलन के साथ शुरू होती है। इस जोखिम आकलन के आधार पर, लेखापरीक्षा की बारम्बरता तथा सीमा तय की जाती है तथा एक वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार की जाती है।

लेखापरीक्षा की समाप्ति के बाद, लेखापरीक्षा परिणामों को निरीक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित कर कार्यालय अध्यक्ष को इस अनुरोध के साथ निर्गत किया जाता है कि इसके जवाब एक महीने के अन्दर सौंपे जाएँ। जवाब प्राप्ति उपरांत, लेखापरीक्षा परिणामों को या तो निपटा दिए जाते हैं या अनुपालन हेतु आगे की कार्यवाही के लिए परामर्श दिया जाता है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में इंगित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकनों को भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में समावेश के लिए प्रसंस्कृत की जाती है जिसे भारतीय संविधान की धारा 151 के अन्तर्गत बिहार राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत की जाती है।

वर्ष 2014–15 में, महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार के कार्यालय द्वारा राज्य के 941 निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी और 11 स्वायत्त निकाय का अनुपालन लेखापरीक्षा किया गया। इसके अलावे, पाँच निष्पादन लेखापरीक्षा भी किए गए जिसमें एक विषयक लेखापरीक्षा और एक अनुवर्ती लेखापरीक्षा शामिल हैं।

1.7 निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रति सरकार की उदासीनता

महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार लेन-देनों के नमूना—जाँच द्वारा सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण करते हैं और निर्धारित नियमों तथा प्रक्रियाओं के अनुसार महत्वपूर्ण लेखाकरण एवं अन्य अभिलेखों के रखरखाव का सत्यापन करते हैं। इन निरीक्षणों के बाद लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.) जारी किए जाते हैं। जब लेखापरीक्षा निरीक्षण के दौरान महत्वपूर्ण अनियमितताओं इत्यादि का पता लगने पर कार्य स्थल पर सुलझाया नहीं जाता है तो ये नि.प्र. लेखापरीक्षित कार्यालय के प्रमुख को जारी किया जाता है एवं प्रतिलिपि अगले उच्चाधिकारियों को भेजी जाती है।

इन नि.प्र. कि प्राप्ति के चार सप्ताह के भीतर कार्यालयाध्यक्षों एवं अगले उच्चाधिकारियों को अपना अनुपालन महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को देना होता है। गम्भीर अनियमितताएँ महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार के कार्यालय द्वारा प्रधान सचिव (वित्त) को भेजे जाने वाले लंबित नि.प्र. की एक अर्धवार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से संबंधित विभागाध्यक्षों के जानकारी में भी लायी जाती है।

नमूना लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर, 31 मार्च 2015¹ तक लंबित 5441 निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित कुल 32089 प्रेक्षण तालिका 1.4 में दिये गए हैं।

तालिका 1.4: लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन/कंडिकाएँ

(रुपये में)

क्र. स.	प्रक्षेत्र का नाम	निरीक्षण प्रतिवेदन	कंडिकाएँ	शामिल राशि
1	सामान्य प्रक्षेत्र	653	3526	7723.68
2	सामाजिक प्रक्षेत्र	3149	19268	81608.57
3	आर्थिक प्रक्षेत्र (गैर सा.क्षे.उ)	1639	9295	58018.97
Total		5441	32089	147351.22

(स्रोत: इस कार्यालय के विभिन्न प्रक्षेत्रों से प्राप्त सूचनाओं का संकलन)

वर्ष 2014–15 के दौरान, लेखापरीक्षा समिति की तीन बैठकें हुई जिनमें केवल तीन कंडिकाओं का निपटारा किया गया।

सितम्बर 2014 तक 38 विभागों से संबंधित 3167 निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों (डी.डी.ओ.) को जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों की विस्तृत समीक्षा से पता चलता है कि 31 मार्च 2015 की समाप्ति पर 5441 नि.प्र. जिसमें 32089 कंडिकाओं में शामिल ₹147351.22 करोड़ के वित्तीय मूल्यांकन लंबित थे। इन 5441 नि.प्र. एवं 32089 कंडिकाओं के लंबित मामलों की वर्ष–वार स्थिति **परिशिष्ट–1.1** एवं अनियमितताओं के प्रकार **परिशिष्ट–1.2** में वर्णित है।

विभागीय अधिकारियों द्वारा लंबित नि.प्र. में संकलित अवलोकनों पर तय समय में कार्रवाई करने में असफल रहने के कारण उत्तररदायित्व का हास हुआ।

यह अनुशंसा की जाती है कि सरकार मामलों में रुचि ले ताकि लेखापरीक्षा अवलोकनों पर आवश्यक एवं त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित किया जा सके।

1.8 महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों (प्रारूप कंडिकाओं/समीक्षाओं) के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया

विगत कुछ वर्षों में लेखापरीक्षा ने चयनित विभागों में विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों के कार्यान्वयन के साथ–साथ आंतरिक नियंत्रण की गुणवत्ता पर कई महत्वपूर्ण कमियों को प्रतिवेदित किया है, जिसका कार्यक्रमों की सफलता और विभागों के क्रियाकलापों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। विनिर्दिष्ट कार्यक्रमों/योजनाओं की लेखापरीक्षा एवं कार्यपालिका को सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए उपयुक्त अनुशंसाएँ देने तथा नागरिकों को बेहतर सेवा देने पर विशेष ध्यान दिया गया था।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियम, 2007 के प्रावधानों के अनुसार, विभागों के लिए आवश्यक है कि वे भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित करने हेतु प्रस्तावित

¹ 30 सितम्बर 2014 तक निर्गत और 31 मार्च 2015 तक लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कंडिकाएँ शामिल।

प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं प्रारूप कंडिकाओं पर अपनी प्रतिक्रिया छह सप्ताह के अंदर प्रेषित करें। यह उनके व्यक्तिगत ध्यान में लाया गया था कि इन कंडिकाओं के भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन, जो कि राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे, में सम्मिलित होने की संभावना के मद्देनजर प्रकरण में उनकी टिप्पणियों को सम्मिलित किया जाना चाहीदा होगा। उन्हें निष्पादन लेखापरीक्षा के प्रारूप प्रतिवेदन एवं प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं के संबंध में चर्चा करने के लिए महालेखाकार के साथ बैठक करने की भी सलाह दी गई थी। प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए प्रस्तावित इन प्रारूप प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं को संबंधित प्रधान सचिवों/सचिवों को उनके उत्तर प्राप्त करने हेतु अग्रेषित किया गया था। वर्तमान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए पाँच निष्पादन लेखापरीक्षा भी किए गए जिसमें एक विषयक लेखापरीक्षा और एक अनुर्वर्ती लेखापरीक्षा शामिल हैं और 12 कंडिकाओं को संबंधित प्रशासनिक सचिवों को अग्रेषित किया गया था लेकिन सरकार/विभाग से केवल सात कंडिकाओं के प्रति जवाब प्राप्त हुए हैं।

1.9 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर कृत कार्रवाई

लोक लेखा समिति की आंतरिक कार्यप्रणाली के लिए प्रक्रिया के नियम के अनुसार प्रशासनिक विभागों को नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित लेखापरीक्षा कंडिकाओं एवं समीक्षाओं पर स्वतः कार्रवाई प्रारंभ करनी थी चाहे लोक लेखा समिति द्वारा इनकी जाँच की गई हो या नहीं। उन्हें लेखापरीक्षा द्वारा परीक्षित विस्तृत टिप्पणियों को विधानसभा में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति के दो माह के भीतर की गई या प्रस्तावित उपचारात्मक कार्रवाई का वर्णन प्रस्तुत करने थे।

31 मार्च 2015 की अवधि तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित कंडिकाओं पर 30 सितम्बर 2015 तक कृत—कार्रवाई टिप्पणियों की प्राप्ति की वस्तुस्थिति तालिका 1.5 में दी गई है।

तालिका—1.5: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित कंडिकाओं पर विभागीय कृत—कार्रवाई की प्राप्ति की स्थिति

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	वर्ष	30 सितम्बर 2015 तक लंबित विभागीय उत्तर (कंडिकाओं की संख्या)	राज्य विधानमंडल में प्रस्तुतिकरण का दिनांक	कृत—कार्रवाई की प्राप्ति की नियत तिथि
सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र	2011-12	1	1/8/2013	1/10/2013
	2012-13	8	15/7/2014	15/9/2014
	2013-14	15	7/4/2015	7/6/2015
राज्य वित्त	2011-12	28	2/4/2013	2/6/2013
	2012-13	34	21/2/2014	21/4/2014
	2013-14	32	7/4/2015	7/6/2015

(स्रोत: इस कार्यालय के लोक लेखा समिति अनुभाग से प्राप्त सूचनाओं का संकलन)

1.10 लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप वसूली

राज्य सरकार के विभागों के लेखे के नमूना जाँच के दौरान ज्ञात हुए वैसे लेखापरीक्षा निष्कर्ष जिनमें वसूली होनी है, विभिन्न विभागीय निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों की पुष्टि एवं लेखापरीक्षा को अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई की जानकारी देने के लिए प्रेषित की गयी।

कुल मिलाकर 25 मामलों में ₹1511.24 लाख की वसूली को चिह्नित (वर्ष 2014–15) किया गया। जबकि, वर्ष 2014–15 के दौरान कुल तीन मामलों में ₹119.99 लाख की वसूली की गई जिसका विवरण तालिका 1.6 में दी गई है।

तालिका-1.6: लेखापरीक्षा के द्वारा चिह्नित वसूली जिसे विभाग के द्वारा स्वीकार/वसूल किया गया

(₹ लाख में)

प्रक्षेत्रों के नाम	वर्ष 2014–15 के दौरान लेखापरीक्षा में चिह्नित वसूली जिसे विभाग द्वारा स्वीकार किया गया		वर्ष 2014–15 के दौरान की गई वसूली		विभाग	किए गए वसूली के विवरण
	मामलों की संख्या	राशि सम्मिलित	मामलों की संख्या	राशि सम्मिलित		
सामान्य प्रक्षेत्र	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य		
सामाजिक प्रक्षेत्र	14	352.39	1	40.00	शिक्षा	अनउपयोगित अनाज की वापसी नहीं किया जाना
			1	0.02	स्वास्थ्य	वेतन एवं भत्तों का अधिक भुगतान
आर्थिक प्रक्षेत्र	11	1158.85	1	79.97	जल संसाधन विभाग	संवेदक को अधिक भुगतान

(स्रोत: इस कार्यालय के विभिन्न प्रक्षेत्रों से प्राप्त सूचनाओं का संकलन)

1.11 राज्य विधान सभा में स्वायत्त निकायों के लिए पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुतिकरण की स्थिति

राज्य सरकार द्वारा कई स्वायत्त निकायों का गठन किया गया है। इन निकायों में से अधिकतर निकायों के लेन देनों, परिचालन संबंधी गतिविधि एवं लेखे, नियामक अनुपालन लेखापरीक्षा, आंतरिक प्रबंधन की समीक्षा, वित्तीय नियंत्रण एवं पद्धति तथा प्रक्रियाओं की समीक्षा इत्यादि के सत्यापन के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा किया जाता है। राज्य में चार स्वायत्त निकायों के लेखों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है जिसमें तीन का नवनीकरण नहीं हुआ है। लेखापरीक्षा सौंपें जाने की स्थिति, लेखों को लेखापरीक्षा को प्रस्तुत करने, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को जारी करने एवं विधान सभा में रखे जाने का विवरण परिशिष्ट 1.3 में दर्शाया गया है।

वर्ष 2014–15 के लिए तीन स्वायत्त निकायों के लेखापरीक्षा सौंपे जाने की अनवीकरण के कारण और एक स्वायत्त निकाय का लेखा प्राप्त नहीं होने के कारण, वर्ष 2014–15 के दौरान चार स्वायत्त निकायों के लेखापरीक्षा नहीं किए गए तथा पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को निर्गत नहीं किया गया (परिशिष्ट 1.3)।

अध्याय-II

निष्पादन लेखापरीक्षा

स्वास्थ्य विभाग

2.1 बिहार में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) का कार्यान्वयन

कार्यकारी सारांश

परिचय

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य लोक स्वास्थ्य प्रणाली के लिए उपलब्ध संसाधनों में वृद्धि, मानव संसाधनों का अधिकतम एवं सह क्रियात्मक उपयोग, स्वास्थ्य सेवाओं की आधारभूत संरचना के क्षेत्रीय विषमताओं में कमी, स्वास्थ्य कार्यक्रमों के जिला स्तर के प्रबंधन का विकेंद्रीकरण एवं समुदाय की भागीदारी करते हुए समाज के सभी वर्गों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले एवं स्त्रियों तथा बच्चों की गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना था।

(कंडिका 2.1.1)

folk; icuku

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार एक एजेंसी है, जिसे एन.आर.एच.एम. को दिशानिर्देश प्रदान करने की जिम्मेवारी थी, की वित्तीय विवरणी विश्वसनीय नहीं थी, यह एन.आर.एच.एम. की सही स्थिति नहीं दर्शाती थी क्योंकि एक ही अवयव के प्रारम्भिक शेष, प्राप्त निधि एवं व्यय के आँकड़े विभिन्न वित्तीय विवरणियों में भिन्न थे।

(कंडिका 2.1.8)

स्वास्थ्य कार्य योजना में कमियाँ

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की योजना प्रक्रिया निर्धारित दिशा-निर्देश के अनुसार नहीं थी क्योंकि निचले-स्तर तक पहुँच को नहीं अपनाया गया था तथा गाँव से जिला स्तर तक योजना दल का गठन किए बिना योजना तैयार की गई थी। फलस्वरूप, जमीनी स्तर पर एन.आर.एच.एम. की वास्तविक आवश्यकताओं को सुनिश्चित नहीं किया गया। परिणामस्वरूप योजना के तहत बजट आवंटन के बावजूद 'शून्य' व्यय एवं बिना बजट आवंटन के ही व्यय हुआ।

(कंडिका 2.1.9)

ituu , oaf'k'kqLokF; dk; Dø

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की प्रथम मिशन अवधि (अर्थात वर्ष 2005–12) पूरा होने के बावजूद, राज्य में वर्ष 2012–13 में मातृ मृत्यु दर के लक्ष्य एवं उपलब्धि में 100 प्रतिशत से अधिक एवं शिशु मृत्यु दर में 40 प्रतिशत का अंतर था। यह राज्य में मुख्यतः अपर्याप्त प्रसवपूर्व देखरेख तथा कम संख्या में संस्थागत प्रसव होने के कारण था।

(कंडिका 2.1.10)

विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं नई पीढ़ी स्वास्थ्य गारंटी कार्यक्रम का कार्यान्वयन

राज्य में विद्यालय के बच्चों की स्वास्थ्य जाँच में सफलता नहीं मिली क्योंकि राज्य में 187.95 लाख स्कूली बच्चों में से केवल 25.17 लाख (13 प्रतिशत) की ही वर्ष 2010–11 में जाँच की जा सकी थी। नई पीढ़ी स्वास्थ्य गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में 3.55 करोड़ स्कूली बच्चों में से 1.16 करोड़ को स्वास्थ्य कार्ड वितरित नहीं किया गया था।

(कंडिका 2.1.10.5 एवं 2.1.10.6)

स्वास्थ्य देखरेख इकाइयों/स्वास्थ्य देखरेख आधारभूत संरचना की अपर्याप्तता

राज्य में आबादी के मानक के अनुसार आवश्यक 923 के विरुद्ध केवल 70 रेफरल अस्पताल थे। राज्य में स्वास्थ्य उप केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कमी 39 से 47 प्रतिशत के बीच थी। नमूना जाँचित स्वास्थ्य देखरेख इकाइयों के पास आवश्यक संख्या में शैय्या एवं नैदानिक सुविधा जैसे, एक्स—रे, सोनोग्राफी तथा पैथोलॉजी सेवाएँ नहीं थी। निधि की उपलब्धता के बावजूद ट्रॉमा सेंटर एवं स्वास्थ्य देखरेख इकाइयों के भवन निर्माण जैसे असैनिक कार्य पूर्ण नहीं हुए थे।

(कंडिका 2.1.11)

आयुष को अपर्याप्त रूप से मुख्य धारा में लाया जाना

प्रत्येक रेफरल अस्पताल/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में आयुष की स्थापना एवं आयुष औषधि की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की गई।

(कंडिका 2.1.12)

बीमारी उन्मूलन कार्यक्रम

मानवबल की कमी एवं डी.डी.टी. का सावधिक छिड़काव नहीं होने के कारण राज्य से कालाजार का उन्मूलन नहीं हो सका। राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम अपर्याप्त आधारभूत संरचना एवं मानवबल की कमी के कारण पीड़ित रहा। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम विशेषज्ञ चिकित्सीय कर्मियों की कमी के कारण कुष्ठ उन्मूलन के लक्ष्य से भटक गया।

(कंडिका 2.1.14.1, 2.1.14.2, 2.1.14.3 एवं 2.1.14.4)

अपर्याप्त मानवबल

स्वीकृत बल के 57 प्रतिशत चिकित्सा/विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों के पद रिक्त थे जबकि परा चिकित्साकर्मियों की कमी 29 से 72 प्रतिशत के बीच थी।

(कंडिका 2.1.15)

अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रभावी नहीं था क्योंकि स्वास्थ्य अनुश्रवण समितियों/जिला स्तरीय निगरानी एवं अनुश्रवण समितियों का गठन नहीं किया गया था तथा शासी निकाय/कार्यकारिणी समिति की नियमित बैठकें नहीं होती थीं।

(कंडिका 2.1.16)


2.1.1 परिचय

भारत सरकार के द्वारा अप्रैल 2005 में समाज के सभी वर्गों; विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले एवं स्त्रियों एवं बच्चों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से एक समेकित स्वास्थ्य कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) शुरू किया गया। एन.आर.एच.एम. के तहत कार्यक्रमों को चार वृहत अवयवों यथा— भाग ‘अ’ (मातृ स्वास्थ्य, शिशु स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, जननी सुरक्षा योजना आदि), भाग—ब (आधारभूत सुविधाओं का सृजन, आशा आदि जैसी अतिरिक्तयाँ), भाग—स (टीकाकरण एवं पल्स पोलियों गतिविधियाँ) एवं भाग—द (विभिन्न राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम) में विभाजित किया गया था। एन.आर.एच.एम. के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु मार्च 2012 तक लोक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के अन्तर्गत उपलब्ध संसाधन में वृद्धि, मानव संसाधनों का अधिकतम एवं सहक्रियात्मक उपयोग, स्वास्थ्य सेवाओं की आधारभूत संरचना में पाई गई क्षेत्रीय विषमताओं में कमी, जिलास्तरीय स्वास्थ्य योजना के प्रबंधन का विकेन्द्रीकरण एवं सामुदायिक सहभागिता के साथ—साथ स्वास्थ्य पहल के स्वामित्व

को सुनिश्चित किया जाना था। पुनः मिशन अवधि को एन.आर.एच.एम. एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को एक साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) में सम्मिलित करते हुए (मई 2013) वर्ष 2012–17 तक के लिए बढ़ा दिया गया था।

2.1.2 संगठनात्मक ढाँचा

राज्य स्तर पर एन.आर.एच.एम का कार्यान्वयन राज्य स्वास्थ्य मिशन, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं, के सम्पूर्ण दिशा निर्देश में किया जाता है। राज्य स्वास्थ्य मिशन की गतिविधियों का संचालन राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के द्वारा प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग—सह—मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में किया जाता है। राज्य में एन.आर.एच.एम. का संगठनात्मक ढाँचा निम्नवत है:



(स्रोत: राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना)

2.1.3 लेखापरीक्षा का उद्देश्य

निष्पादन लेखा परीक्षा यह मूल्यांकन करने हेतु किया गया कि क्या:

- एन.आर.एच.एम. की निधि/परिसम्पत्तियाँ की सुरक्षा हेतु समुचित वित्तीय नियंत्रण प्रणाली उपलब्ध थी, एन.आर.एच.एम. के अधीन समितियों की वित्तीय स्थिति के वास्तविक स्वरूप को लेखा प्रदर्शित करता था, राशियों की विमुक्ति एवं उनका उपयोग पर्याप्त एवं ससमय था;
- मिशन के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु कार्य योजना का निर्माण विभिन्न स्तरों पर पर्याप्त सामूहिक सहभागिता के आधार पर किया गया था;
- मातृत्व एवं शिशु मृत्यु दर में कमी आई थी एवं महिला तथा शिशु स्वास्थ्य पर बल देते हुए लोक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार समान रूप से उपलब्ध था;
- योजना के अनुसार विभिन्न स्तरों पर भौतिकीय संरचनात्मक विकास, दवाओं/उपकरणों का क्रय एवं मानव संसाधनों से संबंधित लक्ष्यों को प्राप्त किया गया था;

- स्थानीय एवं परंपरागत स्वास्थ्य पद्धतियों को पुनर्जीवित करने हेतु प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आयुष प्रभाग का सृजन किया गया था;
- राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन प्रभावी रूप से हो रहा था; एवं
- मिशन के लक्ष्यों की पूर्ति एवं सामुदायिक सहभागिता को सुनिश्चित करने हेतु अनुश्रवण प्रणाली एवं मूल्यांकन प्रक्रिया समुचित थी।

2.1.4 लेखापरीक्षा मानक

लेखापरीक्षा निष्कर्षों को प्राप्त करने हेतु उपयोग किए गए मानक थे:-

- भारत सरकार की एन.आर.एच.एम. के कार्यान्वयन की रूपरेखा;
- एन.आर.एच.एम. के विभिन्न घटकों, स्वास्थ्य कार्यक्रमों एवं राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत वित्तीय/प्रचालन दिशा निर्देश;
- भारत/बिहार सरकार द्वारा निर्गत परिपत्र, आदेश एवं अनुदेश जिसमें गतिविधियों हेतु निर्देश दिए थे एवं
- भारतीय लोक स्वास्थ्य मापदंड (आई.पी.एच.एस.) के मानक।

2.1.5 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं क्रियाविधि

एन.आर.एच.एम. के वर्ष 2010–15 की अवधि की निष्पादन लेखा परीक्षा अप्रैल से जूलाई 2015 के दौरान किया गया था। उक्त अवधि में स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, राज्य स्वास्थ्य समिति (रा.स्वा.स.), बिहार एवं नमूना जाँच हेतु चयनित 10 जिलों (अररिया, पूर्वी चंपारण, गया, कटिहार, किशनगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण, सिवान एवं पश्चिम चंपारण) में अवस्थित जिला स्वास्थ्य समिति (जि.स्वा.स.), रेफरल अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (प्रा.स्वा.के.), अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं स्वास्थ्य उपकेन्द्र के अभिलेखों का नमूना जाँच किया गया था। उक्त 10 चयनित जिलों के कुल 18 रेफरल अस्पतालों में से 10 अस्पताल, 177 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से 64 केन्द्रों का, 492 अतिरिक्त प्रा.स्वा.के. में से 108 केन्द्रों का एवं 3766 स्वास्थ्य उपकेन्द्रों (स्वा.के.) में से 256 उपकेन्द्रों के अभिलेखों की जाँच की गई (परिशिष्ट-2.1.1)। नमूना जाँच हेतु जिलों का चयन प्रोवेविलिटि प्रोपोर्शनेट टू साईज विदाउट रिप्लेसमेंट विधि के आधार पर किया गया था एवं संबंधित रेफरल अस्पतालों एवं प्रा.स्वा.के. का चयन सिम्प्ल रैण्डम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट के आधार पर किया गया था।

लेखापरीक्षा क्रियाविधि के अंतर्गत अभिलेखों की विवेचना, लेखापरीक्षा पृच्छाओं पर प्रतिक्रिया, प्रश्नावलियों के माध्यम से सूचनाओं का संग्रह एवं संयुक्त प्रपत्र भैतिक निरीक्षण आदि सम्मिलित थे। लेखापरीक्षा अवलोकन रा.स्वा.स., जि.स्वा.स. एवं अन्य स्वास्थ्य केन्द्र से प्राप्त ऑकड़ों एवं जानकारियों पर आधारित थे। लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, लेखापरीक्षा मानक एवं क्रियाविधि की जानकारी हेतु, सचिव, स्वास्थ्य विभाग—सह—कार्यपालक निदेशक, रा.स्वा.स., बिहार के साथ एक अंतर्गमन सम्मेलन (मार्च 2015) आयोजित की गई। प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के साथ बहिर्गमन सम्मेलन (अक्टूबर 2015) आयोजित की गई। बहिर्गमन बैठक में व्यक्त जवाबों एवं मंतव्यों को संतुलित प्रतिवेदन हेतु उचित जगह पर सम्मिलित किया गया।

2.1.6 पूर्व निष्पादन लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा निष्कर्ष

वर्ष 2005–09 की अवधि के लिए एन.आर.एच.एम. पर निष्पादन लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 2009 में समाप्त होने वाले वर्ष के प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया था (कंडिका-1.1) उक्त प्रतिवेदन में निम्नलिखित मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्षों का उल्लेख किया गया था:-

- वर्ष 2005–09 की अवधि में रा.स्वा.स., बिहार द्वारा न तो गृह सर्वे और स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध सुविधाओं का आकलन किया गया न ही वार्षिक एवं परिप्रेक्षित कार्ययोजना बनाई गई थी;
- वित्तीय प्रबंधन त्रुटिपूर्ण था एवं संबंधित लेखा अभिलेखों में विसंगतियाँ पायी गई थीं, जो दर्शाता है कि वे सही तथ्यों एवं आंकड़ों पर आधारित नहीं थे;
- स्वास्थ्य केंद्रों (रेफरल, प्राथमिक एवं स्वास्थ्य उपकेन्द्रों) की संख्या में 52 से 93 प्रतिशत की भारी कमी थी एवं मानवबल के मामले में उक्त केन्द्रों हेतु निधारित चिकित्सीय एवं परा चिकित्सीय मानवबल में स्वीकृत बल के विरुद्ध 11 से 49 प्रतिशत की कमी थी;
- दवाओं का क्रय निर्धारित दर से अधिक दर पर करने के कारण अतिरिक्त भुगतान किया गया था; एवं
- विभिन्न स्तरों पर अनुश्रवण समिति एवं योजना समिति का गठन नहीं किया गया था।

2.1.7 राज्य में एन.आर.एच.एम. के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति

निष्पादन लेखापरीक्षा के क्रम में ये पाया गया कि पिछले प्रतिवेदन में इंगित की गई कमियों में सुधार नहीं किये गये थे। गृह सर्वे एवं सुविधा उपलब्धता सर्वे का काम नहीं हुआ था एवं गाँव स्तर पर बनाई जाने वाली योजना के बिना ही कार्ययोजना का निर्माण किया गया था। वित्तीय प्रबंधन में भी अभी तक सुधार नहीं हुआ था। आवश्यक 18460 स्वास्थ्य उपकेन्द्रों, 3077 प्रा०/अ. स्वा. केन्द्रों एवं 923 रेफरल अस्पतालों के विरुद्ध क्रमशः मात्र 9729 (53 प्रतिशत), 1883 (61 प्रतिशत) एवं 70 (आठ प्रतिशत) उपलब्ध थे। चिकित्सीय एवं परा चिकित्सीय कर्मियों के पद का अभी भी भरा जाना शेष था। चिकित्सीय/विशेषज्ञ चिकित्सीय अधिकारियों हेतु स्वीकृत 12178 पद एवं ए.एन.एम./स्टाफ नर्स के स्वीकृत 29582 पदों के विरुद्ध सिर्फ़ क्रमशः मात्र 5212 (43 प्रतिशत) ही चिकित्सीय/विशेषज्ञ चिकित्सीय अधिकारी एवं 20917 (71 प्रतिशत) ए.एन.एम./स्टाफ नर्सों की पदस्थापना की गई थी। बी.एम.एस.आई.सी.एल. द्वारा वर्ष 2012–13 के दौरान दवाओं की अधिप्राप्ति बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा अनुबंधित दर से उच्च दर पर की गई थी। सामुदायिक अनुश्रवण एवं आयोजन समितियों का गठन भी नहीं किया गया था।

पुनः वर्ष 2013–14 की तुलना में वर्ष 2014–15 में अंतः रोगियों एवं वाह्य रोगियों की संख्या क्रमशः 44.32 लाख से घटकर 41.07 लाख एवं 791.52 लाख से घटकर 738.78 लाख हो गई थी।

2.1.8 वित्तीय प्रबंधन

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, एन.आर.एच.एम. के अतंगत उपलब्ध निधियों के वित्तीय प्रबंधन के साथ–साथ एन.आर.एच.एम. के विभिन्न घटकों हेतु वार्षिक परियोजना कार्यान्वयन योजना जिसमें भौतिक लक्ष्यों एवं आवश्यक निधि का विवरण शामिल हो, को बनाने एवं भारत सरकार को समर्पित करने हेतु जिम्मेवार था। परियोजना

कार्यान्वयन योजना, को स्वीकृति के उपरांत रेकार्ड ऑफ प्रोसिडिंग्स कहा जाता था, के अनुसार भारत सरकार राशि निर्गत करती थी (वर्ष 2011–12 तक केन्द्र एवं राज्य सरकारों का अनुपात 85 : 15 एवं वर्ष 2012–13 से यह अनुपात 75 : 25 था)।

मुख्य रोकड़ पंजी,
जिसमें एन.आर.
एच.एम. के तहत सभी घटकों की विवरणी शामिल हो, का संधारण नहीं किया गया

बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति की विधिय विवरणीयों;
एन.आर.एच.एम. की निधि की वास्तविक स्थिति नहीं दर्शाती थी

एन.आर.एच.एम. के वित्तीय प्रबंधन हेतु संचालित मार्गदर्शिका के अनुसार, रा.स्वा.स., बिहार के द्वारा मुख्य रोकड़ पंजी (एक मुख्य पुस्तक जिसमें सभी प्राप्तियाँ एवं भुगतान की प्रविष्टि हो), अग्रिम पंजी एवं आवंटन प्राप्ति पंजी आदि जैसी विभिन्न लेखा पंजियों को संधारित किया जाना था।

लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि एन.आर.एच.एम. के तहत सभी लेन-देनों को अभिलेखित करने हेतु आवश्यक मुख्य रोकड़ पंजी का संधारण रा.स्वा. समिति, बिहार द्वारा नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त आवंटन प्राप्ति पंजी एवं अग्रिम पंजी का उचित संधारण भी बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा नहीं किया गया। यह भी ज्ञात हुआ कि बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति ने बिहार सरकार के हिस्से के आवंटन को घटक-वार संधारित नहीं किया था, जो अनुमोदित योजना के तहत अपेक्षित था। लेखाओं के सही तरह से संधारण नहीं किये जाने के कारण एक ही घटक के विभिन्न प्रकार के प्रारंभिक शेष, प्राप्त आवंटन एवं व्यय की राशि, समिति द्वारा संधारित विभिन्न लेखा अभिलेखों/विवरणों यथा रेकार्ड ऑफ प्रोसिडिंग्स, तिमाही वित्तीय विवरण, चार्टड एकाउटेंट के प्रतिवेदनों, वित्तीय प्रबंधन प्रतिवेदनों एवं राज्य स्वा. समिति द्वारा उपलब्ध कराये गये वित्तीय विवरणों में पर्याप्त अंतर के साथ पाया गया था। परिणामत रा.स्वा.समिति, एन.आर.एच.एम. की निधि की स्थिति लेखापरीक्षा को बतलाने की स्थिति में नहीं था। तथापि, बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति ने एक अपूर्ण वित्तीय विवरणी उपलब्ध कराया (अगस्त 2015), जिसमें योजना के चार अवयवों में से केवल तीन अवयव (भाग-अ, ब, स) तथा एन.आर.एच.एम. के अन्तर्गत बिहार सरकार के अंश शामिल थे। उपलब्ध करायी गयी विवरणी की विवेचना से ज्ञात हुआ कि वर्ष 2014–15 के दौरान भारत सरकार एवं बिहार सरकार के व्यय की राशि में विसंगतियाँ थीं। उक्त विवरणी को अक्टूबर 2015 में पुनः रा.स्वा. समिति द्वारा संशोधित कर दिया गया था, जो तालिका संख्या-2.1.1 में दर्शाया गया है:

तालिका संख्या-2.1.1

वर्ष 2010–15 की अवधि में एन.आर.एच.एम. के अंतर्गत भाग अ, ब, स एवं बिहार सरकार से संबंधित उपलब्ध राशि एवं व्यय

वर्ष	प्रारम्भ शेष		प्राप्त राशि		व्यय		अंत शेष		1/करोड़ में
	भारत सरकार	बिहार सरकार	भारत सरकार	बिहार सरकार	केन्द्रांश	राज्यांश	भारत सरकार	बिहार सरकार	
1	2	3	4	5	6	7	8 (2+4-6)	9 (3+5-7)	
2010-11	142.83	355.58	1152.88	295.28	994.72	195.34	300.99	455.52	
2011-12	300.99	455.52	699.31	322.32	937.83	442.98	62.47	334.86	
2012-13	62.47	334.86	1289.48	501.66	1238.76	419.42	113.19	417.10	
2013-14	113.19	417.10	1300.81	368.23	1263.14	539.93	158.39	270.23	
2014-15	158.39	270.24	1154.21	286.69	1273.27	356.67	48.83	215.13	
कुल			5596.69	1774.18	5707.72	1954.34			

(स्रोत: राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार द्वारा उपलब्ध सूचनाएँ)

आगे, उपरोक्त तालिका संख्या 2.1.1 के जाँच में यह पाया गया कि वर्ष 2010–13 तक की अवधि में प्राप्त राशि में उक्त अवधि के अंतर्गत प्राप्त सूद एवं अन्य प्राप्तियाँ भी सम्मिलित थीं। यह इंगित करता है कि रा.स्वा. समिति के द्वारा केन्द्र/राज्य सरकार के समानुपाती अंशदानों का पृथक ब्योरा एवं सूद की राशि का लेखा उक्त अवधि में नहीं रखा गया था।

इस प्रकार, एन.आर.एच.एम. के निधि की अपूर्ण वित्तीय विवरणी, एन.आर.एच.एम. के अंतर्गत राज्य में प्राप्त राशियों एवं संबंधित व्यय के वास्तविक स्थिति को नहीं प्रकट कर रही थी।

जवाब में, कार्यपालक निदेशक, रा.स्वा.सं. बिहार ने अनुरोध किया (अक्टूबर 2015) की चार्टड एकान्डटेट के प्रतिवेदन को रा.स्वा. समिति के वित्तीय लेखांकन हेतु अंतिम माना जाये। कार्यपालक निदेशक ने यह भी कहा कि लेखा परीक्षित चार्टड एकान्डटेट प्रतिवेदन की पुनः जाँच सभी इकाइयों की रोकड़ पंजी एवं बैंक विवरणी से करने हेतु एक आंतरिक दल का गठन किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लेखा परीक्षित चार्टड एकान्डटेट रिपोर्ट सही है।

अनुशंसा: रा.स्वा.सं. बिहार के द्वारा लेखाओं का संधारण एन.आर.एच.एम. दिशानिर्देशिका के अनुसार सुनिश्चित किया जाना चाहिए एवं वित्तीय विवरणियों में पार्झ गई विसंगतियों का समाशोधन किया जाना चाहिए।

2.1.9 स्वास्थ्य कार्य योजना में कमियाँ

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के वित्तीय प्रबंधन के लिए परिचालन दिशा-निर्देश एवं फ्रेमवर्क राज्य (राज्य योजना) में वार्षिक कार्यक्रम क्रियान्वयन योजना के निर्माण में निचले स्तर तक पहुँच को निर्धारित करता है। इसके अन्तर्गत मानव संसाधन योजना, क्षमता संवर्द्धन योजना, स्वास्थ्य देख-रेख के लिए वित पोषण, अनुश्रवण इत्यादि संबंधित विवरण शामिल होना चाहिए। उपलब्ध संसाधनों एवं प्राथमिकता के आधार पर वार्षिक परियोजना, कार्यान्वयन योजना को ग्राम एवं प्रखण्ड स्तर पर तैयार कर जिला स्तर (जिला योजना) पर समेकित करना था। राज्य स्तर पर राज्य योजना तैयार करने हेतु बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा जिला योजनाओं का संकलन एवं समूहन किया जाना था। ऐसी योजना तैयार करने हेतु विभिन्न स्तरों यथा बसावट/ग्राम एवं ग्राम पंचायत स्तर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्रखण्ड एवं जिला स्तर पर योजना दलों एवं समितियों का गठन करना था।

राज्य/जिला स्तर की योजना को तैयार करने के दौरान निचले स्तर तक पहुँच का अनुपालन नहीं किया गया था। क्योंकि किसी भी स्तर पर योजना दल एवं समिति का गठन नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, जाँचित जिलों के ग्रामों द्वारा प्रखण्डों को वार्षिक ड्राफ्ट योजना उपलब्ध नहीं कराये गये जिसके कारण लगभग आधे प्रखण्डों द्वारा ग्रामों से ऑकड़े प्राप्त किए बिना ही योजना तैयार किया गया। नमूना जाँचित जिले के शेष प्रखण्डों द्वारा वर्ष 2010–2015 के दौरान वार्षिक योजना तैयार नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, जिला/राज्य योजना में राज्य के सभी प्रखण्डों के ऑकड़ों का समावेश नहीं था।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग द्वारा कहा गया कि भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी निधि के अनुसार प्रत्येक जिले द्वारा मात्र दो प्रखण्ड स्वास्थ्य कार्य योजना एवं 10 ग्राम स्वास्थ्य योजना तैयार किया गया था एवं आश्वासन दिया गया कि भविष्य में योजना दलों को सभी स्तरों पर सक्रिय किया जाएगा बशर्ते कि निधि उपलब्ध हो।

2.1.9.1 गृहवार एवं सुविधा सर्वेक्षण नहीं किया जाना

स्वास्थ्य उपकेन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र, रेफरल अस्पतालों आदि का गृह सर्वेक्षण एवं सुविधा सर्वेक्षण नियमित अंतराल पर किया जाना था। योजना एवं अनुश्रवण हेतु इन सर्वेक्षणों का किया जाना आवश्यक था जिससे कि सुनिश्चित सेवा के लिए स्पष्ट वचनबद्धता एवं सभी स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु वित्तीय एवं मानव संसाधन का निर्धारण करते हुए आधार रेखा वार्षिक कार्ययोजना का निर्माण किया जा सके।

नमूना जाँचित जिले के अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2010–2015 के दौरान इस तरह का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया।

कार्यपालक निदेशक ने उत्तर में कहा (अक्टूबर 2015) कि रा. स्वा. समिति, बिहार के द्वारा आशा एवं औँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से गृहवार सर्वेक्षण हेतु निर्देश जारी किया गया है (मई 2015)।

2.1.9.2 परिप्रेक्षित योजना नहीं तैयार किया जाना

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के परिचालन संबंधी फ्रेमवर्क (2005–12) के अनुसार ग्रामीण स्वास्थ्य योजना के आधार पर जिलों की वार्षिक आवश्यकताएँ एवं संसाधनों को रेखांकित करते हुए एक परिप्रेक्षित योजना तैयार किया जाना चाहिए था। भारत सरकार ने भी राज्य स्वास्थ्य समिति को दिसम्बर 2013 तक वर्ष 2014–17 की अवधि के लिए परिप्रेक्षित योजना का निर्माण और प्रस्तुत करने का निर्देश दिया (अक्टूबर 2013)।

हाँलांकि, वर्ष 2005–2012 की अवधि के लिए किसी भी नमूना जाँचित जिलों के द्वारा परिप्रेक्षित योजना तैयार नहीं किया गया था। यद्यपि वर्ष 2014–17 की अवधि के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा परिप्रेक्षित योजना प्रस्तुत की गई (मई 2014) लेकिन इसमें ग्राम–योजना सम्मिलित नहीं थी।

कार्यपालक निदेशक ने यह स्वीकार किया (अक्टूबर 2015) कि वर्ष 2005–12 की अवधि हेतु परिप्रेक्षित योजना नहीं बनाई गई थी।

इस प्रकार, योजना पद्धति त्रुटिपूर्ण थी क्योंकि न तो निचले स्तर तक पहुँच को अपनाया गया और न ही सामुदायिक सहभागिता को सुनिश्चित किया गया। परिणामस्वरूप, योजनाएँ गाँव की आवश्यकता को पूरा करने में विफल रहीं और साथ ही राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कुल 1942 उप–अवयवों में से 168 उप–अवयवों में बजट आवंटन के बावजूद शून्य व्यय और 500 उप–अवयवों में बिना बजट आवंटन के व्यय जैसे मामले भी पाए गए।

अनुशंसा: राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा टोले/गाँवों से लेकर जिला स्तर तक योजना दल एवं समिति गठन कर योजना में सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

कार्यक्रम कार्यान्वयन

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के विभिन्न अवयवों जैसे प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम जिसमें मातृ स्वास्थ्य, शिशु स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, जननी सुरक्षा योजना तथा अतिरिक्त कार्य जैसे वार्षिक रख रखाव अनुदान जिसमें आधारभूत संरचना का सृजन, औषधियों की अधिप्राप्ति आदि शामिल है, का उपयोग, प्रतिरक्षण एवं पल्स पोलियो क्रियाकलाप एवं विभिन्न राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन में पायी गई कमियाँ अनुर्वती कंडिकाओं में बताई गई हैं:

2.1.10 प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम (भाग–अ)

प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर.सी.एच.–II) की शुरुआत वर्ष 2005 में नवजात मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर को कम करने हेतु प्रधान वाहक के रूप में की गई। मिशन का उद्देश्य मार्च 2012 तक मातृ मृत्यु दर को 100:100000 के अनुपात तक एवं शिशु मृत्यु दर को 30:1000 तक करना लक्षित था। यद्यपि, भारत सरकार के सर्वेक्षण प्रतिवेदन (वर्ष 2012–13) के अनुसार राज्य में मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर का अनुपात क्रमशः 208:100000 एवं 42:1000 था।

इस प्रकार, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के प्रथम मिशन अवधि (वर्ष 2005–12) के समाप्त होने के बावजूद राज्य, मातृ मृत्यु दर के लक्ष्य की प्राप्ति से 100 प्रतिशत एवं

राज्य, मातृ मृत्यु एवं शिशु मृत्यु दर की वांछित लक्ष्य की प्राप्ति में पीछे था।

शिशु मृत्यु दर के लक्ष्य की प्राप्ति से 40 प्रतिशत पीछे था। मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर के वांछित स्तर को प्राप्त नहीं करने के कारणों की व्याख्या अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई है:

2.1.10.1 प्रसवपूर्व देखभाल

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के फ्रेमवर्क के अनुसार गर्भवती महिलाओं के लिए निर्धारित प्रसवपूर्व देखभाल के तहत गर्भधारण का यथाशीघ्र निबंधन आदर्शतः प्रथम तिमाही (अर्थात् गर्भधारण के 12वें सप्ताह के पूर्व) के साथ तीन प्रसवपूर्व जाँच, और कम से कम 100 दिनों के लिए आयरन एवं फॉलिक एसिड टेबलैट (आई.एफ.ए.) का सम्पूरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए था।

नमूना जाँचित जिला स्वास्थ्य समितियों के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि गर्भवती महिलाओं के लिए वांछित प्रसवपूर्व उपाय नहीं किया गया जैसा कि तालिका संख्या–2.1.2 में दर्शाया गया है:

तालिका संख्या –2.1.2

नमूना जाँचित जिलों में गर्भवती महिलाओं के प्रसवपूर्व जाँच की विवरणी

वर्ष	निर्बंधित गर्भवती महिलाएँ	प्रथम तिमाही में निर्बंधित (प्रतिशत)	तीन प्रसवपूर्व जाँच (प्रतिशत)	100 आई.एफ.ए.टेबलैट प्राप्त गर्भवती महिलाएँ (प्रतिशत)
2010-11	732047	357194 (49)	332311 (45)	710726 (97)
2011-12	889931	473866 (53)	485615 (55)	646365 (73)
2012-13	849244	366664 (43)	446867 (53)	518598 (61)
2013-14	955129	410325 (43)	561210 (59)	640650 (67)
2014-15	955663	459081 (48)	603523 (63)	538755 (56)
कुल	4382014	2067130 (47)	2429526 (55)	3055094 (70)

(भोतः नमूना जाँचित जिलों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना)

तालिका संख्या 2.1.2 से यह स्पष्ट है कि मानव–बल की कमी, आशाओं द्वारा गर्भवती महिलाओं की खोज नहीं किये जाने आदि कारणों से वर्ष 2010–2015 के दौरान केवल 43 प्रतिशत से 53 प्रतिशत तक गर्भवती महिलाओं का निर्बंधन प्रथम तिमाही में किया गया था। गैर अभिप्रेरित कर्मी, पहुँच के बाहर की जनसंख्या एवं विशाल क्षेत्र के कारण सिर्फ 45 प्रतिशत से 63 प्रतिशत तक ही निर्बंधित गर्भवती महिलाओं का तीन प्रसवपूर्ण जाँच किया गया था। आशाओं द्वारा गर्भवती महिलाओं को टैबलेट लेने के लिए प्रोत्साहित करने में विफलता एवं आशाओं का ग्रामीण जनसंख्या के संपर्क में नहीं रहने के कारण न्यूनतम 100 दिनों के लिए आई.एफ.ए. टैबलेट केवल 56 प्रतिशत से 97 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं को दिया गया। इसके अतिरिक्त नमूना जाँचित जिलों में अपर्याप्त स्वास्थ्य जाँच, माताओं का खराब स्वास्थ्य आदि कारणों से वर्ष 2010–15 के दौरान 23,19,252 संस्थागत प्रसव में से 57,420 प्रसव मृत पाया गया।

बहिर्गमन सम्मेलन (अक्टूबर 2015) के दौरान प्रधान सचिव ने चिकित्सकों एवं चिकित्सीय कर्मियों की कमी, कम उम्र में शादी एवं सामाजिक–आर्थिक स्थिति को मृत प्रसव का कारण बताते हुए कहा कि मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किए जाने का कारण स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्त्री रोग विशेषज्ञों की कमी का होना था। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य में मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में लगातार गिरावट आ रही है।

2.1.10.2 जननी सुरक्षा योजना

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत जननी सुरक्षा योजना की शुरूआत (अप्रैल 2005) गर्भवती महिलाओं में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ एवं नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करने हेतु की गई थी। इस योजना के तहत स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रसव

कराने वाली सभी गर्भवती महिलाएँ प्रसव के दौरान होने वाले प्रत्यक्ष एवं परोक्ष व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु ₹1400 (ग्रामीण क्षेत्र) एवं ₹1000 (शहरी क्षेत्र) प्राप्त करने की हकदार थी। नमूना जाँचित जिलों में जननी सुरक्षा योजना के कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि योजना संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने में सफल नहीं हुई थी, जैसा कि निम्नवत तालिका संख्या 2.1.3 में दर्शाया गया है:

तालिका संख्या—2.1.3 संस्थागत एवं गृह प्रसव की विवरणी

वर्ष	निबंधित गर्भवती महिलाओं की संख्या	प्रसव की संख्या		भुगतान प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या	
		संस्थागत (प्रतिशत)	गृह (प्रतिशत)	संस्थागत (प्रतिशत)	गृह (प्रतिशत)
2010-11	732047	374728 (51)	69075 (9)	187552 (50)	8636 (13)
2011-12	889931	459533 (52)	157689 (18)	253597 (55)	9832 (6)
2012-13	849244	466032 (55)	189991 (22)	415186 (89)	16575 (9)
2013-14	955129	527636 (55)	200321 (21)	470062 (89)	18475 (9)
2014-15	955663	491323 (51)	229688 (24)	325448 (66)	22927 (10)
dy	4382014	2319252 (53)	846764 (19)	1651845 (71)	76445 (9)

(झोत: नमूना जाँचित जिलों के द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना)

जैसा कि उपरोक्त तालिका संख्या 2.1.3 से स्पष्ट है कि वर्ष 2010-15 के दौरान संस्थागत प्रसव लगभग स्थिर रहा (अर्थात् 51 से 55 प्रतिशत) जबकि गृह प्रसव की संख्या वर्ष 2010-11 में नौ प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2014-15 में 24 प्रतिशत हो गई जिसका कारण स्वास्थ्य केन्द्रों में आधारभूत सुविधाओं का अभाव, चिकित्सा पदाधिकारी एवं ए.एन.एम. की कमी आदि थी। इसके अतिरिक्त, गर्भ धारण के 28 प्रतिशत मामले प्रसव हेतु अप्रतिवेदित रहे जिसका कारण निजी स्वास्थ्य सुविधाओं का चयन हो सकता है।

आगे, वर्ष 2010-15 के दौरान संस्थागत प्रसव के केवल 50 प्रतिशत से 89 प्रतिशत तक मामलों में एवं गृह प्रसव के छः प्रतिशत से 13 प्रतिशत मामलों में नगद भुगतान किया गया, जिसका कारण निधि का अभाव, लाभार्थियों के बैंक खातों का नहीं रहना आदि था। यह भी देखा गया कि 27 नमूना जाँचित रेफरल अस्पताल/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में जननी सुरक्षा योजना के 6027 लाभार्थियों को ₹82.35 लाख की राशि के भुगतान को रोकड़—बही में अंकित किये जाने के बावजूद लेखापरीक्षा की तिथि (जून—जुलाई 2015) तक लाभार्थियों को सुपूर्द नहीं किये गये थे। इसके अतिरिक्त, नौ रेफरल अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के नमूना जाँचित 2855 मामलों में एक से 24 माह की देरी तक भुगतान किया गया।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान प्रधान सचिव ने कहा (अक्टुबर 2015) कि स्थिति में सुधार हेतु स्वास्थ्य केन्द्रों में पर्याप्त चिकित्सकों एवं सुसज्जित प्रसव कक्ष को उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। यह भी कहा गया कि लाभार्थियों द्वारा बैंक खाता खुलवाने में विलम्ब के कारण लाभार्थियों के द्वारा चेक प्राप्त नहीं किया गया और इस मामले को उचित समय में हल कर लिया जाएगा।

2.1.10.3 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं स्वास्थ्य उप केन्द्र का मातृ—बाल स्वास्थ्य केन्द्रों के लेवल—I के रूप में संचालन

समुदाय के भीतर संस्थागत प्रसव की सुविधा को बेहतर बनाने के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के द्वारा सभी जिले के सिविल सर्जन—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया था (जुलाई 2010 एवं सितम्बर 2010) कि प्रत्येक जिले में दो स्वास्थ्य उप केन्द्रों एवं प्रत्येक प्रखंड के अंतर्गत एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को मातृ बाल स्वास्थ्य केन्द्र लेवल-1 के रूप में विकसित किया जाए। इसके अलावा राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा यह भी निर्णय लिया गया (जनवरी 2013) कि वर्ष

2013–14 के दौरान राज्य के प्रत्येक स्वास्थ्य उप केन्द्रों को मातृ–शिशु स्वास्थ्य केन्द्र लेवल–1 के रूप में चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जाए। मातृ–शिशु स्वास्थ्य केन्द्र लेवल–1 के समुचित संचालन हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति ने निर्देश दिया (दिसंबर 2013) कि प्रत्येक में दो चिकित्सा अधिकारियों (एक एम.बी.बी.एस. एवं एक आयुष) एवं तीन प्रशिक्षित स्टाफ नर्स / ए.एन.एम. होना चाहिए।

मातृ बाल स्वास्थ्य केन्द्र लेवल–1 (24x7) के रूप में अकार्यशील थे

लेखापरीक्षित जिले के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि 177 अति. प्रा. स्वा. केन्द्रों एवं 354 स्वास्थ्य उप केन्द्रों के लक्ष्य के विरुद्ध केवल 109 अति. प्रा. स्वा. केन्द्र एवं 36 स्वास्थ्य उप केन्द्र ही मातृ–बाल स्वास्थ्य केन्द्र लेवल–1 के रूप में कार्यशील थे एवं सभी केन्द्रों में मानव शक्ति की कमी थी। लेखापरीक्षित 14 अति.प्रा.स्वा. केन्द्र बिना चिकित्सा पदाधिकारी के कार्यरत थे जबकि अन्य 14 अति.प्रा.स्वा. केन्द्रों एवं एक स्वास्थ्य उप केन्द्र में कोई भी ए.एन.एम. कार्यरत नहीं थे। इसके अलावा, लेखापरीक्षित जिलों में तीन ए.एन.एम. किसी भी लेवल–1 के रूप में विकसित मातृ–शिशु स्वास्थ्य केन्द्र में पदस्थापित नहीं थे (**परिशिष्ट 2.1.2**)। हाँलांकि उपलब्ध ए.एन.एम. को सप्ताह में दो दिन आंगनबाड़ी केन्द्रों पर टीकाकरण कार्य एवं प्रत्येक मंगलवार को प्रा.स्वा. केन्द्र के साप्ताहिक बैठकों में भाग लेना पड़ता था। यहाँ तक कि 15 लेवल–1 केन्द्रों के भौतिक सत्यापन के दौरान पाँच केन्द्र बंद पाये गए जबकि 10 केन्द्रों में गतिविधियाँ अभी भी शुरू नहीं की जा सकी थी (जुलाई 2015)।

इस प्रकार, अपेक्षित मानव शक्ति के अभाव में लेखापरीक्षित जिलों में कोई भी केन्द्र, लेवल–1 मातृ–शिशु केन्द्र 24x7 के आधार पर कार्यरत नहीं था।

जवाब में कार्यकारी निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार ने कहा (अक्टूबर 2015) कि राज्य स्वास्थ्य समिति साल के अंत तक एल–1 मातृ–शिशु केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण हेतु मानव शक्ति के अंतराल को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है।

अनुशंसा: मातृ–मृत्यु दर एवं नवजात मृत्यु दर में कमी लाने हेतु स्वास्थ्य देखभाल इकाइयों को प्रत्येक पंजीकृत गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्ण देखभाल सुनिश्चित करना चाहिए एवं मातृ–शिशु स्वास्थ्य केन्द्रों को चिकित्सकों, पारा चिकित्सा कर्मियों एवं उपकरणों के साथ कार्यात्मक बनाया जाना चाहिए।

2.1.10.4 आर.सी.एच. के तहत बेसिक लाईफ सपोर्ट एम्बुलेंस

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के आवश्यक घटक सेवा के तहत प्रसव के लिए गर्भवती महिलाओं एवं बीमार नवजात को सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों तक मुफ्त रेफरल परिवहन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना था। तदनुसार, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार ने निर्धारित दवाओं एवं उपकरणों सहित 504 बेसिक लाईफ सपोर्ट एम्बुलेंसों की खरीद (जुलाई 2011) की एवं पी.पी.पी. मोड के तहत संबंधित जिला स्वास्थ्य समितियों द्वारा एक एजेंसी से अनुबंध किया गया (दिसंबर 2011)। हाँलांकि, राज्य स्वास्थ्य समिति जनवरी 2014 में अनुबंध की समाप्ति के पश्चात असंतोषजनक प्रदर्शन के कारण अनुबंध को नवीनीकृत न किये जाने का निर्णय लिया (फरवरी 2014) एवं जिला पदाधिकारियों को अगले आदेश तक एम्बुलेंस सेवाओं को चलाने के लिए व्यवस्था करना था।

राज्य स्वास्थ्य समिति के अभिलेखों की जाँच में यह उद्घाटित हुआ कि एजेंसी ने 90 एम्बुलेंसों को संबंधित जिला स्वास्थ्य समितियों को नहीं लौटाया था। इस संदर्भ में, यह उल्लेख करना प्रासंगिक था कि एजेंसी ने बकाया राशि के भुगतान हेतु माननीय उच्च न्यायालय में राज्य स्वास्थ्य समिति के विरुद्ध एक रिट याचिका दायर की थी (फरवरी 2014)। अदालत ने विकास आयुक्त, बिहार सरकार को विवाद के विचार एवं निपटान हेतु निदेशित किया। विकास आयुक्त ने (जून 2015) राज्य स्वा.स. बिहार को स्वीकृत बकाया राशि का 25 प्रतिशत भुगतान एजेंसी को करने एवं साथ ही एजेंसी को भी राशि प्राप्ति के पश्चात 90 एम्बुलेंस वापस करने का निर्देश दिया। हाँलांकि, अगस्त

2015 तक न तो राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार द्वारा भुगतान किया गया था और न ही ऐसी द्वारा एम्बुलेंसों को लौटाया गया था।

बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस बिना आवश्यक दवाओं एवं उपकरणों के चल रहे थे

दस लेखापरीक्षित जिलों के अभिलेखों के जाँच में आगे यह उदघटित हुआ कि 231 एम्बुलेंसों में से 55 अकार्यरत थे, जबकि शेष एम्बुलेंस बिना आवश्यक दवाओं एवं उपकरणों के चल रहे थे जैसा कि विभागीय अधिकारियों के साथ संयुक्त भौतिक निरीक्षण (मई / जुलाई 2015) के दौरान पाया गया।



मातृ-शिशु केन्द्र के अंतर्गत खरीदी गई एम्बुलेंस, फरवरी 2014 से सिविल सर्जन कार्यालय, मोतीहारी के कैंपस में खराब अवस्था में पड़ी हुई।

इस प्रकार, बीमार नवजात एवं गर्भवती महिलाओं के लिए मुफ्त रेफरल परिवहन सेवाएँ अपर्याप्त रहे एवं सेवाएँ आवश्यक दवाओं एवं उपकरणों के अभाव में सिर्फ परिवहन तक सीमित थे।

जवाब में बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति ने बताया (अक्टूबर 2015) कि इन वाहनों की ऐसी से वापसी हेतु कानूनी राय ली जा रही थी तथा सभी जिला स्वास्थ्य समितियों को आदेशानुसार आवश्यक दवाओं एवं उपकरणों को बनाए रखने हेतु आवश्यक निर्देश दिया गया था।

2.1.10.5 विशेष नवजात देखभाल इकाइयों (एस.एन.सी.यु.)/नवजात देखभाल इकाई कॉर्नर (एन.बी.सी.सी.) का निर्माण

बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमों के उद्देश्यों में से एक नवजात देखभाल सेवाओं को मजबूत करने के लिए जिला अस्पतालों में विशेष नवजात देखभाल इकाइयों (एस.एन.सी.यु.) एवं सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नवजात देखभाल इकाई (एन.बी.सी.सी.) की स्थापना करना था। तदनुसार, 34 एस.एन.सी.यु. भवनों के निर्माण हेतु रा.स्वा.स., बिहार के द्वारा एक ऐसी को अधिकृत किया गया एवं ₹15.69 करोड़ का ऐसी के साथ अनुबंध अगस्त 2010 एवं अगस्त 2011 में किया गया। हाँलांकि, अप्रैल 2015 तक ₹13.73 करोड़ रुपए के भुगतान के बाद केवल नौ भवनों को जुलाई 2015 तक पूरा किया जा सका था।

बिहार सरकार के निर्देशानुसार (वर्ष 2011–12) चार उपकरण (अर्थात् रेडिंग्ट वार्मर, ऑक्सीजन कन्स्ट्रॉटर, बेसिनेट ट्रॉली एवं ग्लूकोमीटर) तथा 14 आवश्यक दवाओं को

एन.बी.सी.सी. में रखना था। 23 प्रा.स्वा. केन्द्रों के भौतिक निरीक्षण में यह उद्घटित हुआ कि खराब उपकरण, आवश्यक दवाओं, अप्रशिक्षित नर्सों आदि के अनुपलब्धता के कारण एन.बी.सी.सी. ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहे थे।

पूछे जाने पर, राज्य स्वा. समिति बिहार ने जबाब दिया (अक्टूबर 2015) कि 13 एस.एन. सी.यू. इकाईयाँ पूर्ण कर लिए गए थे एवं अन्य पूर्ण होने के कगार पर थे। बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान (अक्टूबर 2015), प्रधान सचिव ने कहा कि एन.बी.बी.सी. के ठीक ढंग से कार्य करने हेतु ए.एन.एम. को प्रशिक्षित किया जाएगा। हाँलांकि उपकरण एवं आवश्यक दवाओं के कमी के बारे में जवाब मौन था।

इस प्रकार, यह स्पष्ट था कि प्रा.स्वा. केन्द्रों/जिला अस्पतालों में नवजात देखभाल सेवाओं को मजबूत करने का उद्देश्य अभी तक हासिल किया जाना था।

2.1.10.6 विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम का कार्यान्वयन

विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालयों में नामांकित प्रत्येक बच्चे का वार्षिक स्वास्थ्य जाँच करना था एवं स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित कमियों की पहचान की जानी थी और इस प्रकार की कमियों को दूर करने का सुझाव दिया जाना था। राज्य स्वास्थ्य समिति के वित्तीय अनुदेश के अनुसार, एक स्वास्थ्य जाँच शिविर में 100 बच्चों को शामिल किया जाना था तथा कार्यक्रम मार्च 2011 में बंद कर दिया जाना था।

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के अभिलेखों से यह स्पष्ट हुआ कि वर्ष 2010–11 के दौरान 1,87,94,644 बच्चों की जाँच हेतु 1,87,946 कैप आवश्यक थे। हाँलांकि केवल 38,889 (21 प्रतिशत) कैप आयोजित किए गए जिसमें 25,17,431 (13 प्रतिशत) बच्चे शामिल किए गए, परिणामस्वरूप विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम का अपर्याप्त कार्यान्वयन हुआ।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान (अक्टूबर 2015) प्रधान सचिव ने कहा कि वाहन/कर्मी आदि की अनुपलब्धता के कारण शामिल किया जाना कम था और स्थिति में सुधार हेतु प्रक्रिया आरम्भ कर दी गयी थी।

2.1.10.7 नई पीढ़ी स्वास्थ्य गारंटी कार्यक्रम का कार्यान्वयन

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा नई पीढ़ी स्वास्थ्य गारंटी कार्यक्रम शुरू किया गया था (मार्च 2011) जिसमें 0–14 वर्ष के बच्चों एवं 18 वर्ष की आयु तक के किशोरी बालिकाओं को स्वास्थ्य जाँच के उपरांत स्वास्थ्य कार्ड जारी किया जाना था।

राज्य स्वास्थ्य समिति के अभिलेखों की जाँच में यह उद्घटित हुआ कि बच्चों के शामिल किये जाने का लक्ष्य केवल वर्ष 2013–14 एवं वर्ष 2014–15 में निर्धारित किया गया था। इसके अलावा, इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2014–15 में शामिल किए गए बच्चों की संख्या (20.98 लाख) वर्ष 2011–12 (1.52 करोड़) से कम हो गई थी। आगे, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के द्वारा विभिन्न जिला स्वास्थ्य समितियों को जारी किए गए 3.55 करोड़ स्वास्थ्य कार्डों में से केवल 2.39 करोड़ कार्ड सितम्बर 2015 तक बच्चों को जारी किए जा सके थे, जबकि ₹2.60 करोड़ (₹2.24 प्रति कार्ड की दर से) मूल्य के शेष 1.16 करोड़ कार्ड राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार एवं जिला स्वास्थ्य समितियों के पास रह गए थे यद्यपि योजना राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम के शुरुआत के साथ बंद हो गयी थी।

अनुशंसा: जिला स्वास्थ्य समितियों को प्रत्येक विद्यालय जा रहे बच्चों को स्वास्थ्य जाँच कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने के लिए कदम उठाने चाहिए एवं बच्चों को स्वास्थ्य कार्ड की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

₹2.60 करोड़ मूल्य के स्वास्थ्य कार्ड बिना उपयोग के शेष थे

2.1.11 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत अतिरिक्त सुविधाएँ (भाग-ब)

कोई भी अतिरिक्त गतिविधियाँ जो कि स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार हेतु आवश्यक थी लेकिन एन.आर.एच.एम. के किसी भी दूसरे कार्यक्रम से वित्त पोषित नहीं की जा सकती थी, को “एन.आर.एच.एम. के अन्तर्गत अतिरिक्त सुविधाएँ” घटक से वित्त पोषित किया जाना था। इस घटक के अंतर्गत बुनियादी ढाँचे के निर्माण, दवा का क्रय, आशा, आयुष इत्यादि शामिल थे।

2.1.11.1 स्वास्थ्य देखभाल इकाइयों/स्वास्थ्य देखभाल के आधारभूत संरचना की अपर्याप्तता

इस घटक के तहत राज्य में कार्यान्वयक स्वास्थ्य सुविधाओं की परिकल्पना मौजूदा आधारभूत संरचना के पुनरोद्धार एवं नये सिरे से निर्माण अथवा मरम्मत के माध्यम से किया गया। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, राज्य में ग्रामीण जनसंख्या 9.23 करोड़ थी। राज्य में आवश्यक स्वास्थ्य इकाइयों एवं उपलब्ध स्वास्थ्य इकाइयों को (मार्च 2015 का) तालिका संख्या-2.1.4 में दर्शाया गया है:

तालिका संख्या-2.1.4

राज्य/लेखा परीक्षित जिलों में आवश्यक एवं उपलब्ध स्वास्थ्य देखभाल इकाइयों

स्वास्थ्य देखभाल इकाइयों	एक स्वास्थ्य इकाई हेतु जनसंख्या मानक	स्वास्थ्य इकाइयों की आवश्यक संख्या		उपलब्ध स्वास्थ्य इकाइयों की संख्या		स्वास्थ्य इकाइयों में कमी (प्रतिशत)	
		राज्य	नमूना जाँचित जिला	राज्य	नमूना जाँचित जिला	राज्य	नमूना जाँचित जिला
स्वास्थ्य उपकेन्द्र	5000	18460	6884	9729	3766	8731 (47)	3118 (45)
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/ अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	30000	3077	1147	1883	648	1194 (39)	499 (44)
रेफरल अस्पताल	100000	923	344	70	14	853 (92)	330 (96)

(स्रोत:- लेखा परीक्षित जिला स्वास्थ्य समितियों एवं राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना)

स्वास्थ्य देखभाल इकाइयों की कमी 39 से 92 प्रतिशत तक थी।

तालिका संख्या-2.1.4 से यह स्पष्ट था कि राज्य में अपेक्षित संख्या में स्वास्थ्य देखभाल इकाइयाँ नहीं थीं एवं कमी 39 से 92 प्रतिशत तक थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या में वास्तविक कमी उपरोक्त दिखाए गए आंकड़े की तुलना में अत्यधिक थी क्योंकि इसमें अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या भी जुड़ी हुई थी जो कि 24X7 के आधार पर अंतः सेवाएँ नहीं प्रदान कर रहे थे जैसा कि नमूना जाँचित जिलों में देखा गया।

लेखापरीक्षा में यह भी उद्घाटित हुआ कि नमूना जाँचित जिलों में केवल 18 रेफरल अस्पतालों में से 14 एवं 177 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से 156 ही कार्यरत थे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वीकृत 983 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं 5906 स्वास्थ्य उप-केन्द्रों के विरुद्ध (जिसमें से 591 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 2484 स्वास्थ्य उप केन्द्र दिसंबर 2006 में स्वीकृत किए गए थे जबकि शेष पहले स्वीकृत किए गए थे) भवनों की अनुपलब्धता एवं प्रशिक्षित मानव बलों की कमी, असैनिक कार्यों को कार्यकारी एजेंसियों के द्वारा पूरा नहीं किए जाने आदि के कारण केवल 492 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 3766 स्वास्थ्य उप-केन्द्र ही कार्यरत थे।

जबाब में राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार ने कहा (अक्टूबर 2015) कि स्वीकृत स्वास्थ्य देखभाल इकाइयों का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर निधि एवं भूमि की उपलब्धता होने पर चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।

2.1.11.2 शैया की पर्याप्तता

एन.आर.एच.एम. के दिशा-निर्देशों के अनुसार 10 लाख की आबादी के लिए 500 सार्वजनिक अस्पताल बिस्तरों का उपलब्ध होना था।

यह पाया गया कि नमूना जाँचित 64 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं 10 रेफरल अस्पतालों द्वारा 1.37 करोड़ ग्रामीण जनसंख्या के लिए अपेक्षित मानक 6850 बेड के विरुद्ध सिर्फ 507 बेड थे।

2.1.11.3 रेडियोलॉजी एवं पैथोलॉजी सेवाएं

बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति ने राज्य के सभी रेफरल अस्पतालों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एक्स-रे एवं सोनोग्राफी सुविधा उपलब्ध कराने हेतु एक एजेंसी से अनुबंध किया (फरवरी 2009) एवं प्रत्येक जिले के दो अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एक्स-रे सुविधा उपलब्ध कराने हेतु एजेंसी को निर्देश दिया (जनवरी 2014)। इसके अतिरिक्त राज्य के 28 जिलों में दिसम्बर 2013 तक तथा शेष 10 जिलों में जून 2014 तक विभिन्न एजेंसियों के द्वारा पैथोलॉजी सेवाएँ भी आउटसोर्स की गई थीं तथा बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति ने पैथोलॉजी जाँच हेतु प्रत्येक रेफरल अस्पताल एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (जनवरी 2014) एवं प्रत्येक जिले के दो अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (जून 2014) में सेमी ऑटो-एनालाइजर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया।

संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि राज्य के केवल 37 रेफरल अस्पतालों (53 प्रतिशत), 276 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (52 प्रतिशत) तथा 22 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (29 प्रतिशत) में ही एक्स-रे सुविधा उपलब्ध थी। सोनोग्राफी सुविधा राज्य के केवल 10 रेफरल अस्पतालों (14 प्रतिशत) एवं 47 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (नौ प्रतिशत) में ही उपलब्ध थी। पैथोलॉजी/सेमी ऑटो-एनालाइजर की सुविधा राज्य के केवल 38 रेफरल अस्पतालों (54 प्रतिशत), 183 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (34 प्रतिशत) तथा 46 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (61 प्रतिशत) में ही उपलब्ध थी। इस प्रकार राज्य की स्वास्थ्य देख-रेख इकाइयों के पास आवश्यक नैदानिक सुविधा उपलब्ध नहीं थी।

जिला स्वास्थ्य समिति के अधिकारियों के साथ 30 रेफरल अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संयुक्त भौतिक जाँच में 25 स्वास्थ्य इकाइयों में सेमी ऑटो-एनालाइजर संचालित नहीं पाया गया। संबंधित स्वास्थ्य इकाइयों द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि सेमी ऑटो-एनालाइजर के असंचालित होने का कारण सेन्ट्रीफ्यूगिंग मशीन, इनक्यूबेटर, फीज, रीएंजेंट एवं प्रयोगशाला तकनीशियन का अभाव था। इसके अतिरिक्त, अपेक्षित स्वास्थ्य देख-रेख इकाइयों में आउटसोर्स एजेंसी के द्वारा रेडियोलॉजी सेवाओं के संचालन के अनुश्रवण में बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति विफल रहा।

बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति ने उत्तर में कहा (अक्टूबर 2015) कि इन सुविधाओं में वृद्धि की जाएगी एवं संबंधित उपकरणों को संचालित किया जाएगा।

अनुशंसा: बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति को जनसंख्या के अनुसार स्वास्थ्य देख-रेख इकाइयों की आवश्यक संख्या में स्थापना एवं पर्याप्त रेडियोलॉजी एवं पैथोलॉजी सेवा के साथ-साथ प्रशिक्षित मानव बल की उपलब्धता सुनिश्चित करना चाहिए।

2.1.11.4 मोबाइल मेडिकल यूनिट का संचालन

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कार्यान्वयन की रूपरेखा के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के दरवाजे तक स्वास्थ्य देख-रेख की सुविधा को पहुँचाने के लिए प्रत्येक जिले में एक मोबाइल मेडिकल यूनिट (एम.एम.यू.) उपलब्ध कराना था। अङ्गतीस जिलों में एम.एम.यू. को संचालित करने के लिए तीन एजेंसियों के साथ अनुबंध किया गया

(मार्च 2009 से नवम्बर 2009)। हाँलांकि, एक एजेंसी के साथ के अनुबंध को फरवरी 2012 में समाप्त कर दिया गया था जबकि शेष दो एजेंसियों के साथ के अनुबंध को उनके असंतोषजनक प्रदर्शन के कारण मार्च 2014 के बाद विस्तारित नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, राज्य के किसी भी जिले में मोबाइल मेडिकल यूनिट का संचालन नहीं हो रहा था (जुलाई 2015)।

जवाब में बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति ने कहा (अक्टूबर 2015) कि निविदा प्रक्रिया के पूरी होने के उपरान्त अनुमोदित संख्या में मेडिकल मोबाइल यूनिट का संचालन शुरू किया जाएगा।

2.1.11.5 बी.एम.एस.आई.सी.एल. द्वारा असैनिक कार्य को प्रारंभ नहीं किया जाना

दवा, उपकरण एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति तथा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/स्वास्थ्य उपकेन्द्रों के लिए भवन निर्माण एवं प्रत्येक प्रखण्ड में 30 बेड के अस्पताल में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के उत्क्रमण सहित निर्माण कार्य हेतु बिहार सरकार ने बिहार स्वास्थ्य सेवाएँ एवं संरचना कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बी.एम.एस.आई.सी.एल.) का गठन किया (मई 2010)।

बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति ने बी.एम.एस.आई.सी.एल. को चिकित्सा पदाधिकारियों एवं परिचारिकाओं के लिए 50 आवासीय क्वार्टर के निर्माण एवं 101 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 136 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 10 अनुमण्डलीय अस्पतालों तथा एक सदर अस्पताल के लिए भवन निर्माण हेतु ₹446.17 करोड़ विमुक्त किया (अप्रैल 2011 से फरवरी 2014)। हाँलांकि मार्च 2015 तक कुल 298 निर्माण कार्यों में से केवल पाँच कार्य पूर्ण हुए थे जबकि 35 कार्य अपूर्ण थे एवं 258 कार्य अभी तक शुरू नहीं किए गए थे। इसमें से नौ कार्यों का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) अभी भी तैयार किया जाना था, 141 कार्यों की निविदा प्रक्रिया पूरी की जानी थी एवं 108 कार्यों के लिए अनुबंध क्रियान्वयन के बावजूद भी कार्य अभी तक शुरू नहीं किया गया था (परिशिष्ट-2.1.3)। इस प्रकार, निधि की उपलब्धता के बावजूद भी बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा समुचित स्वास्थ्य देख-रेख संरचनात्मक सुविधा का निर्माण नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त बी.एम.एस.आई.सी.एल. के खाते में ₹383.40 करोड़ की राशि एक से चार वर्षों की अवधि तक अवरुद्ध रही।

प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान मामले की जाँच का आश्वासन दिया।

2.1.11.6 ट्रॉमा सेंटर का पूर्ण नहीं होना

राष्ट्रीय उच्च पथ के अत्यधिक दुर्घटना प्रवृत्त क्षेत्रों में अवस्थित चयनित सरकारी अस्पतालों में दुर्घटना से संबंधित आपातकालीन सेवाओं में वृद्धि एवं उनके उत्क्रमण हेतु भारत सरकार ने राज्य सरकार के साथ ₹62.39 करोड़¹ की लागत पर नौ ट्रॉमा सेंटर को संचालित करने का अनुबंध किया (मई 2009) एवं नौ सरकारी अस्पतालों को 2010–11 के दौरान ₹6.45 करोड़ विमुक्त किया।

हाँलांकि, एजेंसी ने समय पर कार्य पूरा नहीं किया तथा बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा कार्य पूरा करने की निर्धारित तिथि से एक वर्ष बाद अनुबंध को रद्द कर दिया गया (दिसम्बर 2012)। चूँकि एजेंसी को कोई भुगतान नहीं किया गया था,

¹ पाँच ट्रॉमा सेंटर का दर— भवन: ₹0.63 करोड़ एवं उपकरण, मानव बल इत्यादि: ₹4.125 करोड़ तथा चार ट्रॉमा सेंटर का दर — भवन: ₹0.80 करोड़ एवं उपकरण, मानव बल इत्यादि: ₹8.83 करोड़

₹7.38 करोड़ की राशि बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के पास पड़ी रही एवं ट्रॉमा देख–रेख की आपातकालीन सुविधा उपलब्ध कराने का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका।

पूछे जाने पर बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति ने बताया (अक्टूबर 2015) कि कार्यान्वयन ऐंजेंसी द्वारा कार्य की धीमी प्रगति के कारण पूरी परियोजना का पुनरीक्षण किया जा रहा है।

2.1.11.7 निष्क्रिय उपकरण

बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति ने प्रस्तावित 26 रुग्ण नवजात देख–रेख इकाई (एस.एन.सी.यू.) के लिए उपकरण, जिसकी आपूर्ति जिला अस्पतालों में करनी थी, के क्रय के लिए पाँच ऐंजेंसियों के साथ अनुबन्ध किया था (सितम्बर 2009)।

तीन जिला स्वास्थ्य समितियों (पूर्वी चम्पारण, कटिहार, मधुबनी) के अभिलेखों की जाँच से ज्ञात हुआ कि जिला अस्पतालों में एस.एन.सी.यू. भवन को पूरा करने के लिए समुचित कार्रवाई किए बिना जिला स्वास्थ्य समितियों को ₹68.36 लाख के उपकरण की आपूर्ति की गई (फरवरी 2010 से सितंबर 2011) एवं आपूर्तिकर्ताओं को ₹44.79 लाख का भुगतान किया गया। परिणामस्वरूप जिला स्वास्थ्य समितियों के पास जुलाई 2015 तक उपकरण अव्यवहृत पड़े रहे।

बाह्य रोगी कक्ष, बाह्य/आंतरिक सुविधाओं, प्रसव–कमरा एवं जलापूर्ति इत्यादि की अनुपलब्धता जैसी अन्य कमियाँ भी नमूना जाँचित जिलों की स्वास्थ्य देख–रेख इकाइयों में पाई गई (परिशिष्ट-2.1.4)।

बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति ने उत्तर में कहा (अक्टूबर 2015) कि मामले की जाँच एवं समुचित कार्रवाई की जाएगी।

2.1.11.8 औषधियों की अधिप्राप्ति में कमियाँ

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की रूपरेखा, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्तर पर औषधियों की उपलब्धता को सुनिश्चित करते हुए अस्पताल में अच्छे देख–रेख को सुगम बनाने पर बल देता है। बिहार सरकार ने राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को अप्रैल 2007 में औषधियों के लिए राज्य क्रय संगठन के रूप में नामित किया। बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति ने विभिन्न अवधियों में (अक्टूबर 2012 तक) औषधियों की आपूर्ति के लिए विभिन्न ऐंजेंसियों के साथ अनुबंध किया। उसके बाद, दर अनुबन्ध बी.एम.एस.आई.सी.एल. द्वारा किये जा रहे थे, जिसे स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के द्वारा सभी स्वास्थ्य संस्थानों में औषधियों की आपूर्ति के लिए राज्य क्रय संगठन नामित किया गया (मई 2010) था। औषधियों की अधिप्राप्ति में पाई गई कमियों की अनुवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई है:

दवाओं की अधिप्राप्ति पर हुए भुगतान पर अतिरिक्त लागत वहन किया गया

अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति ने 126 औषधियों/शल्य वस्तुओं के दर को निर्धारित किया (अक्टूबर 2012) जो कि मार्च 2014 तक वैध था। इस बीच बी.एम.एस.आई.सी.एल. ने भी दवा की अधिप्राप्ति के लिए निविदा आमंत्रित किया (फरवरी 2013) एवं 234 दवाओं के दर को निर्धारित किया (सितम्बर 2013)। हाँलांकि यह पाया गया कि बी.एम.एस.आई.सी.एल. द्वारा निर्धारित 60 दवाओं का दर बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा अनुबंधित दर से अधिक था। इसके अतिरिक्त बी.एम.एस.आई.सी.एल. ने इन दवाओं को ₹19.48 करोड़ में प्राप्त किया जिसकी बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति की दर के अनुसार तुलनात्मक मूल्य ₹16.62 करोड़ था (परिशिष्ट-2.1.5)।

प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान कहा कि बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के दर अनुबंध के तीन वर्षों बाद बी.एम.एस.आई.सी.एल. द्वारा निविदा निकाली गई जिसके कारण दरों में अन्तर था।

उत्तर तथ्य के अनुरूप नहीं था क्योंकि बी.एम.एस.आई.सी.एल. के दर अनुबंध अवधि के दौरान बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के दर अनुबंध की वैधता थी। अतः बी.एम.एस.आई.सी.एल. द्वारा मार्च 2014 तक दवा की अधिप्राप्ति पर ₹2.86 करोड़ का अतिरिक्त लागत वहन करना पड़ा।

दवा की आपूर्ति के लिए एजेंसी को अनियमित अग्रिम

बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा निश्चित किए गए दर अनुबंध की शर्तों के अनुसार भुगतान 'कैश एवं कैरी' के आधार पर करना था, अर्थात् सभी वस्तुएँ/औषधियों की सुपुर्दगी के समय एजेंसी को भुगतान करना था।

नमूना जाँचित छः जिला स्वास्थ्य समितियों के अभिलेखों की जाँच से ज्ञात हुआ कि अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करते हुए 24 एजेंसियों को ₹1.23 करोड़ (**परिशिष्ट-2.1.6**) की औषधियों को प्राप्त किए बिना अग्रिम भुगतान किया गया (सितम्बर 2010 से दिसम्बर 2013)। हॉलांकि, संबंधित जिला स्वास्थ्य समितियों द्वारा औषधियों की प्राप्ति को सुनिश्चित करने संबंधी कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया (जुलाई-2015)।

बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति ने उत्तर में कहा (अक्टूबर 2015) कि अग्रिम की वसूली सुनिश्चित की जाएगी।

औषधियों की विलंबित आपूर्ति के लिए एजेंसियों से निर्धारित हानिपूर्ति वसूल नहीं किया गया।

औषधियों की आपूर्ति के लिए एजेंसियों के साथ कार्यान्वित दर अनुबंध की शर्तों के अनुसार प्रथम आदेश की प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर दवाओं की पहली आपूर्ति को सुनिश्चित किया जाना था। किसी भी विलंबित आपूर्ति के लिए दवाओं के लिए निर्गत आपूर्ति आदेश के मूल्य का 0.5 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से जो विपत्र राशि के 35 प्रतिशत के अधीन हो निर्धारित हानिपूर्ति वसूल करना था।

अभिलेखों की जाँच से ज्ञात हुआ कि नमूना जाँचित जिलों में 41 एजेंसियों ने ₹11.77 करोड़ मूल्य की औषधियों को 418 दिन तक के विलम्ब से आपूर्ति किया (**परिशिष्ट-2.1.7**)। फिर भी, जिला स्वास्थ्य समितियों के द्वारा विलंबित आपूर्ति के लिए आपूर्तिकर्ताओं के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई।

प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान आश्वासन दिया कि इस संबंध में कार्रवाई की जाएगी।

आपूर्तिकर्ताओं के विपत्र से औषधियों के परीक्षण शुल्क की कटौती नहीं किया जाना

औषधियों की आपूर्ति के लिए किए गए दर अनुबंध के लिए एकरारनामा जो अगस्त 2011 से दिसम्बर 2011 एवं अक्टूबर 2012 से मार्च 2014 तक कार्यान्वित किए गए के अनुसार दवा आपूर्ति किए गए विपत्र से विपत्र की कुल राशि, बिक्री कर को छोड़कर का 2 प्रतिशत दवा परीक्षण शुल्क के रूप में कटौती करना था।

अभिलेखों की जाँच से ज्ञात हुआ कि नमूना जाँचित जिलों में परीक्षण शुल्क के रूप में ₹29.01 लाख के राशि की कटौती किए बिना आपूर्तिकर्ताओं को औषधियों की अधिप्राप्ति के लिए ₹14.51 करोड़ का भुगतान किया गया (**परिशिष्ट-2.1.8**)।

जवाब में बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति ने प्रेक्षण से सहमति जतायी और कहा (अक्टूबर 2015) कि कुछ जिलों ने गलती से परीक्षण शुल्क की कटौती नहीं की है। आगे यह भी कहा गया कि जिला स्वास्थ्य समितियों/असैनिक शल्य चिकित्सकों को परीक्षण शुल्क की कटौती को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था।

जैविक औषधियों की गुणवत्ता जाँच सुनिश्चित नहीं की गई

औषधियों की आपूर्ति के लिए दर अनुबंध की शर्तों के अनुसार कंपनी के गोदाम से संबंधित औषधि निरीक्षकों के द्वारा जाँच के लिए प्रत्येक बैच से औषधि का नमूना लिया जाना चाहिए। चूंकि राज्य में जैविक औषधियों यथा प्रतिजिवाणु, इन्जेक्टेबल एवं टीका की गुणवत्ता जाँच की सुविधा नहीं थी, अतः बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति ने बी.एम.एस. आई.सी.एल., पटना द्वारा अनुमोदित अनुबंध दर पर तीन एन.ए.बी.एल. अधिकृत जाँच प्रयोगशालाओं में जाँच करने का निर्णय लिया (दिसम्बर 2013)।

नमूना जाँचित जिलों में अभिलेखों की जाँच से ज्ञात हुआ कि किसी भी जैविक औषधि को गुणवत्ता जाँच हेतु इन एन.ए.बी.एल. अधिकृत प्रयोगशालाओं में नहीं भेजा गया जबकि बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति ने परीक्षण शुल्क के रूप में 10 जिला स्वास्थ्य समितियों (बैगूसराय, दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, नालन्दा, नवादा, पटना, समस्तीपुर, शेखपुरा, सुपौल एवं पश्चिमी चम्पारण) से मार्च 2015 तक ₹28.81 लाख की राशि एकत्रित किया था। अतः राज्य में जैविक औषधियों का प्रयोग बिना किसी जाँच के हो रहा था।

प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान कहा कि मामले को देखा जाएगा।

अनुशंसा : बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति को एजेंसियों के द्वारा औषधि की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने पर ध्यान देना चाहिए। बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति को दवाओं की गुणवत्ता जाँच करने की भी व्यवस्था करनी चाहिए।

2.1.11.9 आशा का चयन एवं प्रशिक्षण

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत समुदाय एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के बीच माध्यम के रूप में कार्य करने हेतु 1000 की जनसंख्या वाले प्रत्येक गाँव में एक महिला प्रमाणिक सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) का चयन किया जाना था एवं उसे चार चरणों में प्रशिक्षण देना था। राज्य स्तर पर 87135 आशा की आवश्यकता के बदले 85239 आशा थी। हाँलाकि उन्हें अपेक्षित प्रशिक्षण नहीं दिया गया, अक्टूबर 2015 तक केवल 55195 एवं 6836 आशा को तीसरे एवं चौथे चरण का प्रशिक्षण दिया गया था।

बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति ने उत्तर में कहा (अक्टूबर 2015) कि नये प्रशिक्षण एजेंसी के चयन की प्रक्रिया जारी है।

आशा ड्रग किट

आशा के पास समुदाय को प्राथमिक स्वास्थ्य देख-रेख सेवा उपलब्ध कराने हेतु 15 दवाओं के साथ एक ड्रग किट होना था एवं इन दवाओं को त्रैमासिक रूप से प्रतिपूरित करना था। आशा को ड्रग किट उपलब्ध कराने हेतु बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति ने ₹2082 प्रति किट की दर से 87135 आशा ड्रग किट 38 जिलों में नवम्बर 2010 एवं जनवरी 2011 के बीच आपूर्ति करने के लिए एक एजेंसी के साथ अनुबंध किया।

जाँच से ज्ञात हुआ कि बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति ने नमूना जाँचित जिलों में उपलब्ध आशा से 3731 अधिक किट जिसका मूल्य ₹80.79 लाख था, की खरीद की। चूंकि आशा की नियुक्ति उनके स्वीकृत पद से कम थी, परिणामस्वरूप नमूना जाँचित जिलों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भंडार में 1942 आशा ड्रग किट अव्यवहृत पड़े थे। इसके

अतिरिक्त, नमूना जाँचित जिलों में वर्ष 2011–15 के दौरान आशा किट की दवाओं को कभी भी प्रतिपूरित नहीं किया गया। तीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (मुरौल—मुजफ्फरपुर, पहाड़पुर—पूर्वी चम्पारण एवं चनपटिया—पश्चिमी चम्पारण) के संयुक्त भौतिक सत्यापन में पाया गया कि 51 आशा ड्रग किट के अन्दर की दवा कालातीत हो चुकी थी।

बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति ने उत्तर में कहा (अक्टूबर 2015) कि विलम्ब से बचने के लिए दवा की प्रतिपूर्ति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के माध्यम से करने का विचार किया जा रहा है।

आशा नवजात किट

नवजात शिशु की घर पर देखभाल (एच.बी.एन.सी.) योजना के तहत, नवजात की मृत्युदर को कम करने हेतु प्रशिक्षण के दौरान आशा को नवजात किट उपलब्ध कराना था। बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति ने 38 जिलों में ₹1100 प्रति किट की दर से 87135 नवजात किट की आपूर्ति करने हेतु एक एजेंसी के साथ अनुबंध किया। अनुबंध के अनुसार नमूना से किट का मिलान नहीं होने पर उसे बदला जाना चाहिए था नहीं तो निष्पादन प्रतिभूति को जब्त किया जाना था।

बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के अभिलेखों की जाँच से ज्ञात हुआ कि सात जिलों (औरंगाबाद, भागलपुर, जमुई, पटना, सहरसा, शिवहर एवं सीतामढ़ी) में नमूना के अनुसार नवजात किट की आपूर्ति नहीं की गई। हाँलांकि मार्च 2015 तक किट को बदला नहीं गया था एवं निष्पादन प्रतिभूति मई 2014 में व्यपगत हो गया। आगे, नमूना जाँचित जिलों के अभिलेखों की जाँच से यह ज्ञात हुआ कि यद्यपि 27609 आशा को ही प्रशिक्षित किया गया था जबकि 31836 नवजात किट क्रय किया गया परिणामस्वरूप ₹46.50 लाख मूल्य के 4227 अधिक किट की अधिप्राप्ति की गई।

बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति ने उत्तर में कहा (अक्टूबर 2015) कि आशा के लक्ष्य के अनुसार नवजात किट की अधिप्राप्ति की गई एवं किट के वितरण की प्रक्रिया चल रही थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि प्रशिक्षित आशा की संख्या के अनुसार ही किट की अधिप्राप्ति की जानी चाहिए थी।

2.1.12 आयुष को अपर्याप्त रूप से मुख्य धारा में लाया जाना

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की एक रणनीति आयुष सेवा (आयुर्वेदिक, योग, युनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी) को मुख्य धारा की अन्य स्वास्थ्य सेवाओं के अनुरूप प्रोत्साहित करना था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के रूपरेखा के अनुसार बाह्य रोगी सेवाओं को सुदृढ़ करने हेतु बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति को प्रत्येक रेफरल अस्पताल/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक आयुष चिकित्सक को संविदा पर नियुक्त करते हुए अलग से आयुष गठन को उपलब्ध कराना था। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम² के अन्तर्गत बच्चों की जाँच एवं तदनुसार उपचार हेतु प्रत्येक प्रखण्ड में दो चलन्त स्वास्थ्य दल का गठन करते हुए प्रत्येक चलन्त स्वास्थ्य दल में दो आयुष चिकित्सकों को शामिल करना था।

² फरवरी 2013 में शुरू किये गए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यालय के 0–18 आयु वर्ग के बच्चों की जन्म के समय का दोष, रोग, कमी एवं विकलांगता सहित विलंबित विकास की जाँच करना था।

2.1.12.1 आयुष चिकित्सकों की उपलब्धता

आयुष चिकित्सकों के कमी के कारण राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, राज्य में अभी तक शुरू नहीं किया गया था

बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के अभिलेखों की जाँच से यह ज्ञात हुआ कि राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/ अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 1724 स्वीकृत बल के विरुद्ध केवल 1264 आयुष चिकित्सक पदस्थापित थे (मार्च 2015)। आगे, बिहार सरकार द्वारा रेफरल अस्पतालों के लिए आयुष चिकित्सक के पद की स्वीकृति नहीं दी गई थी। यह भी पाया गया कि मार्च 2015 तक 2136 आयुष चिकित्सकों को नियुक्त नहीं किये जाने के कारण 1068 चलन्त स्वास्थ्य दल (राज्य के सभी 534 प्रखण्डों के लिए) का गठन नहीं किया जा सका था। अतः राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिसे वर्ष 2012–13 में शुरू होना था, राज्य में मार्च 2015 तक शुरू नहीं हो सका था।

2.1.12.2 आयुष औषधियों की उपलब्धता

बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के अभिलेखों की जाँच से यह उदघटित हुआ कि जून 2010 में 271 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए आयुष दवाओं की अधिप्राप्ति की गई थी। बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति में उन अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 1384 आयुष चिकित्सकों जिसमें 428 होम्योपैथ चिकित्सक भी शामिल थे, को अगस्त 2010 के दौरान नियुक्त किया था। हाँलांकि होम्योपैथ दवाओं को छोड़कर आयुष दवा जून 2011 में अधिप्राप्त किया गया था जबकि होम्योपैथी दवा अप्रैल 2013 में क्रय किया गया था। परिणामस्वरूप, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अप्रैल 2013 तक सभी आयुष दवाएँ उपलब्ध नहीं थीं एवं बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के अभिलेखों के अनुसार, आयुष चिकित्सक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के मरीजों को एलौपैथिक दवाएँ लिख रहे थे जिसके कारण राज्य में आयुष को मुख्य धारा में लाने में सफलता नहीं मिली।

प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान कहा कि, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति जुलाई 2015 में की गयी है जबकि आयुष औषधियों के क्रय के लिए निविदा प्रक्रियाधीन है।

अनुशंसा: प्रत्येक रेफरल अस्पताल/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में आयुष गठन की आवश्यकता थी एवं आयुष को मुख्य धारा में लाने के लिए आयुष औषधियों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

2.1.13 नियमित प्रतिरक्षण एवं पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम (भाग–सी)

यक्षमा, डिथ्येरिया, काली खॉसी, टिटनेस, पोलियो, खसरा, हेपेटाइटिस–बी इत्यादि जैसे जानलेवा निवारण योग्य बिमारियों के विरुद्ध बच्चों के प्रतिरक्षण के लिए कार्यक्रम नियमित प्रतिरक्षण कार्यक्रम के माध्यम से संचालित होना था।

राज्य में नियमित प्रतिरक्षण के तहत उपलब्ध प्रशंसनीय थी तथा भारत सरकार द्वारा प्रकाशित वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण प्रतिवेदन (वर्ष 2011–12) के अनुसार बिहार में सम्पूर्ण प्रतिरक्षण का आंकड़ा 65.6 प्रतिशत था जो कि राष्ट्रीय आँकड़ा 61 प्रतिशत से अधिक था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिवेदन के अनुसार राज्य में सम्पूर्ण प्रतिरक्षण का प्रतिशत वर्ष 2013–14 में बढ़कर 72 प्रतिशत हो गया।

इसी तरह, पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत भी राज्य का प्रदर्शन प्रशंसनीय था एवं पल्स पोलियो प्रतिरक्षण के लक्ष्य की प्राप्ति वर्ष 2010–15 के दौरान लगभग कर ली गई थी एवं वर्ष 2011–12 के बाद पोलियो के नए मामले नहीं पाए गए।

प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान कहा कि, विश्व स्वास्थ्य संगठन के आँकड़े (जून 2015) के अनुसार राज्य में नियमित प्रतिरक्षण वर्तमान में 78 प्रतिशत है।

राज्य में नियमित प्रतिरक्षण के तहत उपलब्ध प्रशंसनीय थी

2.1.14 राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम (भाग—द)

2.1.14.1 कालाजार उन्मूलन कार्यक्रम

कालाजार एक परजीवी रोग है जिसका प्रभाव भारत के 54 जिलों में है जिसमें बिहार के 33 जिले शामिल हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति—2002 ने भारत में वर्ष 2010 तक (जिसे बाद में पुनरीक्षित कर 2015 किया गया) कालाजार के उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया। इस देशी रोग से बचाव का उपाय प्रभावित क्षेत्रों में डी.डी.टी. का आंतरिक अवशिष्ट छिड़काव था। राज्य के साथ—साथ नमूना जाँचित जिलों में कालाजार के मामले, इसके उपचार एवं कालाजार के कारण मृत्यु के मामले का विस्तृत विवरण निम्नवत है:

तालिका संख्या—2.1.5

वर्ष 2010–15 के दौरान कालाजार के कुल मामले, इसके उपचार एवं प्रतिवेदित मृत्यु के मामले

खोजे गये मामले		स्वास्थ्य उपचार उपलब्ध कराया गया		प्रतिवेदित मृत्यु के मामले	
राज्य	नमूना जाँचित जिले	राज्य	नमूना जाँचित जिले	राज्य	नमूना जाँचित जिले
82568	33971	82144	33953	224	115

(झोत: राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, मलेरिया/कालाजार एवं नमूना जाँचित जिला स्वास्थ्य समिति)

अतः तालिका संख्या 2.1.5 से स्पष्ट था कि मार्च 2015 तक राज्य से कालाजार का उन्मूलन नहीं किया जा सका था। इसके विपरीत, यह रोग वर्ष 2010 में 31 जिलों से बढ़कर वर्ष 2015 में 33 जिलों में फैल गया।

2.1.14.2 नियत अवधि के बाद डी.डी.टी. का छिड़काव

कालाजार के रोगवाहक की आबादी मार्च में बढ़ते हैं एवं जून से अक्टूबर के दौरान प्रसारित होते हैं। हाँलांकि भारत सरकार की मार्गदर्शिका के अनुसार कालाजार के रोगवाहक की आबादी को नियंत्रित करने के लिए निरोधी उपाय के तहत डी.डी.टी. का छिड़काव वर्ष में दो बार (फरवरी/मार्च एवं जून/जुलाई) किया जाना था। नमूना जाँचित नौ जिलों में यह पाया गया कि कई चक्रों में डी.डी.टी. का छिड़काव कालाजार परजीवी के गैर जनन अवधि में किया गया। इसके कारण निरोधी उपाय जिस पर ₹7.36 करोड़ का व्यय किया गया था, अप्रभावी रहा।

यह भी पाया गया कि राज्य कालाजार/मलेरिया कार्यालय में 3556 स्वीकृत बल के विरुद्ध केवल 600 कर्मी (12 प्रतिशत) ही कार्यरत थे जबकि नमूना जाँचित जिलों में 892 स्वीकृत बल के विरुद्ध केवल 131 कर्मी (15 प्रतिशत) पदस्थापित थे जिसके कारण कार्यक्रम का कार्यान्वयन बुरी तरह प्रभावित हुआ।

उत्तर में बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति ने स्वीकार किया (अक्टूबर 2015) कि डी.डी.टी. के छिड़काव में विलम्ब का कारण डी.डी.टी. की अनुपलब्धता एवं भारत सरकार द्वारा निधि का विलम्ब से विमुक्ति था।

2.1.14.3 राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम

वर्ष 2020 तक जनसंख्या में दृष्टिहीनता की दर को 1.4 प्रतिशत से घटाकर 0.3 प्रतिशत करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 1976 में राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम प्रारंभ किया।

राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, जो राज्य में कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार थे, के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि 27 जिलों में स्थापित किये जाने वाले 400 चक्षु केन्द्र के विरुद्ध केवल 105 ही स्थापित किये गये। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत 10 विशेषज्ञ एवं 220 नेत्र सहायक के स्वीकृत बल के विरुद्ध केवल एक विशेषज्ञ एवं 19 नेत्र सहायक ही उपलब्ध थे। आगे जाँच में यह भी पाया गया कि

राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी ने वर्ष 2010–2015 के दौरान न तो अंधापन के प्रभाव से संबंधित आँकड़े और न ही कार्यक्रम से संबंधित वित्तीय विवरण संधारित किये थे।

बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति ने उत्तर (अक्टूबर 2015) में इस तथ्य को स्वीकार किया।

2.1.14.4 राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम को वर्ष 1983 में आरंभ किया गया था एवं देश ने कुष्ठ उन्मूलन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया अर्थात् राष्ट्रीय स्तर पर प्रति 10,000 आबादी में एक मामले से कम के प्रभावी दर को दिसम्बर 2005 में प्राप्त कर लिया गया जो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 के द्वारा निर्धारित था।

जाँच से ज्ञात हुआ कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान राज्य में प्रभावी दर एक के निर्धारित सीमा से अधिक (वर्ष 2010–11 में 1.12 मामले एवं वर्ष 2012–13 में 1.20 मामले) था। आगे, वर्ष 2014–15 में मानव बल यथा जिला कुष्ठ पदाधिकारी, गैर चिकित्सा पदाधिकारी आदि की कमी के कारण नमूना जाँचित तीन जिलों (अररिया, गया एवं सारण) में प्रभावी दर एक के निर्धारित सीमा से अधिक था।

लेखापरीक्षा के दौरान पूछे जाने पर बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति ने बताया कि बिहार सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है एवं सुधारात्मक कदम उठाये जा रहे हैं।

अनुशंसा : बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति को कालाजार उन्मूलन के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु डी.डी.टी. का समय से छिड़काव एवं पर्याप्त मानव बल को सुनिश्चित करना चाहिए। बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति को राज्य में अंधापन के नियंत्रण के लिए पर्याप्त संख्या में वक्षु केन्द्र को भी सुनिश्चित करना चाहिए।

2.1.15 अपर्याप्त मानव-बल

मिशन को प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में हर समय सेवा सुनिश्चित करने हेतु कम से कम तीन स्टाफ नर्स एवं प्रत्येक स्वास्थ्य उपकेन्द्र में दो ए.एन.एम. को उपलब्ध कराना था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कार्यान्वयन की रूपरेखा के अनुसार भी यह अपेक्षित है कि प्रत्येक रेफरल अस्पताल में सात विशेषज्ञ चिकित्सक एवं नौ स्टाफ नर्स हो। हाँलांकि, बिहार सरकार ने प्रत्येक रेफरल अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के साथ-साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों (सर्जन, शिशु रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं मूर्छक) के चार पदों की स्वीकृति (सितम्बर 2006) प्रदान की, रेफरल अस्पतालों में मेडिसिन के लिए अतिरिक्त पद की स्वीकृति भी दी गई।

राज्य एवं नमूना जाँचित इकाइयों में 31 मार्च 2015 को चिकित्सकीय एवं परा चिकित्सकीय कर्मियों की उपलब्धता तालिका-2.1.6 में दी गई है:

तालिका संख्या—2.1.6

राज्य एवं नमूना जाँचित जिलों में मानव—बल की विवरणी

क्र. सं.	पद	स्वीकृत		कार्यरत मानव—बल			
		राज्य	नमूना जाँचित स्वास्थ्य इकाई	राज्य (प्रतिशत)		नमूना जाँचित स्वास्थ्य इकाई (प्रतिशत)	
			पद की संख्या	कमी की प्रतिशता	पद की संख्या	कमी की प्रतिशतता	
1	चिकित्सा पदाधिकारी/विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी	12178	714	5212	57	295	59
2	एएनएम/ग्रेड-ए/स्टाफ नर्स	29582	1068	20917	29	487	54
3	महिला स्वास्थ्य परिदर्शिका	1201	172	342	72	13	92
4	फार्मासिस्ट	अनुप—लब्ध	182	अनुप—लब्ध		49	73
5	प्रयोगशाला तकनीशियन	अनुप—लब्ध	182	अनुप—लब्ध		42	77
6	पुरुष स्वास्थ्य कर्मचारी	अनुप—लब्ध	256	अनुप—लब्ध		11	96

(झोत: राज्य स्वास्थ्य समिति एवं नमूना जाँचित जिलों द्वारा उपलब्ध कराए गए अँकड़े)

राज्य में 57 प्रतिशत चिकित्सक/विशेषज्ञ चिकित्सकों के पद रिक्त थे

तालिका संख्या 2.1.6 के अनुसार राज्य में चिकित्सकीय/विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों के 57 प्रतिशत पद रिक्त थे जबकि परा चिकित्सकीय कर्मियों की स्वीकृत बल से कमी 29 से 72 प्रतिशत तक थी।

नमूना जाँचित जिलों में स्वास्थ्य देख—रेख इकाइयों के अभिलेखों की जाँच से ज्ञात हुआ कि रेफरल अस्पतालों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 798 विशेषज्ञों की आवश्यकता के विरुद्ध केवल 49 (छ: प्रतिशत) विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध थे। पाँच नमूना जाँचित रेफरल अस्पताल बिना किसी विशेषज्ञ चिकित्सक के चल रहे थे, जबकि रेफरल अस्पताल, सकरा में दो स्त्री रोग विशेषज्ञ पदस्थापित थे। यह भी पाया गया कि नमूना जाँचित जिलों के 29 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कोई चिकित्सक नहीं थे एवं 11 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र केवल एक चिकित्सक द्वारा क्रियाशील थे। आगे, नौ स्वास्थ्य उपकेन्द्रों एवं 54 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कोई ए.एन.एम. पदस्थापित नहीं थी (परिशिष्ट-2.1.9)।

इस प्रकार, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लगभग 10 वर्ष पूरे होने के बावजूद, राज्य के स्वास्थ्य केन्द्रों में आवश्यकतानुसार चिकित्सकीय/परा—चिकित्सकीय कर्मी नहीं थे।

बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति ने अपने उत्तर में कहा (अक्टूबर 2015) कि विभाग कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु मानव—बल में कमी को दूर करने हेतु आवश्यक कदम उठा रहा है।

अनुशंसा : बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति को प्रत्येक स्वास्थ्य देख—रेख इकाइयों में चिकित्सकों एवं परा चिकित्सकीय कर्मियों की आवश्यक संख्या में नियुक्ति सुनिश्चित करना चाहिए।

2.1.16 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की रूपरेखा के अनुसार विभिन्न स्तरों पर नियमित अनुश्रवण को सुनिश्चित करने हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्रखण्ड, जिला एवं राज्य स्तर पर स्वास्थ्य अनुश्रवण एवं आयोजन समिति का गठन किया जाना था। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार एवं बीच सहमति ज्ञापन (मई 2005 एवं मार्च 2013) के अनुसार राज्य स्वास्थ्य समिति/जिला स्वास्थ्य समिति की शासी निकाय एवं

कार्यकारी समिति की नियमित अंतराल पर बैठक होनी चाहिए थी जिसमें कि वार्षिक कार्य योजना के कार्यान्वयन की प्रगति समीक्षा, अंतरसंभागीय समन्वय के मामले एवं पूर्व में लिए गए निर्णयों पर किये गये अनुवर्ती कार्य की स्थिति आदि की समीक्षा की जानी थी।

यद्यपि राज्य स्तर पर स्वास्थ्य अनुश्रवण एवं आयोजन समिति के गठन से संबंधित कोई जानकारी राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा नहीं दी गई, नमूना जाँच में यह पाया गया कि जिला, प्रखण्ड एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर स्वास्थ्य अनुश्रवण एवं आयोजन समिति का गठन नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, शासी निकाय/कार्यकारी समिति की बैठक राज्य स्तर पर नियमित नहीं थी क्योंकि वर्ष 2010–2015 के दौरान कार्यकारी समिति की वांछित 30 बैठकों के विरुद्ध मात्र 10 बैठक ही आयोजित की गई थी। नमूना जाँचित जिलों में, वर्ष 2010–2015 के दौरान शासी निकाय की आवश्यक 100 बैठकों के विरुद्ध मात्र 23 (23 प्रतिशत) बैठकें आयोजित की गई थी। इसके अलावा किसी भी नमूना जाँचित जिलों में स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में जबावदेही एवं पारदर्शिता में सुधार हेतु आवश्यक जनसंवाद/जनसुनवाई आयोजित नहीं की गई थी।

जबाब में, राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा बताया गया कि आवश्यक कार्यसूची के आधार पर कार्यकारी समिति/शासी निकाय की बैठक आयोजित की गई। हाँलांकि स्वास्थ्य अनुश्रवण एवं आयोजन समिति की बैठकों की नियमितता एवं स्वास्थ्य अनुश्रवण एवं आयोजन समिति के गठन के बारे में जवाब में कुछ भी नहीं बताया गया है।

अनुशंसा: राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा प्रत्येक स्तर (प्रखण्ड से राज्य) पर स्वास्थ्य अनुश्रवण एवं आयोजन समिति का गठन सुनिश्चित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अनुश्रवण समिति के नियमित अंतराल पर बैठक के द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

2.1.17 निष्कर्ष

- राज्य स्वास्थ्य समिति की वित्तीय विवरणियाँ राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाती थीं क्योंकि विभिन्न वित्तीय विवरणियों में समान अवयवों के लिए भिन्न-भिन्न प्रारंभिक अवशेष, प्राप्त निधि, एवं व्यय दर्शाये गये थे।
- कार्य योजनाओं को निचले स्तर तक पहुँच के साथ विकेन्द्रीकृत नहीं किया गया था, जिसके कारण मिशन में सामुदायिक सहभागिता नगण्य थी।
- मिशन अवधि वर्ष 2005–2012 की समाप्ति के बावजूद राज्य में लगभग आधी गर्भवती महिलाओं का निबंधन गर्भावस्था की प्रथम तिमाही में नहीं हो सका। परिणामस्वरूप प्रसवपूर्व देखभाल अपर्याप्त रहा, साथ ही लगभग आधे प्रसव के मामले घर पर सम्पादित किये गये, जिसका कारण अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवाओं का रहना था और इस कारण लक्षित मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को प्राप्त करने में मिशन असफल रहा।
- भौतिक आधारभूत संरचनाओं में कमियों और निधि की उपलब्धता के बावजूद स्वास्थ्य इकाइयों और ट्रॉमा सेन्टर के लिए भवन निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुए।
- औषधियों की अधिप्राप्ति प्रणाली दक्ष नहीं थी क्योंकि एजेंसियों से परिनिर्धारित नुकसानी और अदेय अग्रिमों की वसूली नहीं की गई। राज्य में जैविक औषधियों की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की गई।
- प्रत्येक रेफरल अस्पताल/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आयुष गठन की व्यवस्था नहीं की गयी और आयुष औषधियों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की गई।

- मानव बल में कमियाँ, डी.डी.टी. का विलंबित छिड़काव आदि के कारण कालाजार उन्मूलन कार्यक्रम प्रभावित रहा और निर्धारित तिथि तक लक्ष्य प्राप्ति में असफल रहा।
- दृष्टिहीनता नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम अपर्याप्त संरचना एवं मानव बल की कमी के कारण प्रभावित रहा। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम विशेषज्ञ चिकित्सकीय कर्मचारी के अभाव के कारण कुष्ठ उन्मूलन के लक्ष्य की प्राप्ति में असफल रहा।
- राज्य में चिकित्सा पदाधिकारियों/विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों के 57 प्रतिशत पद रिक्त थे जबकि परा-चिकित्सीय कर्मी के पदों में 29 से 72 प्रतिशत की कमी थी।
- विभिन्न स्तरों पर स्वास्थ्य अनुश्रवण समितियों के गठन नहीं होने के कारण अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का अभाव था।

भवन निर्माण विभाग

2.2 भवन निर्माण विभाग का कार्यकलाप

कार्यकारी सारांश

परिचय

भवन निर्माण विभाग (भ.नि.वि.) वर्ष 1982 में अस्तित्व में आया। भ.नि.वि. का मूल उद्देश्य सिंचाई और बन विभाग एवं बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के अंतर्गत भवनों को छोड़कर विभिन्न विभागों के आवासीय और गैर-आवासीय सरकारी भवनों का निर्माण, मरम्मत और रख-रखाव करना है।

(कंडिका 2.2.1)

कार्यों का निष्पादन

वर्ष 2010-15 के दौरान 2966 लक्षित भवनों के निर्माण के विरुद्ध भ.नि.वि. ने केवल 2708 कार्यों के निर्माण को आरम्भ किया था। इसमें से भ.नि.वि. केवल 1582 कार्यों को पूरा कर सका और शेष 1126 कार्यों के निर्माण तकनीकी स्वीकृति (त.स्वी.) देने में विलम्ब और निविदा प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में विलम्ब तथा भूमि विवादों की वजह से पूरा नहीं किया गया था (अक्टूबर 2015)।

(कंडिका 2.2.6)

कार्यों की आयोजना

भ.नि.वि. ने बी.पी.डब्ल्यू.डी. संहिता के तहत निर्धारित मानक का उल्लंघन करते हुए मुख्य अभियंता (मु.अ.) से प्रस्तावों को प्राप्त किये बिना और वित्तीय आवश्यकताओं का पता लगाये बिना वार्षिक योजना तैयार किया। संरचना प्रमंडल द्वारा तकनीकी स्वीकृति और निविदा प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए निर्धारित समय का पालन नहीं किया गया था। यद्यपि बिहार के अधिकांश जिले भूकंपीय जोन के अंतर्गत हैं परन्तु भ.नि.वि. ने अभियंताओं, वास्तुकारों, राजमिस्त्रीयों आदि को प्रशिक्षण देने के लिए खतरा सुरक्षा प्रकोष्ठों का गठन नहीं किया।

(कंडिका 2.2.7)

वित्तीय प्रबंधन

वर्ष 2010-15 के दौरान कुल प्रावधानित राशि में से योजना शीर्ष में 25 से 61 प्रतिशत एवं गैर-योजना शीर्ष में 21 से 35 प्रतिशत तक की निधि का बचत किया गया था। निरन्तर बचत और अनुपूरक प्रावधानों के तहत निधि का आगे भी आवंटन किया जाना बजट प्रक्रिया की त्रुटियों को दर्शाता था। भ.नि.वि. द्वारा कुछ कार्यों के लिए अपर्याप्त निधि आवंटित किए गए थे वहीं कुछ अन्य कार्यों के लिए अधिक निधि आवंटित किए गए थे। परिणामस्वरूप, कुछ काम अधूरे रह गये जबकि कुछ प्रमंडलों द्वारा अधिशेष निधि प्रत्यापित कर दिए गए थे।

(कंडिका 2.2.8)

कार्यों का कार्यान्वयन

तैयार किये गये अनुसूचित दर दोषपूर्ण थे। अनुसूचित दर से बढ़े हुए दर पर परिमाण विपत्र तैयार किये गये थे तथा भ.नि.वि. के अनुसूचित दर में कम दर उपलब्ध रहते हुए कार्यों के परिमाण विपत्र में सी.पी.डब्ल्यू.डी. के बढ़े हुए दर लिए गए थे। नमूना जाँचित 11 कार्यों में मु.अ. (निरूपण) द्वारा त.स्वी. में विलम्ब किए जाने के कारण ₹158.12 करोड़ की लागत बढ़ गई। आर एंड एम कार्य समूचित ढंग से आयोजित नहीं किये गये थे, कुछ भवनों में काम बार-बार किया गया था जबकि कुछ अन्य भवनों को छोड़ दिया गया था। मरम्मति एवं अनुरक्षण कार्य के लिए मानक माप पुस्तिका का संधारण नहीं किया गया था तथा अनुमोदित प्राथमिकता सूची से विचलन

के मामले पाए गए। चूंकि बागवानी कार्य 781 अधिसूचित भवनों में से मात्र 22 से 307 भवनों में ही किए गए थे, अतः बागवानी कार्य संतोषप्रद नहीं थे।

(कंडिका 2.2.9)

मानव बल प्रबंधन

भ.नि.वि. में निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन के लिए तकनीकी मानवबल पर्याप्त नहीं थे तथा क्षेत्रीय स्तर पर अधीक्षण अभियंताओं (अ.अभि.) और कनीय अभियंता (क.अभि.) के 50 प्रतिशत से अधिक पद रिक्त थे।

(कंडिका 2.2.10)

अनुश्रवण

वर्ष 2010-15 के दौरान बी.पी.डब्ल्यू.डी. संहिता के प्रावधानानुसार मु.अभि. और अ.अभि. द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण नहीं किया गया।

(कंडिका 2.2.11)


2.2.1 परिचय

वर्ष 1982 में भवन निर्माण विभाग (भ.नि.वि.) अस्तित्व में आया। इससे पूर्व भ.नि.वि. लोक निर्माण विभाग (लो.नि.वि.) के नियंत्रण में पथ निर्माण विभाग और ग्रामीण अभियंत्रण संगठन के साथ था। भवन निर्माण विभाग का उद्देश्य सिंचाई और वन विभाग तथा बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम की भवनों को छोड़कर सभी सरकारी विभागों के आवासीय और गैर-आवासीय भवनों का निर्माण, मरम्मत और रख-रखाव करना है।

हाँलांकि, भवनों के निर्माण के लिए बजट का संचालन भ.नि.वि. के कार्यों के अलावा अन्य संबंधित प्रशासनिक विभागों द्वारा संचालित किया जाता है और भ.नि.वि. इन भवनों के निर्माण के लिए कार्यकारी अभिकरण की भूमिका निभाता है।

2.2.2 संगठनात्मक संरचना

भ.नि.वि. प्रधान सचिव के शीर्षस्थता में और मुख्यालय स्तर पर विशेष सचिव, अभियंता प्रमुख, मुख्य वास्तुकार और निदेशक, अनुश्रवण—सह—मूल्यांकन—सह—क्रय द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। भ.नि.वि. का संगठनात्मक ढाँचा नीचे दिया गया है:



(स्रोत: भ.नि.वि. द्वारा प्रस्तुत)

2.2.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

भवन निर्माण विभाग के कार्यकलाप का निष्पादन लेखापरीक्षा यह आँकड़े के लिए किया गया था कि क्या :

- आवासीय और गैर-आवासीय सरकारी भवनों के निर्माण, मरम्मति एवं अनुरक्षण के लिए योजना प्रक्रिया दक्ष और प्रभावी था;
- उपलब्ध निधि पर्याप्त था और भ.नि.वि. की योजना के अनुसार थे;
- परियोजनाओं का क्रियान्वयन, दक्ष, प्रभावी और मितव्ययी था;
- भ.नि.वि. में मानव संसाधन प्रबंधन दक्ष था; और
- एक प्रभावी और पर्याप्त समीक्षा तथा अनुश्रवण प्रणाली अस्तित्व में था।

2.2.4 लेखापरीक्षा मानक

लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर पहुँचने के लिए निम्नलिखित मानक अपनाए गए:

- बिहार लोक निर्माण विभाग (बी.पी.डब्ल्यू.डी.) और बिहार लोक निर्माण लेखा (बी.पी.डब्ल्यू.ए.) संहिताएं;
- बिहार बजट मैनुअल;
- बिहार वित्तीय नियमावली;
- बिहार कोषागार संहिता; और
- भ.नि.वि. द्वारा समय-समय पर जारी प्रासंगिक परिपत्रों, निर्देशों, अधिसूचनाएँ आदि।

2.2.5 क्षेत्र एवं प्रणाली

वर्ष 2010-15 की अवधि के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा का संचालन अप्रैल से जुलाई 2015 के दौरान की गई। लेखापरीक्षा के दौरान भ.नि.वि. द्वारा मुख्यालय स्तर पर, अभियंता प्रमुख (अभि.प्र.), मुख्य वास्तुकार और निदेशक, अनुश्रवण-सह-मूल्यांकन-सह-क्रय के कार्यालयों में संघारित अभिलेखों की नमूना जाँच की गई। पाँच में से दो मु.अभि. 16 में से चार अ.अभि. और 45 में से 11 का.अभि. के अभिलेखों की जाँच भी की गई। उद्यान प्रमंडल और पाँच में से एक विद्युत कार्य प्रमंडल के अभिलेखों की जाँच भी की गई। प्रमंडलों का चयन प्रोबिबिलिटी प्रोपोशनल टू साईज विद्रिप्लेसमेंट (पी.पी.एस.डब्ल्यू.आर.) के अनुसार रैन्डम सैम्पलिंग के आधार पर किए गए थे। विस्तृत विवरण **परिशिष्ट-2.2.1** में सलग्न हैं।

लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली में अभिलेखों की जाँच, प्रश्नावली निर्गत करना, लेखापरीक्षा द्वारा निर्गत ज्ञापन पर विभाग के उत्तर पर विचार और विभाग के अधिकारियों के साथ निर्माण स्थलों का भौतिक सत्यापन शामिल था। निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र और आच्छादन को बताने के लिए एक अंतर्गमन सम्मेलन मार्च 2015 में भ.नि.वि. के प्रधान सचिव के साथ आयोजित की गई थी। भ.नि.वि. के प्रधान सचिव के साथ बहिर्गमन सम्मेलन अक्टूबर 2015 में आयोजित की गई। भ.नि.वि. के उत्तर/विचारों को उपयुक्त रूप में और उचित स्थान पर शामिल किया गया है।

2.2.6 कार्यों का निष्पादन

भ.नि.वि. ने वर्ष 2010-15 के दौरान 21 विभागों के भवनों का निर्माण कार्यान्वित किया (परिशिष्ट 2.2.2)। वर्ष 2010-15 की अवधि के दौरान भ.नि.वि. के कार्यों का लक्ष्य, वास्तविक रूप से प्रारम्भ किए गए और पूर्ण किए गए कार्य तालिका सं. 2.2.1 में दर्शाएं गए हैं:

तालिका सं. 2.2.1

वर्ष 2010-15 के दौरान राज्य में कार्यों की भौतिक और वित्तीय प्रगति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कार्यों का लक्ष्य		प्रारम्भ किए गए कार्यों की वास्तविक संख्या		पूर्ण कार्यों की संख्या		अपूर्ण कार्यों की संख्या	
	संख्या	कार्य का मूल्य	संख्या	कार्य का मूल्य	संख्या	कार्य का मूल्य	संख्या	कार्य का मूल्य
2010-11	72	261.58	67	253.47	54	108.75	13	122.55
2011-12	264	983.75	237	969.27	189	364.45	48	579.67
2012-13	602	633.41	553	497.00	457	220.42	96	301.16
2013-14	1878	1841.53	1714	633.29	864	49.57	850	750.70
2014-15	150	1070.44	137	371.34	18	8.73	119	269.03
कुल	2966	4790.71	2708	2724.37	1582	751.92	1126	2023.11

(स्रोत: भ.नि.वि. द्वारा दी गई सूचना)

तालिका सं. 2.2.1 से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2010-15 के दौरान स्वीकृत 2966 कार्य के विरुद्ध भ.नि.वि. द्वारा 258 कार्य शुरू नहीं किये गये और 1126 कार्य अपूर्ण थे (अक्टूबर 2015)। अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि कार्यों को भूमि की अनुपलब्धता की वजह से प्रारम्भ नहीं किया गया था।

आगे, अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि नहीं शुरू किए गए 258 कार्यों में से, 234 कार्य केवल अल्पसंख्यक कल्याण (56), कारा (54), राजस्व एवं भूमि सुधार (45), खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण (27), ग्रामीण विकास (26) और पशु एवं मत्स्य पालन (26) विभागों से संबंधित थे (परिशिष्ट-2.2.2) / ये कार्य मुख्य रूप से बालक एवं बालिकाओं के लिए अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण (अल्पसंख्यक कल्याण विभाग) डाटा सेंटर सह अभिलेखागार (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग), काराओं एवं कारा कक्षों का विकास (कारा विभाग) और प्रखंड विकास कार्यालयों एवं अंचल कार्यालयों (ग्रामीण विकास विभाग) से संबंधित थे। इन विभागों के भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं करने के कारण अल्पसंख्यक बालक एवं बालिकाओं के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने, भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण के लिए आधारभूत संरचना, कैदियों के लिए आवास तथा कार्यालय भवन उपलब्ध नहीं कराये जाने से वांछित उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकी।

इसके अलावा, वर्ष 2010-15 के दौरान 11 नमूना जाँचित प्रमंडलों में निर्माण कार्य के लिए ₹1762.92 करोड़ मूल्य के 2009 एकरारनामे किए गए थे जिसमें से ₹1268.95 करोड़ मूल्य के 78 एकरारनामों की संवीक्षा लेखापरीक्षा द्वारा की गई थी (परिशिष्ट-2.2.3) / इनमें से, 23 कार्य (30 प्रतिशत) पूर्ण किए गए थे और आठ कार्यों (10 प्रतिशत) की पूर्णता की अवधि समाप्त नहीं हुई थी। शेष 47 कार्य (60 प्रतिशत), ₹202.16 करोड़ व्यय करने के बाद भी अपूर्ण थे, यद्यपि इन कार्यों की निर्धारित पूर्णता की तिथि एक पक्ष से तीन वर्षों से अधिक तक बीत चुकी थी। भूमि विवाद (19 कार्यों), भ.नि.वि. द्वारा निधि की कमी (13 कार्यों) और कार्य पूरा करने के लिए ठेकेदारों की अनिच्छा (15 कार्यों) के कारण कार्य अपूर्ण थे।

बहिर्गमन सम्मेलन में प्रधान सचिव ने बताया (अक्टूबर 2015) कि भूमि विवादों के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किये गये थे या अपूर्ण रहे। हाँलांकि, कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व ही भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए थी।

2.2.7 कार्यों की योजना

भ.नि.वि. को सौंपी गई जिम्मेदारियों को विचार करते हुए आवासीय और गैर-आवासीय सरकारी भवनों के निर्माण/नवीकरण/अनुरक्षण में मितव्यता और समयबद्धता को बनाए रखने के लिए मजबूत योजना प्रणाली होनी चाहिए। हाँलांकि, भ.नि.वि. और क्षेत्र प्रमंडलों के अभिलेखों की जाँच में योजना प्रणाली में निम्नलिखित कमियों का पता चला।

2.2.7.1 वार्षिक योजना की तैयारी

बी.पी.डब्ल्यू.डी. संहिता के अनुसार, मु.अभि. को अपने नियंत्रण के कार्य के लिए वार्षिक योजना और प्रत्येक वर्ष की समाप्ति के बाद जितनी जल्दी संभव हो उस अवधि के दौरान लोक कार्यों का प्रगति प्रतिवेदन तैयार करना चाहिए।

ग्यारह नमूना जाँचित प्रमंडलों के अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंताओं द्वारा कार्य पंजी संधारित नहीं किए गए थे और कार्य पूर्णता प्रतिवेदन तैयार करने में विफल रहे थे, यद्यपि यह बी.पी.डब्ल्यू.डी. संहिता में वर्णित था। इन बुनियादी अभिलेखों के अभाव में प्रमंडलीय कार्यालय एक खास वर्ष में निर्माण की लागत का विश्लेषण करने की स्थिति में नहीं था। आगे, मु.अभि. वार्षिक योजना की तैयारी के लिए प्रमंडलवार निधि की आवश्यकता संकलित करने की स्थिति में नहीं थे। परिणामस्वरूप, मु.अभि. अपने नियंत्रण में कार्य के भाग के लिए वार्षिक योजना नहीं भेजा था। यद्यपि, भ.नि.वि. द्वारा संबंधित मु.अ. से आँकड़ों को प्राप्त किए बिना वार्षिक योजना तैयार की गई थी। इस प्रकार, भ.नि.वि. के कार्यों के कार्यान्वयन के लिए वार्षिक योजना निधि की आवश्यकता के आधार पर नहीं थे। परिणामस्वरूप, 11 में से पाँच नमूना जाँचित प्रमंडलों में भ.नि.वि. द्वारा गलत निधि आवंटित करने के कारण कुछ कार्यों के लिए धन की अपर्याप्तता के कारण कार्य अपूर्ण थे जो कि कंडिका 2.2.8.3 में वर्णित है और भ.नि.वि. द्वारा कुछ अन्य कार्यों के लिए अधिक निधि जारी किए गए थे जिसके कारण निधि को प्रत्यार्पित करना पड़ा जैसा कि कंडिका 2.2.8 में वर्णित किया गया है।

बहिर्गमन सम्मेलन में प्रधान सचिव, भ.नि.वि. द्वारा बताया गया (अक्टूबर 2015) कि लेखापरीक्षा के सुझावों का पालन किया जाएगा।

2.2.7.2 कार्यों की योजना बनाने में विलम्ब

कार्यों के त्वरित निष्पादन के लिए भ.नि.वि. द्वारा (नवंबर 2013) तय समय सीमा के अनुसार, त.स्वी. संबंधित विभाग द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति (प्र.स्वी.) प्राप्ति के छ: दिन बाद मु.अभि. (निरूपण) द्वारा दी जानी चाहिए। इसके अलावा, संबंधित मु.अभि. को त.स्वी. से छ: दिन का समय परिणाम विपत्र (प.वि.) के अनुमोदन के लिए और संबंधित प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंता द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना (एन.आई.टी.) प्रकाशित करने के लिए दिया गया था। एन.आई.टी. के प्रकाशन के बाद 30 दिन का समय सक्षम प्राधिकारी के द्वारा निविदा को अंतिम रूप देने के लिए मंजूर की गई थी। हाँलांकि, भ.नि.वि. द्वारा नवम्बर 2013 के पूर्व कार्य को कार्यान्वयित करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं थी।

तकनीकी स्वीकृति में सामान्यतया विलम्ब डेढ़ माह से पाँच वर्षों से अधिक और निविदा को अंतिम रूप देने में तीन से 231 दिनों के बीच विलम्ब था

ग्यारह नमूना जाँचित प्रमंडलों में 68 कार्यों की तस्वीरी और निविदा को अंतिम रूप देने में लगे समय सीमा के उल्लंघन से संबंधित अभिलेखों की जाँच की गई (परिशिष्ट 2.2.4)। संवीक्षा में पाया गया कि इन सभी कार्यों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं किया गया था। सक्षम प्राधिकारी द्वारा 65 कार्यों के तस्वीरी में कुल विलम्ब डेढ़ माह से पाँच वर्षों से अधिक के बीच किया गया था। इसके अलावा 68 में से 38 कार्यों की निविदा को अंतिम रूप देने में तीन से 231 दिनों का विलम्ब हुआ।

तकनीकी स्वीकृति में विलम्ब के कारण 11 नमूना जाँचित कार्यों (पाँच प्रमंडलों) के लागत में ₹158.12 करोड़ की वृद्धि अनुसूचित दर (अ.द.) में संशोधन के कारण हुई जो कि कंडिका 2.2.9.5 में वर्णित है। आगे, 11 प्रमंडलों के 38 कार्यों में निविदा को अंतिम रूप देने में विलम्ब के कारण उक्त कार्य विलम्ब से प्रारंभ/पूर्ण हुआ।

बहिर्गमन सम्मेलन (अक्टूबर 2015) में प्रधान सचिव, भ.नि.वि. द्वारा लेखापरीक्षा अवलोकन पर सहमति दी गई और बताया गया कि विभाग योजना में विलम्ब को ठालने के लिए कार्रवाई प्रारंभ करेगी।

2.2.7.3 भूकंपीय जोन में निर्माण

भूकंपीय जोन में भवनों के निर्माण के कार्यान्वयन के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (भा.मा.ब्यू. संहिता) के अनुसार योजना बनाई और क्रियान्वित किया जाना चाहिए और भा.मा.ब्यू. संहिता को कार्यान्वयन करने के लिए अभियंताओं, वास्तुकारों, राजमिस्त्री आदि को प्रशिक्षण हेतु जोखिम सुरक्षा प्रकोष्ठ गठित किया जाना चाहिए। आगे, जीवन रेखा भवनों जैसे कि अस्पतालों, विद्यालयों, सिनेमा हॉल, बहुमंजिला इमारतों आदि के आवश्यक रेट्रोफिटिंग हेतु सर्वेक्षण किया जाना चाहिए।

चूंकि बिहार के 38 जिलों में से 34 जिले भूकंपीय जोन (IV और V) के अंतर्गत आते हैं, भ.नि.वि. द्वारा निर्माण के लिए भा.मा.ब्यू. संहिता का पालन किया गया था, परन्तु अब तक जोखिम सुरक्षा प्रकोष्ठों का गठन नहीं किया गया था। आगे, पुराने और ऐतिहासिक इमारतों में रेट्रोफिटिंग तथा संरक्षण के लिए सर्वेक्षण नहीं किया जा रहा था (मई 2015)।

बहिर्गमन सम्मेलन (अक्टूबर 2015) में प्रधान सचिव ने बताया कि विभाग जोखिम सुरक्षा प्रकोष्ठ गठित करने की प्रक्रिया में था और भविष्य में स्थिति में सुधार होगी।

अनुशंसा: भ.नि.वि. को मु.अ. से आँकड़े लेने के बाद धन की वास्तविक आवश्यकता का आकलन करने के लिए वार्षिक योजना तैयार करना चाहिए और कार्य से संबंधित स्वीकृति प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा तय समय सीमा का पालन करना चाहिए।

2.2.8 वित्तीय प्रबंधन

भ.नि.वि. भवन निर्माण तथा मरम्मति एवं अनुरक्षण का कार्य क्रमशः योजना एवं गैर-योजना शीर्ष के तहत निष्पादित करती है। वर्ष 2010–15 के दौरान बजट प्रावधान एवं व्यय, तालिका सं. 2.2.2 में निम्नलिखित दी गई है :

तालिका सं. 2.2.2
भ.नि.वि. का बजट प्रावधान एवं व्यय

(₹ करोड़ रुपये में)

वर्ष	योजना शीर्ष			गैर-योजना शीर्ष		
	बजट प्रावधान	किया गया व्यय	प्रत्यार्पित राशि (प्रतिशत)	बजट प्रावधान	किया गया व्यय	प्रत्यार्पित राशि (प्रतिशत)
2010-11	159.81	119.20	40.61(25)	155.64	121.40	34.24(22)
2011-12	478.27	209.56	268.71(56)	174.59	122.73	51.86(30)
2012-13	823.94	322.14	501.80(61)	195.92	147.87	48.05(25)
2013-14	1280.38	891.68	388.70(30)	355.31	246.93	108.38(31)
2014-15	2269.61	1061.36	1208.25(53)	385.00	305.73	79.27(21)
कुलः	5012.01	2603.94	2408.07(48)	1266.46	944.66	321.80(25)

(स्रोत: भ.नि.वि. द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना)

वर्ष 2010–15 के दौरान योजना शीर्ष के अंतर्गत 25 से 61 प्रतिशत तथा गैर योजना शीर्ष में 21 से 31 प्रतिशत के बीच बचत था।

तालिका सं 2.2.2 यह दर्शाता है कि वर्ष 2010–15 के दौरान योजना तथा गैर योजना शीर्ष में लगातार बचत था। वर्ष 2010–15 के दौरान योजना शीर्ष में बचत की सीमा 25 से 61 प्रतिशत एवं गैर योजना शीर्ष में 21 से 31 प्रतिशत थी। इस प्रकार के बचत के बावजूद, भ.नि.वि. ने वर्ष 2011–13 एवं 2014–15 के दौरान ₹529.77 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान बनाया जिसे उत्तरवर्ती कंडिका में उल्लेख किया गया है। वर्ष 2012–15 के दौरान यह भी पाया गया भ.नि.वि. द्वारा वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन निधि प्रत्यार्पित की गई। इसके परिणामस्वरूप, प्रत्यार्पित राशि को पुनर्विनियोजित नहीं किया जा सका।

तेरह नमूना जाँचित प्रमंडलों से संबंधित अभिलेखों की जाँच में यह पता चला कि भ.नि.वि. द्वारा निधि को विलम्ब से एवं अनावश्यक विमुक्त के फलस्वरूप बचत था। यह भी पाया गया कि 11 नमूना जाँचित प्रमंडलों में से पाँच प्रमंडल में 13 जाँचित कार्य भ.नि.वि. द्वारा राशि के लगातार समर्पण के बावजूद निधि की अपर्याप्तता की वजह से अपूर्ण रह गई जिसकी चर्चा कंडिका 2.2.8.3 में की गई है।

बहिर्गमन सम्मेलन (अक्टूबर 2015) में प्रधान सचिव ने बताया कि भविष्य में निधि के प्रत्यर्पण में कमी की जाएगी।

इसके अतिरिक्त अन्य मुख्य कमियाँ नीचे वर्णित हैं:

2.2.8.1 अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान

बिहार बजट मैनुअल में वर्णित है कि जब मूल प्रावधान अपर्याप्त हो और व्यय की अतिरिक्त आवश्यकता हो तो उसे पूरा करने के लिए अनुपूरक प्रावधान माँगी जानी चाहिए।

अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि भ.नि.वि. ने योजना शीर्ष के वर्ष 2011–13 एवं 2014–15 में मूल प्रावधान में उल्लेखनीय बचत करने के बावजूद अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान किया गया जो कि तालिका सं. 2.2.3 में दर्शाया गया है:

तालिका सं. 2.2.3
अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल	व्यय (प्रतिशत)	बचत
2011-12	340.08	138.19 (41)	478.27	209.56 (62)	268.71
2012-13	626.00	197.94 (32)	823.94	322.14 (51)	501.80
2014-15	2075.97	193.64 (9)	2269.61	1061.36 (51)	1208.25
कुलः	3042.05	529.77	3571.82	1593.06	1978.76

(स्रोत: भ.नि.वि. द्वारा प्रदान की सूचना)

मूल प्रावधान में उल्लेखनीय बचत के बाबजूद अनुपूरक प्रावधान किया गया था।

तालिका सं. 2.2.3 से देखा जा सकता है कि, भ.नि.वि. द्वारा वर्ष 2011–13 एवं 2014–15 के दौरान व्यय की सीमा मूल प्रावधान का मात्र 51 से 62 प्रतिशत था फिर भी इस अवधि के दौरान मूल प्रावधान का 9 से 41 प्रतिशत सीमा तक अनुपूरक प्रावधान किया गया।

जवाब में भ.नि.वि. ने बताया (अक्टूबर 2015) कि नई योजनाओं की देरी से अनुमोदन अनुपूरक प्रावधान का कारण बना, होलांकि यह कम से कम किया जाएगा।

2.2.8.2 निधि की विलम्बित विमुक्ति

बिहार वित्तीय नियमावली के साथ सहपठित वित्त विभाग, बि.स. के आदेश (जनवरी 2007) के अनुसार सभी विभागाध्यक्षों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष की जनवरी माह तक संस्थीकृति निधि की विमुक्ति एवं उसके आवंटन को सुनिश्चित करना चाहिए।

अभिलेखों की जाँच से यह पता चला कि भ.नि.वि. ने वर्ष 2010–15 के दौरान ₹4434.61 करोड़ का आवंटन (योजना ₹3273.15 करोड़ एवं गैर योजना ₹1161.46 करोड़) किया। इस आवंटित राशि में से ₹624.82 करोड़ संबंधित प्रमंडलों को फरवरी एवं मार्च के बीच विमुक्त किया गया जिसमें से ₹105.85 करोड़ मार्च माह के अंतिम सप्ताह में किया गया था। जिसके कारण निधि को प्रत्यार्पित करना पड़ा।

इसे इंगित किए जाने पर भ.नि.वि. ने यह आश्वस्त किया (अक्टूबर 2015) कि निधि को भविष्य में ससमय विमुक्त किया जाएगा।

2.2.8.3 निधियों की अपर्याप्तता

निर्धारित 13 कार्य निधि की आवश्यकता के कारण पूर्ण नहीं किए जा सके।

ग्यारह जाँचित प्रमंडलों में से पाँच प्रमंडलों में यह पाया गया कि संबंधित कार्यपालक अभियंता 13 निर्धारित कार्यों के लिए भ.नि.वि. से निधि प्राप्त नहीं किए थे। इस कारण, वर्ष 2010–14 से संबंधित ₹30.32 करोड़ के 13 कार्यों पर ₹20.68 करोड़ व्यय करने के बाबजूद 15 से 1065 दिनों की निर्धारित समय सीमा व्यतीत होने के बाबजूद भी कार्य पूर्ण नहीं हो सका जो कि **परिशिष्ट-2.2.3** में वर्णित है।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान (अक्टूबर 2015) प्रधान सचिव ने लेखापरीक्षा अवलोकन पर सहमति जताई तथा यह बताया कि मु.अभि. को निधि की आवश्यकता हेतु राशि निर्गत करने का निर्देश दिया जाएगा।

2.2.8.4 अप्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र

विद्युत प्रमंडलों से ₹101.49 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुए थे।

ग्यारह नमूना जाँचित निर्माण प्रमंडलों के अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि वर्ष 2010–15 के दौरान भवनों में विद्युत कार्य के कार्यान्वयन हेतु विद्युत कार्य प्रमंडलों को ₹101.49 करोड़ हस्तांतरित किया गया था (**परिशिष्ट-2.2.5**)। यद्यपि, उक्त राशि हेतु उपयोगिता प्रमाण—पत्र संबंधित विद्युत प्रमंडलों से प्राप्त नहीं हुआ था, भवन निर्माण प्रमंडलों ने इस राशि को व्यय में दर्ज कर लिया था।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान (अक्टूबर 2015) प्रधान सचिव ने आश्वस्त किया कि संबंधित प्रमंडलों से उपयोगिता प्रमाण पत्र ले लिया जाएगा।

अनुशंसा: भ.नि.वि. को अनावश्यक अनुपूरक बजट प्रावधान करने से बचना चाहिए एवं प्रमंडलों को निधि विमुक्ति करने में विलम्ब नहीं करनी चाहिए।

2.2.9 कार्यों का कार्यान्वयन

निष्पादन लेखापरीक्षा के क्रम में 78 निर्माण कार्यों से संबंधित अभिलेखों यथा अनुसूचित दर (अ..द.) प्राक्कलन/परिमाण विपत्र, निविदा प्रक्रिया, एकरारनामों का निष्पादन आदि का नमूना जाँच किया गया। अभिलेखों के संवीक्षा में कार्यों के कार्यान्वयन में विभिन्न कमियाँ पायी गयी जैसे अनुसूचित दर एवं परिमाण विपत्र का

दोषपूर्ण निर्माण, परामर्श कार्यों में अदेय सहायता, एकरारनामों के निष्पादन में विलम्ब, एकरारनामों में मदों का बढ़ा हुआ दर, त.स्वी. में विलम्ब के कारण लागत वृद्धि, अनाधिकृत एवं निष्फल व्यय आदि। भ.नि.वि. के मरम्मति एवं अनुरक्षण तथा बागवानी कार्यों में भी कमियाँ पाई गई। लेखापरीक्षा के दौरान पायी गयी कमियों की विस्तृत चर्चा उत्तरोत्तर कंडिकाओं में की गयी है:

2.2.9.1 अनुसूचित दर के मदों में बढ़ी हुई दर

बी.पी.डब्ल्यू.डी. संहिता के अनुसार, प्राक्कलनों के निर्माण में सुविधा हेतु सामान्यतया प्रत्येक कार्यान्वित की जानी वाली कार्यों के लिए एक अनुसूचित दर कार्य विभागों के लिए गठित राज्य स्तरीय अनुसूचित दर समिति के द्वारा तैयार की जानी चाहिए जो प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष के जनवरी माह तक वर्ष में कम से कम एक बार हो, जिससे कि यह अगले वित्तीय वर्ष से प्रभावी हो सके।

भवन निर्माण विभाग की अनुसूचित दर वर्ष 2010–15 के दौरान चार बार (जून 2011, जुलाई 2012, अगस्त 2013 तथा सितम्बर 2014) संशोधित किए गए थे। अनुसूचित दर में राज्य स्तरीय अनुसूचित दर समिति द्वारा अनुमोदित ईट, गिट्टी, पत्थर का चूर्ण, सीमेंट, अलकतरा, मूरम, बालु, स्टील एवं लोहे जैसे मदों के संशोधित दर लिए गए थे। अनुसूचित दर में शेष सामग्री की दर भारत सरकार (भा.स.) द्वारा प्रकाशित थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू.एस.पी.आई.) में अंतर के आधार पर प्राप्त किया गया था।

महीनों के ओवर लैपिंग के कारण अनुसूचित दर को बढ़ाया गया था।

अनुसूचित दर 2011 में भ.नि.वि. ने सामग्री की लागत में वृद्धि को प्राप्त करने के क्रम में गुणा कारक पाने के लिए फरवरी 2011 और अक्टूबर 2009 के बीच डब्ल्यू.एस.पी.आई. का अंतर लिया था। अनुसूचित दर 2012 में सामग्री की लागत अप्रैल 2012 और फरवरी 2011 के बीच के डब्ल्यू.एस.पी.आई. के अंतर को लेते हुए प्राप्त किया गया था। इस प्रकार, यह स्पष्ट था कि अनुसूचित दर 2012 में महीनों का कोई ओवरलैपिंग नहीं था एवं पिछले वर्ष (2011) के दर अनुसूची के अंतिम माह (फरवरी 2011) के मूल्य सूचकांक को वर्ष 2012 के अनुसूचित दर में लिए गए थे। हाँलांकि, लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि दो अनुवर्ती अनुसूचित दर (अनुसूचित दर 2013 और 2014) को बनाने में अप्रैल 2012 से अगस्त 2013 और अप्रैल 2013 से जून 2014 के बदले में, मार्च 2012 से अप्रैल 2013 के महिनों का डब्ल्यू.एस.पी.आई. तथा एवं मार्च 2013 से जून 2014 के डब्ल्यू.एस.पी.आई. लिए गए थे जो कि परिणिष्ठ 2.2.6 में दर्शाए गए हैं। इस प्रकार, यह स्पष्ट था कि महीनों की ओवरलैपिंग (यानी वर्ष 2013 के अनुसूचित दर में मार्च 2012 और वर्ष 2014 के अनुसूचित दर में मार्च 2013) के कारण इन दो अनुसूचित दर में डब्ल्यू.एस.पी.आई. के आधार पर मदों का दर परिणित करने में 1.629 प्रतिशत (अगस्त 2013) तथा 0.751 प्रतिशत (सितम्बर 2014) दर बढ़ गया। फलस्वरूप, भ.नि.वि. द्वारा बनाये गये सभी प्राक्कलन जो अनुसूचित दर 2013 और 2014 में सामग्रियों की लागत डब्ल्यू.एस.पी.आई. के आधार पर परिणित किए गए थे, क्रमशः 1.629 तथा 0.751 प्रतिशत बढ़ गए। जिसके कारण वर्ष 2013–15 के दौरान इन दो अनुसूचित दर पर भ.नि.वि. द्वारा स्वीकृत किए गए ₹1061.55 करोड़ मूल्य के 139 कार्य प्रभावित हुए थे।

जवाब में भ.नि.वि. ने बताया (अक्टूबर 2015) कि वर्ष 2007 के बाद अनुसूचित दर वर्ष 2012 में ली गई सामग्रियाँ सूचीकृत नहीं थीं तथा ये डी.एस.आर. वर्ष 2012 से ही ली गई थीं। इसी प्रकार, वर्ष 2013 में प्रकाशित दर मार्च 2012 के डब्ल्यू.एस.पी.आई. पर आधारित थे जैसा कि डी.एस.आर. वर्ष 2012 में लिए गए थे तथा वर्ष 2014 के दर मार्च 2013 के डब्ल्यू.एस.पी.आई. पर आधारित थे जैसा कि डी.एस.आर. वर्ष 2013 में लिए गए थे। यह भी बताया गया कि इसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं था तथा दर का अनुमोदन पूर्व में ही राज्य स्तरीय अनुसूचित दर समिति द्वारा किया गया था। भ.नि.वि. का दावा सही नहीं था क्योंकि अनुसूचित दर वर्ष 2012 के दर डी.एस.आर. वर्ष 2012

से लिए गए थे। हाँलांकि वर्ष 2013 एवं 2014 के अनुसूचित दर में दरों का निर्धारण पूर्ववर्ती वर्ष के दरों में डब्ल्यू.एस.पी.आई. के अंतर को गुणा करके प्राप्त किया गया था इसके अतिरिक्त महीनों का ओवरलैपिंग था।

2.2.9.2 एकरारनामा में मदों का बढ़ा हुआ दर

बी.पी.डब्ल्यू.डी. संहिता के अनुसार, प्रत्येक प्रकार के कार्य के लिए प्राक्कलनों/परिमाण विपत्रों को प्रचलित अनुसूचित दर के आधार पर बनाया जाना चाहिए। किसी कार्य के लिए अपेक्षित गैर अनुसूचित मदों के दर डी.जी.एस.डी. के दर से भी लिया जा सकता था। डी.जी.एस.डी. दर अनुपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में संबंधित प्रक्षेत्र में लागू होने वाले सी.पी.डब्ल्यू.डी. का अनुसूचित दर को लिया जा सकता था। भ.नि.वि. ने भी सभी कार्यपालक अभियंताओं एवं अधीक्षण अभियंताओं को निर्देशित किया था (जून 2011) कि कार्य के परिमाण विपत्र बनाने एवं अनुमोदन करते समय सामग्रियों एवं श्रमिकों का वर्तमान दर सम्मिलित किया जाय।

परिमाण विपत्रों में गलत दरों को लिए जाने एवं सामग्री तथा श्रमिक का उच्च दर सम्मिलित किए जाने के कारण असैनिक कार्यों में ₹22.30 करोड़ का प्रावधान बढ़ा दिया गया।

तीन नमूना जाँचित प्रमंडलों के 78 एकरारनामों में से के पांच एकरारनामें जो परामर्शियों के द्वारा तैयार किए गए थे, की असैनिक कार्यों से संबंधित अनुसूचित मदों की परिमाण विपत्रों की संवीक्षा से स्पष्ट हुआ कि संबंधित अनुसूचित दर, जिसके आधार पर परिमाण विपत्र तैयार किए गए थे, में इंगित दरों की तुलना में एकरारनामों में मदों का दर अधिक लिए गए थे। परिणामस्वरूप, मदों की दरें ₹5.34 करोड़ बढ़ गए थे, जिसमें से संवेदकों को ₹1.13 करोड़ का भुगतान किया जा चुका था (जुलाई 2015) जैसा कि परिशिष्ट-2.2.7 में दर्शाए गए हैं।

इसी प्रकार, नमूना जाँचित 11 में से चार प्रमंडलों के छः एकरारनामों में असैनिक कार्यों के विभिन्न अनुसूचित मदों के लिए सी.पी.डब्ल्यू.डी. (दिल्ली) का दर, जो कि दिल्ली में लागू सामग्रियों एवं श्रमिकों की दर पर आधारित था, से लिए गए थे, यद्यपि समान श्रमिक एवं सामग्रियों के लिए दर बिहार के अनुसूचित कम दर पर विद्यमान था। दिल्ली के उच्चतर अनुसूचित दर का लागू किए जाने के परिणामस्वरूप परिमाण विपत्रों में सामग्री एवं श्रमिकों का दर ₹16.96 करोड़ बढ़ गए जिसमें से संवेदकों को ₹7.19 करोड़ का भुगतान किया जा चुका था (जुलाई 2015) जो परिशिष्ट-2.2.8 में दर्शित हैं।

परिमाण विपत्रों में गलत दरों को लिए जाने एवं सामग्री तथा श्रमिक का उच्च दर सम्मिलित किए जाने के कारण असैनिक कार्यों में ₹22.30 करोड़ का प्रावधान बढ़ा दिया गया और परिणामतः संवेदकों को अब तक ₹8.32 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया (जुलाई 2015)।

जवाब में, प्रधान सचिव, भ.नि.वि. ने तथ्यों को स्वीकारा (अक्टूबर 2015) और आश्वस्त किया कि मामलों की समीक्षा की जाएगी एवं लेखापरीक्षा के अनुशंसा पर ध्यान दिया जाएगा।

2.2.9.3 अपंजीकृत संवेदकों के द्वारा कार्यों का निष्पादन

बिहार संवेदक सूचीकरण नियम 2007 (वर्ष 2011 में संशोधित) के अनुसार भ.नि.वि. के अंतर्गत पंजीकृत संवेदक ही कार्य निष्पादित करने के पात्र थे।

ग्यारह नमूना जाँचित प्रमंडलों में से एक प्रमंडल (संरचना सं0-1, पटना) में यह पाया गया कि न तो संवेदक भ.नि.वि. के अंतर्गत पंजीकृत थे और न ही भ.नि.वि. के द्वारा उन्हें सूचीकृत संवेदक के रूप में पंजीकृत किया जाना सुनिश्चित किया गया था। विस्तृत विवरणी नीचे तालिका सं. 2.2.4 में दर्शाया गया है:

तालिका सं. 2.2.4

अपंजीकृत संवेदकों के माध्यम से क्रियान्वित कार्य

(₹ लाख में)

क्रम सं.	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	एकरारनामा सं.	एकरारित राशि
1	जे टी आई में एकॉस्टीकल ट्रीटमेंट	मे० डी एन भी इन्डस्ट्रीयल सिस्टम्स (प्र.) लिमिटेड, नोएडा उत्तर प्रदेश	8एफ ₂ / 13-14	47.40
2	लेडी ऑफ जस्टीस एवं डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की प्रतिमा	मे० वर्क्स फार आर्ट्स्ट फाउंड्री जयपुर	8एफ ₂ / 14-15	12.15
3	सिंचाई भवन में एकॉस्टीकल ट्रीटमेंट	मे० राजीव कुमार	कोटेशन आधारित	63.93
4	सभागार कुर्सी की आपूर्ति	मे० भरत कॉर्सियल एजेंसी पटना	9एफ ₂ / 14-15	29.74
कुल:				153.22

(स्रोत: प्रमंडल के अभिलेख)

अनिवार्य संवेदकों से ₹1.53 करोड़ मूल्य के चार कार्य कराए गए थे।

तालिका सं. 2.2.4 से यह स्पष्ट है कि अनियमित रूप से अपंजीकृत संवेदकों द्वारा ₹1.53 करोड़ का कार्य कराया गया था।

भ.नि.वि. से पूछे जाने पर बताया (अक्टूबर 2015) कि ये सभी कार्य मुख्य रूप से अनुभवी लोगों या फर्मों द्वारा कोटेशन आमंत्रित करके कार्यान्वित किए गए थे, वे हमारे पंजीकृत संवेदक भी हो सकते हैं अथवा नहीं। जवाब संहिता के प्रावधानों के अनुरूप नहीं था क्योंकि केवल पंजीकृत संवेदकों द्वारा ही कार्य को कराया जाना था।

2.2.9.4 एकरारनामा निष्पादन में विलंब

भ.नि.वि. द्वारा तय (2013) किए गए समय सीमा के अनुसार सक्षम पदाधिकारी के द्वारा निविदा निष्पादन के सात दिनों के अंदर प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंताओं के द्वारा एकरारनामा का निष्पादन किया जाना चाहिए।

ग्यारह नमूना जाँचित प्रमंडलों के निविदा के निष्पादन से संबंधित अभिलेख तथा एकरारनामा पंजी के जाँच में पाया गया कि 58 निविदाओं के निष्पादन में कार्यपालक अभियंताओं द्वारा 4 से 316 दिन तक का अत्यधिक विलम्ब किया गया था (परिशिष्ट-2.2.4)। जिसके कारण इन सभी कार्यों में कार्य प्रारंभ के तिथि के साथ-साथ कार्य पूर्ण होने की तिथि में विलंब हुआ था।

भ.नि.वि. ने जवाब में (अक्टूबर 2015) बताया कि सभी संबंधित मुख्य अभियंताओं, अधीक्षण अभियंताओं एवं कार्यपालक अभियंताओं को निर्देशित किया गया है कि कार्यादेश तथा विभाग द्वारा तय किए गए समय सीमा के अंदर एकरारनामा निष्पादित किए जाए।

2.2.9.5 लागत वृद्धि

भ.नि.वि. (नवंबर 2013) द्वारा तय समय सीमा के अनुसार कार्य के प्र.स्वी. प्राप्त होने की तिथि से 6 दिन के अंदर त.स्वी. दी जानी थी तथा त.स्वी. प्रदान किए जाने के 36 दिनों के अंदर निविदा प्रक्रिया का निष्पादन किया जाना था। यद्यपि नवम्बर 2013 के पूर्व भ.नि.वि. के द्वारा त.स्वी.प्रदान करने तथा निविदा प्रक्रिया निष्पादन के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं थी।

लेखापरीक्षा के क्रम में 11 प्रमंडलों में से पाँच प्रमंडलों (11 नमूना जाँचित कार्यों) में यह पाया गया कि मुख्य अभियंता (निरूपण) द्वारा त.स्वी. देने में 160 से 1732 दिनों के विलंब किए जाने के कारण ₹158.12 करोड़ की लागत वृद्धि हुई। त.स्वी. देने में विलंब का कारण प्रमंडल द्वारा विलंब से प्रावक्कलन प्रस्तुत करना, का. अ. द्वारा पूर्व में

मु.अभि. (निरूपण) के द्वारा त. स्वी. प्रदान करने में विलम्ब के कारण ₹158.12 करोड़ की लागत वृद्धि हुई।

अनुमोदित त.स्वी. पर एन.आई.टी. प्रकाशित नहीं किया जाना, निविदा का अतार्किक निरस्तीकरण तत्पश्चात् पुनरीक्षित अनुसूचित दर पर पुनर्निविदा तथा पूर्व के बीड़ में जिस निविदादाता की तकनीकी बीड़ में विचार नहीं किया गया था उसी निविदादाता को कार्य आवंटित किया गया था। (**परिशिष्ट-2.2.9**)।

भ.नि.वि. द्वारा जवाब में कहा गया (अक्टूबर 2015) कि सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित किया गया था कि तकनीकी स्वीकृति तथा निविदा प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा में किया जाये।

इसके अतिरिक्त, भवन निर्माण प्रमंडल, बिहारशरीफ (चयनित प्रमंडल के अतिरिक्त) नालंदा जिला स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक भवन (मुख्य एवं संस्थागत) के छात्र एवं छात्रा आवास, वर्ग कक्ष तथा अतिथि गृह इत्यादि के निर्माण कार्य मानक निविदा दस्तावेज के उपबंध 14 में विहित जोखिम एवं लागत उपबंध को लागू नहीं किया गया। इस प्रकार, संवेदक द्वारा शेष बचे कार्य को पूर्ण करने में जोखिम एवं लागत उपबंध लागू करने में प्रमंडल की विफलता के परिणामस्वरूप राजकीय राजकोष पर ₹2.91 करोड़ का अत्यधिक भार पड़ा।

इसे इंगित किए जाने (सितम्बर 2015) पर प्रमंडल के का.अ. ने कहा कि जुलाई/अगस्त 2015 में प्रारंभिक वसूली के प्रस्ताव को वरीय प्राधिकारियों को प्रस्तुत किया गया था और आदेश का प्रतीक्षा किया जा रहा था।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2015); स्मार-पत्र (मई 2015) के बाबजूद, जवाब अप्राप्त है।

2.2.9.6 कार्यों के अतिरिक्त मात्रा के लिए अनाधिकृत भुगतान

बी.पी.डब्ल्यू.ए. संहिता के साथ मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग के तकनीकी परीक्षक कोषांग के निर्देश (दिसंबर 1983) के अनुसार कार्यपालक अभियंता, अधीक्षण अभियंता तथा मुख्य अभियंता एकरारनामा से क्रमशः 10, 15 तथा 25 प्रतिशत अतिरिक्त मात्रा के कार्यों को स्वीकृति देने के लिए सक्षम है। हाँलांकि मु. अ. के शक्ति से उपर अतिरिक्त मात्रा के लिए संबंधित प्रशासनिक विभाग से अनुमोदन आवश्यक था।

नमूना जाँचित 11 में से छ: प्रमंडलों के 14 कार्यों के जाँच में पाया गया कि का.अभि. द्वारा एकरारनामा में वर्णित कार्यों से 10 प्रतिशत अधिक मात्रा के लिए ₹7.28 करोड़ का भुगतान किया गया था (**परिशिष्ट-2.2.10**) जिसके लिए समान पदाधिकारी से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी। चूंकि 10 प्रतिशत से अधिक अतिरिक्त मात्रा के लिए का.अ. अधिकृत नहीं थे इसलिए ₹7.28 करोड़ का भुगतान अनाधिकृत था।

पुछे जाने पर भ.नि.वि. ने बताया (अक्टूबर 2015) कि भुगतान से पूर्व सक्षम पदाधिकारियों से आवश्यक अनुमोदन लेने के लिए संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित किए गए थे।

2.2.9.7 अपूर्ण कार्य पर निष्कल व्यय


ग्यारह नमूना जाँचित प्रमंडलों में से चार प्रमंडलों के सात नमूना जाँचित कार्यों जिनका एकरारित राशि ₹4.29 करोड़ था, में ये पाया गया कि जुलाई 2015 तक ₹3.84 करोड़ व्यय करने के बाबजूद कार्य बंद पड़े थे तथा अपूर्ण छोड़ दिया गया था जैसा कि **परिशिष्ट-2.2.11** में दर्शाया गया है। यह पाया गया कि कार्य पूर्ण होने की नियत तिथि के दो से तीन वर्ष बीत जाने के बाद संबंधित प्रमंडलों के का.अभि. द्वारा चार कार्य (परिशिष्ट के क्र०सं 1, 2, 3 व 6) बंद किए गए थे, जो दर्शाता है कि का.अभि. द्वारा कार्य को समय पूरा करने के लिए उचित कार्रवाई नहीं की गई थी। अभिलेखों के जाँच में यह भी पाया गया कि संबंधित प्रशासनिक विभाग से भ.नि.वि. द्वारा संशोधित

कार्यों को समय से पूर्व बंद करने एवं अधूरे छोड़ दिए जाने के कारण ₹3.84 करोड़ का व्यय अलाभकारी रहा।

प्र.स्वी. प्राप्त करने में असफल रहने के कारण तीन कार्य (परिशिष्ट के क्र0सं0 4, 6 व 7) पूर्ण नहीं किया जा सका तथा परिणामस्वरूप ये कार्य निधि के अभाव में अपूर्ण छोड़ दिया गया था/बंद पड़ा था। इसके अलावा का.अभि. जहानाबाद द्वारा एक कार्य (परिशिष्ट के क्र0सं0 5) के लिए उपयुक्त भूमि सुनिश्चित किए बगैर कार्य पर व्यय किया गया था तथा भूमि विवाद के कारण कार्य अपूर्ण छोड़ दिया गया।



दरभंगा प्रमंडल के सिविल सर्जन कार्यालय सह आवास का परित्यक्त कार्य (38F2/07-08)



पी.एम.सी.एच. में तृतीय वर्ग कर्मचारी आवास का परित्यक्त कार्य (संरचना प्रमंडल सं0-1 के 9F2/07-08)

इस प्रकार का.अभि. तथा भ.नि.वि. की विफलता के कारण इन बंद पड़े/अपूर्ण छोड़े गए कार्यों पर किए गए ₹3.84 करोड़ का व्यय निष्फल हो गया।

भ.नि.वि. द्वारा जवाब में बताया गया (अक्टूबर 2015) कि इन कार्यों के प्रशासनिक विभाग अलग–अलग थे तथा इन समस्याओं को अंतिमिभागीय मासिक बैठक में दूर कर दिया जाएगा।

2.2.9.8 मरम्मति और अनुरक्षण कार्यों में अपर्याप्तता

बी.पी.डब्ल्यू.ए. संहिता के अनुसार सरकारी भवनों (आवासीय एवं गैर आवासीय) का देख–रेख, जो मरम्मति एवं अनुरक्षण, के द्वारा की जानी थी। जिसके अंतर्गत रंगाई व पोताई, टूटी हुई प्लास्टर, नालियों तथा काँच के मरम्मति आदि शामिल हैं। बी.पी.डब्ल्यू.डी. संहिता के अनुसार प्रत्येक का.अभि. को प्रमंडल में सभी भवनों के लिए एक पंजी का संधारण करना चाहिए। भ.नि.वि. के द्वारा संबंधित प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले भवनों के लिए विद्यमान स्तंभ क्षेत्रफल के आधार पर निधि उपलब्ध कराना था।

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि जहानाबाद एवं पटना प्रमंडल के का.अभि. द्वारा भवन पंजी का संधारण नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप इन प्रमंडलों के अंतर्गत उनके वास्तविक स्तंभ क्षेत्रफल तथा भवनों की संख्या लेखा परीक्षा के द्वारा सुनिश्चित नहीं किया जा सका। इसके अलावा दो प्रमंडलों (भागलपुर एवं जहानाबाद) में वर्ष 2010–12 के दौरान अनुमोदित कार्यों तथा मरम्मति एवं अनुरक्षण के अंतर्गत निष्पादित कार्यों का अभिलेख नहीं था। वर्ष 2012–15 के दौरान सात नमूना जाँचित प्रमंडलों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आनेवाले सरकारी भवनों का वर्षवार स्थिति, निर्धारित प्राथमिकता सूची तथा मरम्मति एवं अनुरक्षण के अंतर्गत किए गए कार्यों का विवरणी तालिका सं. 2.2.5 में वर्णित है:

तालिका सं. 2.2.5

कुल सरकारी भवनों की संख्या, अनुमोदित तथा निष्पादित कार्य

वर्ष	भवनों की संख्या	अनुमोदित म. व अनु. कार्य	निष्पादित म. व अनु. कार्य	भवन की संख्या जहाँ म. व अनु. कार्य निष्पादित नहीं किए गए थे (प्रतिशत)
		संख्या	संख्या	
2012-13	5844	2745	2385	3459 (59)
2013-14	5844	4033	3651	2193 (38)
2014-15	5844	4146	3990	1854 (32)

(स्रोत: नमूना जाँचित प्रमंडलों द्वारा प्रस्तुत)

मरम्मति एवं अनुरक्षण कार्यों के लिए अपर्याप्त योजना थी साथ ही इसके क्रियान्वयन में भी कमी थी।

तालिका सं. 2.2.5 से देखा गया कि वर्ष 2012-15 के दौरान भवनों की संख्या प्रत्येक वर्ष 5844 पर स्थिर थी, जबकि इस दौरान सात नमूना जाँचित प्रमंडलों में से चार में 17 भवन कार्य (अररिया-चार, भागलपुर-छ: जमुई-चार तथा किशनगंज-छ:) पूर्ण पाया गया था। यह दर्शाता था कि चार प्रमंडलों में भवन पंजी अद्यतन नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त नमूना जाँचित प्रमंडलों द्वारा उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी भवनों के अनुरक्षण के लिए योजना नहीं बनाई गई तथा मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्य के निष्पादन में 41 से 68 प्रतिशत के बीच कमी थी। नमूना जाँचित प्रमंडलों के अभिलेखों के जाँच में यह भी पाया गया कि भवनों के मरम्मति एवं अनुरक्षण कार्य के चयन के लिए निर्धारित मानक नहीं था। परिणामस्वरूप, सभी भवनों के वार्षिक अनुरक्षण नहीं किए गए। वर्ष 2010-15 के दौरान शिक्षा, कृषि, पशुपालन आदि विभागों के भवनों का मरम्मति एवं अनुरक्षण कार्य बिल्कुल ही नहीं किया गया, जबकि सामान्य प्रशासन एवं न्यायिक विभाग के अंतर्गत उन्हीं भवनों का अनुरक्षण बार-बार किया गया था।

भ.नि.वि. ने जवाब में कहा (अक्टूबर 2015) कि पटना प्रमंडल का भवन पंजी जुलाई में अद्यतन किया गया था तथा का.अभि. जहानाबाद को भवन पंजी संधारण के लिए निदेशित किया गया था। हॉलांकि भविष्य में स्थिति में सुधार किया जाएगा।

प्राथमिकता सूची के परे कार्यान्वित मरम्मति एवं अनुरक्षण कार्य

सरकार के निदेशानुसार (अक्टूबर 1998) गैर न्यायिक एवं न्यायिक भवनों के मरम्मति एवं अनुरक्षण कार्य क्रमशः जिलाधिकारी तथा जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अनुमोदित प्राथमिकता सूची के आधार पर किया जाना था।

ग्यारह नमूना जाँचित प्रमंडलों में से तीन प्रमंडलों में 161 म. एवं अनु. कार्य, जिसकी कुल लागत ₹3.11 करोड़ थी, सक्षम पदाधिकारी द्वारा अनुमोदित प्राथमिकता सूची में नहीं थे (परिशिष्ट-2.2.12)।

भ.नि.वि. ने जवाब में बताया (अक्टूबर 2015) कि का.अभि. को प्राथमिकता सूची से परे मरम्मति एवं अनुरक्षण कार्य नहीं कराने को निदेशित किया गया था।

शिकायत पंजी का संधारण नहीं किया जाना

बी.पी.डब्ल्यू.ए. संहिता के साथ संलग्न राज्य सरकार के निर्णयानुसार (फरवरी 1987) संबंधित का.अभि. के नियंत्रण में भवनों के अनुरक्षण, स्वच्छता अधिष्ठापनों आदि के लिए एक शिकायत कोषांग स्थापित किए जाने थे। सभी आवंटियों को इस उद्देश्य हेतु निर्धारित शिकायत पंजी में भवनों (आवासीय एवं गैर आवासीय) से संबंधित शिकायतों को दर्ज किया जाना था।

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि वर्ष 2010-15 के दौरान किसी भी नमूना जाँचित प्रमंडलों में शिकायत पंजी संधारित नहीं किए गए थे। इसलिए प्रमंडलीय कार्यालय भवनों के लिए आवश्यक मरम्मति एवं अनुरक्षण कार्य से अनभिज्ञ थे, हॉलांकि

₹3.11 करोड़ लागत के मरम्मति एवं अनुरक्षण कार्य किए गए थे जो कि प्राथमिकता सूची में सम्मिलित नहीं थे।

नमूना जाँचित प्रमंडलों में शिकायत पंजी संधारित नहीं थी।

मरम्मति एवं अनुरक्षण कार्य कार्यान्वयन के लिए संबंधित का.अभि. द्वारा प्राथमिकता सूची तैयार की गयी थी। इस प्रकार, वर्ष 2010–15 के दौरान का.अभि. द्वारा तैयार प्राथमिकता सूची प्रमंडल में अभिलिखित शिकायत पर आधारित नहीं थे।

भ.नि.वि. द्वारा जवाब में कहा गया (अक्टूबर 2015) कि यह विषय भविष्य के कार्यान्वयन के लिए दर्ज कर लिया गया था।

मानक माप पुस्तिका का संधारण नहीं किया जाना

बी.पी.डब्ल्यू.डी. संहिता के अनुसार, समय–समय पर मरम्मति कार्य के लिए प्राककलन बनाने में सुविधा हेतु का.अभि. के कार्यालय में प्रत्येक तरह के कार्य का विस्तृत मापी दर्शाने वाला मानक माप पुस्तिका रखा जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि किसी भी नमूना जाँचित प्रमंडलों में मानक माप पुस्तिका संधारित नहीं किया गया था। इस बुनियादी अभिलेख के नहीं रहने के कारण किसी विशेष भवन में पिछले वर्ष किए गए कार्य का वास्तविक मद अभिनिश्चित नहीं किया जा सका और प्रमंडलीय कार्यालय द्वारा निगरानी नहीं किया गया।

भ.नि.वि. द्वारा जवाब में कहा गया (अक्टूबर 2015) कि यह विषय भविष्य के कार्यान्वयन के लिए दर्ज कर लिया गया।

कार्यों की गुणवत्ता प्रमाणित नहीं होना

बी.पी.डब्ल्यू.ए. संहिता के अनुसार अनुरक्षण का कार्य प्रत्येक वर्ष जून माह से पहले पूर्ण हो जाना चाहिए तथा कार्य की प्रविष्टि को माप पुस्तिका में दर्ज किया जाना चाहिए तथा कार्यों की गुणवत्ता का प्रमाण पत्र अधीक्षण अभियंता द्वारा दिया जाना चाहिए। वैसे अनुरक्षण कार्य जो माह जून तक पूर्ण नहीं हुए, उन्हें स्थाई रूप से रोक दिया जाना चाहिए।

संवीक्षा में पाया गया कि सभी नमूना जाँचित प्रमंडलों में अधीक्षण अभियंताओं द्वारा किसी भी मरम्मति एवं अनुरक्षण कार्य की गुणवत्ता का प्रमाण पत्र नहीं दिया गया था यद्यपि ये कार्य पूरे वर्ष निष्पादित किए जा रहे थे।

भ.नि.वि. द्वारा जवाब में कहा गया (अक्टूबर 2015) कि अधीक्षण अभियंताओं को बी.पी.डब्ल्यू.ए. संहिता के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किए गए थे।

2.2.9.9 बागवानी कार्य

उद्यान प्रमंडल को पटना में अवस्थित सभी पात्र सरकारी आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों के परिसर में बागवानी का विकास एवं अनुरक्षण के लिए स्थापित (1983) किया गया था तथा अनुमोदित वार्षिक प्राथमिकता सूची के आधार पर भ.नि.वि. को निधि उपलब्ध करना था। बागवानी कार्य में पाये गये कमियों को उत्तरवर्ती कंडिकाओं में चर्चा गी गयी है :

अपर्याप्त आयोजन

अभिलेखों की जाँच से पता चला कि प्रमंडल वर्ष 2010–15 के दौरान कुल पात्र भवनों का केवल तीन से 39 प्रतिशत भवनों में ही बागवानी का कार्य करा सका जो तालिका सं. 2.2.6 में नीचे दिखाया गया है:

बागवानी कार्यों का अपर्याप्त आयोजना एवं आच्छादन

तालिका सं. 2.2.6
बागवानी कार्य की स्थिति

वर्ष	बागवानी के लिए पात्र भवनों की संख्या	बागवानी के लिए बनाई गई योजना की कार्य संख्या (प्रतिशत)	भवनों की संख्या जहाँ कार्य निष्पादित किए गए	निष्पादन प्रतिशत
2010-11	781	79 (10)	79	10
2011-12	781	83 (11)	83	11
2012-13	781	329 (42)	307	39
2013-14	781	0	22	3
2014-15	781	271 (35)	271	35

(झोत: उद्यान प्रमंडल, पटना द्वारा प्रस्तुत)

यद्यपि, यह पाया गया कि प्रमंडल द्वारा मात्र 10 से 42 प्रतिशत पात्र भवनों को आच्छादन करने का ही आयोजना बनाया गया था। आगे जाँच में पाया गया कि वर्ष 2013-14 के दौरान प्रमंडल द्वारा कोई योजना नहीं बनायी गयी थी। हाँलांकि, बागवानी के 22 कार्य निष्पादित किए गए थे।

प्रधान सचिव द्वारा वर्हिंगमन सम्मेलन (अक्टूबर 2015) में कहा गया कि भविष्य में बागवानी कार्य की आयोजना तथा उनका कार्यान्वयन में सुधार किया जाएगा।

बागवानी कार्यों में कमियाँ

बिहार वित्तीय नियमावली, 2005 में यह वर्णित है कि अनुबंध की शर्तें स्पष्ट, निश्चित तथा संदिग्धता के बिना होनी चाहिए। इसके अलावा बी.पी.डब्ल्यू.डी. संहिता के अनुसार माप पुस्तिका को सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख के रूप में देखा जाना चाहिए क्योंकि यह मात्राओं, दैनिक मजदूरों के द्वारा किए गए कार्य अथवा टुकड़ों में या संविदा द्वारा या प्राप्त सामग्री, जो कि गिना या मापा जा सकता था, का लेखा का आधार होता था। हाँलांकि अंतिम भुगतान किसी भी परिस्थिति में विस्तृत माप के बिना नहीं किया जा सकता था।

एक ही एकरारनामा में एक से अधिक आवासीय उद्यानों के बागवानी कार्य को सम्मिलित कर दिए गए थे।

वर्ष 2014-15 की अवधि से संबंधित प्राक्कलनों/परिमाण विपत्रों के जाँच से पता चला कि एक से अधिक आवासीय बगीचों को बागवानी कार्य के लिए एक ही एकरारनामा में शामिल किए गये थे, जो उपलब्ध कराये गए पुष्ट के पौधों, गमलों, बागवानी उपकरणों तथा रासायनिक उर्वरकों आदि की मात्रा की आपूर्ति संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं कराता था। किसी निश्चित आवास में सामग्रियों की वास्तविक मात्रा की विस्तृत जानकारी न तो प्राक्कलन में और न ही एकरारनामा में उपलब्ध था। आगे, एकरारनामा से संबंधित माप पुस्तिकाओं की जाँच में पाया गया कि माप पुस्तिका संवेदक द्वारा आपूर्ति (भवनवार) की विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं कराती थी और विस्तृत मापी दर्ज किए बगैर वर्ष 2014-15 की अवधि के दौरान बागवानी कार्य पर खर्च निर्धारित किए गए थे।

भ.नि.वि. ने जवाब में बताया (अक्टूबर 2015) कि भविष्य में बागवानी कार्यों में कमियों को उपयुक्त कार्रवाई कर दूर किया जाएगा।

अनुशंसाएँ:

- (i) भ.नि.वि. को समय एवं लागत वृद्धि से बचने के लिए तकनीकी स्वीकृति तथा एकरारनामा करने में विलम्ब से बचना चाहिए और अलाभकारी, अपरिहार्य तथा आधिक्य व्यय को कम करने हेतु संहिता के सभी प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए;

(ii) मरम्मती एवं अनुरक्षण सभी सरकारी भवनों में मरम्मति एवं अनुरक्षण तथा बागवानी कार्यों को नित्यकालिक रूप से निष्पादित किया जाना चाहिए।

2.2.10 मानव बल प्रबंधन

भ.नि.वि. का समग्र प्रदर्शन योजनाओं के कुशल कार्यान्वयन पर निर्भर करता है, जिसके लिए पर्याप्त तथा प्रशिक्षित मानव बल की आवश्कयता होती है। भ.नि.वि. के मानव बल को तालिका सं 2.2.7 में दर्शाया गया है :

तालिका सं. 2.2.7

भ.नि.वि. के स्वीकृत बल तथा कार्यरत बल

क्रम सं.	पद का नाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्ति (प्रतिशत)
तकनीकी				
1	अभियंता प्रमुख	01	01	Nil
2	मुख्य अभियंता	05	01	04 (80)
3	अधीक्षण अभियंता	24	11	13 (54)
4	कार्यपालक अभियंता	86	67	19 (22)
5	सहायक अभियंता	320	246	74 (23)
6	कनिष्ठ अभियंता	496	170	326 (66)
7	गैर-तकनीकी	173	99	74 (42)

(स्रोत: भ.नि.वि. द्वारा उपलब्ध कराया गया)

भ.नि.वि. में अत्यधिक संख्या में पद रिक्त थे

तालिका सं. 2.2.7 दर्शाता है कि तकनीकी संवर्ग पद 22 से 80 प्रतिशत, जबकि गैर तकनीकी पद 43 प्रतिशत रिक्त थे। क्षेत्र स्तर पर अ.अभि. तथा क.अभि. के 50 प्रतिशत से अधिक पद रिक्त थे, जो भ.नि.वि. द्वारा किए जाने वाले कार्यों के निष्पादन को प्रभावित कर रहे थे।

भ.नि.वि. द्वारा जवाब (अक्टूबर 2015) में लेखापरीक्षा टिप्पणी पर सहमति जतायी तथा बताया कि विभाग द्वारा विभिन्न रिक्त पदों को भरे जाने के लिए भर्ती नितियाँ बनाई जा रहीं थीं।

अनुशंसा: भ.नि.वि. को रिक्त पदों को भरने के लिए अनिवार्य उपाय करनी चाहिए।

2.2.11 अनुश्रवण

बी.पी.डब्ल्यू.डी. संहिता के अनुसार मु.अभि. द्वारा उनके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक अंचल कार्यालय को प्रत्येक दो वर्षों में एक बार तथा प्रत्येक प्रमंडलीय कार्यालय को तीन वर्षों में एक बार निरीक्षण करना तथा सरकार को प्रतिवेदन जमा करना आवश्यक था। आगे यह भी वर्णित था कि जब कभी भी निरीक्षण नहीं किया जा सके, उसका प्रतिवेदन कारण सहित, जिस वर्ष निरीक्षण की जानी थी उसके अगले वर्ष के सात जनवरी तक, सरकार को जमा करना चाहिए था। इसके अलावा, अधीक्षण अभियंता का यह कर्तव्य था कि अंचल के विभिन्न कार्यों की स्थिति का निरीक्षण करे तथा स्वयं को संतुष्ट करे कि प्रचलित प्रबंधन की व्यवस्था प्रभावी एवं किफायती था। इसके अतिरिक्त जब कभी भी उपरोक्त वर्णित निरीक्षण नहीं किया जा सका, उसका प्रतिवेदन कारण सहित, जिस वर्ष निरीक्षण की जानी थी उसके अगले वर्ष के 25 दिसम्बर तक, मुख्य अभियंता को जमा किया जाना चाहिए था।

मु.अभि. एवं अ.अभि. ने अपने नियंत्रण के कार्यालयों का निरीक्षण नहीं किया था

वर्ष 2010–15 के दौरान नमूना जाँचित प्रमंडलों में पाया गया कि संबंधित मुख्य अभियंताओं तथा अधीक्षण अभियंताओं अधीनस्थ कार्यालयों के निरीक्षण/अनुश्रवण करने में असफल रहे थे। कार्यों की योजना बनाने में अत्यधिक विलम्ब, अपूर्ण कार्यों की बड़ी संख्या, अपूर्ण छोड़े गए/अपूर्ण कार्यों पर निष्फल व्यय, अनाधिकृत भुगतान आदि के

मामले जैसा कि पूर्व के अनुच्छेदों में वर्णित है, को समय—समय पर किए जाने वाले निरीक्षण/अनुश्रवण से कम किया जा सकता था।

भ.नि.वि. ने जवाब में कहा (अक्टूबर 2015) कि सभी मु.अभि. तथा अ.अभि. को कार्यों का नियमित आधार पर निरीक्षण करने के लिए निर्देशित (फरवरी तथा मार्च 2015) किया गया था ताकि कार्यों की प्रगति की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।

अनुशंसा: मु.अभि. तथा अ.अभि. को अधीनस्थ कार्यालयों के निरीक्षण हेतु बी.पी.डब्ल्यू.डी. संहिता के उल्लेखित मानकों को सख्ती से पालन करना चाहिए।

2.2.12 निष्कर्ष

- भ.नि.वि. ने मु.अभि. के प्रस्तावों को प्राप्त किए बगैर और निधि की वास्तविक आवश्यकता का आकलन किए बिना कार्यों का वार्षिक योजना तैयार किया था परिणामस्वरूप कुछ कार्यों में निधि की आधिक्यता थी जबकि कुछ अन्य कार्य अपर्याप्त निधि के कारण प्रभावित हुए;
- निरंतर बचत और पुनः अनुपूरक प्रावधान करना त्रुटिपूर्ण बजटीय प्रक्रिया को दर्शाता था। प्रमंडलों को निधि की विलम्ब से तथा आधिक्य विमुक्ति किया जाना भ.नि.वि. के त्रुटिपूर्ण वित्तीय प्रबंधन को दर्शाता था जिसे सुदृढ़ करने की आवश्यकता थी;
- अनुसूचित दरों का निर्माण दोषपूर्ण था, अनुसूचित दर से बढ़े हुए दर पर परिमाण विपत्र तैयार की गयी थी तथा भ.नि.वि. के अनुसूचित दर में कम दर उपलब्ध रहते हुए कार्यों के परिमाण विपत्र में सी.पी.डब्ल्यू.डी. के बढ़े हुए दर लिए गए थे। नमूना जाँचित 11 जिलों में तकनीकी स्वीकृति में विलम्ब किए जाने के कारण लागत में वृद्धि हुई;
- मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्यों के लिए मानक मापी पुस्तिका संधारित नहीं किया जाता था तथा अनुमोदित प्राथमिकता सूची में विचलन के मामले प्रकाश में आए। वर्ष 2010–15 के दौरान बागवानी कार्य अधिसूचित 781 में से मात्र 22 से 307 भवनों में ही बागवानी कार्य कराए गए थे;
- तकनीकी संवर्ग के पद की रिक्तियाँ 22 से 80 प्रतिशत तक थी जो कार्यों के क्रियान्वयन को प्रभावित किया था;
- वर्ष 2010–15 के दौरान मु.अभि. एवं अ.अभि. ने अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण नहीं किया गया यद्यपि यह वर्णित था।

जल संसाधन विभाग

2.3 त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम का निष्पादन लेखापरीक्षा

कार्यपालक सारांश

परिचय

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) की शुरुआत वर्ष 1996–97 में भारत सरकार (भा.स.) द्वारा वैसे वृहद् एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को अनुदान के रूप में केन्द्रीय सहायता (के.सहा.) मुहैया कराने हेतु की गई थी, जिसका योजना आयोग से निवेश प्रस्ताव पारित हो, जिनका निर्माण अंतिम चरण में हो तथा जिसे अगले चार वित्तीय वर्षों में पूरा किया जा सके। बिहार में वर्ष 1996–97 से 2008–09 के बीच ए.आई.बी.पी. के तहत 10 वृहद्/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को शामिल किया गया तत्पश्चात् किसी परियोजना को शामिल नहीं किया गया।

(कंडिका 2.3.1)

वित्तीय प्रबंधन

वर्ष 2010–15 के दौरान चयनित परियोजनाओं के लिए बिहार सरकार द्वारा ₹1429 करोड़ के बजटीय प्रावधान के विरुद्ध ₹1378.83 करोड़ आवंटित किए गए। प्रस्तावों के विलंब से प्रेषित करने/प्रेषित नहीं करने/भा.स. द्वारा अनुमोदित नहीं किए जाने के कारण चयनित परियोजनाओं को देय ₹1019.24 करोड़ के के.सहा. के विरुद्ध मात्र ₹68.52 करोड़ ही भा.स. द्वारा विमुक्त किए गए।

(कंडिका 2.3.6)

योजना

भू–अर्जन, वन अनापत्ति तथा पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन जैसे मुद्दों को हल नहीं किए जाने से दुर्गावती जलाशय, पुनर्पुन बराज, पश्चिमी कोसी एवं पूर्वी कोसी नहर परियोजनाएँ अपूर्ण रहीं। यद्यपि विशेष भू–अर्जन पदाधिकारियों को निधि उपलब्ध करा दी गई थी, आवश्यकता के विरुद्ध मात्र 88 प्रतिशत भूमि अधिग्रहित किया जा सका तथा भू–स्वामियों के मुद्दों को हल नहीं किए जाने के कारण मात्र 51 प्रतिशत निधि ही उपयोग की जा सकी।

(कंडिका 2.3.7)

सिंचाई क्षमता

चयनित परियोजनाओं में, सिंचाई क्षमता के सृजन/पुनःस्थापन के लक्ष्य 956820 हेक्टेयर के विरुद्ध मार्च 2015 तक सिंचाई क्षमता की उपलब्धि मात्र 832580 हेक्टेयर थी। पुनर्पुन बराज परियोजना में कोई भी सिंचाई क्षमता मार्च 2015 तक सृजित नहीं की गई थी, क्योंकि शीर्ष कार्य के साथ–साथ मुख्य/शाखा नहर, वितरणी एवं लघु नहर पूर्ण नहीं थे। सिंचाई क्षमता की उपलब्धि में कमी का मुख्य कारण भूमि का अधिग्रहण नहीं होना, वन भूमि के अनापत्ति तथा पुनर्वास कार्य में विलम्ब थे।

(कंडिका 2.3.8)

परियोजना का कार्यान्वयन

पाँच चयनित परियोजनाओं में से चार भा.स. द्वारा निवेश प्रस्ताव की स्वीकृति के छः से 14 वर्षों के पश्चात् भी पूरी नहीं की जा सकी थी। यद्यपि कि इन्हें चार वित्तीय वर्षों में पूरा कर लिया जाना था। मार्गदर्शिका के प्रावधानों के अनुसार परियोजना शुरू करने के पूर्व के निर्धारित गतिविधि पूर्ण नहीं किए जाने के कारण दुर्गावती जलाशय परियोजना एवं पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के लागत मूल्य में क्रमशः ₹515 करोड़ एवं ₹881 करोड़ की वृद्धि हो गई। पुनरीक्षित प्राक्कलन में महत्वपूर्ण सुरक्षा मदों को शामिल नहीं

करने एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बगैर एकरारनामा किए जाने से परियोजना की प्रगति बाधित हुई। स्वीकृति के बिना भुगतान, किए गए कार्य के मूल्य गणना की गलत प्रक्रिया के कारण हानि एवं रॉयल्टी राशि का कम वसूली जैसे मामले भी नमूना जाँचित परियोजनाओं में प्रकाश में आए।

(कंडिका 2.3.9.1 से 2.3.9.4)

गुण नियंत्रण एवं मूल्यांकन

किए गए कार्यों का भुगतान करने के पूर्व गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की गई थी। मार्गदर्शिका के अनुसार अनिवार्य रहने के बावजूद निर्माणाधीन परियोजनाओं का समसामयिक मूल्यांकन स्वतंत्र संस्था से नहीं कराया गया था।

(कंडिका 2.3.10 एवं 2.3.11)

2.3.1 परिचय

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) की शुरुआत वर्ष 1996–97 में भारत सरकार (भा.स.) द्वारा वैसे वृहद् एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को अनुदान के रूप में केन्द्रीय सहायता (के.सहा.) मुहैया कराने हेतु की गई थी, जिसका योजना आयोग से निवेश प्रस्ताव पारित हो, जिनका निर्माण अंतिम चरण में हो तथा जिसे अगले चार वित्तीय वर्षों में पूरा किया जा सके।

बिहार में वर्ष 1996–97 से 2008–09 के बीच ए.आई.बी.पी. के तहत 10 वृहद्/मध्यम परियोजनाएँ जैसे—बाण सागर जलाशय परियोजना, दुर्गावती जलाशय परियोजना, उपरी किउल जलाशय परियोजना, पश्चिमी कोसी नहर परियोजना, ओढ़नी जलाशय परियोजना, बिलासी जलाशय परियोजना, सोन नहर आधुनिकीकरण परियोजना, बटाने जलाशय परियोजना, पुनर्पुन बराज योजना एवं कोसी बराज एवं इसके अवयवों का पुनःस्थापन परियोजना सम्मिलित किए गए तथा उसके बाद किसी परियोजना को ए.आई.बी.पी. में शामिल नहीं किया गया। इनमें से, उपरी किउल, बिलासी एवं सोन नहर आधुनिकीकरण परियोजनाएँ वर्ष 2010 से पूर्व पूर्ण हो गई थीं जबकि कोसी बराज का पुनःस्थापन परियोजना वर्ष 2010–11 के दौरान पूर्ण हुई थी।


आगे, जल संसाधन विभाग (विभाग), बिहार सरकार (बि.स.) ने तीन नई परियोजनाओं जैसे—बटेश्वरस्थान गंगा पम्प नहर परियोजना, पूर्वी कोसी नहर परियोजना का विस्तारीकरण, जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण (ई.आई.एम.) तथा नेपाल हितकारी (गंडक परियोजना) योजना को ए.आई.बी.पी. में शामिल करना प्रस्तावित किया एवं भू-अर्जन में विलम्ब तथा अंतरराज्यीय मुद्दों के कारण बटाने जलाशय परियोजना, बाणसागर डैम परियोजना एवं पश्चिमी कोसी नहर परियोजना को ए.आई.बी.पी. से अलग करने का निर्णय लिया गया (जुलाई 2013)। यद्यपि भारत सरकार ने अगस्त 2015 तक नई परियोजनाओं को शामिल करने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं किया था। इसके अतिरिक्त वर्ष 2010–15 के बीच सात¹ कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम भी ए.आई.बी.पी. के तहत शामिल किए गए थे। राज्य में ए.आई.बी.पी. के तहत सिंचाई क्षमता (आई.पी.) के सृजन/पुनःस्थापन का लक्ष्य 9,56,820 हेक्टेयर (हे.) था, जबकि उपलब्धि मार्च 2015 तक 8,32,580 हे. थी।

2.3.2 संगठनात्मक संरचना

राज्य में ए.आई.बी.पी. के कार्यान्वयन के लिए सचिव, जल संसाधन विभाग उत्तरदायी है। उनकी सहायता हेतु मुख्यालय स्तर पर दो अभियंता प्रमुख एवं एक मुख्य अभियंता

¹ सोन, उत्तर कोयल, गंडक, कोसी, किउल, बद्रुआ एवं चन्दन कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम

हैं। प्रमण्डल स्तर पर 140 कार्यपालक अभियंताओं के कार्य के पर्यवेक्षण हेतु 12 मुख्य अभियंता एवं 45 अधीक्षण अभियंता हैं जो निम्न चार्ट में दिखलाये गये हैं:



2.3.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह आकलित करने के लिए किया गया था कि:

- पर्याप्त निधि के साथ-साथ केसहा समय पर विमुक्त किए गए एवं जिसे उचित रूप से उपयोग किए गए;
- परियोजना का योजना एवं चालू परियोजनाओं के कार्य का कार्यान्वयन व्यवस्थित रूप से किये गये थे;
- कार्यक्रम ने लक्षित सिंचाई क्षमता के सृजन एवं इसके उपयोग संबंधी अपने उद्देश्य को प्राप्त किया।
- परियोजनाएँ, मितव्ययी, दक्ष एवं प्रभावी तरीके से कार्यान्वित की गई थीं; एवं
- अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पद्धति तथा संचालन के अन्य माध्यम पर्याप्त एवं प्रभावी थे।

2.3.4 लेखापरीक्षा मानक

निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए अपनायी गयी लेखापरीक्षा मानक:

- जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ए.आई.बी.पी. मार्गदर्शिका

- विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु केन्द्रीय जल आयोग द्वारा जारी मार्गदर्शिका
- बिहार लोक निर्माण लेखा संहिता, बिहार लोक निर्माण विभागीय संहिता, बिहार वित्तीय नियम तथा बिहार कोषागार संहिता एवं
- जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार एवं बिहार सरकार द्वारा जारी अन्य परिपत्र, निर्देश।

2.3.5 निष्पादन लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

वर्ष 2010–15 की अवधि के लिए ए.आई.बी.पी. का निष्पादन लेखापरीक्षा अप्रैल से जुलाई 2015 के दौरान की गई। निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान 10 बृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में से चार सिंचाई परियोजनाओं (पुनर्पुन बराज परियोजना, दुर्गावती जलाशय परियोजना, पश्चिमी कोसी नहर परियोजना एवं कोसी बराज का पुनःस्थापन) की नमूना जाँच की गई। इसके अतिरिक्त, इस प्रकार के सात कार्यक्रम में से पूर्वी कोसी नहर परियोजना (नई प्रस्तावित सिंचाई परियोजना) तथा गंडक कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम के विस्तारीकरण, जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीरण को लेखापरीक्षा के लिए चयनित किया गया था (परिशिष्ट-2.3.1)। लेखापरीक्षा के लिए प्रतिदर्श का चयन प्रोबैलिटी प्रोपर्शनल टू साईज विदाउट रिप्लेसमेंट पद्धति से किया गया था। इन परियोजनाओं के अभिलेखों की जाँच मुख्यालय स्तर, छ: जोनल मुख्य अभियंता स्तर एवं 43 में से 11 प्रमण्डल स्तर पर किए गए (परिशिष्ट 2.3.2)। सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार के साथ अंतर्गमन सम्मेलन लेखापरीक्षा उद्देश्य एवं लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र पर विचार विमर्श करने हेतु किया गया (मार्च 2015)। परियोजनाओं के चयन में विभाग के सुझावों पर यथावत् विचार किया गया। सचिव, जल संसाधन विभाग एवं विभाग के अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में बहिर्गमन सम्मेलन किया गया (अक्टूबर 2015)। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर विचार विमर्श किया गया एवं विभाग द्वारा समर्पित उत्तर उपयुक्त स्थानों पर समिलित कर लिए गए हैं।

2.3.6 वित्तीय प्रबंधन

ए.आई.बी.पी. के अन्तर्गत के.सहा. के रूप में राज्यों को परियोजना के लागत का 25 प्रतिशत (गैर-विशेष वर्गीकृत राज्यों के मामले में) एवं 75 प्रतिशत (विशेष क्षेत्र जैसे सूखाग्रस्त, मरुस्थल, जनजातीय एवं बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के मामले में) राशि विमुक्त की गई है। पिछले वर्ष का उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर अगामी वर्ष के लिए वार्षिक स्तर पर अनुदान में विमुक्त किया जाना है। राज्यांश का 50 प्रतिशत राशि विमुक्त होने पर 90 प्रतिशत अनुदान अग्रिम में विमुक्त किया जाना है एवं शेष 10 प्रतिशत पूर्व में विमुक्त 50 प्रतिशत के.सहा. (के.स.) के उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) प्राप्त होने के बाद विमुक्त किया जाना था। परियोजना का शेष लागत राज्य सरकार को अपने श्रोत से पूरा किया जाना चाहिए।

वर्ष 2010–15 के दौरान ज.सं.वि. के अभिलेखों के जाँच में पाया गया कि राज्य में ए.आई.बी.पी. अन्तर्गत नौ वृहत/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए ₹1621.77 करोड़ आवंटन के विरुद्ध ₹1409.88 करोड़ व्यय किए गए। वृहत/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के अलावे, वर्ष 2010–15 के दौरान सात कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन (जल प्रबंधन) योजनाओं के लिए ज.सं.वि., बिहार सरकार द्वारा ₹428.29 करोड़ बजट प्रावधान किया गया एवं ए.आई.बी.पी., अन्तर्गत वर्ष 2010–15 के दौरान ₹406.09 करोड़ व्यय हुआ। वर्ष 2010–15 के लिए पाँच चयनित परियोजनाओं एवं एक चयनित कमान क्षेत्र विकास अभिकरण का योजनावार बजट प्रावधान, आवंटन, व्यय अनुमान्य एवं प्राप्त के. सहा. तालिका सं0 2.3.1 में नीचे दिये जा रहे हैं:

तालिका सं. 2.3.1

वर्ष 2010–15 के दौरान चयनित परियोजनाओं के लिए बजट प्रावधान, आवंटन, व्यय
एवं केन्द्रीय सहायता

क्रम सं.	परियोजना का नाम	ए.आई.बी.पी. में सम्मिलित का वर्ष	अद्यतन प्राक्कलित राशि	राज्य द्वारा बजट प्रावधान	आवंटन	व्यय	अनुमान्य के.सहा.	(₹ करोड़ में)	
								1	2
1	दुर्गावती जलाशय योजना	1996-97	983.10	380.74	308.52	284.28	209.30	0.00	
2	पुनर्पुन बराज परियोजना	2007-08	658.12	79.41	113.81	108.90	39.85	0.00	
3	कोसी बराज का पुनः स्थापन	2008-09	85.65	24.54	24.54	24.54	0.00	0.00	
4	पूर्वी कोसी नहर प्रणाली	समावेशन हेतु प्रस्तावित	750.75	597.71	572.00	520.78	569.23	0.00	
5	पश्चिमी कोसी नहर प्रणाली	1996-97	1307.21	180.94	197.43	116.93	155.74	23.40	
6	गंडक कमान क्षेत्र विकास अभियान (गाडा)	2010-11	1723.76	165.67	162.53	164.31	45.12	45.12	
कुल			5508.59	1429.00	1378.83	1219.74	1019.24	68.52(7)	

उपरोक्त तालिका सं. 2.3.1 से निम्न बातें उद्घटित हुईः

- वर्ष 2010–11 के दौरान पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के लिए विमुक्त ₹ 23.40 करोड़ के.सहा. को छोड़कर वर्ष 2010–15 के दौरान कोई भी चयनित वृहत्/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए भारत सरकार से के.सहा. प्राप्त नहीं हुए। ए.आई.बी.पी. अन्तर्गत वर्ष 2010–15 के दौरान सात जल प्रबंधन परियोजनाओं के लिए भारत सरकार द्वारा ₹124.95 करोड़ के.स.0 विमुक्त किया गया जिसमें से गंडक कमान क्षेत्र विकास परियोजना के लिए ₹45.12 करोड़ विमुक्त किया गया था।
- वर्ष 2010–11 के दौरान कोसी बराज का पुनःस्थापन परियोजना के लिए विभाग द्वारा ₹24.54 करोड़ निधि आवंटित किया गया था जिसके लिए वर्ष 2009–10 के दौरान भारत सरकार द्वारा ₹66.66 करोड़ के.सहा. विमुक्त किया गया था एवं वर्ष 2010–11 के दौरान परियोजना पूर्ण की गई थी जो सही ढंग से कार्यशील है।

2.3.6.1 केन्द्रीय सहायता का कम विमुक्त किया जाना

मुख्यालय एवं मुख्य अभियंता स्तर के अभिलेखों के जाँच में पाया गया कि वर्ष 2010–15 के दौरान ₹1019.24 करोड़ अनुमान्य के.स. के विरुद्ध केवल ₹68.52 करोड़ भा.स. द्वारा विमुक्त किये गये थे। सात प्रतिशत के.सहा. विमुक्ति करने के कारण नीचे दिये गये हैं:

प्रस्ताव के अनुमोदन में विलम्ब/अप्रस्तुतीकरण के कारण ₹1019.24 करोड़ अनुमान्य के.सहा. के विरुद्ध केवल ₹68.52 करोड़ के.सहा. भारत सरकार द्वारा विमुक्त किया गया था।

- वर्ष 2010–12 के दौरान दुर्गावती जलाशय परियोजना के लिए विभाग द्वारा के सहा. हेतु प्रस्ताव नहीं भेजे गये थे क्योंकि यह परियोजना फारेस्ट क्लीअरेंस के अभाव में वर्ष 2005–12 के दौरान स्थगित थे।
- वर्ष 2010–12 के दौरान केन्द्रीय जल आयोग द्वारा पुनर्पुन बराज परियोजना हेतु के.सहा. के लिए प्रस्ताव की अनुशंसा नहीं की गयी थी क्योंकि वर्ष 2009–10 के दौरान इंगित निधि ₹45 करोड़ को परियोजना पदाधिकारी व्यय करने में विफल रहे। वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 के दौरान व्यय केवल क्रमशः ₹16.20 करोड़ एवं ₹8.02 करोड़ थे।
- वर्ष 2011–12 के दौरान पश्चिमी नहर परियोजना हेतु के.सहा. को प्रस्ताव अनुमोदित नहीं किया गया था क्योंकि ₹86.20 करोड़ राशि अव्यवहृत थे।
- पूर्वी कोसी नहर परियोजना के लिए कोई के.सहा. विमुक्त नहीं किये गये थे क्योंकि ए.आई.बी.पी. अन्तर्गत इस परियोजना को शामिल करने हेतु प्रस्ताव भा. स. द्वारा सितम्बर 2015 तक स्वीकृत नहीं किये गये थे।
- विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित मुख्य अभियंता द्वारा वर्ष 2012–13 एवं 2014–15 के लिए दो से सात महीनों के विलंब से प्रस्ताव प्रस्तुत करने के कारण एवं के.ज.आ. के प्रश्नों के अनुपालन में विलम्ब के कारण के.सहा. कम विमुक्त हुआ।

विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया (अक्टूबर 2015)।

2.3.6.2 आवंटन से अधिक अनियमित व्यय एवं सूद की राशि का अनुपयोग

सी.ए.डी.डब्ल्यू.एम. के दिशानिर्देश के अनुसार विर्निदष्ट शर्तों के पूरे होने के उपरांत बि.स. द्वारा कार्यान्वयित अभिकरणों को निधि/सहायता को विमुक्त किया जाना चाहिए था। यदि स्थापना पर व्यय कार्य के व्यय के 20 प्रतिशत से अधिक हो तो बिहार सरकार के बजट से इसे पूरा किया जाना था।

गंडक कमांड क्षेत्र विकास अभिकरण (गाडा) के मुख्यालय स्तर के अभिलेखों के जाँच में पाया गया कि वर्ष 2010–15 के दौरान सी.ए.डी.डब्ल्यू.एम. कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु गाडा को ₹63.63 करोड़ की निधि आवंटित किये गये थे यद्यपि व्यय ₹64.86 करोड़ हुआ था। आवंटन से अधिक व्यय को पिछले वर्ष के अवशेष राशि से पूरा किया गया था।

आगे, जाँच में पाया गया कि गाडा के स्थापना मद में वर्ष 2010–11 के पहले एवं वर्ष 2010–15 के दौरान ₹9.05 करोड़ आवंटन से अधिक व्यय हुए थे जो विभाग द्वारा अनुपूरक आवंटन विमुक्त कर नियमित नहीं किये गये थे।

मार्च 2015 तक ₹11.40 करोड़ व्याज की राशि बैंक खाते में जमा रखी गई थी क्योंकि क्षेत्रीय विकास आयुक्त (ए.डी.सी.) गाडा द्वारा आवंटन को कोषागार से आहरित की गयी थी। हाँलांकि, सूद के राशि का उपयोग करने हेतु ऐसा कोई प्रावधान न ही योजना के दिशानिर्देश में था और न ही सरकार द्वारा सूद की राशि के उपयोग के लिए कोई निर्देश निर्गत किया गया था। आगे, हमने यह भी पाया कि बिहार कोषागार संहिता के नियम 78 की अवहेलना कर आवंटन को आहरित कर गाडा के बैंक खाता में रखा गया।

विभाग ने जवाब दिया (अक्टूबर 2015) कि बिहार सरकार ने कमांड क्षेत्रीय विकास अभिकरणों (गाडा) को सी.ए.डब्ल्यू.एम कार्यक्रम के अंतर्गत स्थापना एवं कार्य मद में अनुदान दिया। गाडा को दिये गये सहायक अनुदान से अधिक राशि के व्यय को संबंधित काडा के द्वारा अपने आय के स्रोत से वहन न किया जाना था। हाँलांकि,

काडा को आवंटित निधि के जमा राशि पर अर्जित ब्याज के संबंध में कोई जवाब नहीं दिया गया।

अनुशंसा: विभाग /परियोजना प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कर्णाकित निधि समय पर व्यय हों एवं दावे बिना किसी विलम्ब के समर्पित किए जाएँ ताकि परियोजनाएँ के सहा. से वंचित न हों।

2.3.7 योजना

किसी भी परियोजना के समय पर प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उचित योजना मुख्य कारक है। योजना का तात्पर्य किसी भी परियोजना के कार्यान्वयन के पूर्व प्रारंभिक कार्य जैसे भू-अर्जन, पर्यावरण एवं वन अनापत्ति, पुनर्वास एवं पुनःस्थापन (आर. एण्ड आर.) क्रियाकलाप परियोजना के कार्यान्वयन के पूर्व पूरी कर लिए जायें।

चयनित पाँच में से चार परियोजनाओं के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि ये परियोजनाएँ भू-अर्जन, फारेस्ट क्लीयरेंस एवं पुर्नसमायोजन संबंधी कार्यकलापों जैसे मुददों के कारण विलंबित हुई जैसा कि आगे की कंडिकाओं में चर्चा किया गया है:

2.3.7.1 भू-अर्जन

कैबिनेट सचिवालय एवं सहकारिता विभाग के संकल्प (जुलाई 1986) के अनुसार सभी प्राक्कलनों को तैयार करने के पहले सही सर्व एवं स्थल निरीक्षण आवश्यक था एवं कार्य के तकनीकी स्वीकृति, निधि के आवंटन सुनिश्चित होने पर एवं जहाँ कहीं आवश्यक हो, भू-अर्जन के पश्चात ही निविदा संबंधी प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए थी।

चयनित पाँच में से चार परियोजनाओं के मामले में भूमि की आवश्यकता, अधिगृहीत भूमि संबंधित विशेष भू-अर्जन पदाधिकारियों को स्थानांतरित निधि एवं इसके विरुद्ध उपयोगित राशि की विवरणी इस प्रकार हैं:

तालिका सं. 2.3.2 आवश्यक भूमि एवं अधिगृहीत भूमि

(राशि: करोड़ में)

क्रम सं.	परियोजना का नाम	आवश्यक कुल भूमि (हे. में)	मार्च 2015 तक अधिग्रहित कुल भूमि (प्रतिशत)	अधिग्रहण के लिए शेष भूमि	विशेष भू-अर्जन पदा. को हस्तांतरित राशि	विशेष भू-अर्जन पदा. द्वारा भुगतान की गई राशि (प्रतिशत)	भुगतान हेतु शेष राशि
1	दुर्गावती जलाशय परियोजना	3419.085	3211.575 (94)	207.51	146.277	12.345 (8)	133.932
2	पुनर्पुन बराज परियोजना	1028.70	803.77 (78)	34.28	240.54	64.35 (27)	176.19
3	पूर्वी कोसी परियोजना	24.07	0.00	24.07	10.62	0.00	10.62
4	पश्चिमी कोसी परियोजना	1899.66	1622.98 (85)	0.912	344.58	301.91 (88)	42.678
	कुल	6371.52	5638.33 (88)	266.77	742.02	378.61 (51)	363.42

(स्रोत: निदेशक, भू-अर्जन, ज.सं.वि., बि.स., पटना)

समग्र अधिगृहीत भूमि का क्षेत्र 88 प्रतिशत था एवं विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी को हस्तांतरित निधि का 51 प्रतिशत उपयोग किया गया था। निधि के कम उपयोग का

मुख्य कारण मुख्यालय से समस्याओं का निराकरण नहीं होना, जैसे कि—गैर हकदार व्यक्तियों को भुगतान, बिना नोटिस जारी किए भू—अर्जन आदि थे। भूमि अधिग्रहण के पश्चात् परियोजना प्राधिकारियों द्वारा भूमि अपने अधीन नहीं किया गया जिससे कि परियोजना के कार्यान्वयन में विलम्ब हुआ।

विभाग ने जवाब दिया (अक्टूबर 2015) कि विशेष भू—अर्जन पदाधिकारी द्वारा निधि का कम उपयोग मुख्य रूप से जनवरी 2014 से नई भू—अर्जन पुनर्वास एवं पुनः स्थापना अधिनियम 2013 के लागू होने एवं तत्पश्चात् बि.स. द्वारा अक्टूबर 2014 से नई नियमावली लागू करने के कारण थी। आगे, भू—स्वामियों ने भी नए नियम के प्रावधानों के अनुरूप मुआवजे के राशि की माँग की।

2.3.7.2 फॉरेस्ट क्लीअरेंस

जाँच क्रम में पाया गया कि दुर्गावती जलाशय परियोजना जो कि वर्ष 1996—97 में ए.आई.बी.पी. में शामिल की गई थी, के लिए 2029.802 हे. वन भूमि की आवश्यकता थी। यद्यपि, फॉरेस्ट क्लीअरेंस नहीं प्राप्त की गई एवं परियोजना मार्च 2012 तक बंद रही। परिणामतः परियोजना मार्च 2015 तक अपूर्ण रही।

विभाग द्वारा जवाब दिया गया (अक्टूबर 2015) कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ.) भा.स. द्वारा अंतिम अनुमोदन अप्रैल 2012 एवं पुनःस्थापन संबंधी मुद्रदों को हल करने (नवम्बर 2013) के पश्चात् कार्य जनवरी 2014 में प्रारम्भ किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1996 में वन भूमि के स्थानांतरण संबंधी नीति में परिवर्तन के कारण परियोजना में विलंब हुआ।

2.3.7.3 परियोजना प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्वास

राज्य द्वारा दुर्गावती जलाशय परियोजना के 276 प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास एवं पुनःस्थापन संबंधित कार्य किए जाने थे।

दुर्गावती जलाशय परियोजना के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (वि.प.प्र.) की जाँच में पाया गया कि पुनर्वास संबंधित कार्य वि.प.प्र. में सम्मिलित नहीं थे, जिससे पुनर्वास संबंधी कार्य में विलंब हुआ।

पुनः जाँच में पाया गया कि पुनर्वास संबंधी कार्य जैसे, पंचायत भवन, स्वास्थ्य उप. केन्द्र, प्राथमिक विद्यालय, सामुदायिक भवन, तालाब, कुओं, हैण्ड पम्प, पी.सी.सी. सड़क, भूमि समतलीकरण, पहुँच पथ, मंदिर, नाला निर्माण, चाहारदीवारी, पारगमन अवधि के दौरान सहायता, ₹8.85 करोड़ की प्राककलित राशि से वर्ष 2014—15 के दौरान कराए जाने थे, जिसकी स्वीकृति मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, डिहरी द्वारा सितम्बर 2014 में प्रदान की गई थी।

हाँलांकि यह पाया गया कि पी.सी.सी. सड़क एवं विद्यालय के कार्य को छोड़कर कोई भी कार्य नहीं कराए गए। इस प्रकार पुनर्वास एवं पुनःस्थापन संबंधी कार्य नहीं किए जाने से परियोजना के कार्यान्वयन में विलम्ब हुआ।

अनुशंसा: विभाग को पूर्व आवश्यक कार्य—कलाप जैसे भू—अर्जन, वन भूमि अपयोजन तथा पुनर्वास एवं पुनः स्थापन संबंधी कार्य पूर्ण कर लेने चाहिए ताकि परियोजना बिना किसी लागत वृद्धि के समय पर पूरा हो सके।

2.3.8 सिंचाई क्षमता का सृजन/पुनर्स्थापन

चार चयनित परियोजनाओं में मार्च 2015 तक सिंचाई क्षमता का सृजन/पुनःस्थापन का लक्ष्य एवं उसके विरुद्ध उपलब्धि नीचे तालिका सं. 2.3.3 में दिया गया है:

तालिका सं. 2.3.3

ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत सिंचाई क्षमता का लक्ष्य एवं उसके विरुद्ध सृजन/पुनःस्थापन
(हेक्टेयर में)

क्रम सं.	परियोजना का नाम/ए.आई.बी.पी. में शमिल करने का वर्ष	लक्षित सिंचाई क्षमता		सृजित/पुनःस्थापन		कुल
		पूर्णता पर	ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत	2009-10 तक	2010-15 दौरान	
1	दुर्गावती जलाशय / 1996-97	39610	23590	3300*	1600	4900
2	पुनपुन बराज परियोजना / 2007-08	13680	13680	शून्य	शून्य	शून्य
3	पूर्वी कोसी नहर प्रणाली/प्रस्तावित	707500	707500	लागू नहीं	675000	675000
4	पश्चिमी कोसी नहर प्रणाली / 1996-97	234800	212050	145675*	7005	152680
	कुल	995590	956820	148975	683605	8325820

*सिंचाई क्षमता को ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत सम्मिलित होने के पूर्व को छोड़कर (अर्थात वर्ष 2009-10 के पूर्व दुर्गावती जलाशय: 16020 है, तथा पूर्वी कोसी नहर प्रणाली: 22750 है.)

चार चयनित परियोजनाओं में मार्च 2015 तक सिंचाई क्षमता के सृजन/पुनःस्थापन के लक्ष्य 956820 है, के विरुद्ध उपलब्ध मात्र 832580 है, (87 प्रतिशत) थी। आगे, पुनपुन बराज परियोजना में मार्च 2015 तक कोई भी सिंचाई क्षमता का सृजन नहीं किया जा सका था क्योंकि शीर्ष कार्य के साथ-साथ मुख्य/शाखा नहर, वितरणी एवं लघु नहर का निर्माण नहीं किया जा सका था। सिंचाई क्षमता के सृजन में कमी का मुख्य कारण भू-अर्जन का नहीं होना, वन भूमि क्लीअरेंस एवं पुनर्वास कार्य में विलम्ब थे, जो कंडिका सं. 2.3.7.5 में उद्धृत है।

विभाग ने जवाब दिया (अक्टूबर 2015) कि वितरणियों के निर्माण के पश्चात् दुर्गावती जलाशय परियोजना में सिंचाई क्षमता के सृजन की अधिकारिक घोषणा की गई यद्यपि किसान बायें एवं दायें नहर प्रणालियों के द्वारा खेतों में सिंचाई सुविधा प्राप्त कर रहे थे। पुनपुन बराज परियोजना का कार्य पूर्ण नहीं हुआ था अतः सिंचाई क्षमता का सृजन नहीं किया जा सका। 2008 के बाढ़ की विभीषिका में पूर्वी कोसी नहर प्रणाली की सिंचाई क्षमता नष्ट हो गई थी और अक्टूबर 2015 तक 06.52 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता पुनःस्थापित की गई थी। पश्चिमी कोसी नहर परियोजना में सृजित 01.75 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का वितरणी एवं जलवाहों के निर्माण नहीं होने के कारण उपयोग नहीं किया जा सका। हाँलांकि वर्ष 2010-15 के दौरान 161887 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ सिंचाई की उपलब्धि प्राप्त की गई थी।

अनुशांसा: भू-अर्जन, वन भूमि क्लीअरेंस में विलम्ब एवं पुनर्वास जैसे कार्य विभाग के द्वारा शीघ्रातिशीघ्र पूरा कर लिया जाना चाहिए जिससे कि परियोजना का समय पर पूरा करना सुनिश्चित किया जा सके एवं लक्षित सिंचाई क्षमता का सृजन किया जा सके।

2.3.9 परियोजना का कार्यान्वयन

कार्य के कार्यान्वयन से संबंधित पाँच चयनित परियोजनाओं के अभिलेखों के जाँच के क्रम में निम्नलिखित बिन्दु प्रकाश में आए:

2.3.9.1 दुर्गावती जलाशय परियोजना

दुर्गावती जलाशय परियोजना बिहार के कैमूर और रोहतास जिलों में फैला हुआ है। इस परियोजना के पूर्ण होने पर 40131 है, (समेकित कमांड क्षेत्र अथवा जी.सी.ए.) एवं 32467 है, (कृषि योग्य कमांड क्षेत्र अथवा सी.सी.ए.) के सिंचाई क्षेत्र में 39610 है,

सिंचाई क्षमता सृजित होना था। वर्ष 2001 में योजना आयोग द्वारा निवेश की स्वीकृति के 14 वर्षों के पश्चात् भी यह परियोजना पूर्ण नहीं की जा सकी है। यद्यपि 99 प्रतिशत शीर्ष कार्य पूर्ण थे, शाखा नहर/वितरणी/जलवाहा मात्र 33 प्रतिशत ही पूर्ण किए जा सके थे। जबकि लक्षित 723 संरचनाओं के विरुद्ध मार्च 2015 तक मात्र 121 (17 प्रतिशत) ही पूर्ण किए गए थे। परियोजना के मूल एवं संशोधित प्राककलित राशि क्रमशः ₹234.41 करोड़ एवं ₹983.10 करोड़ थे जबकि मार्च 2015 तक ₹749.37 करोड़ व्यय किए जा चुके थे, परिणामस्वरूप ₹514.96 करोड़ का लागत वृद्धि हुआ, परियोजना को पूर्ण होने की विस्तारित तिथि मार्च 2016 थी। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आगे की कंडिका में उल्लेख किया गया है:

पुनरीक्षित प्राककलन में महत्वपूर्ण घटक/सुरक्षा उपायों को शमिल नहीं किया जाना

महत्वपूर्ण घटकों को पुनरीक्षित प्राककलन में सम्मिलित नहीं करने के कारण विभाग ए.आई.बी.पी. से वंचित रहा

मुख्य अभियंता, डिहरी एवं दुर्गावती डैम प्रमंडल, चेनारी के अभिलेखों के जाँच में पाया गया कि कार्य के मद जैसे क्षयकारी शेरधाटी पहाड़ी से डैम की सुरक्षा, मुख्य शाखा नहर के कटाव से रोकने कि लिए पिचिंग/पुश्ताबंदी, नदी के नीचे की ओर बहाव सुनिश्चित करने के लिए पहाड़ी क्षेत्र से पानी के बहाव का डिजाईन तथा पहाड़ी क्षेत्र के पार रहने वाले लोगों के लिए पहुँच पथ का निर्माण विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के चतुर्थ संशोधित प्राककलन तक सम्मिलित नहीं किए गए थे, यद्यपि कि ये कार्य डैम की सुरक्षा से संबंधित थे। क्षयकारी शेरधाटी पहाड़ी से होने वाली संभावित नुकसान से शीर्ष कार्य संरचना को बचाना आवश्यक था। पहाड़ी क्षेत्र से दायें नहर क्षेत्र में पानी के बहाव के लिए डिजाईन तैयार किया जाना चाहिए था जिससे कि शीर्ष कार्य संरचना एवं नहर को बिना किसी क्षति के पानी नीचे की ओर निकल जाए।

विभाग के अनुरोध के बावजूद के.ज.आ. ने कार्य के अतिरिक्त मदों के सर्वेक्षण, आरेखन एवं रूपांकण हेतु परामर्श देने से इनकार किया और इस हेतु एक परामर्शी को नियुक्त करने का सुझाव दिया।

परिणामस्वरूप, के.ज.आ. ने उपरोक्त मद में होने वाले व्यय ₹17.30 करोड़ को अनुमोदित नहीं किया और विभाग को ए.आई.बी.पी. के तहत वित्त पोषण से इस हद तक वंचित होना पड़ा। प्रमंडल द्वारा सितम्बर 2014 में प्रस्ताव भेजने के बावजूद विभाग ने इस संबंध में अंतिम निर्णय नहीं लिया था (जून 2015)।

विभाग ने अपने जवाब में बताया (अक्टूबर 2015) कि दुर्गावती परियोजना से संबंधित परामर्श के.ज.आ. द्वारा लिया गया था। संबंधित रूपांकण के.ज.आ. द्वारा किए जाने का अनुमान था परन्तु उनके इनकार करने के बाद बाहर से परामर्श लेने की कार्रवाई की जा रही है।

2.3.9.2 पुनर्पुन बराज परियोजना

पुनर्पुन बराज परियोजना औरंगाबाद जिले के नजदीक हमीदनगर गाँव में पुनर्पुन नदी पर प्रस्तावित था। परियोजना के द्वारा कुल 17101 हे. (जी.सी.ए) एवं 13680 हे. (सी.सी.ए.) में 13680 हे. सिंचाई क्षमता का सृजन किया जाना था। योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2007 में निवेश की मंजूरी देने के आठ वर्ष बाद भी परियोजना पूर्ण नहीं हो सकी। मार्च 2015 तक मुख्य नहर, शाखा नहर, वितरणियों एवं जलमार्ग का निर्माण शुरू नहीं हुआ था जबकि लक्षित 815 संरचना में से केवल दो का निर्माण हो सका था। परियोजना का मूल एवं नवीनतम पुनरक्षित प्राककलन क्रमशः ₹199.41 करोड़ एवं ₹ 658.12 करोड़ था जबकि मार्च 2015 तक परियोजना पर कुल ₹324.33 करोड़ का व्यय हो चुका था। इस प्रकार परियोजना की लागत में ₹124.92 करोड़ की वृद्धि हो चुकी थी। परियोजना को पूर्ण करने की निर्धारित तिथि मार्च 2017 तक बढ़ा दी गई थी। परियोजना से संबंधित महत्वपूर्ण निष्कर्षों पर आगे की कंडिकाओं में चर्चा की गई है:

भूमि अनुपलब्धता के कारण निर्माण कार्य का शुरू नहीं किया जा सका

भूमि की अनुपलब्धता, भूमि मालिकों को भुगतान न होने से आम जन द्वारा बाधा पहुँचाने के कारण कार्य को शुरू नहीं किया जा सका

नमूना जाँचित 11 प्रमंडल में से एक प्रमंडल, पुनर्पुन बराज प्रमंडल संख्या—1 गोह, औरंगाबाद में पाया गया कि जून 2008 से मई 2009 के बीच कार्यपालक अभियंता द्वारा दायें मुख्य नहर के निर्माण हेतु ₹15.57 करोड़ के चार एकरारनामा² किये गये। परन्तु जाँच में पाया गया कि चार में से दो एकरारनामा³ भूमि की अनुपलब्धता के कारण सितम्बर एवं दिसम्बर 2012 की अवधि में प्रमंडल द्वारा बंद कर दिया गया। शेष दो एकरारनामा जून 2015 तक बन्द नहीं किया गया था। हाँलांकि किसी भी एजेन्सी द्वारा कोई कार्य नहीं कराया गया था। आगे, भूमि के अनुपलब्धता के कारण बन्द की गई दो एकरारनामा के बदले मुख्य नहर के निर्माण हेतु कोई नया एकरारनामा नहीं किया गया था।

इस प्रकार, भूमि की अनुपलब्धता के कारण जून 2015 तक कार्य शुरू नहीं हो सका।

विभाग ने अपने उत्तर में कहा (अक्टूबर 2015) कि भूमि मालिकों को भुगतान पूरा नहीं होने के कारण मुख्य नहर का कार्य शुरू नहीं किया जा सका। विभाग ने यह भी बताया कि सार्वजनिक बाधा उत्पन्न होने के कारण नहर नेटवर्क का निर्माण कार्य बाधित रहा एवं इस प्रकार कैरियर नहर के माध्यम से भी सिंचाई उपलब्ध नहीं कराया जा सका। प्रभावित क्षेत्रों में सिंचाई उपलब्ध कराने हेतु लिपट सिंचाई के माध्यम से एक नई योजना प्रक्रियाधीन था।

यांत्रिक कार्य अपूर्ण

पुनर्पुन बराज पर गेट लगाने, स्टाप लॉग, क्रेनस एवं अन्य संबंद्ध कार्य हेतु एक एजेन्सी को जनवरी 2011 में ₹14.35 करोड़ की एकरारित राशि पर आवंटित किया गया। कार्य को जनवरी 2012 तक पूर्ण करना था।

असैनिक कार्य नहीं होने के कारण बराज पर गेट की स्थापना नहीं हो सका।

अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि जून 2014 तक का समय विस्तार देने के बावजूद, ₹13.07 करोड़ व्यय करने के बाद 95 प्रतिशत यांत्रिक कार्य एवं 70 प्रतिशत स्वचालन का कार्य ही मार्च 2015 तक पूर्ण हो सका। वर्ष 2013–14 से कार्य को संबंधित असैनिक कार्य अपूर्ण रहने, भू-अर्जन समस्या एवं पुर्नवास कार्य नहीं होने के कारण पूर्णरूपेण बन्द कर दिया गया था तथा मुख्य अभियंता, यांत्रिक पटना ने आगे जून 2015 तक का समय विस्तार के लिए अभियंता प्रमुख को प्रस्ताव अग्रसारित किया (जुलाई 2014)। यद्यपि एजेन्सी द्वारा बराज गेट का निर्माण कार्य पूरा कर दिया गया था (दिसम्बर 2012) परन्तु असैनिक कार्य अपूर्ण रहने के कारण मार्च 2015 तक स्थापना एवं स्वचालन कार्य लंबित था।



पुनर्पुन बराज का अधूरा स्थापना कार्य

² एकरारनामा सं.: 5 एफ₂/2008-09, 6 एफ₂/2008-09, 7 एफ₂/2008-09 एवं 1 एफ₂/2009-10

³ एकरारनामा सं.: 5 एफ₂/2008-09 एवं 7 एफ₂/2008-09

विभाग ने बताया (अक्टूबर 2015) कि गेट का निर्माण कार्य पूरा हो गया था परन्तु योजना हेतु भूमि अधिग्रहण का भुगतान नहीं होने एवं सार्वजनिक बाधा उत्पन्न होने के कारण गेट का अधिष्ठापन कार्य नहीं हो सका था।

मोबीलाईजेशन अग्रिम एवं ब्याज की कम वसूली

मोबीलाईजेशन अग्रिम की कम वसूली ₹7.14 करोड़ एवं उसपर देय ब्याज की कम वसूली ₹6.41 करोड़

नमूना जाँचित 11 प्रमंडलों में से एक प्रमंडल, पुनपुन बराज प्रमंडल संख्या-1 गोह, औरंगाबाद के अभिलेखों के समीक्षा में पाया गया कि दो एकरारनामा के विरुद्ध ₹13.74 करोड़ मोबीलाईजेशन अग्रिम (एम.ए) एजेन्सी को दी गई थी जिसमें से जून 2015 तक ₹7.14 करोड़ की वसूली नहीं की गई थी। आगे, एम.ए. पर ब्याज की वसूली प्रमंडल द्वारा गणना की गलत तरीका अपना कर की गई थी। इसके परिणामस्वरूप एम.ए. ₹6.41 करोड़ ब्याज की कम वसूली हुई (परिशिष्ट 2.3.3)।

विभाग ने अपने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2015) शेष राशि की वसूली की जाएगी।

2.3.9.3 पूर्वी कोशी नहर परियोजना

पूर्वी कोशी नहर नेपाल के भीमनगर में अवस्थित कोशी बराज के पूर्वी भाग से निकली है। परियोजना बिहार के सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया एवं कटिहार जिले में अवस्थित है। इस नहर परियोजना का सी.सी.ए. 6.12 लाख है था और योजना पूरी होने के बाद वार्षिक सिंचाई क्षमता 7.075 लाख है बहाल करना था। इनमें से मार्च 2015 तक 6.750 लाख है सिंचाई क्षमता बहाल हो चुकी थी। मार्च 2015 तक कुल ₹567.55 करोड़ के बावजूद भी मुख्य/शाखा नहर/वितरणियाँ/जलमार्ग का विस्तारीकरण, नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण का कार्य 94 प्रतिशत पूर्ण किया गया था जबकि लक्षित 13490 संरचनाओं में से केवल 7201 (53 प्रतिशत) संरचना का कार्य ही पूरा हुआ था। परियोजना पूर्ण करने का विस्तारित अवधि मार्च 2016 थी। मुख्य निष्कर्ष पर आगे की कंडिकाओं में चर्चा की गई है:

स्वीकृति के बिना भुगतान

बिहार लोक निर्माण विभाग (बी.पी.डब्ल्यू.डी.) संहिता के नियम 182ए के अनुसार मात्रा विपत्र (बी.ओ.क्यू.) के बाहर कार्यमद को अतिरिक्त मद मानना चाहिए एवं सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही अतिरिक्त मद का भुगतान किया जाना चाहिए। यह भुगतान अनुपूरक एकरारनामा कार्यान्वित करने के बाद ही करना चाहिए।

पूर्वी कोशी नहर परियोजना से संबंधित दो मुख्य अभियंताओं के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि विभिन्न कार्यमद की मात्रा में बहुत अधिक भिन्नता थी और यह भिन्नता बीरपुर क्षेत्र में 26 से 2448 प्रतिशत के बीच एवं पूर्णियाँ क्षेत्र में 26 से 12296 प्रतिशत की बीच था। मात्रा की भिन्नता की लागत दोनों क्षेत्र में कुल ₹105.60 करोड़ थी।

आगे, नमूना जाँचित 11 प्रमंडल में से चार⁴ के अभिलेखों के जाँच में पाया गया कि विभिन्न कार्यमद की मात्रा में बहुत अधिक भिन्नता थी और यह भिन्नता सक्षम पदाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किये 17 से 2500 प्रतिशत अधिक कार्य कराया गया एवं कुल ₹16.30 करोड़ का भुगतान किया गया। यद्यपि विभाग द्वारा सितम्बर 2014 में बढ़ी हुई/अतिरिक्त कार्यमद की मात्रा का अनुमोदन कर दिया गया था। इस प्रकार, पूर्णियाँ क्षेत्र के दो प्रमंडल द्वारा बढ़ी हुई/अतिरिक्त कार्यमद का भुगतान अनधिकृत रूप से किया गया था। लेखापरीक्षा निष्कर्षों को पूर्णियाँ क्षेत्र के कार्यपालक अभियंता द्वारा स्वीकार किया गया था।

बढ़ी हुई/अतिरिक्त सामग्री की मात्रा के लिए बिना पूर्व स्वीकृति के ही ₹16.30 करोड़ का भुगतान कर दिया गया था।

⁴ सिंचाई प्रमंडल अररिया, बीरपुर, मुरलीगंज तथा मुख्य कार्य प्रमंडल बीरपुर

विभाग ने अपने उत्तर में कहा (अक्टूबर 2015) कि कार्य के निष्पादन के दौरान स्थल की स्थिति एवं कार्यहीत में सक्षम पदाधिकारी के द्वारा दी गई निर्देशों के अनुसार सभी बढ़ी हुई/नये कार्य कराये गये थे एवं विभाग द्वारा सितम्बर 2014 में बढ़ी हुई कार्यमद को अनुमोदन कर दिया गया था। हाँलांकि मुख्य अभियंता पूर्णियाँ द्वारा दोषपूर्ण प्राक्कलन तैयार करने के लिए जिम्मेदार अभियंताओं के विरुद्ध आरोप तय करने को निर्देश दिये गये थे।

सरकार को हानि

(अ) नमूना जाँचित 11 प्रमंडलों में से तीन⁵ के अभिलेखों के जाँच में प्रकटित हुआ कि विपत्र मूल्य से रॉयल्टी कटौती की गलत प्रणाली के परिणामस्वरूप रॉयल्टी की कम वसूली एवं सरकार को हानि हुई जिसकी चर्चा आगे की कंडिकाओं में की गई है:

मानक निविदा दस्तावेज (एस.बी.डी.) एवं संविदा के सामान्य शर्तों के अनुसार, यदि कार्य (या दरों की अनुसूची) की स्वीकृत प्राक्कलन में कराए गए कार्य के भुगतान हेतु कम या अधिक प्रतिशत अंकित हो तो कराये गये कार्य की विपत्र के सकल राशि पर अंकित प्रतिशत लगाते हुए गणना करना चाहिए न कि किये गये कार्य के विपत्र के शुद्ध राशि पर।

नमूना जाँचित 11 प्रमंडलों में से तीन⁶ प्रमंडलों के अभिलेखों के समीक्षा में पाया गया कि पूर्वी कोशी नहर प्रणाली के विस्तारीकरण, नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्य से संबंधित दो कार्यों हेतु दो अलग एजेन्सी को क्रमशः ₹322.91 करोड़ (15 प्रतिशत कम) एवं ₹225.27 करोड़ (11.30 प्रतिशत कम) के एकरानामा मूल्य पर कार्य प्रदान किया गया (मार्च 2010)। चलतं लेखा विपत्र के कार्य मूल्य के गणना करते समय कराए गए कार्य मूल्य में से रॉयल्टी की राशि घटाने के बाद 15 प्रतिशत / 11.30 प्रतिशत घटाया गया एवं पुनः रॉयल्टी की राशि को जोड़ते हुए चलतं लेखा विपत्र के शुद्ध मूल्य का गणना किया गया। एस.बी.डी. के नियमों के विरुद्ध प्रमंडल द्वारा विपत्र राशि की दोषपूर्ण तरीके से गणना करने के कारण सरकार को ₹4.15 करोड़ (**परिशिष्ट-2.3.4**) का अधिक भुगतान संवेदक को करना पड़ा।

विभाग ने जवाब दिया (अक्टूबर 2015) कि अनुसूचित दर में रॉयल्टी की राशि शामिल करते हुए बीओक्यू का दर निकाला गया था और इसे सभी निविदाकर्ता जानते थे। निविदाकर्ताओं से यह आशा कि गई थी कि रॉयल्टी की राशि को छोड़ते हुए बीओक्यू पर अधिक या कम दर अंकित करे। वित्त विभाग, बिहार सरकार के सुझाव पर जल संसाधन विभाग के पत्र संख्या दिनांक 13/6/2011 द्वारा रॉयल्टी की कटौती के मानक निर्धारित किये गये थे। जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि बीओक्यू से अधिक दर के मामले में रॉयल्टी कटौती का यह मानक दूसरे प्रमंडलों द्वारा अंगीकृत नहीं किया गया था।

(ब) खान एवं भू-तत्व विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी (जनवरी 2012) अधिसूचना के अनुसार मिट्टी पर रॉयल्टी की दर ₹15 प्रति घनमीटर (घ.मी.) से संशोधित करते हुए ₹22 प्रति घ.मी. कर दिया गया था। संशोधित दर राजपत्र अधिसूचना जारी होने की तिथि से लागू थे।

पूर्वी कोशी नहर परियोजना के नमूना जाँचित 11 प्रमण्डलों में से दो⁷ प्रमण्डल के जाँच में यह पाया गया कि मिट्टी हेतु रॉयल्टी ₹22 प्रति घ.मी. के स्थान पर ₹15 प्रति घ.मी. के दर से काटा गया था। चूंकि दोनों अभिकरणों द्वारा 27.41 लाख घ.मी.

⁵ सिंचाई प्रमण्डल अररिया, बीरपुर तथा मुरलीगंज

⁶ सिंचाई प्रमण्डल अररिया, बीरपुर तथा मुरलीगंज

⁷ सिंचाई प्रमण्डल बीरपुर एवं मुरलीगंज

मिट्टी कार्य किये गये थे, जिसके फलस्वरूप मार्च 2015 तक ₹1.92 करोड़ रॉयल्टी का कम कटौती हुई (परिशिष्ट 2.3.5)।

विभाग ने जवाब दिया (अक्टूबर 2015) कि रॉयल्टी/कर की कटौती एकरारनामा के विशेष संविदा शर्तों के कंडिका 2 के अनुसार किया जाना था। ऐसे किसी भी विशिष्ट उदाहरण जो सरकार को हानि को संदर्भित किया गया हो विभाग द्वारा देखा जायेगा।

ब्याज की कम वसूली

ई.आर.एम. परियोजना के नमूना जाँचित 11 प्रमण्डलों में से एक प्रमण्डल (सिंचाई प्रमण्डल, अररिया) में पाया गया कि ई.आर.एम. कार्य के विरुद्ध अभिकरण को ₹16 करोड़ एम.ए. दिया गया (मार्च 2010)। आगे यह पाया गया कि मार्च 2015 तक एम.ए. पर अर्जित कुल ब्याज ₹2.74 करोड़ के विरुद्ध केवल ₹1.73 करोड़ ब्याज की वसूली की गई थी। इस प्रकार ₹1.01 करोड़ ब्याज की वसूली नहीं किया गया था। यद्यपि एम.ए. की पूर्ण वसूली हो चुकी थी।

विभाग ने जवाब दिया (अक्टूबर 2015) कि एस.बी.डी. के नॉर्म के अनुसार वसूली किया जाना था। ₹16 करोड़ एम.ए. की राशि वसूली जा चुकी है जबकि ₹1.01 करोड़ ब्याज की राशि वसूला जाना अभी शेष है जो अगले विपत्र से वसूली की जायेगी।

2.3.9.4 पश्चिमी कोसी नहर परियोजना

पश्चिमी कोसी नहर परियोजना, नेपाल के भीमनगर में अवस्थित कोसी बराज के पश्चिमी भाग से शुरू होती है एवं 91.82 कि.मी. लम्बे मुख्य नहर में 35.13 कि.मी. नेपाल भू-भाग में तथा 56.69 कि.मी. भारत भू-भाग में अवस्थित है। यह परियोजना सुपौल, मध्युबन्ही, दरभंगा एवं समस्तीपुर जिलों में अवस्थित है और 2.033 लाख हे. सी.सी.ए. सिंचाई के लिए नहर प्रणाली के निर्माण का परिकल्पना करती है। परियोजना पूर्ण होने के उपरांत 2.348 लाख हे. सिंचाई क्षमता सृजित करेगा। यह परियोजना जून 2015 तक पूर्ण नहीं हुआ था क्योंकि समग्र रूप से 12 प्रतिशत वितरणियों/लघु/जलवाहा अभी तक पूर्ण होना शेष था, यद्यपि परियोजना के पूर्ण होने की बढ़ी तिथि मार्च 2012 था। हाँलांकि, विभाग द्वारा इस परियोजना को जूलाई 2013 में पूर्ण घोषित कर दिया गया यद्यपि मार्च 2015 तक सी.डब्ल्यू.सी. द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया गया था। परियोजना का मूल एवं अंतिम पुनरक्षित प्राक्कलन क्रमशः ₹326.61 करोड़ एवं ₹1307.21 करोड़ था, जबकि जूलाई 2013 तक व्यय ₹1207.90 करोड़ था। इस प्रकार, मार्च 2015 तक लागत वृद्धि ₹881.29 करोड़ था। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों की अगले कंडिकाओं में चर्चा की गई है:

भूमि के उपलब्धता नहीं होने के कारण कार्य शुरू नहीं किये जा सके

भूमि के उपलब्धता के बिना एकरारनामे किये जाने के फलस्वरूप कार्य शुरू नहीं किये जा सके

मुख्य अभियंता दरभंगा, के अभिलेखों के जाँच में पाया गया कि, मुख्य अभियंता दरभंगा अन्तर्गत पश्चिमी कोसी नहर (प.को.न.) परियोजना के 48 कार्यों हेतु कुल ₹140.63 करोड़⁸ के एकरारनामे किये गये। इन कार्यों का कार्यान्वयन आवश्यक भूमि को कब्जा में नहीं किए जाने, चार्ट भूमि के अनुपलब्धता एवं विशेष भू-अर्जन पदा। द्वारा अधिप्राप्त भूमि के विरुद्ध किसानों को भुगतान नहीं करने के कारण बुरी तरह प्रभावित एवं विलंब हुआ। परिणामस्वरूप अक्टूबर 2013 तक कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सका तथा उन एकरारनामों को बंद होने के समय तक 75.58 लाख घनमीटर मिट्टी कार्य (मुख्य/शाखा नहर, वितरणियों/उप वितरणियों/लघु नहरें एवं जलवाहा), 56480 वर्ग

⁸ 13 एस.बी.डी. एकरारनामों का एकरारनामा मूल्य: ₹ 121.57 करोड़; 35 एफ₂ एकरारनामों का एकरारनामा मूल्य: ₹ 19.06 करोड़

मी. लाईनिंग, 2300 रेगुलेटर, 63 फॉल, 254 सीडी, 426 पुलिया और तीन जल निकास चैनल पूर्ण नहीं हुए थे।

इसी दौरान प.को.न. परियोजना को ए.आई.वी.पी. के वित्तीय सहायता से अलग करने हेतु अभियंता प्रमुख ज.सं.वि. ने मुख्य अभियंता, दरभंगा को 48 चालू एकरारनामें को बंद करवाने हेतु सभी एकरारनामें को समय विस्तार स्वीकृत करने एवं अवशेष कार्य हेतु नया प्राक्कलन तैयार करने हेतु निदेश दिया (अक्टूबर 2013)। उन्होंने अवशेष कार्य हेतु निविदा आमंत्रित करने हेतु भी निर्देशित किया। हाँलांकि परियोजना पूर्णता: प्रतिवेदन विभाग द्वारा के.ज.ओ. को जुलाई 2013 में समर्पित किये गये किन्तु के.ज.आ./जल संसाधन मंत्रालय द्वारा अभी तक अनुमोदित होना शेष था। परिणामतः किसी भी नये प्रस्तावित परियोजना को ए.आई.बी.पी. के तहत केन्द्रीय वित्तीय सहायता नहीं मिला। इस प्रकार, प.की.न. परियोजना का भौतिक प्रगति स्थिर रहा जबकि वर्ष 2010–13 के दौरान ₹52.19 करोड़ व्यय के बावजूद वितरणियों के निर्माण में सिर्फ एक प्रतिशत का बढ़ोत्तरी रहा।

विभाग ने जवाब दिया (अक्टूबर 2015) कि प.के.न.परियोजना, ए.आई.बी.पी. से विभाग द्वारा अलग किया गया क्योंकि यह परियोजना कमोवश पूर्ण था। यह समझा गया कि इसे ए.आई.बी.पी. से अलग करना श्रेष्ठ होगा और इसे राज्य के अपने निधि से पूरी की जाये तथा इसके स्थान पर दूसरी नई परियोजना, ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत के.सहा. हेतु प्रस्तावित की जा सके। हाँलांकि ज.सं.म. के दिशानिर्देश जो 2013 में निर्गत की गई थी के अनुसार राज्य के कोई भी परियोजना ए.आई.वी.पी. में शामिल होने हेतु अर्हत्ता प्राप्त नहीं कर सका। ए.आई.बी.पी. से इस परियोजना को अलग करने के बाद बिहार सरकार ने इस परियोजना को राज्य के निधि से पूर्ण कराने का निर्णय लिया जिसके लिए ₹179.20 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

अनुशंसा – विभाग को राशि की संस्कृति करते समय कोडल प्रावधानों/सरकार के निर्देशों को सुनिश्चित करना चाहिए।

2.3.9.5 कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन (जल प्रबंधन) कार्यक्रम का कार्यान्वयन

जल प्रबंधन कार्यक्रम समग्र रूप से लागू किया जाना था जिससे कि यह कार्यक्रम न केवल जल उपयोग क्षमता में सुधार करे बल्कि कृषि उत्पादकता एवं उत्पादन में बढ़ोत्तरी हो सके तथा एक भागीदारी माहौल में सिंचित कृषि के क्षेत्र में स्थिरता लाये। बिहार में वर्ष 2010–11 के दौरान सात जल प्रबंधन कार्यक्रमों यथा गंडक, सोन, कोसी, उत्तर कोयल, चांदन, बदवा और किउल परियोजना ए.आई.बी.पी. योजनान्तर्गत शामिल किये गये। गंडक जल प्रबंधन के नमूना जाँच में निम्न कमियाँ पायी गई:

जल उपभोक्ता संघों का गठन नहीं (ज.उ.सं.)

कार्यान्वयन के अंतर्गत फार्म विकास गतिविधियों (ओ.एफ.डी.) को शुरू करने से पहले जल उपभोक्ता संघ (ज.उ.सं.) का गठन करना है। ओ.एफ.डी. का कार्यान्वयन ज.उ.सं. के सक्रिय सहभागिता के साथ अवश्य प्रारंभ होने चाहिए एवं पूर्ण होने के उपरांत उन्हे सौंप देना चाहिए। ओ.एफ.डी. कार्य के पूर्ण होने के उपरांत और सभी जल निकास पूरे होने पर भविष्य में रख रखाव के लिए लघु वितरक समितियाँ एवं विभाग के बीच एक समझौता होना चाहिए। कुल लागत का कम से कम 10 प्रतिशत योगदान लाभार्थियों से ओ.एफ.डी. कार्य के निष्पादन हेतु अनिवार्य है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कमान क्षेत्र में एक भी ज.उ.सं. का गठन नहीं किया गया था। यह भी पाया गया कि उन लाभार्थियों से 10 प्रतिशत योगदान कभी नहीं वसूली गई थी। इस प्रकार, पंजीकृत ज.उ.सं. के अभाव में तथा लाभार्थियों द्वारा कुल लागत

मूल्य का 10 प्रतिशत योगदान देने में विफलता के फलस्वरूप अपंजीकृत लाभार्थियों के समुह के साथ समझौता क्षेत्र चैनलों के रख रखाव को सुनिश्चित नहीं कर सका।

विभाग ने जवाब दिया (अक्टूबर 2015) कि सहभागितापूर्ण सिंचाई प्रबंधन के कार्य को शुरू करने के लिए पहले ग्राम/योजना स्तर पर तदर्थ समितियाँ बनाई गई। जल संसाधन विभाग, बिहार के अन्तर्गत 53 वितरणियों/उपवितरणियों/जलवाहो को निबंधित ज.उ.सं. को ज.सं.बि., बिहार एवं संबंधित ज.उ.सं. के बीच समझौता पर हस्ताक्षर होने के उपरांत हस्तांतरित किया गया है एवं 28 वितरणियों का हस्तांतरण प्रक्रियाधीन है।

जवाब मान्य नहीं था क्योंकि मार्च 2015 तक केवल एक पंजीकृत ज.अ.सं. गाड़ा के अन्तर्गत अस्तित्व में था।

खाद्यान्न उत्पादन में कमी

जल प्रबंधन परियोजना पर ₹64.87 करोड़ व्यय के बावजूद खाद्यान्न उत्पादन में कमी हुई।

कृषि विभाग से प्राप्त खाद्यान्न उत्पादन के आँकड़ों की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2011–14 के दौरान धान 21.41 से 16.56 लाख टन, मक्का 3.61 से 2.72 लाख टन, गेहूँ 22.39 से 22.13 लाख टन प्रति हजार हेक्टर उत्पादकता में कमी हुआ तथा तेलहन के उत्पादन में 70980 से 31627 हजार टन प्रति है कमी हुई। इस प्रकार, वर्ष 2010–15 के दौरान ₹64.87 करोड़ व्यय के बावजूद कमान क्षेत्र विकास योजना उत्पादकता को बढ़ाने में विफल रहा।

विभाग ने जवाब दिया (अक्टूबर 2015) कि कृषि उत्पादन कई कारकों जैसे बोआई के तरीके, सही एवं गुणवत्तापूर्ण बीज एवं खाद की उपयोग, खेती के तरीके एवं इसके अतिरिक्त उचित एवं समयनुसार सिंचाई पर निर्भर करता है। कमान क्षेत्र विकास नहर से सिंचाई करने का प्रचुर साधन मुहैया कराता है।

जवाब परियोजना के उद्देश्य के अनुरूप नहीं था क्योंकि नहर के जल से सिंचाई के लिए उपयोग में हुई बढ़ोतरी खाद्यान्न उत्पादन को सिद्ध नहीं करती है जिसमें वर्ष 2011–14 में लगातार कमी हुई।

जल जमाव क्षेत्रों के सुधार का अकार्यान्वयन नहीं एवं निधि का विचलन

सिंचाई परियोजना के कमान क्षेत्र में जलजमाव से मृदा के स्वास्थ्य पर असर पड़ा एवं कृषि उत्पादन में कमी आई। सिंचाई परियोजना के कमान क्षेत्र, रोकथाम एवं सुधारात्मक उपाय हेतु आयोजना एवं डिजाईन जैसे भूमि प्रबंधन जल निकास इत्यादि का निर्धारण जल प्रबंधन प्रोग्रामों के अवयवों के अन्तर्गत किये जाने थे।

अभिलेखों के लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2011–12 के दौरान 9087 हेठो जल जमाव क्षेत्र के सुधार हेतु एक परियोजना तैयार किया गया था एवं जल प्रबंधन, ज.सं.मं., भारत सरकार को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया। हाँलांकि दो वर्ष के बाद परियोजना का प्रस्ताव आवश्यक सुधार एवं प्रभावी अनुसूचित दर के अनुसार प्राक्कलन तैयार करने हेतु वापस कर दिया गया। अप्रैल 2015 तक यह परियोजना प्रारंभ नहीं हुआ। इसी दौरान जल विकास क्षेत्र निदेशालय, बिहार सरकार ने कार्य मद अन्तर्गत पक्का क्षेत्र चैनल के निर्माण हेतु ₹7.64 करोड़ की राशि उपयोग करने के लिए निर्देशित किया (अप्रैल 2015)। इस प्रकार जल जमाव क्षेत्र के सुधार का कार्यान्वयन वर्ष 2011–15 के दौरान नहीं हो सका एवं ₹7.64 करोड़ का विचलन पक्का क्षेत्र चैनलों के निर्माण हेतु किया गया।

विभाग ने जवाब दिया (अक्टूबर 2015) कि के.ज.आ., पटना ने अक्टूबर 2014 में सूचित किया कि जल जमाव क्षेत्र के सुधार से संबंधित योजनाएं “चौर” कृषि कमान क्षेत्र के भाग नहीं थे। वृहत बाढ़ नियंत्रण योजनाएं ऐसे क्षेत्रों के सुरक्षा हेतु आवश्यक थे जो जल प्रबंधन योजनाओं के क्षेत्र के बाहर थे। ₹7.64 करोड़ अव्यवहृत राशि के उपयोग

करने के उद्देश्य से पक्का क्षेत्र चैनलों के कार्यान्वयन में इस राशि को उपयोग करने का निर्णय लिया गया था जो जल प्रबंधन योजनाओं के अन्तर्गत एक कार्य अवयव था। जवाब मान्य नहीं था क्योंकि निधि के विचलन हेतु आवश्यक अनुमोदन सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त नहीं किया गया था।

अनुशंसा : विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक परियोजना के लिए जल उपभोक्ता संगठन का गठन किया गया है एवं लाभार्थियों से आवश्यक अंशदान वसूला गया है।

2.3.10 कार्यान्वयन में कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं किया गया

ए.आई.बी.पी. के दिशानिर्देशों के अनुसार यह जरूरी था कि राज्य सरकार को सभी कार्यों के लिए उपभोग में आने वाले कार्य सामग्रियों एवं कार्य प्रणाली में विशिष्ट गुणवत्ता की जाँच अभिप्रामाणित कर निर्धारित समय में कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। इस संबंध में मुख्य अभियंता द्वारा फरवरी 2010 में एक आदेश निर्गत किया गया था कि गुण नियंत्रण अनुसंधान खगौल, पटना से गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरांत ही संवेदकों को भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

ग्यारह प्रमंडलों में से तीन⁹ प्रमंडलों के अभिलेखों की जाँच के क्रम में पाया गया कि कार्यों के कार्यान्वयन के दौरान गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की गयी थी। जबकि संवेदकों को ₹151.21 करोड़ का भुगतान बिना गुण नियंत्रण प्रतिवेदन प्राप्त किए किया गया। केवल चार प्रमंडलों द्वारा वर्ष 2010–15 में ₹5.26 करोड़ (**परिशिष्ट 2.3.6**) का भुगतान रोक कर रखा गया जो कुल बिल का पाँच प्रतिशत था।

विभाग द्वारा जवाब दिया (अक्टूबर 2015) गया कि विभाग में कार्यबलों की कमी के कारण जाँच प्रतिवेदन जमा नहीं किया जा सका। चूंकि कार्य की प्रगति तथा राशि की आपूर्ति बनाये रखना, प्राथमिकता थी, बिल का भुगतान कुछ राशि का रोक कर, की गई थी। प्रतिकूल गुण प्रतिवेदन की स्थिति में किये गये कार्य में सुधार/विघटन तथा यहाँ तक की भुगतान की गई राशि की वसूली की जानी थी। इस संबंध में विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि ए.आई.बी.पी के दिशा निर्देश एवं विभाग के निर्देशों के अनुसार कार्यादेश के प्रावधान के अनुसार गुणवत्ता रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही भुगतान किया जाना था एवं पाँच प्रतिशत राशि को रोकर भुगतान करना दिशा-निर्देशों/निर्देश में निर्दिष्ट नहीं था।

2.3.11 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

ए.आई.बी.पी. के दिशा-निर्देश द्विस्तरीय विस्तृत कार्य संचालन की प्रक्रिया पर विचार करता है, पहला राज्य स्तर पर तथा दूसरा योजना स्तर पर, जिसकी बैठक तिमाही तथा मासिक होनी चाहिए। योजनाओं की भौतिक प्रगति की समीक्षा के लिए गठित समिति के सदस्यों द्वारा वर्ष में कम से कम दो बार योजना स्थल का निरीक्षण करना चाहिए। वर्ष में एक बार केन्द्रीय जल आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा सभी बृहत् एवं मध्यम योजना का, जहाँ निधि का आंवटन किया गया, अनुश्रवण किया जाना था। भारत सरकार द्वारा निर्गत संशोधित दिशा-निर्देश, अक्टूबर 2013 के अनुसार निधि के आवंटन के दौरान राज्य सरकार द्वारा परियोजना का सापेक्ष मूल्यांकन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में किया जाना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा में पता चला कि प्रत्येक महीने ए.आई.बी.पी के परियोजनाओं की प्रगति के अनुश्रवण हेतु सचिव के अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अनुश्रवण बैठक आयोजित की गई। पुनर्पुन एवं दुर्गावती परियोजना के सापेक्ष मूल्यांकन ज.सं.वि. के सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता के द्वारा सितम्बर 2014 में किये गये। हाँलांकि के.ज.आ. द्वारा प्रतिवेदन

⁹ सिंचाई प्रमंडल अस्सिया, मुरलीगंज तथा मुख्य मुख्य कार्य प्रमंडल, बीरपुर

गुण नियंत्रण प्रतिवेदन प्राप्त किया गया बिना एजेन्टी को ₹151.21 करोड़ का भुगतान किया गया

किसी भी परियोजना के लिए स्वतंत्र संस्था से समसामयिक मूल्यांकन नहीं कराया गया यद्यपि कि मार्गदर्शिका के अनुसार यह आवश्यक था।

स्वीकार नहीं किये गये एवं विभाग को किसी स्वतंत्र अभिकरण से इसे कराने के लिए निर्देशित किया। नवम्बर 2014 में विभाग ने एन.आई.टी. पटना से मूल्यांकन कराने का निर्णय लिया लेकिन जून 2015 तक एन.आई.टी. द्वारा अध्ययन प्रारंभ नहीं किया था, यद्यपि नवम्बर 2014 में ₹ 2.34 लाख की राशि दी गई थी।

आगे, प्रस्ताव को ज.स.म. भारत सरकार को अग्रसारित करने से पूर्व पाँच मे से चार परियोजना का वर्ष में एक बार के.जे.आ. द्वारा अनुश्रवण निरीक्षण किया गया। विभाग नें भी अनुश्रवण निरीक्षण प्रतिवेदन पर आधारित अनुवर्ती प्रतिवेदन के.ज.आ. को प्रस्तुत किया।

विभाग नें जवाब दिया (अक्टूबर 2015) कि परियोजना स्तरीय अनुश्रवण संबंधित मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता द्वारा किया गया। एन.आई.टी., पटना द्वारा वर्ष 2014–15 के लिए समकालीन मूल्यांकन कार्य किया गया था एवं प्रतिवेदन बहुत जल्द समर्पित किया जायेगा।

अनुशंसा: स्वतंत्र निकाय द्वारा चालू परियोजनाएँ के लिए समकालीन मूल्यांकन कराये जाने चाहिए।

2.3.12 निष्कर्ष

- वर्ष 2010–15 के दौरान विभाग/परियोजना प्राधिकारों द्वारा इंगित निधि को खर्च करने एवं दावा को ससमय प्रस्तुत करने में विफलता के कारण भारत सरकार से केवल सात प्रतिशत वित्तीय सहायता प्राप्त हुआ था।
- भूमि की अधिप्राप्ति, वन स्वच्छता एवं पुनःस्थापना व पुनर्वास गतिविधियों से वाकिफ होने में विफलता के कारण दुर्गावती जलाशय, पुनपुन बराज, पश्चिमी कोसी एवं पूर्वी कोसी नहर परियोजनाएँ पूर्ण नहीं हुई। इस विलंब के कारण परियोजनाओं के लागत में वृद्धि भी हुई।
- मार्च 2015 तक चार चयनित परियोजनाओं में 9,56,820 हे. लक्ष्य के विरुद्ध केवल 8,32,580 हे. सिंचाई क्षमता का सृजन/पुनःस्थापना हुआ। पुनपुन बराज परियोजना जो वर्ष 2007–08 में ए.आई.बी.पी. में सम्मिलित किया था, में मार्च 2015 तक अधूरे कार्य के कारण कोई सिंचाई क्षमता का सृजन नहीं हुआ।
- महत्वपूर्ण सुरक्षात्मक उपायों को संशोधित प्राक्कलन में सम्मिलित नहीं होने एवं भूमि के उपलब्धता के बिना एकरारनामा का कार्यान्वयन, कार्य के प्रगति को प्रभावित किया।
- प्रत्येक परियोजना में जल उपभोक्ता संघो का गठन नहीं किया गया था एवं नमूना जाँचित परियोजना में लाभार्थियों से अंशदान नहीं वसूला गया था।
- किसी भी परियोजना में स्वतंत्र अभिकरण से समकालीन मूल्यांकन नहीं कराया गया था यद्यपि दिशा-निर्देश के अन्तर्गत यह आवश्यक था।

सामान्य प्रशासन विभाग

2.4 "बिहार लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन" की विषयगत लेखापरीक्षा

2.4.1 परिचय

बिहार सरकार ने राज्य में चल रहे सरकार के प्रशासनिक सुधारों के क्रम में उत्तरदायित्व और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से 15 अगस्त 2011 से बिहार लोक सेवा का अधिकार (आर.टी.पी.एस.) अधिनियम को लागू किया। इस अधिनियम के अंतर्गत आम नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाओं को शामिल किया गया था और इन्हें निर्धारित समय के अंतर्गत प्रदान किया जाना अपेक्षित था। अधिनियम में अपील और सेवाओं के प्रदान किए जाने में किसी भी देरी के लिए जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए प्रावधान थे। सभी प्रकार के आवेदनों के लिए संबंधित अधिकारियों को आवेदकों के लिए पावती निर्गत करना अनिवार्य था। आगे, इस अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के क्रम में राज्य सरकार ने बिहार लोक सेवा के अधिकार नियमावली, 2011 को लागू (मई 2011) किया था।


आर.टी.पी.एस. अधिनियम नौ विभागों यथा वाणिज्यिक कर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, सामान्य प्रशासन, गृह, शिक्षा, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध, राजस्व एवं भूमि सुधार, समाज कल्याण और परिवहन से संबंधित 51 अधिसूचित सेवाओं (मई 2011) के लिए लागू किया जा रहा था। अधिनियम के अंतर्गत 51 अधिसूचित सेवाओं जिनमें प्रमुख सेवाएं अर्थात् जाति, आय, आवासीय, चरित्र प्रमाण—पत्र, सामाजिक सुरक्षा पैशन, दाखिल—खारिज, भूमि धारण प्रमाण—पत्र और पंजीकरण सेवाएं आदि थे (**परिशिष्ट-2.4.1**)। अधिनियम के अंतर्गत, नाम—निर्दिष्ट लोकसेवकों को निर्धारित अवधि के अंतर्गत सेवाएं प्रदान करने के लिए जवाबदेह बनाया गया था और सेवाओं की देरी/इंकार के मामलों में अपीलीय और समीक्षा अधिकारी निर्दिष्ट समयावधि के अंतर्गत शिकायत निवारण के लिए उत्तरदायी होंगे।

सामान्य प्रशासन विभाग (सा.प्र.वि.), बिहार सरकार (बि.स.) राज्य में आर.टी.पी.एस. अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी थे।

2.4.2 संगठनात्मक संरचना

बिहार सरकार (बि.स.) द्वारा राज्य के नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए और व्यापक प्रशासनिक सुधार कार्यक्रम पर अमल करने के लिए बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी (बी.पी.एस.एम.एस.) का गठन (नवंबर 2008) किया गया था और आर.टी.पी.एस. अधिनियम का कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण बी.पी.एस.एम.एस. द्वारा किया जा रहा था। प्रधान सचिव, सा.प्र.वि., बी.पी.एस.एम.एस. के मिशन निदेशक थे। आर.टी.पी.एस.अधिनियम की सेवाओं को सेवा केन्द्र के स्तर पर नाम—निर्दिष्ट लोक सेवकों (डी.पी.एस.) द्वारा प्रदान किया गया था। जिला स्तर पर इस अधिनियम के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण जिलाधिकारियों (डी.एम.) के नियंत्रणाधीन जिला नोडल पदाधिकारियों द्वारा किया गया था। उन्हें बी.पी.एस.एम.एस. द्वारा उपलब्ध कराये गए आई.टी. प्रबंधकों, आई.टी. सहायकों और कार्यकारी सहायकों¹ से अतिरिक्त सहायता प्राप्त हो रही थी। विभाग का संगठनात्मक ढाँचा नीचे दिया गया है:

¹ कार्यकारी सहायकों को बेसिक लेवल डाटा एंट्री कार्यों के कार्यान्वयन के लिये जिला पदाधिकारियों द्वारा नियुक्त किया गया था।



2.4.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आकलन करना था कि क्या :

- अधिनियम के तहत् सेवाओं का चयन समुचित रूप से किया गया था;
- सेवाओं को प्रदान करने के लिए पर्याप्त संस्थागत व्यवस्था उपलब्ध थे;
- अधिनियम का कार्यान्वयन प्रावधानों के अनुसार किया गया था;
- क्षमता विकास के लिए पर्याप्त प्रावधान बनाये गये थे;
- नागरिकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए आवश्यक व्यवस्था किए गए थे, और
- सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी विभागों के साथ सेवाओं के प्रदान करने और समन्वय की निगरानी के लिए तंत्र पर्याप्त थे और शिकायतों का निवारण सुनिश्चित किया गया था।

2.4.4 लेखापरीक्षा मानक

राज्य में अधिनियम के कार्यान्वयन का मूल्यांकन निम्नलिखित लेखापरीक्षा मानदंड के संदर्भ में किया गया था :

- बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम/नियमावली 2011,
- विभाग/सरकार द्वारा निर्गत प्रशासनिक आदेश/निर्देश/परिपत्र, और
- वित्त एवं लेखा मैनुअल, नवंबर 2009 (बी.पी.एस.एस. द्वारा तैयार)।

2.4.5 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं क्रियाविधि

प्रधान सचिव, सा.प्र.वि., मिशन निदेशक, बी.पी.एस.एस. के कार्यालय और नमूने के रूप में चयनित नौ जिलों² में छह विभागों द्वारा कार्यान्वित 27 सेवाओं से संबंधित वर्ष 2012–15 की अवधि के अभिलेखों का जिला/ब्लॉक स्तर पर अप्रैल से अगस्त 2015 के दौरान नमूना जाँच की गयी। जैसा कि तालिका सं. 2.4.1 में नीचे दिया गया है:

² औरंगाबाद, अरसिया, भोजपुर, पूर्वी चंपारण, जमुई, मुजफ्फरपुर, पटना, समस्तीपुर एवं वैशाली।

तालिका सं.- 2.4.1
विषयगत लेखापरीक्षा में आर.टी.पी.एस. के अंतर्गत आच्छादित सेवाओं के नाम

विभाग का नाम	सेवाओं का नाम	सेवाओं की संख्या
(1) खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण	(i) नए राशन कार्डों के आवेदनों पर निर्णय	1
(2) सामान्य प्रशासन	(i) जाति प्रमाण-पत्र का निर्गमण (सी.ओ.) (ii) जाति प्रमाण-पत्र का निर्गमण (डी.एम.) (iii) जाति प्रमाण-पत्र का निर्गमण (एस.डी.ओ.) (iv) आय प्रमाण-पत्र का निर्गमण (सी.ओ.) (v) आय प्रमाण-पत्र का निर्गमण (डी.एम.) (vi) आय प्रमाण-पत्र का निर्गमण (एस.डी.ओ.) (vii) आवासीय प्रमाण-पत्र का निर्गमण (सी.ओ.) (viii) आवासीय प्रमाण-पत्र का निर्गमण (डी.एम.) (ix) आवासीय प्रमाण-पत्र का निर्गमण (एस.डी.ओ.)	9
(3) गृह	(i) चरित्र प्रमाण-पत्र	1
(4) शिक्षा	(i) छात्रवृत्ति का वितरण (ii) डी.ई.ओ. कार्यालय से प्राप्त समेकित परिणाम एवं व्यक्तिगत अंकपत्र का प्रावधान/विद्यालयों द्वारा सम्बंधित लड़कों/लड़कियों को अंकपत्र निर्गत करना (iii) निबंधन एवं महाविद्यालय परित्याग प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन (iv) अस्थायी या मूल प्रमाण-पत्र (उच्च शिक्षा)/अंकपत्रों को सुधारने/पुनर्गणना के लिए कार्रवाई/माइग्रेशन प्रमाण-पत्र (v) विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्रों का अभिप्रापणन (vi) अंकपत्र को सुधारने/पुनर्गणना के लिए कार्रवाई तथा अनुलिपि प्रमाण पत्र निर्गत करना	6
(5) राजस्व एवं भूमि सुधार	(i) आपत्ति के साथ/आपत्ति के बिना दाखिल खारिज/अंतिम आदेश की तिथि के प्रभाव से संशोधन पर्ची का निर्गमन (ii) भूमि धारण प्रमाण-पत्र (एल.पी.सी.)	2
(6) समाज कल्याण	(i) मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (ii) पेंशन योजना (बी.एस.एस.पी.एस.) (iii) पेंशन योजना (आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस.) (iv) पेंशन योजना (आई.जी.एन.डब्ल्यू.पी.एस.) (v) पेंशन योजना (एल.बी.एस.एस.पी.एस.) (vi) पेंशन योजना (बी.डी.पी.एस.) (vii) पेंशन योजना (आई.जी.एन.डी.पी.एस.) (viii) राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना	8
कुल		27 सेवाएं

चयनित जिलों में नमूना जाँचित कार्यालयों तथा मुख्यालय स्तर के कार्यालयों के नाम **परिशिष्ट-2.4.2** में दिए गये हैं। जिलों का चयन प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू साइज विद रिप्लेसमेंट (पी.पी.एस.डब्ल्यू.आर.) विधि के माध्यम से किया गया था जबकि प्रखंड एवं अंचल कार्यालयों का चयन सिम्पल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट (एस.आर.एस.डब्ल्यू.आर.) विधि के माध्यम से किया गया था। अभिलेखों की जाँच के दौरान, लेखापरीक्षा साक्ष्य, लेखापरीक्षित इकाइयों द्वारा प्रस्तुत, लेखापरीक्षा पृच्छाओं के उत्तर दस्तावेजों की प्रतियाँ और उपलब्ध करायी गयी जानकारी के रूप में प्राप्त किया गया। लेखापरीक्षा उद्देश्य, लेखापरीक्षा मानदंड और क्रियाविधि पर चर्चा करने के लिए प्रधान सचिव, सा.प्र.वि., बि.स. के साथ एक अंतर्गमन सम्मेलन का आयोजन (मार्च 2015) किया गया था। लेखापरीक्षा के समापन पर लेखापरीक्षा अवलोकनों पर सरकार के विचारों/उत्तरों को प्राप्त करने एवं उन पर चर्चा करने के लिए एक बहिर्गमन सम्मेलन भी अक्टूबर 2015 में आयोजित किया गया था।

2.4.6 वित्तीय प्रबंधन

एक व्यापक प्रशासनिक सुधार कार्यक्रम के रूप में एवं राज्य के नागरिकों के लिए बेहतर सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बी.पी.एस.एस. का गठन बि.स. के साथ-साथ यू.के. सरकार के अंतर्राष्ट्रीय विकास (डी.एफ.आई.डी.) द्वारा वित्त संपोषित परियोजना के रूप में किया गया था। निधि के स्रोत में भारत सरकार (भा.स.), बि.स. एवं डी.एफ.आई.डी. द्वारा उपलब्ध अनुदान शामिल थे। यद्यपि, सा.प्र.वि., बि.स. ने बी.पी.एस.एम.एस. के पूर्ण संचालन के लिए ₹53.82 करोड़ की राशि प्रदान की थी (जुलाई 2014–मार्च 2015) एवं डी.एफ.आई.डी. ने £18 मिलियन (लगभग ₹144 करोड़) की राशि सितंबर 2008 से जून 2014 के दौरान उपलब्ध करायी थी, भा.स. द्वारा कोई भी राशि अब तक उपलब्ध नहीं करायी गयी थी। यद्यपि, आर.टी.पी.एस. के कार्यान्वयन के लिए कोई निधि अलग से कर्णाकित नहीं थी।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.4.7 सेवाओं का चयन

आर.टी.पी.एस. अधिनियम की धारा 3 के अनुसार, राज्य सरकार, समय—समय पर जहाँ यह अधिनियम लागू होगा, सेवाओं को अधिसूचित कर सकेगी। अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि सेवाओं का चयन संबंधित विभागों की अनुशंसाओं के आधार पर किया गया था। नौ विभागों से संबंधित 51 सेवाओं (मई 2011) का आर.टी.पी.एस. अधिनियम के अंतर्गत सा.प्र.वि. द्वारा सेवा प्रदान करने के लिए अधिसूचित किया गया था। अधिनियम के अंतर्गत सा.प्र.वि. ने दो नई सेवाओं अर्थात् राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना और मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को शामिल (अगस्त 2012) किया था तथा दो सेवाओं अर्थात् राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और शहरी क्षेत्रों में होलिंडग का निर्धारण को विलोपित किया था (दिसंबर 2013)।

संवीक्षा से पता चला कि बी.पी.एस.एम.एस. ने बि.स. के विभागों से अधिनियम के अंतर्गत शामिल किए जाने के लिए सेवाओं का नाम आमंत्रित (नवंबर 2013) किया था। तीन विभागों³ ने अपने पाँच सेवाओं यथा विकलांगता प्रमाण—पत्र को निर्गत करना, खतियान की प्रमाणित प्रति, ग्रामीण नक्शे की प्रमाणित प्रतिलिपि, भूमि के मापन/ सीमांकन और राशन कार्ड में नाम को शामिल करने एवं विलोपन को बी.पी.एस.एम.एस. को आर.टी.पी.एस. अधिनियम के अंतर्गत शामिल करने के लिए अनुरोध किया था (नवंबर 2013)। यद्यपि, इन सेवाओं को अब तक आर.टी.पी.एस. अधिनियम के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया था (सितंबर 2015)।

प्रधान सचिव, सा.प्र.वि. ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2015) कि आर.टी.पी.एस. के तहत सेवाओं को अनिवार्य या नियमित रूप से शामिल करने के लिए अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं था और सेवाओं का चयन एक नीतिगत मामला था। यद्यपि, सा.प्र.वि. द्वारा तीन विभागों के अनुरोध पर पाँच सेवाओं को आर.टी.पी.एस. अधिनियम में शामिल नहीं करने का कोई कारण नहीं बताया गया था।

अनुशंसा : सामान्य प्रशासन विभाग को आर.टी.पी.एस. के तहत सेवाओं के चयन में पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए।

2.4.8 संस्थागत व्यवस्था

अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए, समुचित संस्थागत व्यवस्था स्थापित करना चाहिए।

अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि सा.प्र.वि. ने राज्य के साथ जिला स्तर पर नोडल अधिकारियों को नामित किया था। नामनिर्दिष्ट लोक सेवक (डी.पी.एस.), अपीलीय प्राधिकारी और समीक्षा अधिकारी को अधिनियम के तहत अधिसूचित सेवाओं के लिए घोषित किया गया था और अधिनियम के सेवाओं को प्रदान करने के लिए सेवा केन्द्रों को जिला से प्रखंड स्तर तक स्थापित किया गया था।

2.4.9 अधिनियम के अंतर्गत सेवाओं को प्रदान किया जाना

आर.टी.पी.एस. अधिनियम की धारा 5(2) के अनुसार, डी.पी.एस. उपनियम –(1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर नियत समय—सीमा में सेवा उपलब्ध कराएगा या आवेदन अस्वीकृत करेगा, आवेदन की अस्वीकृति की दशा में डी.पी.एस. कारणों को लिखित में दर्ज कर उसका अभिलेख रखेगा और आवेदक को सूचित करेगा।

बी.पी.एस.एम.एस. के डेटाबेस के अनुसार, वर्ष 2012–15 के दौरान आवेदनों के निष्पादन की विभागवार स्थिति नीचे तालिका सं. 2.4.2 में दी गई है:

³ स्वास्थ्य विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग और खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग।

तालिका सं.-2.4.2

वर्ष 2012–13 से 2014–15 के दौरान आवेदनों के निष्पादन की विभागवार स्थिति

क्रम सं.	मुख्य सेवायें (विभाग)	प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या	निष्पादित आवेदनों की कुल संख्या	विर्णिदिष्ट अवधि में निष्पादित आवेदनों की संख्या	विर्णिदिष्ट अवधि में निष्पादित आवेदनों का प्रतिशत
1	बैट के अंतर्गत निबंधन (वाणिज्य कर)	71339	71215	64959	91
2	नया राशन कार्ड (खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण)	23349	23321	6212	27
3	जाति, आय एवं आवासीय प्रमाण-पत्र (सा.प्र.वि.)	60436107	60303306	52035024	86
4	चरित्र प्रमाण-पत्र (गृह)	1889939	1880608	1574314	84
5	अंक-पत्र का निर्गमन (शिक्षा)	101697	101627	91026	90
6	निबंधन एवं निबंधित दस्तावेजों का परिदान (निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध)	7558264	7557946	7358925	97
7	दाखिल खारिज एवं एल.पी.सी. ⁴ (राजस्व एवं भूमि सुधार)	6649473	6579606	4036958	61
8	सामाजिक सुरक्षा पेंशन, आर.पी.एल.वाई. ⁵ एवं एम.के.भी.वाई. ⁶ (समाज कल्याण)	4953459	4730681	2179135	46
9	डी.टी.ओ. एवं एम.भी.आई. सेवाएँ (परिवहन)	2423686	2377743	1928077	81
	कुल	84107313	83626053	69274630	83

(स्रोतः— बी.पी.एस.एम.एस. द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

उपरोक्त तालिका सं. 2.4.2 से यह स्पष्ट था कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, राजस्व एवं भूमि सुधार और समाज कल्याण विभाग के संदर्भ में समय सीमा के अंतर्गत मामलों का निष्पादन मात्र 27 से 61 प्रतिशत था। यद्यपि, नमूना जाँचित कार्यालयों में आर.टी.पी.एस. अधिनियम के कार्यान्वयन के विभाग-वार विश्लेषण से निम्नलिखित तथ्य पाये गए:

2.4.9.1 शिक्षा विभाग

आर.टी.पी.एस. के अंतर्गत शिक्षा विभाग द्वारा छात्रवृत्ति का वितरण, जिला शिक्षा पदाधिकारी से प्राप्त समेकित अंक-पत्र एवं व्यक्तिगत अंक-पत्र को उपलब्ध कराया जाना, विद्यालयों द्वारा सम्बंधित लड़के/लड़कियों को अंकपत्र का निर्गमन, निबंधन एवं महाविद्यालय परित्याग प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन, अस्थायी अथवा मूल प्रमाण पत्र (उच्च शिक्षा), अंकपत्र को सुधारने/पुनर्गणना तथा द्वितीयक प्रमाण-पत्र को निर्गत करने की कार्रवाई, विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्रों का प्रमाणन एवं अंकपत्रों को सुधारने/पुनर्गणना एवं द्वितीयक प्रमाण-पत्रों के निर्गमन कि कार्रवाई जैसे सेवाओं को प्रदान किया जाना था।

नमूना जाँचित कार्यालयों में अभिलेखों की संवीक्षा में निम्नलिखित तथ्य प्रकट हुए:

⁴ एल.पी.सी. — भूमि धारण प्रमाण-पत्र

⁵ आर.पी.एल.वाई.— राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना

⁶ एम.के.भी.वाई.— मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना

अधिसूचित सेवाओं को कार्यान्वयन नहीं किया जाना

आर.टी.पी.एस. अधिनियम की धारा 4 के अनुसार, अधिनियम की धारा 3 में अधिसूचित सेवाओं को डी.पी.एस., निर्धारित समय—सीमा के अंतर्गत सेवा प्राप्त करने हेतु पात्र व्यक्ति को सेवाएं प्रदान करेंगे।

अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि शिक्षा विभाग, बि.स. की निम्नलिखित सेवाओं को आर.टी.पी.एस. के अंतर्गत शामिल किया गया था, नमूना जाँचित कार्यालयों में कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा था।

जिला शिक्षा अधिकारी / कार्यक्रम अधिकारी

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बी.एस.ई.बी.) द्वारा आयोजित परीक्षाओं के परिणाम के प्रकाशन के बाद छात्रवृत्ति का वितरण समेकित परिणाम तथा व्यक्तिगत अंक—पत्र की सेवायें प्रदान करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी (डी.ई.ओ.)/कार्यक्रम अधिकारी (पी.ओ.) को डी.पी.एस. अधिसूचित किया गया था (मई 2011)।

संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि आर.टी.पी.एस. अधिनियम की अधिसूचना के निर्देशों का उल्लंघन कर, इन सेवाओं को नमूना जाँचित नौ जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों के कार्यालयों में वर्ष 2012–15 के दौरान कार्यान्वयन नहीं किये जा रहे थे।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति

बी.एस.ई.बी. द्वारा अंक पत्रों को सुधारने/पुनर्गणना की कार्रवाई और द्वितीयक प्रमाण—पत्रों को निर्गत करने की सेवा आर.टी.पी.एस. के अंतर्गत प्रदान करने के लिए अधिसूचित थी (मई 2011)। यद्यपि, यह देखा गया कि वर्ष 2012–15 के दौरान की पुनर्गणना संबंधी सेवा को आर.टी.पी.एस. अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध नहीं कराया जा रहा था।

विश्वविद्यालय

आर.टी.पी.एस. अधिनियम के अंतर्गत अंक पत्र को सुधारने/पुनर्गणना, अस्थायी या मूल प्रमाण—पत्र तथा माइग्रेशन प्रमाणपत्र को निर्गत करने की सेवा अधिसूचित थी (मई 2011) और विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रदान की जानी थी।

मिशन निदेशक, बी.पी.एस.एम.एस. (जून 2011) के निर्देश के अनुसार, आर.टी.पी.एस. साफ्टवेयर का आवेदनों की कम्प्यूटरीकृत प्राप्ति हेतु पावती रसीद का निर्गमन और निपटारा किये गये आवेदनों की निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जाना था। यह देखा गया कि इन अधिसूचित सेवाओं को नमूना जाँचित तीन विश्वविद्यालयों में से दो में यथा वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा था। आगे, पटना विश्वविद्यालय द्वारा आर.टी.पी.एस. सॉफ्टवेयर का उपयोग अधिसूचित सेवाओं के लिए नहीं किया गया था और केवल 3–4 साल पुराने मामलों के लिए ही आवेदनों को स्वीकार किया गया था।

बहिर्गमन सम्मेलन (अक्टूबर 2015) के दौरान प्रधान सचिव सा.प्र.वि.. ने बताया कि निष्पादन के निम्न दर पर ध्यान दिया जाएगा। प्रधान सचिव ने आगे बताया कि आर.टी.पी.एस. अधिनियम अनिवार्य था और सभी डी.पी.एस. द्वारा पालन किया जाना था।

अनुशंसा: सामान्य प्रशासन विभाग को सभी संबंधित विभागों द्वारा आर.टी.पी.एस. अधिनियम के तहत अधिसूचित सेवाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए।

2.4.9.2 समाज कल्याण विभाग

समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (एम.के.वी.वाई.), राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (आर.पी.एल.वाई.) और सामाजिक सुरक्षा पेंशन की सेवाओं को आर.टी.पी.एस. अधिनियम के तहत प्रदान किया गया था।

आठ⁷ नमूना जाँचित जिलों के 16 प्रखंडों में वर्ष 2012–15 के दौरान आवेदनों के निष्पादन की स्थिति नीचे तालिका सं. 2.4.3 में दी गई है:

तालिका सं.– 2.4.3

नमूना जाँचित कार्यालयों में आवेदनों के निष्पादन की स्थिति

सेवा का नाम	कुल प्राप्त आवेदन	कुल निष्पादित आवेदन	सेवा प्रदत्त		जाँच के पश्चात अस्वीकृत (प्रतिशत)	लंबित
			निर्धारित समय में (प्रतिशत)	निर्धारित समय के पश्चात (प्रतिशत)		
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना	50127	49767	28175 (56)	16748 (34)	4844 (10)	360
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना	13521	12905	5737 (45)	4825 (37)	2343 (18)	616
सामाजिक सुरक्षा पेंशन	185891	180505	86046 (48)	58294 (32)	36165 (20)	5386

(स्रोतः— नमूना जाँचित प्रखंड कार्यालयों के द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना)

उपरोक्त तालिका सं.– 2.4.3 से यह स्पष्ट था कि 32 से 37 प्रतिशत सेवाओं के लिए आवेदन पत्र निर्धारित समय के भीतर निष्पादित नहीं किये गए थे। यह भी पाया गया की 20 प्रतिशत तक आवेदनों को उपरोक्त सेवाओं के अंतर्गत अस्वीकृत कर दिया गया था।

बहिर्गमन सम्मलेन (अक्टूबर 2015) के दौरान प्रधान सचिव, सा.प्र.वि. द्वारा कहा गया कि संबंधित विभागों को समय–सीमा में सेवा प्रदान करने हेतु कार्रवाई करने की सलाह दी जाएगी।

नमूना जाँचित कार्यालयों के लेखापरीक्षा के दौरान देखी गई कमियों की चर्चा अनुगामी कंडिकाओं में की गई है:

आवेदनों को गलत प्रदर्शित किया जाना

आर.टी.पी.एस. अधिनियम (मई 2011), के अधिसूचना के अनुसार सामाजिक सुरक्षा पेंशन के विभिन्न प्रकारों के आवेदनों का निष्पादन 42 दिनों के भीतर किया जाना आवश्यक था, जिसको समान रूप से प्रखंड और अनुमंडलीय कार्यालयों के बीच विभाजित किया गया था। प्राप्त आवेदनों को प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना था। अपेक्षित सत्यापन के बाद अनुशंसा के साथ एस.डी.ओ द्वारा निर्णय जारी किया जाना था। इस प्रकार, अनुमंडल पदाधिकारी से स्वीकृति के पश्चात् आवेदनों को निष्पादित किया जाना था। आगे, मिशन निदेशक, बी.पी.एस.एम.एस. द्वारा विभागों के सभी प्रधान सचिवों/सचिवों को सेवाओं के निष्पादन को सॉफ्टवेयर में अद्यतन करने हेतु निर्देश (जून 2011) दिया गया। सभी जिलाधिकारियों को यह भी निर्देश (अगस्त 2011) दिया गया कि निष्पादित सेवाओं को कंप्यूटर डेटाबेस में दैनिक आधार पर अद्यतन किया जाए जिससे आवेदक एस.एम.एस. के माध्यम से संदेश प्राप्त करे।

⁷ अररिया, भोजपुर, पूर्वी चंपारण, जमुई, मुजफ्फरपुर, पटना, समस्तीपुर एवं वैशाली।

पाँच जिलों के नमूना जाँचित कार्यालयों में आवेदनों के निष्पादन से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा में निम्नलिखित तथ्य उजागर हुए:

आवेदनों का अनुचित निष्पादन

अनुमंडल पदाधिकारी पटना द्वारा पेंशन के 21 मामलों में, प्रखंड विकास पदाधिकारी, पटना सदर द्वारा मामलों के अग्रसारित करने से पूर्व ही स्वीकृति दी गई थी।

आगे, मुशहरी (मुजफ्फरपुर), ओबरा (औरंगाबाद) और पटोरी (समस्तीपुर) प्रखंडों में राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना (आर.पी.एल.वाई.), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस.) आदि से संबंधित 95 मामलों (**परिशिष्ट-2.4.3**) को निष्पादित दर्शाया गया था यद्यपि इनकी स्वीकृति अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय से किये जाना शेष था। आवेदनों को इनके स्वीकृति एवं वास्तविक निष्पादन के सात से 288 दिन पूर्व ही निष्पादित दर्शाया गया था।

अपर्याप्त आधार पर आवेदनों की अस्वीकृति

अपर मिशन निदेशक, बी.पी.एस.एम.एस. के निर्देशानुसार (नवंबर 2011) आवेदन के साथ जाँच सूची में वर्णित दस्तावेजों को छोड़कर कोई अतिरिक्त दस्तावेज की मांग डी.पी.एस. द्वारा नहीं की जानी थी। उम्र के प्रमाण के रूप में आई.जी.एन.ओ.ए.पी एस. के आवेदन पत्र में, उम्र प्रमाण—पत्र की फोटो कॉपी संलग्न किया जाना था या किसी और सरकारी अभिलेख यथा मतदाता पंजी, परिवार सूची आदि में उल्लेखित उम्र दर्ज करना था। सम्बंधित बी.डी.ओ. द्वारा सत्यापन के बाद आवेदकों की उम्र अंतिम मानी जाएगी।

नमूना जाँचित छ: प्रखंडों में आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस. से सम्बंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया की बी.पी.एल. परिवार से सम्बंधित 2196 व्यक्तियों के आवेदन (जितवारपुर 1621, मोतीपुर 147, मोतिहारी 115, हाजीपुर 27, जमुई 238 और सिकंदरा 48), जिनकी उम्र का सत्यापन सम्बंधित बी.डी.ओ. द्वारा किया गया था, को एस.डी.ओ. द्वारा विभिन्न कारणों यथा मतदाता सूची के संलग्न नहीं रहने, फोटो में उम्र 60 साल से कम प्रतीत होने और आयु इपिक नंबर का सत्यापन चुनाव आयोग के वेबसाइट से कर अस्वीकृत कर दिया गया था।

सेवा प्रदान करने में विलंब

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (एम.के.भी.वाई.) योजना अंतर्गत विवाहित महिलाओं को ₹5000 वित्तीय सहायता दिया जाना था और सा.प्र.वि. द्वारा अधिसूचित (दिसंबर 2013) किया गया था कि निधि की उपलब्धता के 15 दिनों के अंदर भुगतान किया जाना चाहिए।

छ: नमूना जाँचित जिलों के 11 प्रखंड कार्यालयों में अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि 25,935 आवेदनों में से 20,783 आवेदन भुगतान हेतु लंबित थे जबकि 5,674 आवेदनों के भुगतान हेतु ₹283.70 लाख उपलब्ध था (**परिशिष्ट-2.4.4**) तथापि आवेदन पत्र लंबित रहने का कारण निधि की अनुपलब्धता, राशि निकासी में विलंब और चेक निर्गत नहीं किया जाना था। अतः आर.टी.पी.एस. अधिनियम की अधिसूचना के अंतर्गत आवेदक को निधि की उपलब्धता के 15 दिनों के भीतर भुगतान किए जाने के निर्देशों का पालन नहीं किया गया था।

अस्वीकृत मामलों को कम्प्यूटर डेटाबेस में स्वीकृत दर्शाया जाना

निर्गत पंजी के प्रारूप के अनुसार अस्वीकृत किये गए मामलों के निर्गत संख्या और निष्पादन तिथि को निर्गत पंजी में अस्वीकृति के कारण के साथ दर्ज किए जाने की जरूरत थी।

तीन नमूना जाँचित जिलों के सात कार्यालयों⁸ के अभिलेखों के जाँच में यह पाया गया कि 346 मामलों को अस्वीकृत कर दिया गया था, जिसे आर.टी.पी.एस. काउंटर पर अनुभवी कर्मचारियों को कमी के कारण कम्प्यूटर डाटाबेस में स्वीकृत दिखाया गया था (परिशिष्ट-2.4.5)। परिणामस्वरूप, आवेदकों को एस.एम.एस. के माध्यम से उनके सेवाओं के निपटारे की गलत सूचना दिया गया जिससे आवेदक परेशान हुए।

खोये हुए आवेदनों का अनियमित रूप से निष्पादन

प्रखण्ड कार्यालय सिकन्दरा (जमुई) में इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आई.जी.एन.डब्ल्यू.पी.एस.), आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस. और लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (एल.बी.एस.एस.पी.एस.) से संबंधित कुल 170 आवेदन पत्र प्रखण्ड कार्यालय स्तर पर निष्पादन के पूर्व ही खो गया था एवं निर्गत संख्या शून्य इन्द्राज कर निष्पादित दर्शाया गया था।

आवेदनों का अनाधिकृत निष्पादन

प्रखण्ड कार्यालय सिकन्दरा (जमुई) में पेंशन से संबंधित 269 मामले (आई.जी.एन.डब्ल्यू.पी.एस., आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस., एल.बी.एस.एस.पी.एस.) प्रखण्ड स्तर पर ही अस्वीकृत कर दिये गये, जबकि अधिनियम के प्रावधानानुसार प्राप्त आवेदनों को अनुमण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना था।

अनिष्पादित आवेदनों का गलत चित्रण

प्रखण्ड कार्यालय पटोरी, समस्तीपुर के वर्ष 2014–15 के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि पेंशन मामलों के अनिष्पादित आवेदनों (आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस., एल.बी.एस.एस.पी.एस., आई.जी.एन.डब्ल्यू.पी.एस.) को डाटाबेस में निष्पादित दर्शाया गया था। कार्यालय के अभिलेखों के अनुसार लम्बित पेंशन मामलों की संख्या 530 थी जबकि कम्प्यूटर के डाटाबेस में कोई भी मामला लम्बित नहीं दर्शाया गया था।

बहिर्गमन सम्मेलन (अक्टूबर 2015) के दौरान प्रधान सचिव, सा.प्र.वि. द्वारा बताया गया कि ऐसे सभी मामले गंभीर थे और जाँचोपरांत संबंधित डी.पी.एस. के विरुद्ध यथोचित कार्रवाई की जायेगी।

अनुशंसा: सभी डी.पी.एस. के डाटाबेस में आवेदनों के निष्पादन के संबंध में सही प्रविष्टि सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

2.4.9.3 राजस्व एवं भूमि–सुधार विभाग

लोक सेवा अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा दाखिल खारिज एवं भूमि धारण–पत्र (एल.पी.सी.) की सेवाएँ प्रदान किया गया था।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सेवाओं से संबंधित वर्ष 2012–15 के दौरान नमूना जाँचित आठ⁹ जिलों के 16 अंचल कार्यालयों के आवेदनों के निष्पादन की स्थिति तालिका सं. 2.4.4 में निम्नवत है:

⁸ बी.डी.ओ.–मुशहरी, मोतीपुर, पटोरी, सिकंदरा, औरंगाबाद तथा सी.ओ.–मोतीपुर, जितवारपुर, पटोरी, शाहपुर, कल्याणपुर, सिकंदरा, ओबरा तथा औरंगाबाद।

⁹ अररिया, भोजपुर, पूर्वी चंपारण, जमुई, मुजफ्फरपुर, पटना, समस्तीपुर एवं वैशाली

तालिका सं.-2.4.4 नमूना जाँचित कार्यालयों में आवेदनों के निष्पादन की स्थिति

सेवाओं का नाम	कुल प्राप्त आवेदन	कुल निष्पादित आवेदन	प्रदत्त सेवाएँ		संवीक्षा के पश्चात अस्वीकृत (प्रतिशत)	लम्बित
			समयावधि के अंतर्गत (प्रतिशत)	समयावधि के पश्चात (प्रतिशत)		
दाखिल खारिज	301233	299189	179798 (60)	91616 (31)	27775 (9)	2044
भूमि धारण प्रमाण—पत्र	84565	84565	59842 (70)	21576 (26)	3147(4)	0

(स्रोतः— नमूना जाँचित अंचल कार्यालयों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

तालिका सं.-2.4.4 से स्पष्ट था कि सेवाओं के लिए 26 से 31 प्रतिशत आवेदनों का निष्पादन नियत समयावधि के अधीन नहीं किया गया था। जिला नोडल पदाधिकारियों ने कर्मचारियों की कमी को विलम्ब से सेवा प्रदान करने का कारण बताया।

सेवाओं को प्रदान करने में विलम्ब

लोक सेवा अधिकार अधिनियम की अधिसूचना (दिसंबर 2013) के अनुसार, दाखिल खारिज मामलों, जहाँ विवाद नहीं हो, का निष्पादन 18 दिनों में एवं जिन मामलों में विवाद हो उसमें 60 दिनों की समय—सीमा थी। अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाया गया कि चार नमूना जाँचित अंचल कार्यालयों¹⁰ के अभिलेखों में दाखिल खारिज मामलों में निष्पादन हेतु निर्धारित समयावधि 18 दिनों के स्थान पर 60 दिन दर्शाया गया था जो लोक सेवा अधिकार अधिनियम की अधिसूचना का उल्लंघन था।

आगे, अंचल कार्यालय जमुई, में यह देखा गया कि यद्यपि वर्ष 2014–15 में दाखिल खारिज से संबंधित 124 मामलों में कोई भी विवाद नहीं था, इसके बावजूद अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन कर समयावधि विस्तार दिया गया था।

अनिष्पादित आवेदनों का निष्पादन किया जाना

अंचल कार्यालय पटोरी, समस्तीपुर और अंचल कार्यालय मुशहरी, मुजफ्फरपुर के वर्ष 2014–15 के अभिलेखों की संवीक्षा में यह पाया गया कि दाखिल खारिज एवं भूमि धारण प्रमाण पत्र से संबंधित अनिष्पादित आवेदनों को निष्पादित दर्शाया गया था जैसा तालिका सं. 2.4.5 में नीचे दिया गया है:

तालिका सं.-2.4.5 लम्बित आवेदनों में भिन्नता से संबंधित विवरण

क्रम सं.	कार्यालयों का नाम	सेवा का नाम	लम्बित मामलों की संख्या	
			कार्यालय अभिलेख के अनुसार	कम्प्यूटर डाटाबेस के अनुसार
1	अंचल कार्यालय पटोरी, समस्तीपुर	भूमि धारण प्रमाण पत्र, दाखिल खारिज	183	शून्य
2	अंचल कार्यालय मुशहरी, मुजफ्फरपुर	दाखिल खारिज	1109	199

(स्रोतः— नमूना जाँचित अंचल कार्यालयों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

उपरोक्त तालिका सं.-2.4.5 से यह स्पष्ट था कि कम्प्यूटर डाटाबेस में गलत सूचना दी गयी थी परिणामस्वरूप आवेदकों को आवेदनों की स्थिति की गलत सूचना दी गई।

¹⁰ सी.ओ.—फारबिसगंज, कल्याणपुर, मुशहरी एवं जितवारपुर

कम्प्यूटर डाटाबेस मे अस्वीकृत मामलो को स्वीकृत दर्शाया जाना

छह जिलों के आठ कार्यालयों¹¹ के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान पाया गया कि यद्यपि 658 मामले अस्वीकृत थे, इन्हें कम्प्यूटर डाटाबेस में स्वीकृत दर्शाया गया था (**परिशिष्ट –2.4.5**)। परिणामस्वरूप, आवेदकों को उनके सेवाओं के निष्पादन के संबंध मे एस.एम.एस. के माध्यम से गलत सूचना दी गयी थी।

सेवाओं के लिए स्वसृजित निर्गत संख्या का प्रयोग नहीं किया जाना।

अचंल कार्यालयों के सेवाओं जैसे—जाति प्रमाण—पत्र, आवासीय प्रमाण—पत्र, आय प्रमाण—पत्र, दाखिल—खारिज एवं भूमि धारण प्रमाण—पत्र के लिए अपने आप एक निर्गत संख्या सृजित हो जाती थी और उसी के अनुरूप उसका निष्पादन किया जाना था। आगे, सभी जिलाधिकारियों को बी.पी.एस.एस. द्वारा निर्देशित (फरवरी 2012) किया गया था कि अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान पाया गया कि नमूना जाँचित 64 कार्यालयों में से दो कार्यालयों¹² के द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए आई.डी. सं. के रूप में अंतिम चार अंकों का प्रयोग निर्गत संख्या के रूप में उन कार्यालय के द्वारा किया गया था और स्वसृजित निर्गत संख्या (वाद संख्या) का प्रयोग पाँच अचंल कार्यालयों¹³ के दाखिल खारिज एवं भूमि धारण प्रमाण—पत्र में निष्पादन हेतु नहीं किया गया था।

बहिर्गमन सम्मेलन (अक्टूबर 2015) के दौरान प्रधान सचिव, सा.प्र.वि. द्वारा बताया गया कि ऐसे सभी मामले गंभीर थे और जाँचोपरांत संबंधित नाम निर्दिष्ट लोकसेवकों के विरुद्ध यथोचित कार्रवाई की जायेगी।

2.4.9.4 सामान्य प्रशासन विभाग

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आर.टी.पी.एस. अधिनियम के अन्तर्गत जाति, आय एवं आवासीय प्रमाण—पत्र जारी करने संबंधी सेवा प्रदान की जाती थी।

नमूना जाँचित आठ जिलों¹⁴ के 16 प्रखण्ड एवं 16 अंचल कार्यालयों के वर्ष 2012–15 की अवधि में विभिन्न प्रकार के प्रदत्त सेवाओं के आवेदनों के निष्पादन की स्थिति तालिका सं.—2.4.6 मे नीचे दी गयी थी:

तालिका सं.—2.4.6
नमूना जाँचित कार्यालयों मे आवेदनों के निष्पादन की स्थिति

सेवाओं का नाम	कुल प्राप्त आवेदन	कुल निष्पादित आवेदन	प्रदत्त सेवाएं		संवीक्षा के पश्चात अस्वीकृत (प्रतिशत)	लम्बित
			समयावधि के अंतर्गत (प्रतिशत)	समयावधि के पश्चात (प्रतिशत)		
जाति प्रमाण—पत्र	579335	579335	483577 (84)	89347 (15)	6411 (1)	0
आय प्रमाण—पत्र	516463	516450	450582 (87)	61461 (12)	4407(1)	13
आवासीय प्रमाण—पत्र	883021	883021	786398 (89)	92213 (11)	4410 (0)	0

(स्रोतः— नमूना जाँचित अंचल कार्यालयों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

¹¹ सी.ओ. — मोतीपुर, जितवारपुर, पटोरी, शाहपुर, कल्याणपुर, सिकंदरा, ओबरा एवं औरंगाबाद

¹² सी.ओ. — मोतीपुर एवं फारबिसगंज

¹³ सी.ओ. — जितवारपुर, मोतीपुर, पटोरी, जमुई एवं सिकंदरा

¹⁴ अररिया, भोजपुर, पूर्वी चम्पारण, जमुई, मुजफ्फरपुर, पटना, समस्तीपुर एवं वैशाली

तालिका सं.-2.4.6 से स्पष्ट था कि सेवाओं हेतु 84 से 89 प्रतिशत तक आवेदनों का निष्पादन निर्धारित समय में किया गया था। अतः, अधिनियम के अंतर्गत सा.प्र.वि. की उपलब्धि संतोषजनक थी।

2.4.9.5 गृह विभाग

आर.टी.पी.एस. अधिनियम के अंतर्गत गृह विभाग द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता था।

नमूना जाँचित आरक्षी अधीक्षक (एस.पी.) कार्यालयों के वर्ष 2012–15 की अवधि में चरित्र प्रमाण—पत्र निर्गत करने हेतु आवेदनों के निष्पादन की स्थिति तालिका सं.-2.4.7 में नीचे दी गयी थी:

तालिका सं.-2.4.7
नमूना जाँचित कार्यालयों में आवेदनों के निष्पादन की स्थिति

सेवा का नाम	कुल प्राप्त आवेदन	कुल निष्पादित आवेदन	प्रदत सेवाएं		संवेद्धि के पश्चात अस्वीकृत (प्रतिशत)	लम्बित
			समयावधि के अंतर्गत (प्रतिशत)	समयावधि के पश्चात (प्रतिशत)		
चरित्र प्रमाण—पत्र निर्गत करना	647880	647874	557929 (86)	80890 (13)	9055 (1)	6

(स्रोत: नमूना जाँचित पुलिस अधीक्षक (एस.पी.) कार्यालयों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

उपरोक्त तालिका सं.-2.4.7 से स्पष्ट था कि 86 प्रतिशत आवेदनों का निष्पादन निर्धारित समय में किया गया था। अतः, अधिनियम के अंतर्गत गृह विभाग की उपलब्धि संतोषजनक थी।

2.4.9.6 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आर.टी.पी.एस. अधिनियम के अन्तर्गत खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा नये राशन कार्ड जारी करने के आवेदनों पर निर्णय से संबंधित सेवा प्रदान की जाती थी।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा प्रदान की गयी सेवा की राज्य वार स्थिति तालिका सं. 2.4.8 में निम्नवत है:

तालिका सं.-2.4.8
सेवाओं को प्रदान करने की राज्यवार स्थिति

क्रम सं.	मुख्य सेवा	कुल प्राप्त आवेदनों की संख्या	कुल निष्पादित आवेदनों की संख्या	समयावधि के अंतर्गत निष्पादित आवेदनों की संख्या	समयावधि के अंतर्गत निष्पादित आवेदनों का प्रतिशत
1.	नया राशन कार्ड	23349	23321	6212	27

उपरोक्त तालिका सं. 2.4.8 से स्पष्ट था कि नये राशन कार्ड हेतु आवेदनों में से केवल 27 प्रतिशत ससमय निष्पादित किये गये थे।

यद्यपि, वर्ष 2012–15 की अवधि में नमूना जाँचित पांच अनुमण्डल कार्यालयों¹⁵ में इस सेवा हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या मात्र 22 थी।

सम्बन्धित अनुमण्डल पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि इस सेवा हेतु आवेदन प्राप्त नहीं हुए थे।

¹⁵ हाजीपुर, जमुई, मुजफ्फरपुर, पटना तथा समस्तीपुर

2.4.10 सेवा प्रदाता की क्षमता में वृद्धि

योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु क्षमता में वृद्धि एक महत्वपूर्ण कारक है।

2.4.10.1 मानव शक्ति का प्रबन्धन

किसी संगठन के प्रभावी कार्यान्वयन, अपेक्षित मानव शक्ति की उपलब्धता तथा उपलब्ध मानव शक्ति के सही प्रबन्धन पर निर्भर करता है। बी.पी.एस.एस. द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़ों के अनुसार, यह पाया गया कि आर.टी.पी.एस. अधिनियम के अंतर्गत सेवाओं के कार्यान्वयन हेतु 2756 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 2655 पदों पर संविदाकर्मी नियुक्त थे। यद्यपि, वर्तमान संगठनात्मक ढाँचे में बेहतर सेवा प्रदान करने हेतु पुनःसंरचना नहीं की गई।

आगे, अपर मिशन निदेशक, बी.पी.एस.एस. के निर्देश (जुलाई 2011) के अनुसार संविदाकर्मी के अतिरिक्त, कार्यालय से एक अनुभवी कर्मी को प्राप्त आवेदनों की जाँच हेतु आर.टी.पी.एस. काउंटर पर प्रतिनियुक्त किया जाना था। संवीक्षा में पाया गया कि 64 नमूना जाँच कार्यालयों के आर.टी.पी.एस. काउंटरों में से 31 में इस प्रकार के कर्मी प्रतिनियुक्त नहीं किये गये थे (**परिशिष्ट-2.4.6**)। चूंकि आवेदनों को प्राप्ति के समय जाँच नहीं की जा सकी, बड़ी संख्या में अंचल/प्रखंड स्तर पर आवेदन अस्वीकृत हुए, जिसकी चर्चा कांडिका संख्या 2.4.9.3 में की गई है।

बहिर्गमन सम्मेलन (अक्टूबर 2015) के दौरान प्रधान सचिव, सा.प्र.वि. बताये गये तथ्यों पर सहमत हुए और कहा कि आर.टी.पी.एस. केन्द्र पर नियुक्त कर्मी को अनुभवी की तरह माना गया था।

2.4.10.2 प्रशिक्षण एवं आधारभूत संरचना

(क) आर.टी.पी.एस. नियमावली के नियम 18(4) के अनुसार, नाम निर्दिष्ट लोक सेवक, अपीलीय तथा पुनर्विलोकन प्राधिकारियों को अधिनियम के अंतर्गत उनके कर्तव्यों के सम्बन्ध में प्रशिक्षण दी जानी थी।

अधिनियम के कार्यान्वयन में संलग्न व्यक्तियों के क्षमता की वृद्धि हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण मुख्यालय स्तर पर आयोजित किया गया था। जिला स्तर पर मुख्य पंक्ति के अधिकारियों तथा कर्मचारियों का प्रशिक्षण, प्रशिक्षित पदाधिकारियों द्वारा प्रारंभिक स्तर पर दी गई थी। इसके अलावा, आर.टी.पी.एस. सॉफ्टवेयर पर सूचना प्रोद्योगिकी संसाधनों का प्रशिक्षण भी आयोजित किया गया था। यद्यपि, नौ जिलों के 64 नमूना जाँचित कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि 41 डी.पी.एस. को प्रशिक्षण नहीं दिया गया था (**परिशिष्ट-2.4.6**)।

बहिर्गमन सम्मेलन (अक्टूबर 2015) के दौरान प्रधान सचिव, सा.प्र.वि. द्वारा बताया गया कि प्रसारण एवं प्रशिक्षण वित्तीय एवं अन्य संसाधनों की उपलब्धता होने तक दी जानी थी। उन्होंने, आगे बताया कि प्रशिक्षण नियमित रूप से दिया जा रहा था और इसे नव चयनित डी.पी.एस. को भी दिया जाएगा।

(ख) सेवाओं के ससमय क्रियान्वयन हेतु, सेवा केन्द्रों पर समुचित आधारभूत संरचना यथा शेड, बैठने हेतु कुर्सी, प्रिंटर सहित कम्प्यूटर प्रणाली इत्यादि उपलब्ध कराने की आवश्यकता थी। कार्यपालक सहायक के संविदा एकरानामा के अनुसार कम्प्यूटर प्रणाली, प्रिंटर, डाटा कार्ड इत्यादि की व्यवस्था उनके द्वारा अपने खर्च पर की जानी थी।

नौ जिलों के 64 नमूना जाँचित कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि 16 आर.टी.पी.एस. काउंटर बिना शेड के चल रहे थे तथा 32 केन्द्रों पर बैठने की व्यवस्था नहीं थी (**परिशिष्ट-2.4.7**)।



(बिना शेड के संचालित वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना कार्यालय का आर.टी.पी.एस. केंद्र)

बहिर्गमन सम्मेलन (अक्टूबर 2015) के दौरान प्रधान सचिव, सा.प्र.वि. ने कहा कि अधिनियम के अनुसार प्रत्येक सेवा केन्द्रों पर शेड तथा बैठने की व्यवस्था करना बाध्यकारी नहीं था। यद्यपि, जहां तक संभव था ज्यादा से ज्यादा केन्द्रों पर न्यूनतम मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया था।

अनुशंसा: बेहतर सेवा प्रदान करने हेतु अनुभवी कर्मी की नियुक्ति आर.टी.पी.एस. काउंटर पर की जानी चाहिए। इसके अलावा, सभी डी.पी.एस. को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए तथा आधारभूत संचना को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

2.4.11 जागरूकता में अभिवृद्धि

2.4.11.1 आर.टी.पी.एस. नियमावली के नियम 18(1) तथा 18(2) के अनुसार राज्य सरकार वित्तीय एवं अन्य संसाधनों की उपलब्धता तक इस अधिनियम के अधीन अधिकारों का प्रयोग किये जाने के लिए जनता, खासकर अलाभान्वित समुदायों की जागरूकता में अभिवृद्धि के लिए अभियान एवं कार्यक्रम विकसित एवं आयोजित कर सकेंगी।

बी.पी.एस.एम.एस. द्वारा सूचित किया गया कि जनता तथा लोक सेवकों के बीच जागरूकता अभिवृद्धि तथा अधिनियम के प्रति संवेदनशील बनाने की व्यवस्था प्रिंट, होर्डिंग, वेबसाइट तथा रेडियो जिंगल के द्वारा की गई थी। नियमानुसार, सेवाओं, नाम-निर्दिष्ट पदाधिकारियों तथा अपीलीय प्राधिकारियों की विस्तृत विवरणी सूचना पट्टों तथा होर्डिंगों द्वारा प्रदर्शित की गयी थी। यद्यपि, यह पाया गया था कि नौ नमूना जाँचित जिलों में जागरूकता अभिवृद्धि तथा अधिनियम के प्रति संवेदनशीलता हेतु 58 नमूना जाँचित कार्यालयों में कोई निधि उपलब्ध नहीं थी तथा 64 चयनित कार्यालयों में से 61 में वंचित समुदायों में जागरूकता के लिए कोई विशेष कार्यक्रम/अभियान नहीं चलाया गया था (**परिशिष्ट-2.4.8**)।

बहिर्गमन सम्मेलन (अक्टूबर 2015) के दौरान प्रधान सचिव, सा.प्र.वि. द्वारा बताया गया कि जागरूकता अभिवृद्धि कार्यक्रम अधिकांशतः केन्द्रीकृत आधार पर संचालित किया गया था। यद्यपि, विभाग द्वारा अलाभान्वित समुदायों में जागरूकता हेतु विशेष कार्यक्रम/अभियान चलाये जाने के संबंध में कोई जबाब नहीं दिया गया।

2.4.11.2 मिशन निदेशक, बी.पी.एसस.एम.एस. ने सरकार द्वारा प्रदत्त सेवाओं के संबंध में नागरिकों को सूचना उपलब्ध कराने हेतु सभी जिलों में 'मेरा आई हेल्प यू' काउंटर स्थापित करने का निर्देश (जून 2011) दिया गया था। इन केन्द्रों द्वारा मुख्य रूप से बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के संबंध में नागरिकों को सूचना उपलब्ध करायी जानी थी। नमूना जाँचित जिलों के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि नौ नमूना जाँचित जिलों में से तीन जिलों¹⁶ में 'मेरा आई हेल्प यू' केन्द्र स्थापित नहीं था।

अनुशंसा : सामान्य प्रशासन विभाग को आवश्यक जागरूकता अभिवृद्धि के लिए निधि की व्यवस्था तथा प्रत्येक जिलों में सहायता काउंटर की स्थापना सुनिश्चित करनी चाहिए।

2.4.12 अनुश्रवण तथा शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया

आर.टी.पी.एस. नियमावली के नियम 19 के अनुसार, सूचना एवं संचार तकनीक के उपयोग के माध्यम से सेवा परिदान सहित इस अधिनियम के अधीन अधिसूचित सेवाओं के समस्य परिदान और अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के केन्द्रीकृत अनुश्रवण के लिए राज्य सरकार एक प्रणाली स्थापित करेगी। तदनुसार, प्रधान सचिव, सा.प्र.वि. ने सभी जिलाधिकारियों को निम्नलिखित के लिए निर्देश जारी किए (फरवरी 2013):

- जिला कार्यालय के वरीय पदाधिकारियों द्वारा डी.पी.एस. के कार्यालयों का औचक निरीक्षण मासिक रूप से करना;
- सभी संबंधित पदाधिकारियों/कर्मचारियों के साथ बैठक करने; और
- बिचौलियों को खत्म करने के लिए छापेमारी करने तथा प्रतिवेदन बी.पी.एस.एम.एस. को भेजने के लिए।

अभिलेखों के संवीक्षा के दौरान हाँलांकि उपरोक्त तीनों निर्देशों का अनुपालन डी.पी.एस. के कार्यालयों द्वारा किया जा रहा था, सेवाओं के शिकायत निवारण प्रक्रिया में देखी गयी कमियों की चर्चा अनुगामी कंडिकाओं में की गयी है:

2.4.12.1 अपीलीय मामलों की कमियाँ

आर.टी.पी.एस. अधिनियम की धारा 6 के अनुसार, कोई व्यक्ति जिसका आवेदन धारा-5 की उपधारा (2) के अधीन अस्वीकृत किया जाता था या जिसे नियत समय-सीमा में सेवा उपलब्ध नहीं करायी जाती थी, आवेदन की अस्वीकृति की तिथि के तीस दिनों के अन्दर या नियत समय-सीमा की समाप्ति पर अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दाखिल कर सकेगा। अपीलीय प्राधिकारी द्वारा ऐसे अपील दाखिल करने के सम्यक अभिस्वीकृति अपीलकर्ता को उसकी हस्ताक्षरित पावती उपलब्ध कराया जाएगा। अपीलीय प्राधिकारी के किसी आदेश से असंतुष्ट डी.पी.एस. या आवेदक, आदेश किये जाने की तिथि से 60 दिनों के अन्दर, पुनर्विलोकन प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकेगा, जो अपील का निष्पादन विहित प्रक्रिया के अनुसार करेगा।

बी.पी.एसस.एम.एस. के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2013–15 के बीच प्रथम अपील का 86 प्रतिशत मामलों का निष्पादन किया गया था। अपीलीय मामलों का वर्षवार निष्पादन निम्न तालिका 2.4.9 में दिया गया है:

¹⁶ मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर एवं वैशाली

तालिका सं.-2.4.9

प्रथम अपील विवरण का वर्षवार दाखिल तथा निष्पादन का विवरण

वर्ष	दाखिल प्रथम अपील की संख्या	अपीलों का निष्पादन	निष्पादन का प्रतिशत
2013–14	170599	114282	67
2014–15	535333	496346	93
कुल	705932	610628	86

(स्रोत:- बी.पी.एस.एम.एस. द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

यद्यपि, अनिष्पादित प्रथम अपील के मामले, अब तक उपलब्ध कराना बाकी था। बी.पी.एस.एम.एस. ने द्वितीय अपील के आँकड़े लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये थे।

बहिर्गमन सम्मेलन (अक्टूबर 2015) के दौरान प्रधान सचिव, सा.प्र.वि. ने बताया कि मामलों का विश्लेषण तथा आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

2.4.12.2 निष्पादित अपील मामलों का प्रलेखीकरण नहीं किया जाना

आर.टी.पी.एस. नियमावली के नियम 17 के अनुसार, डी.पी.एस., अपीलीय प्राधिकारी तथा पुनर्विलोकन प्राधिकारी विहित प्रपत्रों में सभी मामलों के अभिलेख संधारित करेंगे। अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान पाया गया कि 64 में से 49 डी.पी.एस., अपीलीय प्राधिकारी तथा पुनर्विलोकन प्राधिकारी (**परिशिष्ट-2.4.9**) द्वारा अपील मामलों का प्रलेखीकरण नहीं किया गया था।

2.4.12.3 दण्ड की वसूली नहीं किया जाना

आर.टी.पी.एस. अधिनियम की धारा 7 के अनुसार, जहाँ अपीलीय प्राधिकार की राय हो कि डी.पी.एस. बिना पर्याप्त एवं उचित कारणों के, सेवा उपलब्ध कराने में विफल रहा है, तो वह नामनिर्दिष्ट लोक सेवक पर एक मुश्त दण्ड अधिरोपित कर सकेगा/सकेगी। जहाँ पुनर्विलोकन पदाधिकारी की राय हो कि अपीलीय प्राधिकार बिना किसी पर्याप्त एवं उचित कारणों के, नियत सीमा में अपील का विनिश्चय करने में विफल रहा है, तो वह अपीलीय प्राधिकार पर दण्ड अधिरोपित कर सकेगा/सकेगी। आर.टी.पी.एस. नियमावली के नियम 8 के अनुसार, दण्ड की राशि ₹500 से कम तथा ₹5000 से अधिक नहीं होगी। आर.टी.पी.एस. नियमावली के नियम 16 (1) के अनुसार संबंधित प्राधिकार नामनिर्दिष्ट लोक सेवक या अपीलीय प्राधिकार या अपीलीय/पुनर्विलोकन प्राधिकार द्वारा विनिश्चित पदाधिकारी एवं कर्मचारी के अगले वेतन/मानदेय/पारिश्रमिक से दण्ड की वसूली करेगा।

बी.पी.एस.एम.एस. द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़ों के अनुसार वर्ष 2013–15 के बीच अधिरोपित दण्ड तथा उसकी वसूली की स्थिति तालिका सं.-2.4.10 में निम्नवत है:-

तालिका सं.-2.4.10

वर्षवार अधिरोपित दण्ड तथा वसूली की विवरणी

वर्ष	अधिरोपित दण्ड (₹ लाख में)	दण्ड की वसूली (₹ लाख में)	वसूली प्रतिशत
2013–14	68.52	18.85	28
2014–15	86.00	7.35	9
कुल	154.52	26.20	17

(स्रोत:- बी.पी.एस.एम.एस. द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

उपरोक्त तालिका सं.-2.4.10 से स्पष्ट था कि ₹ 154.52 लाख के अधिरोपित दण्ड के विरुद्ध केवल ₹ 26.20 लाख की वसूली की जा सकी थी।

बहिर्गमन सम्मेलन (अक्टूबर 2015) के दौरान प्रधान सचिव, सा.प्र.वि. द्वारा बताया गया कि नियंत्री कार्यालय को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाएगा कि जहाँ कहीं

निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए दण्ड अधिरोपित की गई है वहाँ अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप वसूली सुनिश्चित की जाय।

2.4.13 निष्कर्ष

- आर.टी.पी.एस. अधिनियम मे विनिर्दिष्ट के बावजूद, शिक्षा विभाग ने अधिसूचित सेवाओं को नौ नमूना जाँचित जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा दो विश्वविद्यालय के कार्यालयों द्वारा प्रदत्त नहीं किया था।
- खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, राजस्व एवं भूमि सुधार तथा समाज कल्याण विभाग अधिसूचित सेवाओं को ससमय प्रदान करने मे पिछड़ रहे थे।
- आवेदनों को अनुचित आधार पर अस्वीकृत किया गया था, जो कि आम नागरिकों को सेवा की अस्वीकृति के रूप मे फलित हुआ।
- डाटाबेस में आवेदनों का गलत चित्रण जैसे दो विभागों के विभिन्न सेवाओं के अस्वीकृत आवेदनों को स्वीकृत दर्शाना तथा लंबित आवेदनों को निष्पादित दर्शाना, यह इंगित करता था कि अधिनियम के कार्यान्वयन मे संस्थागत व्यवस्था अपर्याप्त थी।
- शिकायत निवारण क्रियाविधि अपर्याप्त थी क्योंकि 64 नमूना जाँचित नामनिर्दिष्ट लोकसेवकों, अपीलीय प्राधिकारों तथा पुनर्विलोकन प्राधिकारों के कार्यालयों मे से 49 में अपील मामलों के अभिलेखों का संधारण नहीं किया गया था। सेवा प्रदान करने मे विलम्ब के लिए वसूली कुल अधिरोपित दण्ड का मात्र 17 प्रतिशत थी।

वित्त विभाग

2.5 “सामान्य भविष्य निधि प्रणाली की सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा” की अनुवर्ती लेखापरीक्षा

2.5.1 परिचय

वर्ष 2005–06 से 2009–10 की अवधि के लिए बिहार सरकार के सामान्य भविष्य निधि प्रणाली की सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा पर हुए निष्पादन लेखापरीक्षा, 31 मार्च 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (असैनिक) में शामिल किया गया था। निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान, भविष्यनिधि (अर्थात् नेशनल इनफॉरमेटिक्स सेंटर सर्विसेज द्वारा विकसित एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर को अखिल भारतीय सेवा के बिहार में पदस्थापित अधिकारियों एवं बिहार सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि—लेखाओं के संधारण हेतु शामिल किया गया) से संबंधित, वित्त विभाग (वि.वि.) के अन्तर्गत भविष्य निधि निदेशालय (भ.नि.नि.) द्वारा संधारित अभिलेखों एवं आँकड़ों की संवीक्षा की गयी। निष्पादन लेखापरीक्षा के निम्नांकित अनुशंसाएँ वि.वि. द्वारा स्वीकार्य किये गये थे:


- प्रणाली डिजाईन अभिलेखन बनाना एवं अद्यतन सुनिश्चित करना;
- सभी वैधानिक अभिलेख एवं केन्द्रीयकृत डाटाबेस की सत्यनिष्ठा एवं विश्वसनीयता को प्रमाणिकता जाँच के माध्यम से सुनिश्चित करना;
- प्राथमिकता के आधार पर सूचना प्रणाली का उपयोग एवं आवंटन करने हेतु एक प्रभावी पहुँच नियंत्रण तंत्र की स्थापना को सुनिश्चित करना और
- एक प्रभावी आपदा बचाव एवं व्यावसायिक निरंतरता योजना की स्थापना करना।

2.5.2 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं प्रणाली

अनुवर्ती लेखापरीक्षा किए जाने का मुख्य उद्देश्य लेखापरीक्षित इकाई द्वारा पूर्व के निष्पादन लेखापरीक्षा की स्वीकृत अनुशंसाओं के अनुपालन की दिशा में हुए प्रगति का आकलन करना था।

लेखापरीक्षा कार्य प्रणाली में भविष्य निधि निदेशालय (भ.नि.नि.) द्वारा संधारित अभिलेखों की जाँच, ई-जीपीएफ प्रणाली द्वारा संग्रहित सूचना, अंशदाताओं की वेब प्रतियाँ इत्यादि शामिल थे। ई-जीपीएफ डाटाबेस की सत्यनिष्ठा एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित करने हेतु तीन¹ जिला भविष्य निधि पदाधिकारियों (जि.भ.नि.प.) के व्याज गणना प्रपत्रों एवं कम्पीहेंसिभ ट्रेजरी मैनेजमेंट इनफोरमेशन सिस्टम (सी.टी.एम.आई.एस.) प्रपत्रों के नमूना जाँच किये गये थे एवं आँकड़ों का विश्लेषण आईडिया तकनीक के माध्यम से किया गया था। वित्त विभाग का संगठनात्मक संरचना नीचे दिया गया है:

¹ मधुबनी, मोतीहारी एवं सीतामढ़ी



(ओत : <http://e-gpf.bihar.govt.in> से डाउनलोड की गई सूचना)

अनुवर्ती लेखापरीक्षा के उद्देश्यों इसकी कार्यप्रणाली, को स्पष्ट करने एवं विभागीय विचारों को शामिल करने के उद्देश्य से मई 2015 में सचिव, (संसाधन) वि.वि., बिहार सरकार के साथ एक अंतर्गमन सम्मेलन आयोजित किया गया था। सचिव, (संसाधन) एवं सचिव, (व्यय), वि.वि. के साथ एक बहिर्गमन सम्मेलन का आयोजन (सितम्बर 2015) किया गया तथा व्यक्त किए गए उनके विचारों को समूचित जगहों पर समाविष्ट कर लिए गए थे।

2.5.3 बिजनेश रूल मैपिंग

जिला भविष्य निधि पदाधिकारी संबंधित जिलों के अन्तर्गत पदस्थापित कर्मियों के भविष्य निधि लेखाओं के संधारण हेतु उत्तरदायी थे तथा भ.नि.नि. के पूर्णतः नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्यरत थे। जी.पी.एफ. लेखाओं का संधारण वर्ष 2005 से वर्ष 2011 की अवधि में एप्लिकेशन साफ्टवेयर—भविष्यनिधि द्वारा किया गया था। संबंधित सरकारी कार्यालयों के आहरण एवं संवितरण अधिकारी, पदाधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन से जी.पी.एफ. अंशदानों की कटौती करने एवं ऐसी कटौतियों से संबंधित लेखाओं को संबंधित कोषागार में प्रेषित करने हेतु जिम्मेदार थे। भविष्यनिधि में अंशदाताओं के कटौती/अग्रिम/निकासी से संबंधित आकड़ों का इन्द्राज हस्तचालन द्वारा संबंधित जि. भ.नि.प. द्वारा कोषागार से उपलब्ध कराये गए “मासिक अनुसूची” द्वारा किया जाता था।

बाद में वर्ष 2011 में भविष्यनिधि को मेसर्स टाटा कंसलटेंसी सर्विसेस लिमिटेड (टी.सी.एस.) द्वारा विकसित ई-जीपीएफ प्रणाली से प्रतिस्थापित किया गया था। सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन (एस.आर.एस.) में जैसा वर्णित था कि यह प्रणाली कर्मियों के मासिक योगदान तथा अग्रिम का ब्यौरा सी.टी.एम.आई.एस. एप्लिकेशन से प्राप्त करेगा। सी.टी.एम.आई.एस. में उपरोक्त ऑकड़ों की अनुपलब्धता की स्थिति में, ई-जीपीएफ प्रणाली में उपरोक्त ऑकड़ों को लेने की सुविधा प्रदान की गई थी।

2.5.4 स्वीकृत अनुशंसाएँ एवं विभाग द्वारा उसका अनुपालन

भविष्य निधि निदेशालय द्वारा अंगीकृत ई-जीपीएफ प्रणाली के जाँच में निम्नलिखित कमियाँ पाई गयी:

2.5.4.1 प्रणाली डिजाईन अभिलेखन बनाना

प्रणाली डिजाईन अभिलेखन (प्र.डि.अ.) प्रणाली आवश्यकताओं, ऑपरेटिंग वातावरण, प्रणाली और सब-सिस्टम वास्तुकला, फाइलों और डाटाबेस डिजाइन, इनपुट प्रारूपों, उत्पादन लेआउट, मानव-मशीनों इंटरफेस, विस्तृत डिजाइन, प्रसंस्करण तर्क और बाहरी इंटरफेस का वर्णन करता है।

लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि टी.सी.एस. द्वारा तैयार किये गये ई-जी.पी.एफ. प्रणाली के आई.टी. एप्लिकेशन के प्रणाली डिजाईन अभिलेख को बिहार स्टेट ईलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बि.स.ई.कॉ.लि.)² द्वारा अनुमोदित (नवम्बर 2011) किया गया था। यद्यपि, जब कभी प्रणाली द्वारा तैयार किए गए अभिलेखों में त्रुटियाँ या विरोधाभास पाये गये, भ.नि.नि. द्वारा एप्लिकेशन बनाने वाले टी.सी.एस. से उसके निराकरण हेतु सम्पर्क किया गया। इस प्रकार, भ.नि.नि. अभी तक सॉफ्टवेयर के अद्यतन हेतु सॉफ्टवेयर प्रदाता पर निर्भर था।

बहिर्गमन सम्मेलन (सितम्बर 2015) के दौरान, सचिव, वि.वि. (व्यय) द्वारा कहा गया कि दक्ष-कर्मियों के अभाव के कारण, परिवर्तन/अद्यतन केवल टी.सी.एस. द्वारा किया जा रहा था।

2.5.4.2 इनपुट नियंत्रण एवं वैधता जाँच

स्वीकार किए गए अनुशंसा के अनुसार, भ.नि.नि. को ई-जीपीएफ के सभी वैधानिक अभिलेख एवं केन्द्रीयकृत डाटाबेस की सत्यनिष्ठा एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित करने हेतु प्रमाणिकता जाँच किया जाना चाहिए था।

लेखापरीक्षा क्रम में, यह पाया गया कि ई-जीपीएफ सॉफ्टवेयर में कमियाँ थीं जैसे कि इस सॉफ्टवेयर का डाटाबेस भी अपूर्ण, अशुद्ध एवं बेकार डाटा के इन्द्राजों को स्वीकार कर रहा था। भ.नि.नि. भी सही डाटा के इन्द्राज हेतु वैधता जाँच को शामिल करने में असफल था जैसा कि नीचे वर्णित है:

अशुद्ध एवं बेकार डाटा

ई-जीपीएफ डाटाबेस वर्ष 2010–15 के 100,63,673 अभिलेखों के विश्लेषण के क्रम में निम्नांकित त्रुटियाँ पाई गईः

- 3,13,566 जी.पी.एफ खाता संख्याओं में से, 379 खाता comma (,), V, ve, 0000 आदि सुसंगत खाता संख्या के बदले दर्शाये गये थे;
- वर्ष 2006–12 के दौरान जी.पी.एफ. जमा पर स्वीकार्य ब्याज के दर (आठ से 8.6 प्रतिशत प्रति वर्ष) के विरुद्ध, 116 जी.पी.एफ. खाताओं में उच्चतर ब्याज का दर (नौ से 12 प्रतिशत प्रति वर्ष) अनुमत्य किया गया था जैसा कि नीचे तालिका संख्या 2.5.1 में दिया गया है:

² बिहार सरकार के विभागों में आई.टी. कार्यों के सम्पादन हेतु राज्य द्वारा मनोनीत संस्थान

तलिका संख्या—2.5.1

खाता धारक को गलत ब्याज मान्य किया जाना

क्रम संख्या	अवधि	ब्याज पात्रता (प्रतिशत में)	ब्याज प्रदान किया गया (प्रतिशत में)	मामलों की संख्या
1	1/1/2006 से 30/11/2011	8	9 से 12	111
2	1/12/2011 से 31/3/2012	8.6	9 से 12	5
योग				116

(स्त्रोत : भविष्य निधि निदेशालय द्वारा प्रदत्त)

विसंगतियाँ दर्शाती थी कि टी.सी.एस. द्वारा प्रवेश बिन्दु पर पर्याप्त वैधता जाँच विकसित एवं लागू नहीं किए गए थे। इस प्रकार, ई-जीपीएफ के डाटाबेस विश्वसनीय नहीं थे।

बहिर्गमन सम्मेलन (सितम्बर 2015) के दौरान, सचिव, वि.वि. (व्यय), बिहार सरकार द्वारा कहा गया कि जी.पी.एफ. संख्या में एकसमान पद्धति सुनिश्चित करने हेतु कार्रवाई किया जायेगा। उनके द्वारा आगे कहा गया कि उच्चतर ब्याज दर अनुमत्य करने की जाँच की जायेगी एवं लेखापरीक्षा को शीघ्र सूचित किया जाएगा।

ई-जीपीएफ द्वारा अपूर्ण एवं अविश्वसनीय प्रतिवेदन देना

भविष्य निधि निदेशालय के कार्यकलाप के अनुश्रवण के लिए ई-जीपीएफ प्रणाली द्वारा पाँच प्रतिवेदनों जैसे परफोरमेंस मोनिटरिंग मैनेजमेंट इनफॉरमेशन प्रणाली (एमआईएस) प्रतिवेदन, वित्तीय एमआईएस प्रतिवेदन, योगदान एमआईएस प्रतिवेदन, दृश्य पीडीएफ प्रतिवेदन एवं डायरी एमआईएस प्रतिवेदन तैयार किए जाते थे। नमूना जाँचित तीन जि. भ.नि.प. के ई-जीपीएफ एवं सी.टी.एम.आई.एस. प्रतिवेदनों के जाँच में पाये गये कि:

- वर्ष 2011–15 की अवधि में 429 अंशदाताओं में से 77 का अंतर्शेष ऋणात्मक अंक में दर्शाये गए थे। यह इंगित करता था कि ई-जीपीएफ का डाटाबेस अपूर्ण था (**परिशिष्ट-2.5.1**)।
- सी.टी.एम.आई.एस. के ऑकड़ों एवं ई-जी.पी.एफ. ऑकड़ों के मिलान में वर्ष 2013–15 के 429 नमूना जाँचित अभिलेखों में से 60 संबंधित अभिलेखों में दोनों प्रणाली के ऑकड़ों की राशि समान नहीं थे (**परिशिष्ट-2.5.2**)।

यह भी पाया गया कि नमूना जाँचित जिलों में ई-जीपीएफ में रखे गए 429 नमूना जाँचित अभिलेखों में से 70 अंशदाताओं के खाते वर्ष 2010–11 से 2014–15 के बीच अद्यतन नहीं किये गए थे (**परिशिष्ट-2.5.3**)। यह इंगित करता था कि सी.टी.एम.आई.एस. डाटाबेस स्वतः ई-जीपीएफ में स्थानान्तरित नहीं हो रहे थे जैसा कि भ.नि.नि. द्वारा दावा किया गया था।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान, सचिव, वि.वि. (व्यय) बिहार सरकार द्वारा कहा गया कि कुछ अंशदाताओं के कुछ वर्षों के छुटे इन्द्राज की वजह से आगे के वर्षों के आँकड़े अविश्वसनीय थे एवं इस रिथिति को सुधारने के प्रयास जारी थे। सचिव द्वारा यह भी कहा गया कि सी.टी.एम.आई.एस. एवं ई-जीपीएफ प्रणाली के बीच सेतु नहीं था तथा प्रत्येक माह सी.टी.एम.आई.एस. से डम्प आँकड़े लिए जाते थे एवं ई-जीपीएफ प्रणाली में अपलोड किए जाते थे।

विभाग का जवाब तथ्यों के अनुरूप नहीं था जैसा की मुख्य सचिव, बिहार सरकार द्वारा कहा गया था (अप्रैल 2013) कि कटौतियों/वसूलियों से संबंधित सभी आँकड़े वेतन विपत्र अर्थात् सी.टी.एम.आई.एस. से स्वतः ई-जीपीएफ प्रणाली में स्थानान्तरित होते थे।

2.5.4.3 एप्लीकेशन नियंत्रण

नमूना जाँचित तीन जिलों के लेखापरीक्षा क्रम में यह पाया गया कि टी.सी.एस. के सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त रूप से विकसित नहीं था। वर्ष 2011–15 की अवधि में निम्नांकित कमियाँ पाये गये थे:

- वर्ष 2011–15 में, 429 में से 48 अंशदाताओं को ₹1.19 करोड़ प्रत्यर्पणीय एवं अप्रत्यर्पणीय अग्रिमों की स्वीकृति उनकी पात्रता से अधिक राशि अनुमत्य किये गये थे। (**परिशिष्ट-2.5.4**)
- वर्ष 2013–15 के दौरान, 429 अंशदाताओं में से, 19 अंशदाताओं को अंतिम आहरण की स्वीकृति संबंधित खाते में उपलब्ध शेष ₹24.06 लाख के विरुद्ध ₹88.78 लाख दिए गए थे, जैसा कि ई–जीपीएफ डाटाबेस में दर्शाये गए थे (**परिशिष्ट-2.5.5**)।
- नमूना जाँचित 429 अंशदाताओं में से तीन (सीतामढ़ी) जी.पी.एफ. खातों में अंशदाताओं द्वारा अंतिम आहरण के बावजूद संबंधित खाता में ₹5.79 लाख शेष था (**परिशिष्ट-2.5.6**)।
- आँकड़ों के इन्द्राज की अनुमति दो सिरो से जैसे—सी.टी.एम.आई.एस. (वेतन विपत्र से) एवं ई–जीपीएफ (प्रमाणित करने वाले साक्ष) से अनुमत्य किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप अंतरित आँकड़ों का समाशोधन नहीं किया गया।
- आहरण एवं व्ययन पदाधिकारियों (आ. एवं व्य.पदा.) द्वारा उनके पास रखे गये लेखाओं के आधार पर सी.टी.आई.एम.एस. द्वारा वेतन विपत्रों से अंशदानों एवं अग्रिमों का आहरण ई–जीपीएफ में निहित अंतःशेष लेखे को देखे बिना किये जाते थे जैसा कि ई–जीपीएफ अंतःशेष में दर्शाये गये थे, परिणामस्वरूप जीपीएफ के शेष समाशोधित नहीं थे।

उपरोक्त तथ्यों से यह परिलक्षित था कि ई–जीपीएफ प्रणाली में पहुँच नियंत्रण प्रणाली पूर्णतः विकसित नहीं था।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान, सचिव, वि.वि. (व्यय) बिहार सरकार द्वारा कहा गया कि प्रणाली की कमियों के पहचान हेतु जाँच किया जाएगा।

2.5.4.4 आपदा बचाव एवं व्यवसायिक निरंतरता योजना

लेखापरीक्षा क्रम में पाया गया कि लेखापरीक्षा अनुशंसा को स्वीकार किये जाने के बावजूद विभाग द्वारा आपदा से बचाव एवं व्यवसायिक निरंतरता योजना को स्थापित करने हेतु कोई कार्रवाई अभी तक सुनिश्चित नहीं की गई।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान, सचिव, वि.वि. (व्यय) ने बताया कि नेशनल डाटा सेन्टर, नई दिल्ली में आँकड़ों के बैक–अप रखने हेतु जगह उपलब्ध कराया जा चुका है, जिसका उपयोग जल्द ही आपदा बचाव केन्द्र हेतु किया जाएगा।

2.5.5 निष्कर्ष

अनुवर्ती लेखापरीक्षा से उद्घटित था कि भ.नि.नि द्वारा स्वीकार्य किए गए अनुशंसाओं का अनुपालन अभी तक किया जाना था, जैसा नीचे के ब्यौरे से स्पष्ट था कि पूर्व में पाई गई कमियों पर अभी तक ध्यान नहीं दिये गये थे:

- यद्यपि, ई-जीपीएफ प्रणाली का प्रणाली डिजाईन अभिलेखन भ.नि.नि. द्वारा अनुमोदित था फिर भी आकड़ों के अद्यतनीकरण हेतु सॉफ्टवेयर प्रदाता पर निर्भरता थी,
- नई ई-जीपीएफ प्रणाली जो सॉफ्टवेयर प्रदाता द्वारा विकसित की गई थी, उसमें समुचित इनपुट नियंत्रण एवं वैद्यता जाँच सन्निहित नहीं थे, परिणामतः प्रणाली द्वारा अपूर्ण एवं अविश्वसनीय ऑकड़े दिये जा रहे थे,
- पहुँच नियंत्रण प्रणाली अपर्याप्त थी, प्रणाली द्वारा डाटाबेस में अनेकों कमियों को अनुमत्य की गई थी एवं
- आपदा से बचाव एवं व्यावसायिक निरंतरता योजना को भ.नि.नि. द्वारा अभी तक स्थापित नहीं की गई थी।

अध्याय— III

अनुपालन लेखापरीक्षा

सरकार के विभागों, उनके क्षेत्र संरचनाओं के साथ—साथ स्वायत्त निकायों की संपादन लेखापरीक्षा से संसाधन प्रबंधन में कमियाँ एवं नियमितता, औचित्य और मितव्ययिता के मानकों के अनुपालन में विफलताओं के कई उदाहरण उजागर हुए। इन्हें कंडिकाओं के रूप में व्यापक विषय शीर्ष के अधीन प्रस्तुत किया गया है। इन्हें आगामी कंडिकाओं में प्रक्षेत्र—वार प्रस्तुत किया गया है।

सामान्य प्रक्षेत्र

गृह विभाग

3.1 सरकार को हानि

बेऊर कारा, पटना के 83 आवासीय परिसर में पृथक विद्युत मीटर अधिष्ठापित नहीं किये जाने तथा घरेलू विद्युत उपभोग हेतु उच्च क्षमता संबंध से विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति के साथ एकरारित माँग से अधिक विद्युत खपत किये जाने के फलस्वरूप ₹1.12 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

बिहार विद्युत विनियमन आयोग (बि.वि.वि.आ.) शुल्क आदेश के कंडिका 7.1 के अनुसार यदि किसी माह में दर्ज अधिकतम माँग एकरारित माँग से 110 प्रतिशत अधिक हो तो ऐसी स्थिति में अधिक माँग वाले हिस्से पर एकरारित माँग के सामान्य शुल्क का दुगुना शुल्क देय होगा।

अधीक्षक आदर्श केंद्रीय कारा, बेऊर, पटना (कारा) के अभिलेखों के नमूना जाँच (दिसंबर 2014) में पाया गया कि 371 के.वी.ए. एकरारित माँग की आपूर्ति के साथ 11 के.वी. (तीन फेज) उच्च क्षमता (उ.क्ष.) का विद्युत संबंध प्रदान करने हेतु बिहार विद्युत बोर्ड एवं कारा अधीक्षक के बीच एकरारनामा किया गया (अगस्त 2005)। अधीक्षण अभियंता, पटना विद्युत आपूर्ति इकाई (पेसू), पश्चिम सर्किल, पटना ने बेऊर कारा परिसर में अप्रैल 2007 से मार्च 2015 तक की अवधि के विद्युत उपभोग के लिए ₹1.12 करोड़ दंडात्मक माँग प्रभार वसूल किया, जो मांग करार से ऊपर उपभोग के भार के कारण था, जो 427.40 के.वी.ए. से 845 के.वी.ए. था।

आगे की संवीक्षा ने उजागर किया कि कारा परिसर के विद्युत शुल्क के भुगतेय राशि में, 83 सरकारी आवासीय परिसर¹ भी सम्मिलित था क्योंकि वर्ष 2007–08 से इन आवासों के लिए पृथक विद्युत मीटर अधिष्ठापित नहीं किया गया था। आवासीय परिसर हेतु पृथक विद्युत मीटर होने से कारा परिसर का विद्युत शुल्क कम हो जाता एवं एकरारित माँग के ऊपर भार के उपयोग किये जाने से विद्युत मद में दंडात्मक भुगतेय राशि को बचाया जा सकता था। वित्त विभाग, बिहार सरकार ने भी कहा (अक्टूबर 2013) कि कर्मी के आवासीय परिसर के विद्युत उपभोग की राशि का भुगतान संबंधित कार्यालयों के द्वारा करने का प्रावधान नहीं था।

इस प्रकार बेऊर कारा, पटना के 83 आवासीय परिसर में पृथक विद्युत मीटर अधिष्ठापित नहीं किये जाने तथा घरेलू विद्युत उपभोग हेतु उच्च क्षमता (उ.क्ष.) संबंध से ही विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति किये जाने के फलस्वरूप विद्युत खपत एकरारित माँग से बढ़ा जिससे ₹1.12 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

¹ बिजली विभाग द्वारा समर्पित भार संगणना प्रतिवेदन के अनुसार आवासीय परिसर हेतु कुल संगणित भार :— 249 K.W.(311.25KVA)

महानिरीक्षक (कारा) ने जवाब दिया (सितंबर 2015) कि कर्मियों को आवासीय परिसर में घरेलु विद्युत मीटर अधिष्ठापित करने हेतु सूचना जारी कर दी गई थी एवं कारा की विद्युत संबंध के भार बढ़ाने हेतु कार्रवाई की गई थी।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2015); स्मार के बाबजूद (अगस्त 2015) जवाब अप्राप्त है।

योजना एवं विकास विभाग

3.2 सोलर स्ट्रीट लाईट के क्रय एवं अधिष्ठापन पर आधिक्य व्यय

जिला योजना पदाधिकारी, दरभंगा एवं खगड़िया द्वारा निर्धारित ब्रेडा दर से अधिक दर पर सोलर स्ट्रीट लाईट्स की क्रय एवं अधिष्ठापन के परिणामस्वरूप ₹7.01 करोड़ का आधिक्य व्यय हुआ।

बिहार वित्तीय (संशोधित) नियमावली (बि.वि.नि.) 2005, के नियम 126 के अनुसार प्रत्येक प्राधिकारी, जिन्हें समानों के अधिप्राप्ति हेतु वित्तीय शक्तियाँ प्रदत्त हैं, का यह कर्तव्य एवं दायित्व होगा कि वह लोक अधिप्राप्ति के मामलों में दक्षता, मितव्ययिता तथा पारदर्शिता लाए एवं स्वयं को संतुष्ट करें कि चयनित प्रस्ताव का मूल्य अपेक्षित गुणवत्ता के प्रति तर्कसंगत एवं अनुरूप है।

जिला योजना पदाधिकारी (जि.यो.पदा.), दरभंगा एवं खगड़िया द्वारा एमपीलैड़स² के अंतर्गत क्रयित एवं अधिष्ठापित सोलर स्ट्रीट लाईट्स से संबंधित अभिलेखों के नमूना जाँच (सितम्बर 2014 एवं जून 2015) में पाया गया कि राज्य सरकार ने सोलर उपकरणों के क्रय हेतु बेल्ट्रॉन के स्थान पर ब्रेडा³ को राज्य क्रय संस्थान (रा.क्र.सं.) के रूप में प्रतिस्थापित (सितम्बर 2012) किया। सहायक निदेशक, ब्रेडा ने भी जि.यो.पदा., दरभंगा को सौर उपकरणों का क्रय ब्रेडा प्राधिकृत लाइसेंस चैनल साझीदार/शॉपस जैसे कि अक्षय ऊर्जा शॉप, बेगुसराय से ब्रेडा द्वारा निर्धारित दरों पर करने हेतु निर्देश (जनवरी 2013) जारी किया। इसकी पुष्टि प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार सरकार द्वारा भी (जून 2013) में किया गया। निदेशक, ब्रेडा ने भी निर्दिष्ट (जुलाई 2013) किया कि सोलर लाईट का क्रय एवं अधिष्ठापन कार्य निविदा प्रक्रिया के तहत् अक्षय ऊर्जा शॉप से किया जाए। ब्रेडा ने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के विनिर्देशनों के अनुरूप सोलर लाईट⁴ के क्रय एवं अधिष्ठापन का दर प्रति लाईट ₹61,775 निर्धारित (सितम्बर 2013) किया।

ब्रेडा द्वारा निर्धारित दरों (₹61,775) के उपलब्धता के बाबजूद भी जि.यो.पदा., दरभंगा तथा खगड़िया क्रमशः 674 एवं 28 सोलर लाईट्स के क्रय एवं अधिष्ठापन हेतु अक्षय ऊर्जा शॉप, बेगुसराय को ₹1.75 लाख प्रति लाईट के दर पर आदेश (अगस्त 2013 से फरवरी 2014) दिया। यद्यपि कुल मूल्य ₹12.29 करोड़ के विरुद्ध राशि ₹10.83 करोड़ का ही भुगतान किया गया था, दरभंगा तथा खगड़िया में क्रमशः 596 तथा 23 सोलर लाईट्स ही मात्र अधिष्ठापित (जूलाई 2015 तक) किये गये थे। इस प्रकार, इस संबंध में जारी निर्देशों के बाबजूद भी संबंधित जि.यो.पदा. निविदा प्रक्रिया के तहत ब्रेडा द्वारा निर्धारित दरों पर अक्षय ऊर्जा शॉप से सोलर स्ट्रीट लाईट क्रय करने में विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप ₹7.01 करोड़ का आधिक्य व्यय हुआ।

इसे इंगित किये जाने पर, जि.यो.पदा., दरभंगा एवं खगड़िया ने कहा (सितम्बर 2014) कि सहायक निदेशक, ब्रेडा के पत्र (जनवरी 2013) के आधार पर अक्षय ऊर्जा शॉप

² मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम

³ बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभियान

⁴ (4×11 वाट) आम्स लाईट-लेड एसीड टयूब्स फ्लैट बैटरी के साथ

बेगुसराय को लाइसेंस/चैनल साझीदार घोषित किया गया था, जिसे सोलर स्ट्रीट लाईट के अधिष्ठापन का कार्य सौंपा गया था। जि.यो.पदा. खगड़िया ने कहा कि निदेशक, ब्रेडा द्वारा जुलाई 2013 में निर्गत आदेश की जानकारी नहीं रहने के कारण, इस आदेश का कार्यान्वयन नहीं किया जा सका।

जि.यो.पदा. का जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि जि.यो.पदा. दरभंगा एवं खगड़िया द्वारा अक्षय ऊर्जा शॉप से क्रय के लिए न तो निविदात्मक प्रक्रिया का अनुपालन किया गया और न ही ब्रेडा द्वारा निर्धारित दरों को सुनिश्चित किया गया था।

मामला सरकार को सूचित किया गया (जून 2015); स्मार के बावजूद (अगस्त 2015), उनका जवाब प्रतीक्षित है।

सामाजिक प्रक्षेत्र

ग्रामीण कार्य विभाग

3.3 निष्कल व्यय

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत साहनगाँव से तियारपारा के बीच सड़क का निर्माण करते समय ग्रामीण कार्य प्रमण्डल, पूर्णियाँ, पुलों के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाने में विफल रहा। राज्य तकनीकी अभिकरण तथा बिहार ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण भी इस चूक पर ध्यान देने में विफल रहे। इसके परिणामस्वरूप, ₹4.15 करोड़ की लागत से निर्मित सड़क सितम्बर 2013 से नदियों के आर-पार से असम्बद्ध रहे, जिससे व्यय निष्कल साबित हुआ।

बिहार सरकार (बि.स.) ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) के अंतर्गत ग्रामीण कार्य विभाग (ग्रा.का.वि.) को कार्यकारी अभिकरण के रूप में चिन्हित किया (दिसम्बर 2000) तथा ग्रा.का.वि., कार्य प्रमण्डल, पूर्णियाँ को परियोजना क्रियान्वयन इकाई (प.क्रि.इ.) के रूप में नियुक्त किया (जून 2007) था। परियोजना क्रियान्वयन इकाई का उत्तरदायित्व प्र.मं.ग्रा.स.यो. के समन्वय एवं क्रियान्वयन तथा यह सुनिश्चित करना था कि 25 मी० से अधिक विस्तृति वाले पुलों के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (वि.प.प्र.) अधीक्षण अभियंता, ग्रा.का.वि. एवं राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण (रा.ग्रा.स.वि.अभि.) के द्वारा नियुक्त (अगस्त 2004) राज्य तकनीकी अभिकरण (रा.त.अभि.)⁵ के संयुक्त स्थल निरीक्षण के पश्चात तैयार की गई थी। ग्रामीण कार्य विभाग ने भी सड़क के वि.प.प्र. तैयार करने हेतु एक वि.प.प्र. सलाहकार की नियुक्ति की (जून 2007)। तत्पश्चात्, प्र.मं.ग्रा.स.यो. के दिशा-निर्देशों के आलोक में रा.त.अभि. एवं राज्य ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण (रा.ग्रा.स.वि.अभि.)⁶ द्वारा वि.प.प्र. की संवीक्षा की जानी थी।

कार्यपालक अभियंता (का.अ.), ग्रामीण कार्य विभाग (ग्रा.का.वि.), कार्य प्रमण्डल, पूर्णियाँ⁷ के अभिलेखों के नमूना जाँच (फरवरी 2014) से ज्ञात हुआ कि तियारपारा गाँव को बारहमासी संपर्कता उपलब्ध कराने हेतु प्र.मं.ग्रा.स.यो. के अंतर्गत साहनगाँव से

⁵ रा.ग्रा.स.वि.अभि. (राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण) ने प्रत्येक राज्य सरकार के परामर्श से ख्यात तकनीकी संस्थानों को चिन्हित करते हुए प.क्रि.इ. को बाहा स्रातों से प्राप्त तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने हेतु राज्य तकनीकी अभिकरण (रा.त.अभि.) के रूप में मनोनीत किया। बिहार के संदर्भ में भागलपुर कॉलेज आफ इंजीनीयरिंग, भागलपुर, बी.ई.एस.यू., हावड़ा, एम.आई.टी. मुजफ्फरपुर और एन.आई.टी. पटना।

⁶ बिहार ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण (बि.ग्रा.स.वि.अभि.)

⁷ राज्य सरकार द्वारा प.क्रि.इ. (जून 2007) में नियुक्त किया गया। तत्पश्चात् मार्च 2012 में यह कार्य ग्रा.का.वि., कार्य प्रमण्डल, बैसी को हस्तांतरित किया गया।

तियारपारा गाँव के बीच 9.991 कि.मी. लंबी सड़क का निर्माण किया जाना था। सड़क की लम्बाई को दो नदियों⁸ प्रतिच्छेदित करती थीं।

वि.प.प्र. सलाहकार द्वारा सड़क के लिए तैयार किए गए (अगस्त 2008) वि.प.प्र. में दो⁹ विभिन्न स्थलों पर 25 मीटर से अधिक विस्तृति वाले स्लैव पुलियों/पुलों की आवश्यकता का उल्लेख किया गया था। हाँलांकि, प.क्रि.इ. पुलों के लिए वि.प.प्र. तैयार करने में विफल रहा। प्रशासनिक अनुमोदन (प्र.अनु.) एवं तकनीकी संस्थीकृति (क्रमशः मार्च 2007 एवं अगस्त 2008) ₹467.77 लाख तथा पुनरीक्षित प्र.अनु. ₹571.11 लाख (जुलाई 2009) पर किया गया जो कि नदियों के आर-पार सड़क के दोनों सिरों को जोड़ने वाले पुलों के प्रावधान के बगैर थे। कार्य (पुलों के प्रावधान के बगैर) को ₹5.25 करोड़¹⁰ के एकरारनामा लागत पर जून 2011 तक पूर्ण करने हेतु एक अभिकरण को सौंपा गया (दिसम्बर 2009)। ₹4.15 करोड़ की लागत से सड़क निर्माण का कार्य पूर्ण किया गया (सितम्बर 2013) परंतु दोनों नदियों पर पुल के अभाव में लक्षित आबादी को बारहमासी संपर्कता उपलब्ध कराने के प्र.मं.ग्रा.स.यो. का उद्देश्य विफल रहा। इस प्रकार, प.क्रि.इ. द्वारा पुलों के वि.प.प्र. तैयार करने में विफलता एवं रा.त.अभि तथा रा.ग्रा.स.वि.अभि. के द्वारा वि.प.प्र. की जाँच में कमी जैसा कि प्र.मं.ग्रा.स.यो. के दिशा-निर्देश में विहित है, के परिणामस्वरूप ₹4.15 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

सहायक अभियंता, कार्य प्रमण्डल, अमौर के साथ लेखापरीक्षा दल द्वारा कार्य स्थल के संयुक्त भौतिक निरीक्षण (जुलाई 2014) में भी इसकी पुष्टि की गई कि ग्रामीण नदी पार करने हेतु नाव का उपयोग कर रहे थे।

सचिव, ग्रा.का.वि., बि.स. ने स्वीकार किया (जुलाई 2015) कि वि.प.प्र. तैयार करने में विलंब हुआ तथा इसे कार्य प्रमण्डल, बैरसी द्वारा तैयार किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा वि.प.प्र. के अनुमोदनोपरांत पुल निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जाएगा, जिससे कि बारहमासी संपर्क पथ उपलब्ध कराया जा सके।

3.4 व्यर्थ व्यय

भार-मुक्त भूमि सुनिश्चित किए बिना कार्य प्रारंभ करने के फलस्वरूप कार्य समय पूर्व बंद हो गया जिसमें अनुसूचित जाति बस्ती को बारहमासी संपर्क पथ उपलब्ध कराने का उद्देश्य विफल हुआ तथा ₹83.60 लाख का व्यर्थ व्यय हुआ।

ग्रामीण कार्य विभाग (ग्रा.का.वि.), बिहार सरकार (बि.स.) के अंतर्गत विशेष अंगीभूत योजना (वि.अं.यो.) का उद्देश्य अनुसूचित जाति (अ.जा.) / अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) की बस्तियों, जिनकी आबादी 200 से अधिक हो, को बारहमासी सड़क संपर्कता उपलब्ध कराना था। संबंधित जिले के कार्यपालक अभियंता (का.अ.) को वि.अं.यो. के अंतर्गत सड़कों को ससमय पूर्ण कराने के कार्य का जिम्मेदारी सौंपा गया था। बिहार लोक निर्माण लेखा (बि.लो.नि.ले.) संहिता, के अनुसार कार्यारंभ के पूर्व सभी भार-मुक्त भूमि, की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

कार्यपालक अभियंता, ग्रा.का.वि. कार्य प्रमण्डल, डुमराँव के अभिलेखों के नमूना जाँच (सितम्बर 2014) में पाया गया कि कसिया महादलित दक्षिण टोला से मथिला मुख्य सड़क तक (2.15 कि.मी.) ग्रामीण सड़क के निर्माण का अनुबंध का.अ., ग्रा.का.वि., कार्य

⁸ परमान नदी और बखरा नदी

⁹ चेनेज 2290(पुल) स्पैन 60 मीटर लगभग और चेनेज 7373 (पुल) स्पैन 50 मीटर लगभग

¹⁰ निर्माण के लिए ₹ 4.93 करोड़ और पाँच वर्षों तक सड़कों के रख-रखाव के लिए ₹ 0.32 करोड़

प्रमंडल, डुमराँव द्वारा एक अभिकरण को ₹1.62 करोड़ के अनुबंधित लागत पर जनवरी 2014 तक पूर्ण करने हेतु दिया (मार्च 2013)। सड़क निर्माण में ग्रैनूलर सब बेस, वाटर बाउन्ड मैकेडम (डब्ल्यू.बी.एम.) ग्रेड-II एवं ग्रेड-III, प्राइम एवं टैक कोट, सील कोट के साथ प्री-मिक्स कारपेट इत्यादि के कार्य सम्पादित थे। हाँलांकि, भूमि विवाद के कारण संवेदक 0.85 कि.मी. तक केवल सब-बेस तथा डब्ल्यू.बी.एम. ग्रेड-II एवं III का कार्य ही पूरा कर सका तथा किए गए कार्य की मापी की गई (जुलाई 2014) जिसकी लागत ₹83.60 लाख थी।

किए गए कार्य का संयुक्त भौतिक निरीक्षण ग्रा.का.प्र., कार्य प्रमंडल, डुमराँव के कनीय अभियंता (क.अ.) द्वारा लेखापरीक्षा दल के साथ किया गया (मई 2015) तथा इस बात की पुष्टि हुई कि कार्य केवल 0.85 कि.मी. में डब्ल्यू.बी.एम. ग्रेड-III स्तर तक पूर्ण किया गया था तथा किया गया कार्य क्षतिग्रस्त था। सड़क का शेष 1.30 कि.मी. भाग केवल मिट्टी के ट्रैक स्वरूप था जो सिर्फ सूखे मौसम में उपयोग लायक था तथा इससे कोई भी बस्ती संबद्ध नहीं था।



(सड़क का पहला 0.85 कि.मी.)

(1.30 कि.मी. भूमि के विवादित हिस्से का टूकड़ा)

इस ओर इंगित किए जाने पर सचिव, ग्रा.का.वि. ने जवाब दिया (जुलाई 2015) कि प्रस्तावित सड़क के गैर-विवादित सरेखण में सड़क के लगभग 0.85 कि.मी. की लंबाई का निर्माण ग्रेड-III स्तर तक किया गया तथा प्र.मं.ग्रा.स.यो. में सड़क के लिए भूमि अधिग्रहण का प्रावधान न होने के कारण सड़क के शेष भाग के निर्माण का विचार छोड़ दिया गया। हाँलांकि, सड़क के निर्मित भाग का उपयोग कुछ हद तक ग्रामीणों द्वारा किया गया।

जवाब मान्य नहीं था क्योंकि सड़क का निर्मित भाग समय के साथ खराब हो गया जिससे इसके निर्माण पर ₹83.60 लाख का व्यय व्यर्थ साबित हुआ तथा ग्रामीण सड़क की अपूर्णता से अ.जा./अ.ज.जा. बस्तियों का बारहमासी संपर्क पथ उपलब्ध कराने का उद्देश्य विफल हुआ।

3.5 परिहार्य व्यय

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पाँच सड़कों के निर्माण में लघु खनिजों के प्राप्ति में लीड के अविवेकपूर्ण प्रावधान के फलस्वरूप ₹2.01 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ एवं सरकार को समान राशि की हानि हुई।

बिहार वित्तीय नियम (बि.वि.नि.), 2005 परिकल्पित करता है कि प्रत्येक सरकारी सेवक को सरकारी निधि से व्यय करते समय या उसकी अनुमति प्रदान करते समय वित्तीय औचित्य के उच्च आदर्शों का पालन करना चाहिए। भारतीय सड़क काँग्रेस के ग्रामीण

सड़क नियमावली (ग्रा.स.नि.) परिकल्पित करता है कि सतह के संचरात्मक परतों में उपयोग में लाए गए सामग्रियों को उपलब्धता, मितव्ययिता एवं पूर्व अनुभव के आधार पर चयनित किया जाना चाहिए।

ग्रामीण कार्य विभाग (ग्रा.का.वि.) में दिसम्बर 2008 से जून 2013 के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) के अंतर्गत निर्मित पाँच¹¹ सड़कों से संबंधित अभिलेखों के नमूना जाँच में यह पाया गया कि (नवम्बर-दिसम्बर 2014) प्राक्कलन में लघु खनिज¹² के प्राप्ति का प्रावधान पाकुड़ खदान से किया गया था, यद्यपि पाँच कार्यों के स्थल शाहकुण्ड खदान के निकट अवस्थित थे। खनिज विकास पदाधिकारी (ख.वि. पदा.), भागलपुर ने पुष्टि की (मई 2015) कि जी.एस.बी., ग्रेड-II, ग्रेड-III इत्यादि के लिए लघु खनिज यथा स्टोन एग्रीगेट, स्टोन चिप्स, स्टोन मेटल 2008 से जनवरी 2013 तक शाहकुण्ड खदान में उत्पादित किए जा रहे थे एवं उपलब्ध थे। आगे, उपरोक्त पाँचों मामलों में पाकुड़ से कार्य स्थलों की दूरी 113 से 172 कि.मी. के बीच थी जबकि शाहकुण्ड से कार्य स्थलों की दूरी 48 से 103 कि.मी. के बीच थी। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (वि.प.प्र.) के साथ संलग्न लागत प्राक्कलन में संबंधित कार्यपालक अभियंता (का.अ.) द्वारा पाकुड़ से लीड¹³ की अनुमति प्रदान की गई थी तथा उसी अनुसार कार्य कार्यान्वित किए गए थे। परिणामस्वरूप प्र.मं.ग्रा.स.यो. के अंतर्गत पाँच कार्यों के संदर्भ में 53 से 70 कि.मी. की लीड के आधिक्य तथा ₹2.01 करोड़ के परिहार्य व्यय हुआ (परिशिष्ट 3.1)।

इसे इंगित किये जाने पर का.अ. ने बताया (अगस्त 2015) कि स्टोन मेटल/लघु खनिजों की उपलब्धता एवं गुणवत्ता के कारण लघु खनिज पाकुड़ खदान से प्राप्त किए गए। अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी—सह—सचिव (अ.मु.का.पदा.—सह—सचिव) बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण (बि.ग्रा.प.वि.अभि.), पटना ने बताया (सितम्बर 2015) कि शाहकुण्ड तथा पाकुड़ दोनों अनुमोदित खदान थे तथा शाहकुण्ड खदान में स्टोन मेटल की अपर्याप्त उपलब्धता के करण इनकी प्राप्ति पाकुड़ खदान से की गई।

कार्यपालक अभियन्ता एवं अ.मु.का.पदा.—सह—सचिव के जवाब स्वीकार्य नहीं थे क्योंकि ख.वि.पदा., भागलपुर ने स्पष्ट रूप से कहा था कि शाहकुण्ड खदान में जनवरी 2013 तक लघु खनिज उपलब्ध थे। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि ग्रा.का.वि. (कार्य) प्रमंडल, बाँका में अधीक्षण अभियंता (नवम्बर 2009) ने शाहकुण्ड खदान, जो कि अन्य 33 सड़क कार्यों से न्यूनतम दूरी पर था, से पथरों के प्राप्ति को अनुमोदित किया तथा 2008-13 के दौरान इसका उपयोग 26 सड़कों एवं आठ पुलों के निर्माण में किया गया था।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2015) है, स्मार—पत्र (अगस्त 2015) के बावजूद, उनका जवाब प्रतीक्षित है।

¹¹ बाँका—I प्रमंडल की तीन सड़कों और बाँका—II प्रमंडल की दो सड़कें

¹² ग्रेनुलर सब—बेस (जी.एस.बी.) के लिए स्टोन मेटल, स्टोन एग्रीगेट, क्रस्ट स्टोन एग्रीगेट, स्टोन चिप्स इत्यादि

¹³ खदान तथा कार्य स्थल के बीच की दूरी

नगर विकास एवं आवास विभाग

3.6 निष्फल व्यय

आवंटित स्थलों के अतिक्रमित तथा विभाग द्वारा बाधामुक्त भूमि उपलब्ध कराने में विफलता के परिणामस्वरूप आवासीय इकाइयों का निर्माण नहीं हो पाया जिससे छ: विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों (वि.प.प्र.) पर किया गया व्यय ₹4.42 करोड़ निष्फल हुआ।

मलिन बस्तियों के सम्पूर्ण विकास के लिए आवास, बुनियादी सेवाएँ तथा अन्य संबंधित नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु, शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएँ (श.ग.बु.से.), जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (ज.ला.ने.रा.श.न.मि.) का एक अवयव है। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा ज.ला.ने.रा.श.न.मि. के अंतर्गत बिहार के दो शहरों (पटना तथा बोधगया) का चयन वर्ष 2005–2006 से सात वर्ष की अवधि हेतु किया गया था।

भारत सरकार (भा.स.) द्वारा पटना एवं बोधगया के लिए चरण I से VI के अंतर्गत ₹709.98 करोड़ की परियोजना लागत के साथ 22,372 आवासीय इकाइयों (आ.ई.) के निर्माण के लिए 18 परियोजनाएँ¹⁴ स्वीकृत (2007–09) की गई। बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा) जो नगर विकास एवं आवास विभाग (विभाग), बिहार सरकार (बि.स.) के अंतर्गत एक अभिकरण है, को उक्त परियोजना हेतु नोडल अभिकरण नियुक्त (जनवरी 2008) किया गया था। आगे, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (वि.प.प्र.) के निर्माण के लिए बुडा द्वारा आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड (हडको) को कार्यकारी अभिकरण के रूप में नियुक्त किया गया तथा उनके बीच कार्यों के कार्यान्वयन हेतु एक समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) (जनवरी 2008) हस्ताक्षरित किया गया।

परियोजना के कार्यान्वयन हेतु बुडा को निधि उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा ₹78.19 करोड़ के केन्द्रीय अंश को सम्मिलित करते हुए कुल ₹102.42 करोड़ विभाग को आवंटित (2007–10) किया गया। 22,372 आ.ई. के निर्माण के लिए, 18 वि.प.प्र. को तैयार करने हेतु बुडा द्वारा हडको को ₹21.51 करोड़ विमुक्त (मार्च 2008 से सितम्बर 2010) किया गया। परन्तु, हडको द्वारा 14596 आ.ई. के निर्माण हेतु मात्र नौ वि.प.प्र. तैयार किया गया जबकि कार्य मात्र तीन वि.प.प्र. के आधार पर ही प्रारंभ किया जा सका था। तदनुसार, 480 आ.ई. का निर्माण किया गया तथा हडको के द्वारा नौ वि.प.प्र. को तैयार करने के एवज में ₹5.60 करोड़ की माँग की गई जिसमें से ₹4.42 करोड़, छ: वि.प.प्र. 11268 आ.ई. के निर्माण से सम्बन्धित थे (परिशिष्ट 3.2)।

हडको के द्वारा परियोजना पर किये गये ₹19.37 करोड़ के व्यय की विवरणी बुडा को समर्पित की गई तथा शेष राशि ₹2.14 करोड़ उनके द्वारा रोक कर रखी गई। निदेशक/बुडा द्वारा उपलब्ध कराये गये सूचना (मार्च 2015) के अनुसार, बुडा के द्वारा शेष परियोजना आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, भा.स. को समर्पित (जूलाई 2014) कर दिया गया क्योंकि चयनित स्थल अतिक्रमित थे एवं राज्य सरकार के द्वारा कोई और अतिक्रमण—मुक्त स्थल उपलब्ध नहीं करवाया जा सका था।

इसे लेखापरीक्षा में इंगित (नवम्बर 2012 तथा जनवरी 2015) किए जाने पर निदेशक बुडा द्वारा बताया गया (मार्च 2015) कि हडको द्वारा मात्र 480 आ.ई. का ही निर्माण किया गया तथा लाभार्थियों को हस्तांतरित किया गया।

इस प्रकार, हडको द्वारा स्थल की उपलब्धता को सुनिश्चित किए बगैर छ: वि.प.प्र. के निर्माण पर व्ययित ₹4.42 करोड़ निष्फल रहा क्योंकि मार्च 2015 तक उक्त वि.प.प्र. पर

¹⁴ 17 परियोजनाएँ पटना में तथा एक परियोजना बोधगया में

कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका था। रा.ग.बु.से. योजना के तहत् प्रस्तावित बेहतर आवास, जलापूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा जैसे बुनियादी सुविधाओं से मलिन बस्ती वासियों को वंचित रहना पड़ा।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया था (मई 2015), स्मार-पत्र (जून 2015) के बावजूद जवाब प्रतीक्षित है।

शिक्षा विभाग

3.7 सर्व शिक्षा अभियान निधि का अनियमित अवरोधन

बिहार वित्तीय नियमों के प्रावधानों का गैर अनुपालन, जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (जि.का.पदा.) के निगरानी के अभाव एवं प्रधानाध्यापक/सचिव, विद्यालय शिक्षा समिति से सर्व शिक्षा अभियान योजना के कार्यान्वयन हेतु प्रदत्त निधियों के गैर समायोजन/गैर वसूली के कारण सात जि.का.पदा. द्वारा ₹2.72 करोड़ का अनियमित अवरोधन।

बिहार वित्तीय नियमावली, 2005 (बि.वि.नि.) के नियम 39 के साथ पठित नियम 9 यह परिकल्पित करता है कि प्रत्येक सरकारी सेवक, जो लोकनिधियों से व्यय करते हैं या व्यय प्राधिकृत करते हैं को वित्तीय औचित्यता के उच्च मानकों द्वारा निर्देशित हाने चाहिए एवं बिना उचित वजह कोई भी राशि सरकार का बकाया नहीं होना चाहिए एवं कहीं कोई देय वसूली मालूम पड़ता है तो सक्षम प्राधिकारी से समायोजन का आदेश अवश्य लेना चाहिए।

सर्व शिक्षा अभियान (स.शि.अभि.) की मार्गदर्शिका विचार करता है कि विद्यालय के विद्यालय शिक्षा समिति (वि.शि.स.) द्वारा निर्माण कार्य, राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् (बि.शि.परि.प.) और या इसके प्रतिनिधि (जि.का.पदा./स.शि.अभि.) एवं वि.शि.स. के बीच हुए एकारानामा के अन्तर्गत निधि प्राप्त होने के तीन माह के अंदर किया जाना चाहिए। कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु वि.शि.स. को प्रदान की गई राशि राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंकों में रखा जाना था। वि.शि.स. के खातों का संचालन, सचिव वि.शि.स. एवं विद्यालय प्रधानाध्यापक के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाना था। जि.का.पदा. नियमित पर्यवेक्षण एवं कार्य के मार्गदर्शन के लिए जिम्मेदार थे।

सात जि.का.पदा.¹⁵ के अभिलेखों के लेखापरीक्षा में पाया गया (दिसम्बर 2013 से फरवरी 2015 तक) कि ₹5.12 करोड़ की राशि 2004–15 के दौरान 48 विद्यालय के वि.शि.स. को अतिरिक्त वर्ग कक्ष (अ.व.क.)/नया विद्यालय भवन (न.वि.भ.)/संसाधन केन्द्र/प्रधानाध्यापक कक्ष एवं भंडार कक्ष के निर्माण हेतु प्रदान किया गया था। इनमें से 31 विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों/सचिव ने ₹2.70 करोड़ की राशि निकासी की एवं ₹1.54 करोड़ का निर्माण कार्य सम्पन्न किया तथा शेष ₹1.16 करोड़ संबंधित प्रधानाध्यापकों/सचिव, वि.शि.स. द्वारा रोक कर रखा गया। बाद में ₹5.12 करोड़ में से ₹1.56 करोड़ राशि 17 विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों/सचिव, वि.शि.स. द्वारा निकासी की गयी, परंतु निर्माण कार्य अभी तक प्रारंभ किया जाना था (सितम्बर 2015)। ये राशि प्रधानाध्यापकों/सचिव, वि.शि.स. द्वारा एक से सात वर्षों तक रोक कर रखा गया था। जाँच क्रम में यह भी पाया गया कि दो जिलों¹⁶ के दो प्रधानाध्यापकों की मृत्यु हो चुकी थी, चार जिला¹⁷ आठ प्रधानाध्यापक सेवानिवृत्त हो चुके थे (सितम्बर 2012 से जनवरी 2015 तक) एवं 22 प्रधानाध्यापक अपने प्रभार से मुक्त हो चुके थे

¹⁵ बेगुसराय, दरभंगा, कटिहार, मुजफ्फरपुर, पूर्णियाँ, सीतामढी और सीवान

¹⁶ कटिहार और पूर्णियाँ

¹⁷ बेगुसराय, दरभंगा, कटिहार और सीवान

(परिशिष्ट 3.3)। प्रधानाध्यापकों को बकाया राशि वसूल किये बिना कार्य प्रभार से मुक्त करना संबंधित जि.का.पदा. की तरफ से एक गंभीर चुक है, जबकि सेवानिवृत्त/मृत प्रधानाध्यापक से वसूली की संभावना सुदूर था। प्रधानाध्यापकों/सचिव, वि.शि.स. द्वारा निकास की गई कुछ राशि की उनके द्वारा गबन करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

इस प्रकार, बिहार वित्तीय नियम के प्रावधानों का गैर अनुपालन जि.का.पदा. के निगरानी के अभाव तथा प्रधानाध्यापकों/सचिव, वि.शि.स. से गैर समायोजन/गैर वसूली के कारण से सात जि.का.पदा. में ₹2.72 करोड़ का अनियमित अवरोधन हुआ।

इसे इंगित किये जाने पर राज्य परियोजना निदेशक, बी.ई.पी.सी. ने कहा (अगस्त 2015) कि जि.का.पदा. एवं बी.ई.ओ. को एफ.आई.आर. दर्ज करने एवं दोषी से राशि की वसूली का निर्देश दिया गया था।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी का जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि संबंधित प्रधानाध्यापकों/सचिव, वि.शि.स. से राशि की गैर समायोजन/गैर वसूली उपरोक्त वित्तीय प्रावधनों/नियमों के प्रति जि.का.पदा. की लापरवाही एवं गैर अनुपालन का सूचक था।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (मई 2015); स्मार पत्रों (जुलाई 2015, अगस्त 2015 एवं सितम्बर 2015) के बावजूद जवाब प्रतीक्षित है।

आर्थिक प्रक्षेत्र

कृषि विभाग

3.8 फर्जी इनवॉइस पर अनुदान का कपटपूर्ण भुगतान

जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा अनुश्रवण की कमी के फलस्वरूप ट्रैक्टर की अधिप्राप्ति में कृषकों द्वारा प्रस्तुत फर्जी इनवॉइस के विरुद्ध उनको ₹2.29 करोड़ के अनुदान का कपटपूर्ण भुगतान हुआ।

कृषि विभाग, बिहार सरकार (विभाग) के कृषि यांत्रिकरण योजना कार्यक्रम के तहत कृषि संयंत्रों के क्रय हेतु योग्य कृषकों को अनुदान दिया जाना था। कृषि विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत (2012–15) कृषि रोड मैप के कार्यान्वयन अनुदेशों के अनुसार जिला कृषि पदाधिकारी (जि.कृ.पदा.) द्वारा कृषकों को किसान मेला में आवेदन का समूचित जाँच कर योग्य कृषकों को अनुदान प्रदान करने हेतु किसी अधिकृत एजेन्सी से अनुदानित दर पर कृषि यंत्र क्रय किये जाने के लिए स्वीकृत-पत्र निर्गत किया जाना चाहिए था। क्रय का सत्यापन जि.कृ.पदा. द्वारा क्रय किए जाने के दो से छः माह के अंदर कृषकों के घरों पर जाकर किया जाना चाहिए था। किसान मेला में उपकरणों का क्रय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जि.कृ.पदा. को कैश मेमों प्रतिहस्ताक्षरित करना चाहिए था तथा कृषकों द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कैश मेमों के आधार पर अनुदान का दावा किया जाना चाहिए था। कपट की स्थिति में कृषक से अनुदान की वसूली की जानी चाहिए थी तथा विधि के अनुसार कार्रवाई आरंभ की जानी चाहिए थी।

नौ¹⁸ जि.कृ.पदा. के अंतर्गत कृषि उपकरणों (ट्रैक्टर) के क्रय इनवॉइस के नमूना जाँच (दिसम्बर 2014 से जुलाई 2015) से पता चला कि किसान मेलों में 486 ट्रैक्टरों का क्रय दर्शाया गया था। यद्यपि इनवॉइस तथा संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी (जि.परि.पदा.) से गाड़ियों के निबंधन के संबंधित आँकड़ों के पारस्परिक सत्यापन से

¹⁸ भागलपुर, बिहारशरीफ, छपरा, गोपालगंज, हाजीपुर, किशनगंज, मधुबनी, मोतिहारी तथा सीतामढ़ी

पता चला कि (दिसम्बर 2014 से जुलाई 2015) कि 486 ट्रैक्टरों में से 449 ट्रैक्टर की क्रय की तिथि जुलाई 2012 से मार्च 2015 के दौरान आयोजित किसान मेलों के या तो पहले या बाद में तथा 37 का क्रय तब किया गया था जिस अवधि में कोई किसान मेला आयोजित नहीं किया गया था। यह दर्शाता है कि कृषकों द्वारा ₹2.29 करोड़ के अनुदान को प्राप्त करने हेतु फर्जी इनवॉइस प्रस्तुत किया गया (परिशिष्ट 3.4)।

यह भी देखा गया कि:

- जि.कृ.पदा., भागलपुर, छपरा, हाजीपुर, किशनगंज, मोतिहारी तथा सीतामढ़ी के अंतर्गत बारह कृषकों (486 में से) तथा जिनको ₹5.70 लाख का अनुदान स्वीकृत किया गया था द्वारा ट्रैक्टरों के क्रय हेतु वैसा इनवॉइस प्रस्तुत किया गया जो जि.परि.पदा. के अभिलेखों के अनुसार दूसरे व्यक्तियों से संबंधित थे (परिशिष्ट 3.5)।
- 486 में से 470 ट्रैक्टर व्यवसायिक वाहनों के रूप में पंजीकृत थे।

इस प्रकार, जि.कृ.पदा. के द्वारा क्रय के अनुश्रवण की कमी के फलस्वरूप फर्जी इनवॉइस के विरुद्ध ₹2.29 करोड़ के अनुदान का कपटपूर्ण भुगतान हुआ।

जि.कृ.पदा., बिहारशरीफ ने जवाब दिया (जनवरी 2015) कि मामले की समीक्षा की जाएगी एवं लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा। जि.कृ.पदा., किशनगंज ने जवाब दिया (फरवरी 2015) कि ट्रैक्टर के क्रय की तिथि के संदर्भ में जि.परि.पदा., किशनगंज से पत्राचार किया गया है। जि.कृ.पदा., मोतिहारी ने जवाब दिया (जून 2015) कि किसान मेलों में कृषकों द्वारा प्रदत्त उपकरणों के क्रय से संबंधित मूल इनवॉइस के आलोक में अनुदान दिया गया है। जि.कृ.पदा., गोपालगंज, मधुबनी, हाजीपुर तथा सीतामढ़ी ने जवाब दिया (मार्च 2015 से मई 2015) कि संबंधित दस्तावेजों की जाँच करने के उपरांत कार्रवाई आरंभ की जाएगी तथा लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा। जि.कृ.पदा., भागलपुर ने जवाब दिया (जुलाई 2015) कि विभागीय दिशा-निर्देशों के तहत लाभार्थियों किसानों को भुगतान किया गया। जि.कृ.पदा., छपरा ने जवाब दिया (जून 2015) कि 2012–13 तथा 2013–14 के दौरान आयोजित मेलों में क्रय के संदर्भ में कैश मेमों के आधार पर लाभार्थी को अनुदान दिया गया है।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2015); स्मार-पत्रों (जून 2015 तथा अगस्त 2015) के बावजूद, जवाब अभी भी प्रतीक्षित है।

3.9 सरकारी धन का गबन

बिहार कृषि उपज बाजार विनियम, 1975 के प्रावधानों के गैर अनुपालन एवं बैंक खाता में दैनिक प्राप्तियों के संग्रह और उनके जमा की जाँच में विशेष पदाधिकारी—सह—अनुमंडल पदाधिकारी की विफलता के परिणामस्वरूप ₹50.40 लाख सरकारी धन का गबन।

बिहार कृषि उपज बाजार (बि.कृ.उ.बा.) विनियम, 1975 के नियम 68 में प्रावधान है कि कृषि समिति के पक्ष में प्राप्त सभी धन एक निधि अर्थात् “बाजार समिति निधि” में अनुमानित एवं जमा किए जाएंगे। इस निधि में रखे जाने वाले सभी धन एक सप्ताह में कम—से—कम एक बार भारतीय स्टेट बैंक में जमा किए जाएंगे। आगे, बि.कृ.उ.बा. विनियम, 1975 के नियम 84 (1) परिकल्पित करता है कि तीन प्रतियों में हस्ताक्षरित रसीदें उस व्यक्ति को दी जाएगी जिससे सरकारी कर्मचारी द्वारा जो बाजार समिति के पक्ष में सभी धन संग्रह/प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत हो, राशि संग्रह की जाती है तथा रसीद की एक प्रति कार्यालय अभिलेख के लिए रखी जाएगी। कृषि विभाग बिहार

सरकार (बि.स.) द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 3875 दिनांक 13 सितम्बर 2006 के अनुसार संबंध अनुमंडल पदाधिकारी को बाजार समिति के विशेष पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। विशेष पदाधिकारी बाजार समिति सभी चल और अचल सम्पत्ति का प्रभार लेगें जिसमें किराये पर दिये गये दुकान और गोदाम भी शामिल होंगे।

कार्यालय, विशेष पदाधिकारी—सह—अनुमंडल पदाधिकारी (वि.प.—सह—अ.पदा.) कृषि उपज बाजार समिति (कृ.उ.बा.स.), समस्तीपुर के अभिलेखों के नमूना जाँच में यह पाया गया (दिसम्बर 2014) कि:

- बाजार समिति द्वारा अगस्त 2012 से जूलाई 2014 के दौरान व्यापारियों से किराये के रूप में मनी रसीदों (म.र.) के माध्यम से ₹28.13 लाख प्राप्त किये गये थे जो कृ.उ.बा.स. समस्तीपुर के पक्ष में बिहार राज्य कृषि विषयन परिषद (बि.रा.कृ.वि.प.) पटना द्वारा जारी किए गए थे, लेकिन रकम न तो रोकड़ बही तथा दैनिक संग्रह पंजी में दर्ज थे न ही कृ.उ.बा.स. के बैंक खाते में जमा थे (परिशिष्ट 3.6)।
- कृषि उपज बाजार समिति द्वारा वर्ष 2013–14 में चेक और नगदी के माध्यम से ₹43.96 लाख एकत्र किए गए थे तथा वर्ष 2013–14 के लिए कृ.उ.बा.स. का प्रारंभिक शेष ₹0.60 लाख था। हाँलांकि केवल ₹29.31 लाख बैंक में जमा किए गए थे और ₹14.65 लाख की शेष राशि बैंक में जमा नहीं की गई थी (परिशिष्ट 3.6)।
- वर्ष 2011–12 और 2012–13 की 11 प्राप्तियों की राशि ₹7.63 लाख फरवरी 2012 से दिसम्बर 2012 के दौरान बैंक में जमा नहीं किए गए थे हाँलांकि इन्हें रोकड़ बही में दर्ज किया गया था (परिशिष्ट 3.6)।

इसे इंगित करने पर (दिसम्बर 2014) वि.प.—सह—अ.पदा., कृ.उ.बा.स., समस्तीपुर ने कहा कि लेखा लिपिक जो 31 जनवरी 2014 को सेवानिवृत्त हुये, ने सत्यापन हेतु अभिलेखों को जमा नहीं किया तथा उनके विरुद्ध प्राथमिकी (3 दिसम्बर 2014) तथा निलामवाद (13 जनवरी 2015) दर्ज कराया गया है। हाँलांकि जवाब, सरकार के खाते में धन की नियमित रूप से जमा की जाँच करने हेतु नियंत्री पदाधिकारी के जिम्मेदारी के सम्बंध में मौन था। आगे, वि.प.—सह—अ.पदा. द्वारा दिये गये जवाब और कार्रवाई स्वीकार्य नहीं थे चूंकि बैंक में दैनिक प्राप्तियों के संग्रह एवं उनके जमा की जाँच में वि.प.—सह—अ.पदा. की विफलता, लापरवाही तथा बि.कृ.उ.बा. विनियम एवं सरकारी अधिसूचना के नियमों का गैर अनुपालन का संकेत था।

इस प्रकार, बि.कृ.उ.बा. विनियम के प्रावधानों के गैर अनुपालन एवं बैंक खातों में दैनिक प्राप्तियों के संग्रह और उनके जाँच में वि.प.—सह—अ.पदा. की विफलता के परिणामस्वरूप ₹50.40 लाख की राशि के सरकारी धन का गबन हुआ।

मामले को सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2015), स्मार पत्र (मई 2015) के बावजूद जवाब प्रतीक्षित है।

जल संसाधन विभाग

3.10 व्यर्थ व्यय

वर्ष 2010 बाढ़ के पहले कटाव निरोधक समिति द्वारा बोल्डर सतहीकरण कार्य की कटौती की अनुशंसा के अविवेकपूर्ण निर्णय के फलस्वरूप सरकार द्वारा ₹1.18 करोड़ का व्यर्थ व्यय किया गया।

बाढ़ प्रबंधन नियमावली, 2003 की कंडिका 4.9 परिकल्पित करता है कि प्रत्येक वर्ष, क्षेत्रीय कार्यालय पूर्ववर्ती बाढ़ अवधि में नदी के व्यवहार एवं इस अवधि के दौरान प्राप्त अनुभव के आधार पर अगले बाढ़ मौसम से पूर्व बाढ़ सुरक्षा कार्यों की सूची तैयार

करेंगे। इस उद्देश्य के लिए जल संसाधन विभाग (ज.सं.वि.) के प्रत्येक मुख्य अभियंता (मु.अ.) अपने क्षेत्राधिकार के बाढ़ग्रस्त इलाकों के लिए कटाव-निरोधक समिति (क.नि.स.) का गठन करेंगे। क.नि.स. की अनुशंसा के आधार पर, क्षेत्रीय पदाधिकारी प्राक्कलन तैयार कर राज्य तकनीकी सलाहकार समिति (रा.त.स.स.) के समक्ष उपस्थापित करेंगे। जल संसाधन विभाग के क्षेत्रिय पदाधिकारी, त.स.स. के अनुशंसा पर संशोधित योजनाओं को पुनः अत्यावश्यक योजनाओं के चयन हेतु विभागीय योजना समीक्षा समिति (यो.स.स.) के समक्ष उपस्थापित करेंगे।

कार्यपालक अभियंता (का.अ.), बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल (बा.नि.प्र.), बेगुसराय के अभिलेखों के नमूना जाँच (अगस्त 2013) में पाया गया कि मुंगेर बाँध जो कि 17 कि.मी. से 18 कि.मी. के बीच ग्राम-अयोध्या, बारूनी के नजदीक गंगा नदी के बाँये तटबंध पर अवस्थित है, के कटाव निरोधक कार्य जिसकी प्रशासनिक अनुमोदन (दिसम्बर 2009) ₹1.28 करोड़ एवं तकनीकी स्वीकृति (त.स्वी.) (जनवरी 2010) ₹1.14 करोड़ थी को एक अभिकरण को ₹1.18 करोड़ में कार्य करने के लिए आवंटित (मार्च 2010) किया गया जिसे मई 2010 तक पूरा किया जाना था। हाँलांकि यह देखा गया कि क.नि.स. का कटाव निरोध के लिए बोल्डर तथा परक्यूपाइन कार्य¹⁹ (अक्टूबर 2009) के प्रस्ताव को त.स.स. द्वारा बिना कोई कारण बताए ही बदल दिये गये थे। विभाग ने सिर्फ त.स.स. (अक्टूबर 2009) एवं यो.स.स. (दिसम्बर 2009) की अनुशंसाओं पर परक्यूपाइन का कार्य कराया। कार्य को मार्च 2010 में आरंभ कर मई 2010 में अभिकरण द्वारा समाप्त किया गया तथा ₹1.18 करोड़ का भुगतान इसे किया गया। हाँलांकि, कार्यान्वित कार्य गंगा नदी के प्रवाह को रोकने में असफल रहा तथा ज्यादातर परक्यूपाइन वर्ष 2010/2011 के बाढ़ के दौरान बह गये।

संवीक्षा में आगे यह पाया गया कि क.नि.स. ने वर्ष 2011 के बाढ़ से पहले पुनः बोल्डर तथा परक्यूपाइन सुरक्षा कार्य संपादित करने हेतु अनुशंसा²⁰ (दिसम्बर 2010) की। तकनीकी सलाहकार समिति एवं योजना समीक्षा समिति ने परक्यूपाइनस की विफलता के पूर्व के अनुभव को समझने के बाद प्रस्ताव को स्वीकृत किया तथा संवेदक के साथ ₹6.04 करोड़ का एकारनामा संपादित (फरवरी 2011) किया। कार्य जून 2011 में पूर्ण कर लिया गया तथा इसके लिए 6.04 करोड़ का भुगतान किया गया। उक्त तिथि (मई 2015) तक कार्य बचा हुआ था।

इस प्रकार, वर्ष 2010 के बाढ़ से पहले क.नि.स. द्वारा बोल्डर सतहीकरण कार्य की कमी की अनुशंसा के अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण सरकार का ₹1.18 करोड़ का व्यर्थ व्यय हुआ।

कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल बेगुसराय ने जवाब में यह स्वीकार किया (अगस्त 2013) कि वर्ष 2010 तथा वर्ष 2011 के बाढ़ के दौरान परक्यूपाइन बह गये। इसे ज.स.वि. समस्तीपुर के मु.अ. तथा ज.स.वि., बिहार सरकार के संयुक्त सचिव द्वारा भी पुष्टि किया गया (मई 2015)।

¹⁹ चैनल 22मी.×1.20मीटर अप्रैन के सामने 210 मी. लम्बाई में बोल्डर सतहीकरण कार्य जिसमें दोनों किनारों पर एनकरेज तथा 16.5 मीटर सी./सी. पैनल में 0.60 मी. की मोटाई का सलोप पीचिंग तथा 150 मी. चैनल के आर पार दो सतहों में पाँच रो. मे. आर.सी.सी. परक्यूपाइन स्क्रीन का बिछाया जाना था।

²⁰ बोल्डर सतहीकरण 22मी. × 1.2मी. के द्वारा (पैनल में क्रेटेड बोल्डर द्वारा) एन.सी. बेस के ऊपर प्रेन में 600 मी. लम्बाई में दोनों तरफ एनक्रेन तथा स्लोप में मी. मोटाई का बोल्डर पीचिंग जी.टी. एफ. पैनल में किया जाना था तथा टॉप की कैपिंग 1.5मी. × 0.6 मी. मोटाई के क्रेटेड बोल्डर से ताकि चैनल को बंद करने के लिए आर.सी.सी. परक्यूपाइन एम 200 जिसमें कि नामिनल मिक्स (1:5:3) फांउडेन में कैनाल में विभिन्न भागों में या बांध तथा 600 बने हुए परक्यूपाइन की हॉलिंग कर पौलसिंग किया जाना तथा झाँकी द्वारा भराई किया जाना।

जवाब में सरकार ने कहा (सितम्बर 2015) कि कार्य को ₹118.48 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के बाद पूर्ण किया गया। कार्य द्वारा वर्ष 2010 के बाढ़ के तीव्रता तथा उग्रता को रोका जा सका तथा यह स्थल की क्षति को कम करने में भी सहायक सिद्ध हुआ था और इससे प्रयोजन को पूरा किया गया। इस प्रकार कटाव निरोधक कार्य पर लगाया गया लागत फलदायी था।

जवाब स्वीकार्य नहीं था जैसा कि क.नि.स. के अनुसार संरचना का निर्माण पूर्ण सुरक्षा हेतु स्थल की वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप किया जाना था और न कि क्षति को उस सीमा तक कम किये जाने हेतु। यह तथ्य इस बात से प्रमाणित होता है कि त.स.स. तथा यो.स.स. के द्वारा बाढ़ वर्ष 2011 के लिए क.नि.स. के अनुशंसा को पूर्ण रूप से माना गया तथा जिससे कार्य को बचाये रखने में सफलता मिली।

पथ निर्माण विभाग

3.11 परिहार्य अधिक भुगतान

सेवा कर को विमुक्त किए जाने के भारत सरकार के अधिसूचना की अवहेलना करते हुए मुख्य अभियंताओं द्वारा प्राक्कलन में सेवा कर की अनियमित समावेशन के फलस्वरूप संवेदकों को ₹11.23 करोड़ का परिहार्य अधिक भुगतान हुआ।

वित्त मंत्रालय भारत सरकार (भा.स.) के यथा संशोधित अधिसूचना (जुलाई 2009) के अनुसार पथों के मरम्मति, संधारण, प्रबंधन से संबंधित किसी व्यक्ति द्वारा प्रदत्त कर योग्य सेवाएँ उस पर लगनेवाले सेवा कर से विमुक्त हैं।

छ: पथ प्रमंडलों²¹ (प.प्र.) के अभिलेखों के नमूना जाँच से पता चला (मई 2014 से मई 2015) कि पथ निर्माण विभाग (प.नि.वि.) द्वारा दीर्घ कालीन उत्पादन एवं निष्पादन आधारित परिस्पर्ति संधारण संविदा (ओ.पी.आर.एम.सी.) हेतु ₹329.22 करोड़ जिसमें ₹36.22 करोड़ का सेवा कर सम्मिलित था के प्राक्कलित लागत मूल्य²² (प्रा.ला.मू.) के आधार पर निविदाएँ निकाली गई (सितम्बर 2013 तथा अक्टूबर 2013) जबकि पथ के मरम्मति एवं संधारण से संबंधित सेवाएँ सेवाकर से मुक्त थे। तदनुसार, संबंधित प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंताओं (का.अ.) द्वारा ओ.पी.आर.एम.सी. हेतु एकरारनामित दर पर जिसमें सेवा कर भी सम्मिलित था, एकरारनामा किया गया (दिसम्बर 2013 से फरवरी 2014) एवं प्रमंडलों²³ द्वारा संवेदकों को ₹102.05 करोड़ का भुगतान किया गया (जनवरी 2014 से मई 2015) जिसमें ₹11.23 करोड़ सेवा कर भी सम्मिलित था (परिशिष्ट 3.7)। प्राक्कलन में सेवा कर का समावेशन कार्यपालक अभियंताओं द्वारा एकरारनामा करने के समय भी नहीं देखा गया। इस प्रकार, सेवा कर को विमुक्त करने के भारत सरकार के अधिसूचना की अवहेलना करते हुए मुख्य अभियंताओं द्वारा प्राक्कलन में सेवा कर की अनियमित समावेशन किए जाने के परिणामस्वरूप संवेदकों को ₹11.23 करोड़ का परिहार्य अधिक भुगतान हुआ।

पथ प्रमंडल शेखपुरा एवं मधेपुरा के कार्यपालक अभियंताओं ने जवाब दिया (जून 2014) कि मामला उच्चाधिकारियों को प्रतिवेदित किया जायेगा। हाँलांकि, पथ प्रमंडल शेखपुरा द्वारा संवेदकों के विपत्रों से सेवा कर की कटौती की गई तथा इसे जमा शीर्ष²³ में रखा

²¹ भूमा, कटिहार, मधेपुरा, नूतन राजधानी प्रमंडल पटना, पटना सिटी गुलजारबार, शेखपुरा

²² कनीय अभियंता, कार्यपालक अभियंता द्वारा तैयार किया गया तथा अंतिम रूप से मुख्य अभियंता द्वारा स्वीकृत किया गया।

²³ बिहार लोक कार्य लेखा संहिता के निम्न 37 के अंतर्गत यह एक लघु शीर्ष उचंत का भाग है।

गया परंतु बाद में अगस्त 2014 में संवेदकों को राशि विमुक्त कर दिया गया। पथ प्रमंडल कटिहार एवं भभुआ के कार्यपालक अभियंताओं ने जवाब दिया (फरवरी 2015 तथा मई 2015) कि एकरारनामा के अनुसार भुगतान किये गये थे। नूतन राजधानी प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता ने जवाब दिया (सितम्बर 2014) कि इस मामले में प्रमंडल की कोई भूमिका नहीं थी। पटना सिटी, गुलजारबाग के कार्यपालक अभियंता ने जवाब दिया (जनवरी 2015) कि चूंकि सेवा कर की राशि प्राक्कलन में सम्मिलित की गई थी, सरकार से निर्देश प्राप्त किया जाएगा। शेष पथ प्रमंडलों ने संवेदकों के चालू विपत्रों²⁴ से सेवा कर की कटौती कर इसे जमा शीर्ष में रख दिया। कटिहार तथा भभुआ प्रमंडलों का जवाब स्वीकार्य नहीं था, चूंकि प्राक्कलन में सेवा कर को अनियमित ढंग से सम्मिलित किया गया था।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2015); स्मार के बावजूद (जून 2015) जवाब अभी भी अप्राप्त है।

गन्ना उद्योग विभाग

3.12 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का अमान्य प्रतिपूर्ति

गन्ना विकास विभाग के संकल्प के प्रावधान का अनुपालन नहीं किये जाने के फलस्वरूप ₹5.85 करोड़ की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का अदेय प्रतिपूर्ति की गई।

राज्य की नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत राज्य में निजी क्षेत्र/सहकारिता क्षेत्र में चीनी मिलों के तकनीकी उन्नयन एवं क्षमता विस्तार को प्रोत्साहित करने तथा नई चीनी मिलों की स्थापना हेतु पैंजी निवेश आकर्षित करने हेतु गन्ना विकास विभाग (ग.वि.वि.) द्वारा एक 'प्रोत्साहन पैकेज 2006' का सूत्रण किया गया (सितम्बर 2006)। संकल्प परिकल्पित करता है कि प्रोत्साहन पैकेज का लाभ सिर्फ उन्हीं मिलों को देय होगा जो कि राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद (रा.नि.प्रो.प.) के अनुमोदन की तिथि के तीन वर्ष के अंदर 5000 टन गन्ना प्रति दिन (टी.सी.डी.) तक क्षमता विस्तार कर ले। संकल्प यह भी परिकल्पित करता है कि चीनी मिल के क्षमता विस्तार के परिणामस्वरूप अतिरिक्त उत्पादित चीनी की मात्रा पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति की जानी चाहिए थी। आगे, कार्यकारी व्यापार नियमावली 1979 के अनुसार वित्त विभाग से पूर्व परामर्श किए बिना कोई भी विभाग कोई ऐसा आदेश प्राधिकृत न करेगा जो सीधे या परिणामस्वरूप राज्य के वित्त पर प्रभाव डाले।

गन्ना उद्योग विभाग (ग.उ.वि.) के अभिलेखों के नमूना जाँच से पता चला (अप्रैल 2015) कि रा.नि.प्रो.प. ने मे. जयश्री चीनी मिल²⁵ मंजौलिया, पश्चिमी चम्पारण के क्षमता विस्तार के प्रस्ताव को अक्टूबर 2006 में अनुमोदित किया तथा चार वर्षों के उपरांत दिसम्बर 2010 में 5000 टी.सी.डी. व्यवसायिक उत्पादन प्राप्त किया। अतः संकल्प के प्रावधान के अनुसार, मिल किसी भी प्रोत्साहन को पाने योग्य नहीं था। तथापि, प्रधान सचिव (प्र.स.), ग.उ.वि. जुलाई 2011 में निर्गत मार्गदर्शिका के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि चूंकि अधिकांश उद्योग क्षमता विस्तार में तीन से चार वर्ष ले रहे हैं, अतः क्षमता विस्तार के पूर्व के दो वर्षों को चिन्हित किया जाना आवश्यक है। प्रधान सचिव ने भी यह निर्देश दिया कि क्षमता विस्तार की परियोजना पर रा.नि.प्रो.प. द्वारा प्रदत्त स्वीकृति का पेराई सत्र एवं ठीक पहले के पेराई सत्र की औसत मात्रा को चीनी मिलों द्वारा क्षमता विस्तार के परिणामस्वरूप अतिरिक्त चीनी उत्पादन की गणना हेतु विचार किया जाएगा। यह मार्गदर्शिका सितम्बर 2006 में निर्गत संकल्प के अनुकूल नहीं थी। इसके

²⁴ बेगुसराय, दरभंगा, जमुई एवं मुजफ्फरपुर

²⁵ पूर्ववर्ती मे.एम.पी. चीनी इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, मंजौलिया

अलावा कार्यकारी व्यापार नियमावली, 1979 के तहत भी इसका अनुमोदन वित्त विभाग से प्राप्त नहीं किया गया था। इस प्रकार, प्रधान सचिव के निर्गत मार्गदर्शिका सरकार द्वारा निर्गत संकल्प के अनुरूप नहीं होने के परिणामस्वरूप ₹5.85 करोड़ (₹1.47 करोड़, ₹1.77 करोड़ एवं ₹2.61 करोड़ क्रमशः वर्ष 2011–12, 2012–13 एवं 2013–14 के लिए) के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का अमान्य प्रतिपूर्ति किया गया।

इसे इंगित किये जाने पर (जून 2015) विभाग द्वारा जवाब दिया गया (अगस्त 2015) कि रा.नि.प्रो.प. के द्वारा दो चरणों में परियोजना के क्षमता विस्तार 3500 टी.सी.डी. से 5000 टी.सी.डी. की स्वीकृति दी गई थी। प्रथम स्वीकृति 9 दिसम्बर 2006 तथा द्वितीय स्वीकृति 8 मार्च 2010 (4300 टी.सी.डी. से 5000 टी.सी.डी.) को प्रदान की गई थी। आगे, यह भी बताया गया कि किसी विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में सचिव, ग.उ.वि. का निर्णय अंतिम माना जाएगा।

जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि रा.नि.प्रो.प. के द्वारा पूर्व में ही 9 अक्टूबर 2006 को 3500 टी.सी.डी. से 5000 टी.सी.डी तक के क्षमता विस्तार की स्वीकृति प्रदान की गई थी जबकि मिल के द्वारा क्षमता विस्तार के उपरान्त व्यवसायिक उत्पादन आरंभ करने में दिसम्बर 2010 तक चार वर्ष लगे थे। दूसरा प्रोत्साहन नीति का लाभ अगले पैकेज (मार्च 2014) तक भी अक्षुण्ण रहा।

(पी.के. सिंह)

पटना
दिनांक:

महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, पटना

प्रतिहस्ताक्षरित

(शशि कान्त शर्मा)

नई दिल्ली
दिनांक:

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट-1.1
(संदर्भ: कंडिका-1.7 पृष्ठ-4)

लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों / कंडिकाओं को दर्शाती विवरणी

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सामान्य प्रक्षेत्र			सामाजिक प्रक्षेत्र			आर्थिक प्रक्षेत्र		
	नि.प्र. की सं.	कंडिकाओं की सं.	राशि	नि.प्र. की सं.	कंडिकाओं की सं.	राशि	नि.प्र. की सं.	कंडिकाओं की सं.	राशि
2007-08	86	417	248.85	356	2184	4481.98	255	1215	8581.73
2008-09	126	425	590.27	462	3007	3757.80	342	1932	2790.91
2009-10	91	389	369.99	556	3155	6206.65	359	1883	2826.24
2010-11	86	321	554.24	492	2657	7888.50	261	1317	4926.69
2011-12	3	15	10.12	83	572	7133.30	83	543	12004.32
2012-13	51	426	3023.82	452	2877	31883.35	98	714	7354.15
2013-14	156	1185	1696.55	555	3452	16055.28	169	1193	16855.63
2014-15	54	348	1229.84	193	1364	4201.68	72	498	2679.27
	653	3526	7723.68	3149	19268	81608.54	1639	9295	58018.94

(नोट: इस कर्यालय के विभिन्न प्रक्षेत्रों से प्राप्त सूचनाओं का संकलन)

परिशिष्ट-1.2
(संदर्भ: कंडिका-1.7 पृष्ठ-4)

लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों के कंडिकाओं का विभिन्न प्रकारों के अनियमितताओं को दर्शाती विवरणी

वर्ष	निप्र. की संख्या	कुल कंडिकाएँ															
		विविध अपलोडन	उद्देश्यों की गैर उपलब्धि / निष्फल व्यय	उपकरणों की अधिकापना में देरी/निष्क्रिय उपकरण और तटसंबंधी परिणाम	निष्क्रिय कर्मचारियों को भजदूरी का शुभानन	धन का निष्क्रिय निवेश/ निष्क्रिय स्थापना / निषियों का अवरोधन	निषियों के अपगत होने से बचने के लिए वास्तविक जरूरत से आधिक भंडार/गोदाम का क्रय	सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना प्रतीबंध लगा दिए गए वस्तुओं या विशेष प्रकृति की वस्तुओं पर व्यय	निषियों के अपगत होने से बचने के लिए वित्तीय वर्ष के अंत में निषियों का एक साथ आहरण एक योजना से दूसरे या एक शीर्ष से दूसरे में निषियों का विचलन	सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना किए गए व्यय	व्यर्थ/निर्खर्क व्यय	परिहार्य/अधिकार्ह व्यय	संविदात्मक वायित्यों का उल्लंघन एवं संवेदकों को अनुचित लाभ	लेखापरीक्षा में पाए गए वस्तुओं एवं अधिक शुभानन धोखाधड़ी/ दुरुविनायेजन/ गवन/ हानि	लेखापरीक्षा में पाए गए वस्तुओं एवं अधिक शुभानन		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2007-08	697	82	256	49	72	209	43	134	4	14	20	187	37	6	179	2524	3816
2008-09	930	119	333	108	86	321	38	222	3	4	12	334	17	5	218	3543	5363
2009-10	1006	155	303	171	143	314	48	234	3	3	1	300	28	21	314	3389	5427
2010-11	839	57	332	66	86	224	23	165	1	6	17	250	22	19	252	2775	4295
2011-12	169	9	62	51	20	53	6	26	2	0	4	70	5	2	78	742	1130
2012-13	601	21	211	86	210	189	53	137	9	29	9	311	27	37	236	2452	4017
2013-14	880	113	220	147	244	294	46	120	16	80	16	450	36	43	334	3672	5831
2014-15	319	39	146	106	67	109	14	57	3	5	0	192	7	10	137	1318	2210
	5441	595	1863	784	928	1713	271	1095	41	141	79	2094	179	143	1748	20415	32089

(ज्ञात: इस कर्यालय के विभिन्न प्रक्षेत्रों से प्राप्त सूचनाओं का संकलन)

परिशिष्ट-1.3
(संदर्भ: कंडिका-1.11 पृष्ठ-6)

राज्य विधानमंडल में स्वायत्त निकायों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुतीकरण की स्थिति को दर्शाती विवरणी

क्रम सं.	स्वायत्त निकायों के नाम	लेखापरीक्षा सौर्यों जाने की स्थिति	लेखापरीक्षा के लेखों का प्रस्तुतीकरण		पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का निर्गमन		विधानमंडल में प्रस्तुत करने की तिथि	टिप्पणी
			लेखों का वर्ष	दिनांक	लेखों का वर्ष	दिनांक		
1	बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना	स्थाई	2012-13	02/08/2014	2012-13	24/4/2015	विभाग के द्वारा सूचित नहीं	पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन समय पर निर्गत नहीं किया गया क्योंकि लेखाओं की प्राप्ति में विलम्ब हुआ तथा संबंधित लेखापरीक्षित इकाई से माँगे गए जवाब से संबंधित तथ्यों एवं आँकड़ों को सुनिश्चित किए जाने में विलम्ब हुआ।
2	बिहार राज्य आवास बोर्ड	2003-04	2011-12	03/04/2014	2008-09 तक	27/8/2014	विभाग के द्वारा सूचित नहीं	शहरी विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार के द्वारा निर्गत सहमति पत्र के आधार पर वर्ष 2004-05 से वर्ष 2008-09 की अवधि का लेखापरीक्षा हुआ और पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन निर्गत किए गए।
3	बिहार राज्य खादी एवं ग्रामीण उद्योग बार्ड, पटना	2009-10	2009-10	12/9/2013	2009-10	21/4/2014	विभाग के द्वारा सूचित नहीं	-

मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र)

4	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर	2011-12	2012-13	19/11/2014	2010-11	11/11/2014	विभाग के द्वारा सूचित नहीं	प्रधान सचिव, बिहार सरकार एवं उप-कुलपति, रा.कृ.वि., पूसा समस्तीपुर को पत्रांक ES (Hq/RAU/2015-16/492-493 दिनांक 12/08/2015 को वर्ष 2012-13 से लेखापरीक्षा सौंपे जाने के लिए पत्र लिखा गया।
---	---	---------	---------	------------	---------	------------	----------------------------	---

(झोत: इस कार्यालय के विभिन्न प्रक्षेत्रों से प्राप्त सूचनाओं का संकलन)

परिशिष्ट-2.1.1

(संदर्भः कांडिका: 2.1.5; पृष्ठ-10)

चयनित रेफरल अस्पताल / प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र / अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र / स्वास्थ्य उपकेन्द्र को दर्शाती विवरणी

क्रम सं.	जिला	रेफरल अस्पताल का नाम	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम	अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम	स्वास्थ्य उप केन्द्र का नाम
1	पूर्वी चंपारण	ढाका	आदापुर	मझारिया, महुआवा	सिरसिया खुर्द, उचीडीह, कटगेनवा, आन्धा
			बनकटवा	जितना	अथमोहन, गोला पकरिया, जगिरहा बगहा
			पहाड़पुर	सिसवा बाजार, सरेया	इब्राहिमपुर, सोनवल, बलुआ, तेजपुरवा
			तुरकौलिया	महनवा	मथुरापुर, परशुरामपुर, साफी, मोहबत छपरा
			संग्रामपुर	मधुबनी टोला	पकड़ी, परसौना, सरेया, बदुराहा, इजरा
			कोटवा	मच्छरगवा, मथवनवारी	भोपतपुर, डुमरा, कररिया, जसौली पट्टी
			बंजरिया	फुलवर, फुलवर बाजार	मोखलीसपुर, दारोगा टोला, सिसवा, बुधवा
			रक्सौल	नोरियाडीह, लौकोरिया	श्रीरामपुर, सेमरी, भरवलिया, गादबहुआरी
			फेनहारा	देवकुलिया	गवंधी, चक्रपेटा, पशुरामपुर, बिशनपुर
कुल	1	1	9	14	36
2	पश्चिमी चंपारण	लौरिया	पिपरासी		सौराहा, बलुआठोरी, मुरादिहट्टैड, मनज्ञारिया
			भिट्ठा		मछहा, पालिटोला, बिनाही, ऐरहा
			बैतिया	बरवत सेना, पिपरा पकरी	हरदिया, लोहार पट्टी, सेखोना, गोनौली
			बगहा-1	पतिलर, भैरवगंज	खैरपोखरा, बरगाँव, सिरिसिया, बिशुनपुरवा
			मधुवनी	धोन्हा	कट्टा, नोनियापट्टी, खोटवा, मरीचवा
			चनपटिया	गिद्धा, परसा	सिरिसियाँ, परैना, गोसाई, गरभुआँ, सिसवनिया
			बगहा-2	बालिमकी नगर, सेमरा	मंगलपुर, अवसानी, तिनफेडिया, रामपुर, सिरिसियाँ
कुल	1	1	7	9	28
3	गया	डुमरिया	डुमरिया	मैगरा, गजबलिया	कर्मा, कोचर, खजुरा, मैगरा
			इमामगंज	कोठी, रानीगंज	बंशी, बहेरा, नगवा, बदौली
			मोहरा	जेठीअन, नौडिहा	पसीया, गेहलौर, दरियापुर, सारशु
			आमस	झारी	विष्णुपुर, नारायणपुर, एकवाना, नीमा
			गुरुआ	सिमरी	नदियाँ, भरौंदा, तरावा चानसी, सगाही
			बोधगया	खाजबट्टी, चेरकी,	धनामा, बकरोर, अस्मी, जानीबिगहा
			बेलागंज	भगवानपुर, मैनग्राम	एरकी, दादपुर, परैनी,

क्रम सं.	जिला	रेफरल अस्पताल का नाम	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम	अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम	स्वास्थ्य उप केन्द्र का नाम
			गुरारू	ईसमाइलपुर, कोनचीवर्मा	वाजीतपुर
			शेरधाटी		सोनडिहा, मञ्जियावा, बरोरहा, घातेरा,
					श्रीरामपुर, महमदपुर, नवादा, चिताव
कुल	1	1	9	14	36
4	मुजफ्फरपुर	सकरा	मुसहरी	शेखपुर, पकड़ी, इस्माइल	सुस्ता, पताही, तरमा, बखरी, पताही रूप
			मुरौल	मालपुर, महम्दपुर,	मरकन, दरधा, मीरापुर, बखरी, मुरौल
			कॉटी	बिरपुर, मधुवन	बरियारपुर, हरचंदा, मधुवन, दादर
			मोतीपुर	हरदी, पनसलवा,	बगवारा, पधिया, नरियार, कुशही
			कुँड़नी	केरमाडीह, सोनबरसा साह	रजला, पदमौल, बलौरडीह, मरीचा
			बोचहा	अथर, धरवरा	गरहा, बरहेटा, कारपुरदक्षिण, बलथी
कुल	1	1	6	14	36
5	अररिया	फारबिसगंज	सिकटी	भुतहा, बरदाहा	कसत, डेंगरी, दनिया, उफैल चौक
			अररिया सदर	मदनपुर, पतेगना	केमलदाहा, आजमनगर, पलकटोला, चिकनी
			पलासी	धरमगंज, सोहनदर हाल्ट	पकरी, भटवर, उरलाहा, बलुआ
कुल	1	1	3	6	12
6	किशनगंज	छतरगाछ	बहादुरगंज	गंगी, रूपनी	लोहागरा, दामोहारी, बिलासी, समेश्वर
			किशनगंज सदर (बेलवा)		गाछपाड़ा, हालामाला, बेलवा, मोतीहारा
			ठाकुरगंज	पौआखाली, चुरली	हुलहुली, जियापोखर, कादोगाँव, रुईधासा
कुल	1	1	3	4	12
7	कटिहार	बरारी	बरारी	सुजापुर, सेमापुर	भैसदीरा, उचला, परजेली, कबर
			बारसोई	ग्वालटोली, सुधानी	रधुनाथपुर, हटबंगरोरा, अबधपुर, रंगामाटिया
			फलका	पोठीया, रहाता	महेशपुर, दरमाही, गयारहिका, भंगा
			अमदाबाद	दुर्गापुर, दिलाई दिवानगंज	बाईदा, झोलाबथान, निरपुर, बैरिया
			कटिहार सदर	हफलगंज, पोखरिया	हाजीपुर, मनिया, बेलवा, गोलाधाट
			मनिहारी	कुमारीपुर, गॉधीटोला	मेदनीपुर, महुआर, बंगरी, दिलारपुर
कुल	1	1	6	12	24
8	मधुबनी	अंधराठाड़ी	अंधराठाड़ी	रुद्रपुर, महरैल	ननौर, गोर गामा, बितौनी, मरुकिया
			माधवापुर	बलवा—साहारघाट, बिशनपुर	शलमपुर, बिहारी, पिरोखर, शहारघाट

क्रम सं.	जिला	रेफरल अस्पताल का नाम	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम	अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम	स्वास्थ्य उप केन्द्र का नाम
			बेनीपट्टी	अकौर, शिवनगर	कपसिया, बंकटटा, परजुआर, परकौली
			लखनौर	तमौरिया, बेलौचा	कचुली, कचुआला, उमरी, मनमोहन
			बिसफी	सिमरी, सिंधिया	चछौवा, जानीपुर, इटहर, दमला
			बाबुबरही	बरहाडा, भटचौरा	भटगामा, तिरहूता, सोनमाटी, भुपट्टी
			राजनगर	कोईलख, कैथही	मधुबनी टोल, सहसपुर, चकदह, रामपट्टी
कुल	1	1	7	14	28
9	सिवान	सिसवन	आंदर	परेजि, असाव	मसुदाहा, तियाय, खेरई, छाजवा बलिया
			बड़हरिया	भोपतपुर, चाड़ी	पहाड़पुर, माधोपुर, बालापुर, पलटुहत्ता
			नौतन	किलपुर, तिलमापुर	बरईपट्टी, सेमरिया, ठाकुर के रामपुर, अंगौता
			सिसवन	मेहदार, चैनपुर	बंगरा, घुरधाट, भागर, बखरी
			दरौली	झुमरहर, दोन	अमरपुर, करोम, बिसवनिया, बलहु
			दरौंदा	बगौरा	रुकुनदीपुर, सतजोरा, कोरारीकाला, भार के मठिया
			मैरवा	सिरिसिया, कोदरा	इंगलिश, बड़गौव, कैथवाली, कबीरपुर
कुल	1	1	7	13	28
10	सारण	बनियापुर	बनियापुर	सोहैगाजन, भिट्टी	हरपुर, धोबवल बाजार, धनाव, धनगरहा
			मॉझी	दाउदपुर, मुबारकपुर	चमरहिया, ताजपुर, मोहम्मदपुर, नाचाप
			लहलादपुर	कटेया	मुरारपुर, दयालपुर, मिरजापुर, सेनदुआर
			अमनौर	कटसा, लछी, कैतुका	बासडीह, सोन्हो, अपहार, पतराही
			एकमा	परसा गढ़, एम०एन० मठिया	माने मठिया, नौतन, हरपुर, रसुलपुर
			रिवीलगंज	सिताबदियारा	मेथवलिया, ढेलहारी, मुकरेसा, इनानी
			तरैया		चैनपुर, उसरी, चॉदपुरा, सकरडीह, हरखपुरा
कुल	1	1	7	10	28
सकल योग	10	10	64	108	256

(झोत: चयनित जिलों के जिला स्वास्थ्य समिति के अभिलेख)

परिशिस्ट -2.1.2

(संदर्भ: कांडिका: 2.1.10.3; पृष्ठ 17)

बिना चिकित्सक एवं ए.एन.एम. के एम.सी.एच. एल.-1, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं स्वास्थ्य उपकेन्द्र का परिचालन की विवरणी

क्रम सं.	जिला		बिना चिकित्सक		क्रम सं.	बिना ए.एन.एम.	
		क्रम सं.	प्रखंड	ए.पी.एच.सी.		प्रखंड	ए.पी.एच.सी. / एच.एस.सी.
1	गया	1	गुरुआ	सिमारू	1	गुरुआ	अति.प्रा.स्वा.के. सिमारू
		2	मोहरा	जेठीयन	2	दुमरिया	अति.प्रा.स्वा.के. मैगरा
		3	मानपुर	गेरा	3	मानपुर	अति.प्रा.स्वा.के. गेरा
		4	फतेहपुर	गमहारी	4	मानपुर	अति.प्रा.स्वा.के. भोरे
					5	परैया	अति.प्रा.स्वा.के. सोलार
					6	उत्तर बथानी	अति.प्रा.स्वा.के. खुखादी
					7	फतेहपुर	अति.प्रा.स्वा.के. गमहरी
2	मधुबनी	1	जयनगर	कमलावाड़ी			
3	मुजफ्फरपुर	1	औराई	सरहछीया	1	गायघाट	अति.प्रा.स्वा.के. केवटसा
		2	गायघाट	केवटसा			
		3	मङ्घवन	शुभंकरपुर			
		4	मीनापुर	घोसौत			
		5	मोतीपुर	बिरहीमा बजार			
		6	पारू	देवरिया			
4	कटिहार	1	फलका	मोरसंड	1	फलका	अति.प्रा.स्वा.के. पोठिया
		2	प्राणपुर	रोसना	2	मनसाही	अति.प्रा.स्वा.के. कुरेथा
					3	अमदाबाद	अति.प्रा.स्वा.के. दुर्गापुर
					4	बलरामपुर	अति.प्रा.स्वा.के. बलरामपुर
5	पश्चिमी चंपारण	1	लौरिया	गोबरौर	1	गौनाहा	अति.प्रा.स्वा.के. अमोलवा
6	सिवान				1	सिसवन	स्वा. उपकेन्द्र ग्यासपुर
	कुल	14			14		

(झोत: चयनित जिलों के जिला स्वास्थ्य समिति के अभिलेख)

परिशिष्ट -2.1.3

(संदर्भः कंडिका: 2.1.11.5; पृष्ठ-22)

बी.एम.एस.आई.सी.एल. द्वारा शुरू नहीं किए गए कार्यों की विवरणी

(₹ लाख में)

जिला	कार्य का नाम	राशि	दिनांक	कार्य नहीं शुरू किया गया		स्थिति
				संख्या	सनहित राशि	
2011-12	100 अति.प्रा.स्वा.के. का निर्माण	4378.00	16/4/11	100	4378.00	कार्य नहीं शुरू किया गया
	136 प्रा.स्वा.के. का सा.स्वा.के. में उन्नयन	6566.66	16/4/11	136	12633.92	निविदा नहीं किया गया
	तदैव	6067.26	27/3/12			
	नरहन में एक अति. प्रा.स्वा.के. का निर्माण	75.99	27/5/11	1	75.99	तथैव
	स्वा. उपकेन्द्र मधेपुर	40.00	27/5/11	1	40.00	तथैव
	9 अनु. अस्पताल	7758.00	27/3/12	9	7758.00	डी.पी.आर. के पुनरीक्षण का कार्य प्रगति पर है।
2012-13	14 अनु० अस्पतालों में चिकित्सकों एवं नर्सों के लिए आवासीय भवन का निर्माण कार्य	2217.39	5/4/12	2	316.77	एक कार्य के लिए संविदा किया गया जबकि अन्य कार्य शुरू नहीं किए गए।
	8 रेफरल अस्पतालों में चिकित्सकों एवं नर्सों के लिए आवासीय भवन का निर्माण कार्य	1200.00	5/4/12	1	150.00	संविदा किया गया
	4 जिला अस्पतालों में चिकित्सकों एवं नर्सों के लिए आवासीय भवन का निर्माण कार्य	633.54	5/4/12	2	316.77	संविदा नहीं किया गया
	10 जिला अस्पतालों में चिकित्सकों एवं नर्सों के लिए आवासीय भवन का निर्माण कार्य	1583.85	13/9/12	1	158.39	कार्य शुरू नहीं किया गया
	8 अनु० अस्पतालों में चिकित्सकों एवं नर्सों के लिए आवासीय भवन का निर्माण कार्य	1267.08	13/9/12	2	316.77	तथैव
	6 रेफरल अस्पतालों में चिकित्सकों एवं नर्सों के लिए आवासीय भवन का निर्माण कार्य	950.31	13/9/12	2	316.77	तथैव

	विरौल एवं दरभंगा में अनु.अस्पताल	78.92	9/3/13	1	78.92	संविदा नहीं किया गया
2013-14	136 प्रा.स्वा.केन्द्र का सा.स्वा. केन्द्र में उन्नयन हेतु दर का पुनरीक्षण (वर्ष 2011-12 में ₹12633.92 निर्गत किया जा चूका है।)	11800.00	1/2/14	0	11800.00	
	कुल	44617.00		258	38340.30	

(चेतावनी: बी.एम.एस.आई.सी.एल.के. अभिलेख)

परिशिष्ट -2.1.4

(संदर्भ: कांडिका: 2.1.11.7; पृष्ठ-23)

नमूना जॉचित स्वास्थ्य इकाइयों में आधारभूत सुविधाओं की स्थिति।

क्रम सं.	विवरण	स्वास्थ्य उपकेन्द्रों की संख्या	अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की संख्या	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की संख्या
1.	लेखापरीक्षा द्वारा स्वास्थ्य इकाइयों का अभिलेख जॉच किया गया।	256	108	64
2.	भवन नहीं था।	148	46	10
3.	भवन जर्जर स्थिति में था।	48	37	18
4.	बाह्यकक्ष / धनकक्ष उपलब्ध नहीं था।	लागू नहीं	44	18
5.	पुरुषों एवं स्त्रियों के लिए अलग—अलग प्रसाधन कक्ष उपलब्ध नहीं था।	लागू नहीं	94	29
6.	रोगियों के लिए बाह्य सेवा उपलब्ध नहीं था।	लागू नहीं	20	8
7.	रोगियों के लिए आंतरिक सेवा उपलब्ध नहीं था।	लागू नहीं	90	15
8.	प्रसवकक्ष उपलब्ध नहीं था। (जहाँ लागू हैं।)	लागू नहीं	69	13
9.	पुरुषों एवं स्त्रियों के लिए अलग—अलग वार्ड / कक्ष उपलब्ध नहीं था।	लागू नहीं	101	35
10.	पानी आपूर्ति का प्रावधान नहीं था।	122	49	11
11.	जल संग्रह के लिए प्रावधान नहीं था।	लागू नहीं	94	22
12.	रोगियों के लिए प्रतिक्षा कक्ष उपलब्ध नहीं था।	लागू नहीं	87	41
13.	चिकित्सकों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं था।	लागू नहीं	86	40
14.	कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं था।	246	89	43
15.	विद्युत सुविधा / जेनरेटर हेतु अतिरिक्त व्यवस्था नहीं था।	-	90	14
16.	विद्युत संबंध / आपूर्ति नहीं था।	-	83	15
17.	नागरिक घोषणा पत्र प्रदर्शित नहीं था।	लागू नहीं	102	49
18.	साफ—सफाई की स्थिति खराब थी।	-	35	8
19.	सुझाव / शिकायत पेटी सुव्यवस्थित नहीं रखा गया था।	-	99	20
20.	उप स्वास्थ्य केन्द्र जहाँ चिकित्सकों द्वारा माह में एक बार भी दौरा नहीं किया गया।	131	लागू नहीं	लागू नहीं
21.	उप स्वास्थ्य केन्द्र जहाँ केवल एक ही कक्ष है।	123	लागू नहीं	लागू नहीं

(ज्ञात: प्रा.स्वा.के./अ.प्रा.स्वा.के./स्वा.ज. के के अभिलेख)

परिशिष्ट -2.1.5
(संदर्भ: कांडिका: 2.1.11.8; पृष्ठ-23)

बी.एम.एस.आई.सी.एल. अन्तर्गत औषधियों की मार्च 2014 की स्थिति की विवरणी

क्रम सं.	औषधि कोड	औषधियों का नाम	शक्ति	विकेता का नाम	कुल क्यादेश की मात्रा	प्राप्ती की मात्रा	बी.एम. एस. आई.सी. एल. का वैट सहित दर	रा. स्वा. समिति का वैट सहित दर	बी.एम.एस.आई.सी.एल. के अनुसार दर	रा.स्वा. समिति के अनुसार दर	
									क्यादेश अन्तर्गत कुल मात्रा का दर	कुल प्राप्त मात्रा की दर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (6x8)	11 (7x8)	12 (7x9)
1	डी 0003	ऐसलोफेनक	100 एमजी	रायेन लाइफ साइंस प्राईवेट लिमिटेड	31005000	31004800	0.234885	0.22	7282609.43	7282562.45	6821056.00
2	डी 0010	ऐलबेनडाजोल	10 एमएल (200एमजी/ 5एमएल)	मेडिपोल फार्मासियूटिकल इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	535800	535800	3.906	3.11	2092834.80	2092834.80	1666338.00
3	डी 0013	अल्प्राजोलम	0.25एमजी	जेनका हेल्थ केअर प्राईवेट लिमिटेड	9193800	8772800	0.084	0.08	772279.20	736915.20	701824.00
4	डी 0015	अल्प्राजोलम	0.5एमजी	लेबोरेट फार्मासियूटिकल इंडिया लिमिटेड	1134400	1134400	0.09639	0.09	109344.82	109344.82	102096.00
5	डी 0016	एमिकासीन	500एमजी धारित	लेबोरेट फार्मासियूटिकल इंडिया लिमिटेड	1075029	1075029	6.9615	6.3	7483814.38	7483814.38	6772682.70
6	डी 0017	एमिकासीन	250एमजी धारित	इमबाक लाईफसाइंस प्राईवेट लिमिटेड	253149	44950	4.62	4.25	1169548.38	207669.00	191037.50
7	डी 0023	ऐमलोडीपीन	5 एमजी	लेबोरेट फार्मासियूटिकल इंडिया लिमिटेड	199380	199040	0.12852	0.1	25624.32	25580.62	19904.00
8	डी 0027	एमौक्सीलीन+वलैभ ०निक एसीड (इंजेक्सन)	1000 एमजी एमौक्सोलीन, 200 एम जी वलैभोनिक एसीड प्रत्येक भायल (1.2 एमजी भायल)	स्कॉट इंडिल फार्मासियूटिकल लिमिटेड	1112500	838625	25.9875	25.44	28911093.75	21793767.19	21334620
9	डी 0029	एमौक्सोलीन+वलैभ ०निक एसीड (इंजेक्सन)	500एमजी+125 एमजी	लेबोरेट फार्मासियूटिकल इंडिया लिमिटेड	600000	600000	4.68027	4.49	2808162.00	2808162.00	2694000.00

क्रम सं.	ओषधि कोड	ओषधियों का नाम	शक्ति	विकेता का नाम	कुल क्रयादेश की मात्रा	प्राप्ती की मात्रा	बी.एम. एस. आई.सी. ए.ल. का वैट सहित दर	रा. स्वा. समिति का वैट सहित दर	बी.एम.एस.आई.सी.ए.ल. के अनुसार दर		रा.स्वा. समिति के अनुसार दर
									क्रयादेश अन्तर्गत कुल मात्रा का दर	कुल प्राप्त मात्रा की दर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (6x8)	11 (7x8)	12 (7x9)
10	डी 0031	एमौक्सासीलीन+व्हीलौक्सासीलीन	60 एमएल धारित 125 एमजी एमजीएमौक्सासीलीन न -125एमजी व्हीलौक्सासीलीन प्रद्येक 5 एमएल	मेडिपोल फार्मासियूटिकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	525000	181800	11.2455	10.76	5903887.50	2044431.90	1956168
11	डी 0033	एमौक्सासीलीन	250 एमजी	अरबिन्द रिमेडिज	12071430	12071400	0.798	0.67	9633001.14	9632977.20	8087838.00
12	डी 0035	एमपीसिलिन+व्हीलौक्सासीलीन	250एमजीएमपीसिलिन एवं 250एमजी व्हीलौक्सासीलीन धारित	लेबोरेट फार्मासियूटिकल इंडिया लिमिटेड	406950	406950	4.977	4.7	2025390.15	2025390.15	1912665.00
13	डी 0037	एमपिसिलिन+व्हीलौक्सासीलीन	500 एमजीएमपीसिलिन एवं 500एमजी व्हीलौक्सासीलीन धारित	लेबोरेट फार्मासियूटिकल इंडिया लिमिटेड	399238	399058	8.3055	7.29	3315871.21	3314376.22	2909132.82
14	डी 0042	एनटारसीड टैब्लेट	ड्राइड एलमुनियम हाइड्रोऑक्साइड जेल 250, मैग्हाइड्रोऑक्साइड 250 एमजी, एकटीमेटेड डाईमिथिकॉन 50 एमजी प्रति टिकिया	बायोजेनेटिक ड्रग प्राइवेट लिमिटेड	10000000	9899300	0.239295	0.15	2392950.00	2368852.99	1484895.00
15	डी 0051	ऐट्नोलोल	25एमजी	लेबोरेट फार्मासियूटिकल इंडिया लिमिटेड	492340	492340	0.12852	0.12	63275.54	63275.54	59080.80
16	डी 0053	ऐटरोपीन सलफेट	0.6एमजी / 1एमएल एमपुल	लेबोरेट फार्मासियूटिकल इंडिया लिमिटेड	1148652	1148626	1.3965	1.31	1604092.52	1604056.21	1504700.06
17	डी 0061	कॉल्सियम	500एमजी इलीमेनटल कैल्सीयम और विटामिन डी 3	अरबिन्द रिमेडिज लिमिटेड	16150050	8813900	0.1785	0.17	2882783.93	1573281.15	1498363.00

मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र)

क्रम सं.	ओषधि कोड	ओषधियों का नाम	शक्ति	विकेता का नाम	कुल क्रयादेश की मात्रा	प्राप्ती की मात्रा	बी.एम. एस. आई.सी. एल. का वैट सहित दर	रा. स्वा. समिति का वैट सहित दर	बी.एम.एस.आई.सी.एल. के अनुसार दर		रा.स्वा. समिति के अनुसार दर
									क्रयादेश अन्तर्गत कुल मात्रा का दर	कुल प्राप्त मात्रा की दर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (6x8)	11 (7x8)	12 (7x9)
			-250 आई.यू. धारित								
18	डी 0066	कारबामाजेपीन	100एमजी	मिकॉन फार्मासियूटिकलस	6050000	6049500	0.33966	0.29	2054943.00	2054773.17	1754355.00
19	डी 0067	सेफाइक्सील	30 एमएल. प्रत्येक 5 एमएल सेफाइक्सील—125एमजी धारित अनुलंब	मेडिपोल फार्मासियूटिकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	54000	54000	7.7175	6.75	416745.00	416745.00	364500.00
20	डी 0068	सेफाइक्सील	250 एमजी	साइपर फार्मा	512400	512400	1.09935	1.06	563306.94	563306.94	543144.00
21	डी 0069	सेफाइक्सील	500 एमजी	अल्फा लेबोरेटोरिज लिमिटेड	7474200	7474040	2.05422	1.97	15353651.12	15353322.45	14723858.80
22	डी 0070	सेफिक्सीम	50एमजी डी.टी.	मेडिपोल फार्मासियूटिकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	550000	548100	1.0206	0.79	561330.00	559390.86	432999.00
23	डी 0072	सेफिक्सीम	100एमजी	मेडिपोल फार्मासियूटिकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	359300	359300	1.30662	1.22	469468.57	469468.57	438346.00
24	डी 0072	सेफिक्सीम	100एमजी	लेबोरेट फार्मासियूटिकल इंडिया लिमिटेड	359300	359300	1.30662	1.22	469468.57	469468.57	438346.00
25	डी 0073	सेफिक्सीम	200एमजी	मेडिपोल फार्मासियूटिकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	767300	767300	2.506035	2.42	1922880.66	1922880.66	1856866.00
26	डी 0077	सेफोटाक्सीम	1ग्राम भायल	लेबोरेट फार्मासियूटिकल इंडिया लिमिटेड	477976	477976	11.235	10.49	5370060.36	5370060.36	5013968.24
27	डी 0079	सेफटाजीडाइम	500एमजी भायल	डी.जे. लेबोरेटोरिज	98550	97971	18.375	10.47	1810856.25	1800217.13	1025756.37

क्रम सं.	ओषधि कोड	ओषधियों का नाम	शक्ति	विकेता का नाम	कुल क्रयादेश की मात्रा	प्राप्ती की मात्रा	बी.एम. एस. आई.सी. ए.ल. का वैट सहित दर	रा. स्वा. समिति का वैट सहित दर	बी.एम.एस.आई.सी.ए.ल. के अनुसार दर		रा.स्वा. समिति के अनुसार दर
									क्रयादेश अन्तर्गत कुल मात्रा का दर	कुल प्राप्त मात्रा की दर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (6x8)	11 (7x8)	12 (7x9)
28	डी 0081	सेफटाजीडाइम	1 ग्राम भायल	लैबोरेट फार्मासियूटिकल इंडिया लिमिटेड	94059	93315	23.8035	22.23	2238933.41	2221223.60	2074392.45
29	डी 0083	सेफट्रीसोन	500एमजी भायल	लैबोरेट फार्मासियूटिकल इंडिया लिमिटेड	200000	200000	8.001	7.47	1600200.00	1600200.00	1494000.00
30	डी 0087	सेफुरोजाइम	125एमजी डी.टी.	मेडिपोल फार्मासियूटिकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	100000	85500	2.268	1.78	226800.00	193914.00	152190.00
31	डी 0088	सीट्रीजीन	5एमजी / 5एमएल. 30एमएल शीरा बोतल	शिवा बायोजेनटिक फार्मासियूटिकल प्राइवेट लिमिटेड	306900	303787	5.25	4.5	1611225.00	1594881.75	1367041.50
32	डी 0101	सिपरोफलोक्सासीन ऑक्स / कान ड्रोप	0.3प्रीतश डल्कुभी. 5 एमएल भायल	ऐडले फारमूलेशन्स	246097	245597	2.9925	2.9	736445.27	734949.02	712231.30
33	डी 0104	कलोट्रीमाजोल	100एमजी	मिकरॉन फार्मासियूटिकल्स	1000	1000	1.836	0.97	1836.00	1836.00	970.00
34	डी 0108	कफ एक्सपेक्टोरेन्ट	डाइफेनहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोरोआइड आईपी—14.08 एमजी, अमोनियम क्लोरोआइड आईपी—138 एमजी, सोडीयम साइट्रेट आईपी— 57.03 एमजी, मैथौल—आईपी—2.5 एमजी प्रत्येक 5 एमएल—100 एमएल पैक	मेडिपोल फार्मासियूटिकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	2242500	2242500	7.0455	6.13	15799533.75	15799533.75	13746525.00
35	डी 0112	डेक्सामेथासोन	सुई 4एमजी/एमएल. 2एमएल भायल	इम्बार्क लाईफसाइंस प्राइवेट लिमिटेड	342920	340774	3.15	2.99	1080198.00	1073438.10	1018914.26

मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र)

क्रम सं.	ओषधि कोड	ओषधियों का नाम	शक्ति	विक्रेता का नाम	कुल क्रयादेश की मात्रा	प्राप्ती की मात्रा	बी.एम. एस. आई.सी. एल. का वैट सहित दर	रा. स्वा. समिति का वैट सहित दर	बी.एम.एस.आई.सी.एल. के अनुसार दर		रा.स्वा. समिति के अनुसार दर
									क्रयादेश अन्तर्गत कुल मात्रा का दर	कुल प्राप्त मात्रा की दर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (6x8)	11 (7x8)	12 (7x9)
36	डी 0119	डायजेपास	टीकिया 5एमजी	लैबोरेट फार्मासियूटिकल इंडिया लिमिटेड	332700	332700	0.11781	0.11	39195.39	39195.39	36597.00
37	डी 0123	डाइक्लोफेनिक	सुई 25एमजी/ एमएल . 3एमएल एम्पुल	लैबोरेट फार्मासियूटिकल इंडिया लिमिटेड	2600000	2592577	1.2915	1.09	3357900.00	3348313.20	2825908.93
38	डी 0125	डाइक्लोमाइन एच०सी०आई	10 एमजी	मेडिपोल फार्मासियूटिकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	5185800	4990850	0.150045	0.11	778103.36	748852.09	548993.50
39	डी 0126	डाइक्लोमाइन एच०सी०आई	20 एमजी/ 2एमएल एम्पुल	इम्बाक लाईफसाइंस प्राइवेट लिमिटेड	154350	5000	2.625	1.43	405168.75	13125.00	7150.00
40	डी 0129	डाइथाइलकारबामा जाइन साइट्रेट	50एमजी	मेडिपोल फार्मासियूटिकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	5050000	5029300	0.188475	0.12	951798.75	947897.32	603516.00
41	डी 0133	डोक्सीसाइलिन	100एमजी	बायोजेनेटिक ड्रग प्राइवेट लिमिटेड	1056200	1053500	0.6573	0.49	694240.26	692465.55	516215.00
42	डी 0163	हाइड्रोकोरटीसोन सोडियम सुसीनेट	सुई 100एमजी	लैबोरेट फार्मासियूटिकल इंडिया लिमिटेड	92130	92029	12.5895	10.97	1159870.64	1158599.10	1009558.13
43	डी 0166	आयरन फोलिक एसिड (सिरप)	आयरन 100एमजी,फोलीक एसिड 0. 5एमएल प्रत्येक 5 एमएल धारित	मेडिपोल फार्मासियूटिकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	583890	581332	17.829	12.02	10410174.81	10364568.23	6987610.64
44	डी 0182	लिगनोशैने हाइड्रोक्लोरोराइड+ ऐडरेनालाइन	लिगनोशैने हाइड्रोक्लोरोराइड 20 एमजी + ऐडरेनालाइन 0.5 एमजी – 30 एम एल भाइल प्रत्येक एमएल	इम्बाक लाईफसाइंस प्राइवेट लिमिटेड	22224	3337	6.3	5.94	140011.20	21023.10	19821.78

क्रम सं.	ओषधि कोड	ओषधियों का नाम	शक्ति	विकेता का नाम	कुल क्रयादेश की मात्रा	प्राप्ती की मात्रा	बी.एम. एस. आई.सी. ए.ल. का वैट सहित दर	रा. स्वा. समिति का वैट सहित दर	बी.एम.एस.आई.सी.ए.ल. के अनुसार दर		रा.स्वा. समिति के अनुसार दर
									क्रयादेश अन्तर्गत कुल मात्रा का दर	कुल प्राप्त मात्रा की दर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (6x8)	11 (7x8)	12 (7x9)
45	डी 0188	मेफेनामीक ऐसिड	250एमजी टीकिया	मेडिपोल फार्मासियूटिकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	1546500	1546465	0.378	0.24	584577	584563.77	371151.60
46	डी 0195	मिथाइल इरगोनेट्रीन	0.125 एमजी टीकिया	मेडिपोल फार्मासियूटिकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	2543880	2422122	0.48195	0.33	1226022.97	1167341.70	799300.26
47	डी 0198	मेट्रेक्लोरोपरामाड	10एमजी टीकिया	लेबोरेट फार्मासियूटिकल इंडिया लिमिटेड	40000000	39978500	0.117705	0.1	4708200.00	4705669.34	3997850
48	डी 0199	मेट्रेक्लोरोपरामाड	5 एमजी/एमएल. 2 एमएल ऐम्पुल	एस0जी0एस0 फार्मासियूटिकल प्राईवेट लिमिटेड	169500	169500	1.281	1.18	217129.50	217129.50	200010
49	डी 0200	मेट्रोनिडाजोल	400एमजी टीकिया	रिलिफ लैब (प्रो)लिमिटेड	6522090	6522090	0.452865	0.35	2953626.29	2953626.29	2282731.50
50	डी 0218	ऑफफलोक्सासीन	50एमजी/एमएल—30एमएल	शेरम लैब	427950	427945	5.775	4.99	2471411.25	2471382.38	2135445.55
51	डी 0221	ऑफफलोक्सासीन + आरनिडाजोल	ऑफफलोक्सासीन 50एमजी + आरनिडाजोल 125एमजी प्रत्येक 5 एमएल—30 एम एल भाइल	लेबोरेट फार्मासियूटिकल इंडिया लिमिटेड	2132541	2132541	8.3055	6.12	17711819.28	17711819.28	13051150.92
52	डी 0229	पैनटोप्रजोल	सूई 40एमजी/भाइल	लेबोरेट फार्मासियूटिकल इंडिया लिमिटेड	1021348	1019746	7.623	7.12	7785735.80	7773523.76	7260591.52
53	डी 0230	पारसिटामोल	टिकिया 500एमजी	लेबोरेट फार्मासियूटिकल इंडिया लिमिटेड	36685200	36685200	0.23562	0.16	8643766.82	8643766.82	5869632
54	डी 0232	पारसिटामोल	भीरा 125एमजी/5एमएल -.60एमएल	स्कौट इंडिल फार्मासियूटिकल लिमिटेड	763500	752616	5.8695	5.6	4481363.25	4417479.61	4214649.60
55	डी 0248	प्रिडनिसोलोन	5एमजी	साइपर फार्मा	468450	468430	0.48972	0.39	229409.33	229399.54	182687.70

मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र)

क्रम सं.	ओषधि कोड	ओषधियों का नाम	शक्ति	विक्रेता का नाम	कुल क्यादेश की मात्रा	प्राप्ती की मात्रा	बी.एम. एस. आई.सी. एल. का वैट सहित दर	रा. स्वा. समिति का वैट सहित दर	बी.एम.एस.आई.सी.एल. के अनुसार दर		रा.स्वा. समिति के अनुसार दर
									क्यादेश अन्तर्गत कुल मात्रा का दर	कुल प्राप्त मात्रा की दर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (6x8)	11 (7x8)	12 (7x9)
56	डी 0249	प्रिडनिसोलोन	10एमजी	मिकरोन फार्मासियूटिकलस	1243200	1243200	1.0098	0.47	1255383.36	1255383.36	584304.00
57	डी 0256	श्रेब्रेप्राजोल	20 एमजी टिकिया	मोराका फार्मासियूटिकल्स (प्र०) लिमिटेड	4113750	4113663	0.4158	0.26	1710497.25	1710461.08	1069552.38
58	डी 0258	रेबेप्राजोल हाइड्रोक्लोराइड	20एमजी भाइल	लाइका लैब्स लिमिटेड	66000	65000	25.41	14.07	1677060.00	1651650.00	914550.00
59	डी 0265	सिलवर सलफाडाइजीन	15 ग्राम ट्यूब (1प्रतिशत सिलवर सलफाडाइजीन)	मेडिपोल फार्मासियूटिकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	492600	492600	7.4655	6.98	3677505.30	3677505.30	3438348
60	डी 0274	सलफाडोक्साइन+ पाइरीमथामाइन	सलफाडोक्साइन 500एमजी और पाइरीमथामाइन 25 एमजी धारित	जिम लैबोरेटरीज लिमिटेड	415600	415100	2.161845	1.04	898462.78	897381.86	431704.00

परिशिष्ट -2.1.6

(संदर्भः कांडिका: 2.1.11.8; पृष्ठ-24)

नमूना जॉचित जिलों में वर्ष 2010–14 तक दवा के उपलब्धता हेतु आपूर्तिकर्ताओं के पास बकाया अग्रिम राशि की विवरणी

(राशि ₹ में)

क्रम सं.	जिला स्वास्थ्य समिति का नाम	आपूर्तिकर्ताओं का नाम	भुगतान की तिथि	भुगतेय राशि	बकाया राशि
1	मुजफ्फरपुर	जैकसन लेबोरेटोरिज	30/3/13	259652	41904
		मैकमिलन लाइफ साइंस	18/09/10	105850	66190
		यूनिक्योर (इंडिया)	18/09/10	564980	19695
		जाजू सर्जिकल्स	13/04/12	1203161	592690
2	पूर्वी चंपारण	ब्राउन लेबोरेटोरीज	24/03/11	1458515	288826
		बिंद्या ऐजेसी	24/03/11	72500	72500
		मेडीक्योर	24/03/11	35600	11100
		स्कॉट इडिल फार्मा	11/10/12	1137295	226983
		ओमेगा बायोटेक	11/10/12	534708	211156
		टाकू फार्मास्यूटिकल्स	11/10/12	358307	111203
		चंदन फार्मास्यूटिकल्स	11/10/12	1000534	250233
		लेबोरेट फार्मा	11/10/12	509115	231778
		इंडियन इम्यूनोलोजीकल्स	20/07/13	2912000	157975
		टाइगर सर्जिकल्स	20/07/13	406667	102857
3	गया	ब्राउन लेबोरेटोरीज	29/03/11	310405	186000
		लिंकन	29/03/11	17218	17000
		नेक्सस	29/03/11	277250	15243
		टाकू	29/03/12	1180790	106200
			07/03/13	815370	47060
			24/08/13	1598117	1077317
		स्कॉट इडिल	29/03/12	1156053	825750
		विंगस फार्मा	29/03/12	76450	76450
		मैकमिलन	29/03/12	880500	416000
			24/08/13	1311720	1000130
		एश्वर्या	29/03/12	159900	159900
		जैकसन	27/12/13	310533	185434
		भारत सेरम एण्ड भैक्सीन	27/12/13	99365	99365
4	पश्चिमी चंपारण	यूनिक्योर	14/12/10	738180	291900
		जैनिथ	14/12/10	273810	155250
		रिषभ	14/12/10	204888	204888
		नेक्सस	02/04/11	465600	312600
		टाकू	21/11/12	823162	696285
		नेशनल ड्रग ऐजेंसी	28/12/12	539618	24472
		ऐश्वर्या	28/12/12	376857	89904
		ऐबोट	25/03/13	742857	742857
		मैकमिलन	25/03/13	666667	436190
5	मधुबनी	चंदन फार्मा		274500	219600
		यूनिक्योर (इंडिया)		2965680	2376000
		स्कॉट इडिल		266250	75039

क्रम सं.	जिला स्वास्थ्य समिति का नाम	आपूर्तिकर्ताओं का नाम	भुगतान की तिथि	भुगतेय राशि	बकाया राशि
6	किशनगंज	मैकमिलन	16/11/10	55350	20850
		यूनिक्योर (इंडिया)	16/12/10	45300	36240
		टाकू फार्मास्यूटिकल्स	01/08/11	1522228	4143
		चंदन फार्मा		78750	17500
		नेक्सस लाइफ साइंस		4650	4650
		वाटसन हेल्थ		717518	31140
		कुल	29514420	12336447	

(स्रोत: चयानित जिलों के जिला स्वास्थ्य समिति के अभिलेख)

परिशिष्ट -2.1.7

(संदर्भ: कांडिका: 2.1.11.8; पृष्ठ-24)

विलंब से दवा आपूर्ति की सूची

(₹ लाखों में)

क्रम सं.	जिलों का नाम	आपूर्तिकर्ताओं को कुल भुगताये राशि	विलंब से दवा आपूर्ति की राशि	विलंब (दिनों में)
1.	मुजफ्फरपुर	174	89.35	253
2.	पूर्वी चंपारण	111.48	79.94	168
3.	पश्चिमी चंपारण	82.6	43.13	242
4.	गया	278.65	196.65	337
5.	मधुबनी	211.01	150.45	418
6.	सारण	312.95	288.21	391
7.	सिवान	226.87	224.87	300
8.	किशनगंज	28.32	27.2	165
9.	कटिहार	45.67	43.97	201
10.	अररिया	35.04	33.41	195
	कुल	1506.59	1177.18	

(स्रोत: चयनित जिलों के जिला स्वास्थ्य समिति के अभिलेख)

परिशिष्ट -2.1.8

(संदर्भ: कांडिका: 2.1.11.8; पृष्ठ-24)

नमूना जॉचित जिलों में दवा संविदा का VIII एंव IX प्रक्रियान्तर्गत दवा आपूर्तिकर्ताओं से गुणवत्ता परीक्षण शुल्क का कटौती नहीं किए जाने से संबंधित विवरण।

(₹ लाखों में)

क्रम सं.	जिलों का नाम	आपूर्तिकर्ताओं को भुगतेय राशि (वैट रहित)	गुणवत्ता परीक्षण शुल्क (दो प्रतिशत की दर से)
1	मुजफ्फरपुर	16702568	334051
2	पूर्वी चंपारण	5168264	103365
3	पश्चिम चंपारण	30053117	601062
4	गया	26495403	529908
5	मधुबनी	10950618	219012
6	सिवान	17691405	353828
7	सारण	20911780	418236
8	किशनगंज	3006100	60122
9	कटिहार	11527302	230546
10	अररिया	2586003	51720
	कुल	145092560	2901850

(झोत: चयनित जिलों के जिला स्वास्थ्य समिति के अभिलेख)

परिशिष्ट -2.1.9

(संदर्भ: कांडिका: 2.1.15; पृष्ठ-30)

नमूना जॉचित स्वास्थ्य केन्द्रों में अपर्याप्त मानवबल को दर्शाता विवरणी

क्रम सं.	विवरणी	स्वास्थ्य इकाइयों का विवरण
1.	बिना विशेषज्ञ चिकित्सक के रेफरल अस्पतालों का प्रचालन	गया-01, कटिहार-01, किशनगंज-01, मधुवनी-01, पश्चिमी चंपारण-01,
2.	बिना किसी चिकित्सक के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का प्रचालन	पूर्वी चंपारण-01, सारण-02, सिवान-04,
3.	बिना किसी चिकित्सक के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का प्रचालन	पूर्वी चंपारण-06, गया-05, कटिहार-02, किशनगंज-02, मधुवनी-01, मुजफ्फरपुर-03, सारण-01, सिवान-06, पश्चिमी चंपारण-03
4.	मात्र एक चिकित्सक के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का प्रचालन	अररिया-01, गया-04, कटिहार-02, मधुवनी-01, सिवान-01, पश्चिमी चंपारण-02,
5.	बिना ए.एन.एम. के स्वास्थ्य उपकेन्द्रों का होना	पूर्वी चंपारण-06, सारण-01, पश्चिमी चंपारण-02,
6.	बिना ए.एन.एम. के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का होना	अररिया-04, गया-06, पूर्वी चंपारण-06, कटिहार-09, किशनगंज-04, मधुवनी-07, मुजफ्फरपुर-02, सारण-06, सिवान-09, पश्चिमी चंपारण-01

(झोत: चयनित जिलों के जिला स्वास्थ्य समिति के अभिलेख)

परिशिष्ट 2.2.1

(संदर्भ : कंडिका 2.2.5; पृष्ठ-35)

क्षेत्रीय स्तर पर नमूना जाँचित कार्यालयों की सूची

क्रम सं.	कार्यालय का नाम
1.	मुख्य अभियंता (उत्तर), पटना
2.	मुख्य अभियंता (दक्षिण), पटना
3.	अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, भागलपुर
4.	अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, दरभंगा
5.	अधीक्षण अभियंता, संरचना अंचल, पटना
6.	अधीक्षण अभियंता, संरचना अंचल, दक्षिण बिहार, पटना
7.	कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण प्रमंडल, अररिया
8.	कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण प्रमंडल, भागलपुर
9.	कार्यपालक अभियंता, पटना भवन प्रमंडल, पटना
10.	कार्यपालक अभियंता, केन्द्रीय भवन प्रमंडल, पटना
11	कार्यपालक अभियंता, संरचना प्रमंडल सं0-1, पटना
12	कार्यपालक अभियंता, संरचना प्रमंडल सं0-2, पटना
13	कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, दरभंगा
14	कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, जमुई
15	कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, जहानाबाद
16	कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, किशनगंज
17	कार्यपालक अभियंता, पाटलीपुत्र भवन प्रमंडल, पटना
18	कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमंडल, पटना
19	कार्यपालक कार्यालय, उद्यान प्रमंडल, पटना

(ओत: भ.नि.वि. के अमिलेख)

परिशिष्ट-2.2.2
(संदर्भ : कंडिका-2.2.6; पृष्ठ-36)

भ.नि.वि. में वर्ष 2010-15 के दौरान कार्यों की विभागवार प्रगति

विभाग का नाम	2010-11			2011-12			2012-13			2013-14			2014-15			Total		
	प्रारम्भ किए जाने वाले कार्य	अपूर्ण कार्य	प्रारम्भ नहीं किए गए कार्य	प्रारम्भ किए जाने वाले कार्य	अपूर्ण कार्य	प्रारम्भ नहीं किए गए कार्य	प्रारम्भ किए जाने वाले कार्य	अपूर्ण कार्य	प्रारम्भ नहीं किए गए कार्य	प्रारम्भ किए जाने वाले कार्य	अपूर्ण कार्य	प्रारम्भ नहीं किए गए कार्य	प्रारम्भ किए जाने वाले कार्य	अपूर्ण कार्य	प्रारम्भ किए जाने वाले कार्य	प्रारम्भ नहीं किए गए कार्य		
भवन निर्माण	21	0	0	26	3	0	13	0	0	16	3	0	16	12	0	92	18	0
विधि	24	5	3	7	4	0	6	2	0	24	13	0	28	24	0	89	48	3
वित्त	3	1	1	46	10	3	10	3	0	2	0	1	0	0	0	61	14	5
निबंधन और उत्पाद शुल्क	2	0	0	6	1	0	27	18	1	3	2	0	2	1	0	40	22	1
श्रम संसाधन	1	0	0	7	5	1	10	9	0	1	1	0	12	11	0	31	26	1
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	16	5	1	5	1	0	5	3	0	9	3	2	14	12	0	49	24	3
सामान्य प्रशासन	5	2	0	39	5	2	14	6	4	9	9	0	37	30	2	104	52	8
निर्वाचन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	8	0	0	0	0	38	8	0
समाज कल्याण	0	0	0	5	1	0	0	0	0	5	2	1	0	0	0	10	3	1
पशु और मत्स्य पालन	0	0	0	78	6	16	46	8	10	0	0	0	0	0	0	124	14	26
स्वास्थ्य	0	0	0	5	3	0	2	1	0	1	1	0	0	0	0	8	5	0
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण	0	0	0	5	4	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	8	7	0
अल्पसंख्यक कल्याण	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1148	501	53	22	19	3	1171	521	56
कारा	0	0	0	34	4	5	0	0	0	85	3	42	8	0	7	127	7	54
खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण	0	0	0	0	0	0	423	22	27	0	0	0	0	0	0	423	22	27
कला और संस्कृति	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	2	0	1	0	1	6	2	1
ग्रामीण विकास	0	0	0	0	0	0	38	23	6	39	19	20	0	0	0	77	42	26
विधि	0	0	0	0	0	0	0	0	0	493	281	45	0	0	0	493	281	45
वित्त	0	0	0	0	0	0	6	1	1	0	0	0	0	0	0	6	1	1
निबंधन और उत्पाद शुल्क	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0
श्रम संसाधन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0
कुल	72	13	5	264	48	27	602	96	49	1878	850	164	150	119	13	2966	1126	258

(भ्रोतः भ.नि.वि. द्वारा प्रस्तुत)

परिशिष्ट-2.2.3

(संदर्भ : कांडिका - 2.2.6 और 2.2.8.3; पृष्ठ-36 एवं 40)
नमूना जाँचित प्रमंडलों में निर्माण कार्यों की प्रगति (मई 2015)

(रुलाख में)

क्रम सं.	प्रमंडल का नाम	एकरारनामा संख्या / वर्ष	एकरारित मूल्य	कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	किया गया व्यय	भौतिक स्थिति	विलंब दिनों में (मई 2015 तक)	अपूर्ण कार्य का कारण
1	अररिया	92एस.बी.डी./2010-11	268.13	30/9/2012	276.52	पूर्ण		
2		5एफ. 2/14-15	22.98	16/11/2014	6.73	अपूर्ण	196	भूमि विवादों
3		124एफ. 2/13-14	26.16	18/8/2014	21.86	अपूर्ण	286	भूमि विवादों
4		105एफ. 2/13-14	24.45	2/8/2014	12.18	अपूर्ण	302	भूमि विवादों
5		95 एफ. 2/13-14	21.76	2/8/2014	13.80	अपूर्ण	302	भूमि विवादों
6		89एफ. 2/13-14	11.71	23/7/2014	4.52	अपूर्ण	312	भूमि विवादों
7		86एफ. 2/13-14	10.31	20/7/2014	6.13	अपूर्ण	315	भूमि विवादों
8		88 एफ. 2/13-14	22.12	20/7/2014	6.50	अपूर्ण	315	भूमि विवादों
9		70एफ. 2/13-14	20.78	16/7/2014	13.97	अपूर्ण	319	भूमि विवादों
10		71एफ. 2/13-14	20.78	16/7/2014	19.09	अपूर्ण	319	भूमि विवादों
11		61एफ. 2/13-14	11.89	2/7/2014	9.09	अपूर्ण	333	भूमि विवादों
12		62 एफ. 2/13-14	23.96	2/7/2014	13.85	अपूर्ण	333	भूमि विवादों
13		74एफ. 2/13-14	23.17	30/6/2014	20.02	अपूर्ण	335	भूमि विवादों
14		69एफ. 2/13-14	22.7	30/6/2014	14.07	अपूर्ण	335	भूमि विवादों
15		59एफ. 2/13-14	24.45	15/6/2014	15.52	अपूर्ण	350	भूमि विवादों
16		45एफ. 2/13-14	23.84	27/4/2014	18.38	अपूर्ण	399	भूमि विवादों
17	भागलपुर	159 एफ. 2/ 2012-13	108.44	8/7/2013	101.55	पूर्ण		
18		172 एफ. 2/ 2012-13	169.59	5/9/2013	151.36	पूर्ण		
19		174 एफ.2/ 2012-13	198.86	17/9/2013	168.23	पूर्ण		
20		3 एफ.2/ 2013-14	131.54	1/7/2013	127.85	पूर्ण		
21		12एफ.2/2013-14	53.66	12/2/2014	44.93	पूर्ण		
22		206एफ.2/2013-14	52.61	26/6/2014	2.00	अपूर्ण	339	निधि की कमी
23		412एफ.2/2013-14	54.57	26/6/2014	2.18	अपूर्ण	339	निधि की कमी
24		1एस.बी.डी./ 2014-15	360.22	5/5/2016	130.00	अपूर्ण		
25		7 एफ.2/ 2013-14	42.41	27/11/2013	41.81	पूर्ण		
26	संरचना सं.. 1 पटना	1एस.बी.डी./2010-11	2581.93	30/6/2012	1978.71	अपूर्ण	1065	निधि की कमी
27		13एफ.2/2012-13	49.26	14/7/2013	38.83	पूर्ण		
28		8एफ.2/2013-14	47.4	19/1/2014	39.02	पूर्ण		
29		7एफ.2/2014-15	10.59	2/2/2015	6.04	अपूर्ण	118	संवेदक की अनिच्छा
30	संरचना सं.. -2 पटना	2एस.बी.डी./2013-14	637.74	13/2/2015	675.17	पूर्ण		
31		4एस.बी.डी./2013-14	265.56	16/11/2014	310.27	पूर्ण		
32		8एस.बी.डी./2014-15	328.16	26/6/2016	62.66	अपूर्ण		
33		9एस.बी.डी./2014-15	33500.98	28/9/2016	439.19	अपूर्ण		
34		5एस.बी.डी./2013-14	640.89	2/7/2015	470.29	पूर्ण		
35	दरभंगा	1एफ.2/2011-12	28.81	8/10/2011	9.91	अपूर्ण	1331	संवेदक की अनिच्छा
36		211एफ.2/2011-12	7.57	4/4/2012	3.10	अपूर्ण	1152	संवेदक की अनिच्छा
37		7एफ.2/2012-13	27.36	8/11/2012	6.99	अपूर्ण	934	संवेदक की अनिच्छा
38		49एफ.2/2012-13	14.87	6/5/2013	3.10	अपूर्ण	755	निधि की कमी
39		96एफ.2/2012-13	27.34	29/7/2013	4.75	अपूर्ण	671	निधि की कमी
40		62एफ.2/2012-13	46.02	26/9/2013	45.66	अपूर्ण	612	निधि की कमी
41		121एफ.2/2012-13	16.15	25/8/2013	9.00	अपूर्ण	644	निधि की कमी
42		1एफ.2/2013-14	16.1	21/10/2013	16.03	अपूर्ण	587	निधि की कमी
43		65एफ.2/2013-14	5.06	15/5/2014	7.00	अपूर्ण	381	निधि की कमी
44		54एफ.2/14-15	29.12	9/5/2015	10.13	अपूर्ण	22	संवेदक की अनिच्छा
45		65 एफ.2/14-15	27.79	9/4/2015	0.00	अपूर्ण	52	निधि की कमी
46		63एफ.2/14-15	28.08	16/5/2015	0.00	अपूर्ण	15	निधि की कमी
47		141एफ.2/14-15	11.55	9/3/2015	7.35	अपूर्ण	83	संवेदक की अनिच्छा
48		160एफ.2/14-15	11.56	9/3/2015	5.39	अपूर्ण	83	संवेदक की अनिच्छा

क्रम सं.	प्रमंडल का नाम	एकरारनामा संख्या / वर्ष	एकरारित मूल्य	कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	किया गया व्यय	भौतिक स्थिति	विलंब दिनों में (मई 2015 तक)	अपूर्ण कार्य का कारण
49		159एफ.2/14-15	11.57	9/3/2015	5.39	अपूर्ण	83	संवेदक की अनिच्छा
50		120एफ.2/14-15	11.68	9/3/2015	5.29	अपूर्ण	83	संवेदक की अनिच्छा
51		21 एफ.2/14-15	26.8	3/3/2015	15.72	अपूर्ण	89	संवेदक की अनिच्छा
52		2एफ.2/14-15	11.9	6/2/2015	11.66	अपूर्ण	114	संवेदक की अनिच्छा
53		8एफ.2/14-15	25.31	24/1/2015	13.61	अपूर्ण	127	भूमि विवादों
54		5एफ.2/14-15	10.69	20/11/2014	10.60	अपूर्ण	192	संवेदक की अनिच्छा
55	जमुई	125 एस.बी.डी./ 2011-12	210.82	21/6/2013	222.48	पूर्ण		
56		14एफ.2/ 2012-13	98.61	10/9/2013	96.08	पूर्ण		
57		58 एस.बी.डी./ 2012-13	600.29	27/8/2014	535.28	पूर्ण		
58		2 एस.बी.डी./ 2013-14	2416.58	4/6/2015	1864.77	अपूर्ण		
59		16एफ.2/2012-13	59.74	08-09-2013	0.00	अपूर्ण	630	निधि की कमी
60		13एफ.2/2012-13	56.44	28/6/2013	0.00	अपूर्ण	702	निधि की कमी
61	जहानाबाद	2एस.बी.डी./2012-13	642.81	1/11/2013	669.82	पूर्ण		
62		73एफ.2/2013-14	27.93	15/3/2014	8.50	अपूर्ण	442	भूमि विवादों
63		2एस.बी.डी./13-14	746.01	24/4/2015	380.48	अपूर्ण	37	भूमि विवादों
64		1एस.बी.डी./13-14	759.6	9/3/2015	428.05	अपूर्ण	83	भूमि विवादों
65	किशनगंज	132एफ.2/2010-11	252.33	20/7/12	239.82	पूर्ण		
66		1एस.बी.डी./2012-13	692.82	18/9/14	649.09	पूर्ण		
67		2एस.बी.डी./2012-13	683.65	15/9/14	704.35	पूर्ण		
68		1एस.बी.डी./2013-14	427.32	17/6/15	321.17	पूर्ण		
69		3एस.बी.डी./2013-14	554.53	31/8/2015	452.77	पूर्ण		
70		132एफ.2/2013-14	126.4	4/12/2014	126.40	पूर्ण		
71		66एफ.2/2014/15	74.19	10/7/2015	41.62	अपूर्ण		
72		2एस.बी.डी./2013-14	441.65	19/5/2015	209.07	अपूर्ण	12	संवेदक की अनिच्छा
73		24एफ.2/2014-15	139.74	3/2/2015	114.54	अपूर्ण	117	संवेदक की अनिच्छा
74	पाटलिपुत्र प्रमंडल	2एस.बी.डी./2013-14	7506	27/10/2015	3432.00	अपूर्ण		
75		1 एस.बी.डी./ 2013-14	28000	20/4/2015	16700.00	अपूर्ण	41	संवेदक की अनिच्छा
76	पटना भवन प्रमंडल	1 एस.बी.डी./ 2013-14	41771.21	17/11/2015	23446.21	अपूर्ण		
77		1एस.बी.डी./2014-15	295.32	4/6/2016	54.23	अपूर्ण		
78	केन्द्रीय भवन प्रमंडल	153एफ.2/2014-15	101.84	21/10/2014	73.54	पूर्ण		
		कुल	126894.76		56223.27			

नोट: कार्यों की कुल संख्या: 78; पूर्ण: 23; नियत तारीख व्यपगत नहीं: 8, शेष अपूर्ण 47 कार्य ₹ 202.16 करोड़ व्यय के बाद और ₹ 20.68 करोड़ निधि की कमी

(झोत: नमूना जाँचित प्रमंडलों के अभिलेख)

परिशिष्ट-2.2.4

(संदर्भ : कंडिका 2.2.7.2 और 2.2.9.4; पृष्ठ-38 एवं 43)

तकनीकी स्वीकृति निविदा को अंतिम रूप देने और एकरारनामा करने में विलम्ब

क्रम सं.	प्रमंडल का नाम	नमूना जाँचित कार्यों की संख्या	विलम्ब (दिनों में)					
			तकनीकी स्वीकृति	निविदा को अंतिम रूप देने	एकरारनामा करने	कार्यों की संख्या	विलम्ब की सीमा	कार्यों की संख्या
1	अररिया	15	15	47 से 142	08	27 से 190	12	06 से 86
2	भागलपुर	05	04	65 से 366	04	07 से 118	05	09 से 176
3	केन्द्रीय भवन पटना	01	00		00		01	04
4	संरचना सं0-1, पटना	04	04	1199 से 1850	03	03 से 151	03	61 से 238
5	संरचना सं0-2, पटना	04	04	73 से 256	01	09	03	18 से 120
6	दरभंगा	17	17	55 से 469	11	67 से 231	13	25 से 212
7	जमुई	06	06	154 से 501	02	05 से 06	06	72 से 206
8	जहानाबाद	03	03	119 से 246	02	42 से 144	02	70 से 316
9	किशनगंज	09	08	85 से 1726	04	11 से 55	09	04 से 126
10	पटना भवन पटना	02	02	405 से 842	02	84 से 158	02	63 से 70
11	पाटलिपुत्र भवन पटना	02	02	356 से 519	01	26	02	43 से 136
कुल		68	65	47 से 1850	38	03 से 231	58	04 से 316

(झोत: नमूना जाँचित प्रमंडलों के अभिलेख)

परिशिष्ट-2.2.5

(संदर्भ : कांडिका-2.2.8.4; पृष्ठ-40)

वर्ष 2010-15 के दौरान विद्युत कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए
स्थानांतरित निधि

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	प्रमंडल का नाम	स्थानांतरित राशि
1	भवन निर्माण प्रमंडल, अररिया	2.18
2	भवन निर्माण प्रमंडल, भागलपुर	3.01
3	केन्द्रीय भवन प्रमंडल, पटना	12.48
4	संरचना प्रमंडल सं. 1, पटना	9.98
5	संरचना प्रमंडल सं. 2, पटना	67.84
6	भवन निर्माण प्रमंडल, दरभंगा	2.55
7	भवन निर्माण प्रमंडल, जमुई	0.53
8	भवन निर्माण प्रमंडल, जहानाबाद	1.26
9	भवन निर्माण प्रमंडल, किशनगंज	0.37
10	पाटलीपुत्र भवन प्रमंडल, पटना	0.55
11	पटना भवन प्रमंडल, पटना	0.74
कुल		101.49

(स्रोत: नमूना जाँचित प्रमंडलों के अभिलेख)

परिशिष्ट-2.2.6

(संदर्भ : कांडिका-2.2.9.1; पृष्ठ-41)

महीनों की ओवरलैपिंग के कारण अनुसूचित दर की गलत तैयारी

अनुसूचित दर प्रभावी अवधि	अनुसूचित दर की तैयारी के लिए विचारित मूल्य सूचकांक		मूल्य सूचकांक की ओवरलैपिंग द्वारा सामग्री की लागत निकाली गई (प्रतिशत में)	अनुसूचित दर की तैयारी के लिए मूल्य सूचकांक विचार किया जाना चाहिए		सामग्री की लागत मूल्य सूचकांक की ओवरलैपिंग के बिना निकाला जाना था (प्रतिशत में)	अनुसूची दर में सामग्री की लागत का अतिरिक्त प्रावधान (प्रतिशत में) (4-7)
	अवधि लिया	दर गणना		अवधि लिया जाना चाहिए	दर गणना		
1	2	3	4	5	6	7	8
जून 2011	अक्टूबर 2009 से फरवरी 2011	146.03-130.50/ 130.50 X100					
जुलाई 2012	फरवरी 2011 से अप्रैल 2012	163.10-148.10/ 148.10 X 100					
अगस्त 2013	मार्च 2012 से अप्रैल 2013	171.50-161.00/ 161.00 x 100	6.522	अप्रैल 2012 से अप्रैल 2013	171.50-163.50/ 163.50 X 100	4.893	1.629
सितम्बर 2014	मार्च 2013 से जून 2014	182.60-170.10/ 170.10 X 100	7.348	अप्रैल 2013 से जून 2014	182.60-171.30/ 171.30 X 100	6.597	0.751

(झोत: अलग-अलग वर्षों के अनुसूचित दर और भारत सरकार का थोक मूल्य सूचकांक)

परिशिष्ट-2.2.7

(संदर्भ : कांडिका 2.2.9.2; पृष्ठ-42)

प्रचलित अनुसूचित दर में उद्धत दरों की तुलना में मदों की बढ़ी हुई दर

(राशि ₹ में)

एकरारनामा क्रमांक	मद कोड क्रमांक	मात्रा	परिणाम विपत्र में उल्लेखित दर	जुलाई 2012 के अनुसूचित दर में उल्लेखित दर	बढ़ी हुई दर (4-5)	बढ़ा हुआ प्रावधान (3*6)	कार्यान्वयित मात्रा	अद्यतन अधिक भुगतान (6 * 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

पाटलिपुत्र भवन प्रमंडल : (ए) नियोजन भवन

16 से ऊपर	बी.-5.45ए.	12731.16	4381.40	4161.30	220.10	2802128.32	6498.168	1430246.78
95	डी. 23.2 बी. 18.2	5584.00	260.70	60.90	199.80	1115683.20	(12वीं आर.ए. बिल दिनांक 26 / 3/2015)	
97	डी. 23.4.2 बी. 18.4.2	102.00	152.60	24.90	127.70	13025.40		
98	डी. 23.5 बी. 18.5	2032.00	59.85	36.40	23.45	47650.40		
99	डी. 23.7 बी. 18.7	2032.00	145.90	89.50	56.40	114604.80		
100	डी. 23.8 बी. 18.8	102.00	21.00	12.75	8.25	841.50		
101	डी. 23.10.2 बी. 18.10.2	2032.00	528.10	279.90	248.20	504342.40		
103	डी. 23.20 बी. 18.20	5686.00	7.15	4.20	2.95	16773.70		
104	डी. 23.24 बी. 18.24	2032.00	110.85	54.20	56.65	115112.80		
उप कुल (ए)						4730162.52		1430246.78
एकरारनामा के अनुसार जोड़े 6.4 प्रतिशत : (सं. 2 एस.बी.डी. / 2013-14)						302730.40		91535.80
कुल (ए)						5032892.92		1521782.58

पटना भवन प्रमंडल पटना: (बी) इन्टरनेशनल कन्वेंशन सेंटर

19	बी.-5.45A	9160.86	4381.40	4161.30	220.10	2016305.29	945.34	208069.33
28	डी.-7.20.1 बी.-7.20.1	1.35	30116.00	23800.50	6315.50	8525.93		
28	बी.-7.23.1.4	2668.00	1227.80	1196.80	31.00	82708.00		
54	डी.-10.16.3 बी.-10.16.3	3268000.00	105.85	98.70	7.15	23366200.00	922960.13	6599164.93
उप कुल (बी)						25473739.21	(17 वीं आर ए बिल दिनांक 25 / 6/2015)	6807234.26
एकरारनामा के अनुसार जोड़े 39 प्रतिशत : (सं. 1 एस.बी.डी. / 2013-14)						9934758.29		2654821.36
कुल (बी)						35408497.50		9462055.62

संरचना प्रमंडल सं0.2 पटना: (सी) पुलिस भवन

31	D-5.45.1	6640.00	6397.39	5056.40	1340.99	8904173.60		
69	B-10.16.1	79997.00	105.70	83.40	22.30	1783933.10		
उप कुल (सी)						10688106.70		
एकरारनामा के अनुसार जोड़े 18 प्रतिशत : (सं. 9एस.बी.डी. / 2014-15)						1923859.21		
कुल (सी)						12611965.91		

संरचना प्रमंडल सं0.2, पटना: (डी.एन.एम.सी.एच., पटना में विवाहित नर्स क्वार्टर (48 इकाई)

67	12.52.2	34.14	3112.00	311.20	2800.80	95619.31	32.45	90885.96
उप कुल (डी)						95619.31	(6 टी.आर.ए. बिल दिनांक 25 / 6/2015)	90885.96
एकरारनामा के अनुसार जोड़े 4.5 प्रतिशत : (सं. 5 एस.बी.डी. / 2013-14)						4302.87		4089.87

एकरारनामा क्रमांक	मद कोड क्रमांक	मात्रा	परिणाम विपत्र में उल्लेखित दर	जुलाई 2012 के अनुसूचित दर में उल्लेखित दर	बढ़ी हुई दर (4-5)	बढ़ा हुआ प्रावधान (3*6)	कार्यान्वित मात्रा	अद्यतन अधिक भुगतान (6 * 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
कुल (डी)						99922.18	16 / 6/2015)	94975.83
संरचना प्रमंडल सं.2, पटना : (ई) पटना के एन.एम.सी.एच. में नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल (जी.एन.एम.)								
66	12.52.2	54.09	3112.00	311.20	2800.80	151495.27	53.17	148918.54
72	23.2.6	70.00	1235.80	77.50	1158.30	81081.00	52.00	60231.60
उप कुल (ई)						232576.27	(9 वीं आर ए बिल दिनांक 3 / 7/2015)	209150.14
एकरारनामा के अनुसार जोड़ें 5 प्रतिशत: (सं. 2 एस.बी.डी. / 2013-14)						11628.81		10457.51
कुल (ई)						244205.08		219607.65
कुल योग (ए + बी + सी + डी + ई)						53397483.59		11298421.68

(झोल: अनुसूचित दर और नमूना जाँचित प्रमंडलों के अभिलेख)

परिशिष्ट -2.2.8

(संदर्भ : कांडिका-2.2.9.2; पृष्ठ-42)

दिल्ली अनुसूचित दर के श्रम और सामग्री की उच्च दर को शामिल कर बढ़ी हुई दर का प्रावधान

(रुपये ₹ में)

परिणाम विपत्र क्रमांक	परिणाम विपत्र मद कोड क्रमांक	मात्रा	परिणाम विपत्र में उल्लेखित दर	अनुसूचित दर में उल्लेखित दर	दर का अंतर	अतिरिक्त प्रावधान की राशि	कार्यान्वित मात्रा	अद्यतन अतिरिक्त ¹ भुगतान (6 * 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
संरचना प्रमंडल सं. 2 पटना : (ए) राजकीय पॉलिटेक्निक के छात्रावास परिसर में आई.आई.टी. छात्र के लिए 100 शैयया वाले नए छात्रावास								
57	डी-22.20.1	361.40	422.80	400.60	22.20	8023.08		
59	डी-10.28	1013.55	558.00	542.40	15.60	15811.38		
60	डी -9.118.2	38.18	2587.25	2548.40	38.85	1483.18		
उप कुल (ए)						25317.64		
एकरारनामा के अनुसार जोड़े 4.5 प्रतिशत : (सं. 4 एस.बी.डी./ 2013-14)						1139.29		
कुल (ए)						26456.93		
पटना भवन प्रमंडल, पटना: (बी) इन्टरनेशनल कन्वेंशन सेंटर								
8	डी-2.38	25106.60	83.80	51.30	32.50	815964.50		
13	डी-4.17	752.00	338.75	292.80	45.95	34554.40		
32	डी-7.40.1	150.00	1989.40	1702.50	286.90	43035.00		
32	डी-7.40.2	150.00	2048.35	1761.45	286.90	43035.00		
34	डी-7.41	3004.20	119.00	108.60	10.40	31243.68		
35	डी-7.42	2752.10	171.20	147.60	23.60	64949.56		
49	डी-9.127.2	929.00	596.30	574.15	22.15	20577.35		
54	डी-10.16.3	3268000.00	105.85	98.60	7.25	23693000.00	922960.13	6691460.94
56	डी-10.2	183940.59	86.65	78.40	8.25	1517509.87	160321.28	1322650.56
57	डी-10.28	2906.00	558.00	542.40	15.60	45333.60		
59	डी-16.73	1520.00	181.05	116.05	65.00	98800.00		
60	डी-16.75	1065.00	6067.10	5410.60	656.50	699172.50	87.52	57456.88
68	डी-11.46.2	1814.00	1339.20	1283.75	55.45	100586.30		
77	डी-12.50	5000.00	601.75	590.60	11.15	55750.00	1576.00	17572.40
78	डी-12.51.1	340.00	620.75	607.70	13.05	4437.00		
78	डी-12.51.2	364.00	602.50	595.95	6.55	2384.20	105.00	687.75
78	डी-12.51.6	374.00	750.70	700.35	50.35	18830.90		
80	डी-12.52.1	2000.00	1425.90	1369.35	56.55	113100.00		
81	डी-12.53	8000.00	1566.00	1509.50	56.50	452000.00		
83	डी-12.55	7237.00	1033.70	952.60	81.10	586920.70		
89	डी-13.45.1	21161.00	117.70	108.30	9.40	198913.40		
91	डी-13.82.2	4448.00	56.60	45.70	10.90	48483.20		
92	डी-13.83.2	4759.00	61.45	50.55	10.90	51873.10		
95	डी-21.1.1.2	9380.00	387.70	377.10	10.60	99428.00		
95	डी-21.1.2.2	6253.00	436.35	417.85	18.50	115680.50		
99	डी-21.10	537.00	3328.40	3253.35	75.05	40301.85		

परिणाम विपत्र क्रमांक	परिणाम विपत्र मद कोड क्रमांक	मात्रा	परिणाम विपत्र में उल्लेखित दर	अनुसूचित दर में उल्लेखित दर	दर का अंतर	अतिरिक्त प्रावधान की राशि	कार्यान्वयित मात्रा	अद्यतन अतिरिक्त भुगतान (6 * 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
102	डी-16.51.1	1494.00	535.60	424.55	111.05	165908.70		
103	डी-16.52	598.00	5211.10	4510.45	700.65	418988.70		
110	डी-16.68	5762.00	536.65	509.25	27.40	157878.80		
111	डी-16.64	2000.00	97.55	88.60	8.95	17900.00		
113	डी-20.2.4	1530.00	2526.55	2314.95	211.60	323748.00	1470.00	311052.00
113	डी-20.2.5	1140.00	3310.90	3010.05	300.85	342969.00	5959.00	1792765.15
113	डी-20.2.6	27448.00	4723.60	4253.75	469.85	12896442.80	38219.00	17957197.15
113	डी-20.2.7	7270.00	7809.25	6975.30	833.95	6062816.50	7265.40	6058980.33
127	डी-16.11	2200.91	381.66	271.50	110.16	242452.25		
उप कुल (बी)						49624969.35	(17वीं आर.ए. बिल दिनांक 25 / 6/2015)	34209823.16
एकरारनामा के अनुसार जोड़े 39 प्रतिशत: (सं. 1 एस.बी.डी. / 2013-14)						19353738.05		13341831.03
कुल (बी)						68978707.40		47551654.19
जमुई प्रमंडल : (सी) राजकीय पॉलिटेक्निक, जमुई								
12	डी-4.17	826.67	338.75	292.80	45.95	37985.49		
30	डी-9.119	1442.59	404.60	397.65	6.95	10026.00		
31	डी-9.120.1	402.30	2499.20	2460.35	38.85	15629.36		
73	डी-12.50	361.06	601.75	590.60	11.15	4025.82		
90	डी-13.47.1	19895.07	80.45	71.10	9.35	186018.90		
102	डी-16.69	168.84	5046.80	4913.85	132.95	22447.28		
103ए	डी-18.10.1	130.00	161.60	143.90	17.70	2301.00		
103बी	डी-18.10.2	373.00	188.05	168.70	19.35	7217.55		
103सी	डी-18.10.3	272.00	243.15	222.15	21.00	5712.00		
103डी	डी-18.10.4	211.00	296.50	271.90	24.60	5190.60		
103ई	डी-18.10.5	413.00	364.10	332.45	31.65	13071.45		
103एफ	डी-18.10.6	266.00	453.65	414.90	38.75	10307.50		
104ए	डी-18.11.1	948.00	229.10	212.30	16.80	15926.40		
104बी	डी-18.11.2	373.00	251.30	234.45	16.85	6285.05		
128	डी-17.1.1	127.00	2964.10	2663.85	300.25	38131.75		
129	डी-17.2.1	18.00	2885.10	2584.85	300.25	5404.50		
142ए	डी-17.35.1.1	1535.00	734.30	725.05	9.25	14198.75		
142बी	डी-17.35.2	437.00	656.60	648.90	7.70	3364.90		
कुल (सी)						403244.29		
एकरारनामा के अनुसार जोड़े 4 प्रतिशत: (सं. 2 एस.बी.डी. / 2013-14)						16129.77		
कुल (सी)						419374.07		
संरचना प्रमंडल सं. 2 पटना : (डी) एन.एम.सी.एच. पटना में विवाहित नर्स क्वार्टर (48 इकाई)								
16	डी-4.17	225.23	338.75	324.60	14.15	3187.00		
119	डी-17.1.1	48.00	2964.10	2663.85	300.25	14412.00		
कुल (डी)						17599.00		
एकरारनामा के अनुसार जोड़े 4.5 प्रतिशत: (सं. 5 एस.बी.डी./ 2013-14)						879.95		
कुल (डी)						18478.95		

परिणाम विपत्र क्रमांक	परिणाम विपत्र मद कोड क्रमांक	मात्रा	परिणाम विपत्र में उल्लेखित दर	अनुसूचित दर में उल्लेखित दर	दर का अंतर	अतिरिक्त प्रावधान की राशि	कार्यान्वित मात्रा	अद्यतन अतिरिक्त भुगतान (6 * 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
पाटलिपुत्र भवन प्रमंडल : (ई) नियोजन भवन								
6	डी-2.38	1163	83.80	51.30	32.50	37797.50		
9	डी-4.17	256	338.75	292.80	45.95	11763.20		
18	डी-6.46.2	4340	568.75	484.00	84.75	367815.00	2787.695	236257.15
23	डी-7.40.1	248	1989.40	1702.50	286.90	71151.20		
23	डी-7.40.2	248	2048.35	1761.45	286.90	71151.20	248.00	71151.20
24	डी-7.41	14893	119.00	108.60	10.40	154887.20	6087.32	63308.13
25	डी-7.42	11915	171.20	147.60	23.60	281194.00	600.00	14160.00
26	डी-7.39	536.39	65.85	57.40	8.45	4532.50		
32	डी-9.127.2	1943	596.30	574.15	22.15	43037.45		
37	डी-10.28	6829	558.00	542.40	15.60	106532.40		
43	डी-11.15.1	1218	773.45	632.20	141.25	172042.50		
52	डी-11.46.2	190	1339.20	1283.75	55.45	10535.50		
55	डी-11.45	216	1651.20	1616.85	34.35	7419.60		
58	डी-12.53	1539	1566.00	1509.50	56.50	86953.50		
57	डी-12.55	3297	1033.70	952.60	81.10	267386.70		
65	डी-13.45	9455	117.70	108.30	9.40	88877.00		
66	डी-13.82.2	15965	56.60	45.65	10.95	174816.75		
67	डी-13.83.2	38698	61.45	50.55	10.90	421808.20		
68	डी-13.84.2	1306	53.90	43.00	10.90	14235.40		
69	डी-13.85.2	1306	24.30	19.45	4.85	6334.10		
71	डी-16.51.1	1053	535.60	424.55	111.05	116935.65		
72	डी-16.52	351	5211.10	4445.40	765.70	268760.70		
77	डी-16.68	1170	536.65	509.25	27.40	32058.00		
78	डी-19.16	54	256.75	230.25	26.50	1431.00		
80	डी-20.2.3	2766	2154.40	1980.00	174.40	482390.40		
80	डी-20.2.5	11040	3310.90	3010.00	300.90	3321936.00	9726.00	2926553.40
84	डी-21.1.1.2	31639	387.60	377.10	10.50	332209.50	9595.84	100756.32
84	डी-21.2.2.2	21093	436.35	417.85	18.50	390220.50		
88	डी-21.17	5565	388.40	377.50	10.90	60658.50		
92	डी-22.5	2528	215.15	165.90	49.25	124504.00	1424.71	70166.97
95	डी-23.2	5584	260.70	222.35	38.35	214146.40		
101	डी-23.10.2	2032	528.10	327.40	200.70	407822.40		
104	डी-23.24	2032	110.85	91.90	18.95	38506.40		
1.1	डी-17.78	197	9444.35	9115.65	328.70	64753.90		
1.2	डी-17.80	146	14961.65	14852.50	109.15	15935.90		
कुल (ई)						8272540.15	(12वीं आर.ए. बिल दिनांक 26/3/2015)	3482353.17
एकरारनामा के अनुसार जोड़े 6.4 प्रतिशत: (सं. 2 एस.बी.डी. / 2013-14)						529442.57		222870.60
कुल (ई)						8801982.71		3705223.77

परिणाम विपत्र क्रमांक	परिणाम विपत्र मद कोड क्रमांक	मात्रा	परिणाम विपत्र में उल्लेखित दर	अनुसूचित दर में उल्लेखित दर	दर का अंतर	अतिरिक्त प्रावधान की राशि	कार्यान्वयित मात्रा	अद्यतन अतिरिक्त भुगतान (6 * 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
संरचना प्रमंडल सं0.2, पटना : (एफ) पुलिस भवन								
10	डी-2.38	923.00	102.52	57.25	45.27	41784.21		
13	डी-4.6.1	155.00	5212.21	3931.75	1280.46	198471.30		
17	डी-4.17	835.00	382.74	315.35	67.39	56270.65		
22	डी-5.43.1	13281.00	577.22	548.75	28.47	378110.07		
26	डी-5.44.1	6640.00	6374.30	6282.65	91.65	608556.00		
27	डी-5.24.1	6640.00	6397.39	5005.00	1392.39	9245469.60		
34	डी-6.34.2	9532.00	5175.29	3553.20	1622.09	15461761.88		
35	डी-6.45.2	3033.00	647.71	451.50	196.21	595104.93		
38 बी	डी-7.23.1.4	1689.00	2119.58	1425.55	694.03	1172216.67		
38 डी	डी-7.23.3.4	277.00	2150.64	1458.30	692.34	191778.18		
39	डी-7.25	1201.80	572.47	557.80	14.67	17630.41		
40	डी-7.27	9179.80	29.39	28.50	0.89	8170.02		
43	डी-7.33.2	1836.76	8727.01	5020.15	3706.86	6808612.17		
44	डी-7.40.1	3500.00	2374.91	1837.25	537.66	1881810.00		
44	डी-7.40.2	2560.00	2408.95	1900.00	508.95	1302912.00		
45	डी-7.41	152026.00	135.85	113.35	22.50	3420585.00		
46	डी-7.42	38182.24	198.77	158.90	39.87	1522325.91		
54	डी-9.21.1	2078.00	1701.60	1623.55	78.05	162187.90		
56	डी-9.127.2	1620.00	669.83	613.45	56.38	91335.60		
73	डी-10.28	11674.00	617.21	579.05	38.16	445479.84		
74	डी-16.75	1039.00	6310.48	4967.45	1343.03	1395408.17		
78	डी-11.34	148.00	6440.87	5189.85	1251.02	185150.96		
83	डी-11.45	709.00	1760.63	1560.00	200.63	142246.67		
84	डी-11.46.2	966.00	1425.56	1308.40	117.16	113176.56		
88	डी-11.51	54.00	5163.27	4932.25	231.02	12475.08		
89	डी-11.53	85.00	1602.57	1516.95	85.62	7277.70		
90	डी-11.54.2	909.00	4085.05	3957.90	127.15	115579.35		
93	डी-12.45.1	3245.00	812.85	699.60	113.25	367496.25		
95	डी-12.54.1	3093.00	1675.39	1570.00	105.39	325971.27		
96	डी-12.55	6995.00	1119.79	1006.50	113.29	792463.55		
97	डी-12.51.1	28.00	635.54	610.25	25.29	708.12		
97	डी-12.51.2	71.00	612.77	597.15	15.62	1109.02		
97	डी-12.51.6	56.00	804.01	718.55	85.46	4785.76		
104	डी-13.80	49286.50	86.25	69.40	16.85	830477.53		
105	डी-13.45	22598.40	128.37	111.35	17.02	384624.77		
111	डी-13.82.2	8434.00	71.45	70.45	1.00	8434.00		
112	डी-13.83.2	51679.00	71.45	53.20	18.25	943141.75		
113	डी-13.84.2	3066.00	67.67	46.65	21.02	64447.32		

परिणाम विपत्र क्रमांक	परिणाम विपत्र मद कोड क्रमांक	मात्रा	परिणाम विपत्र में उल्लेखित दर	अनुसूचित दर में उल्लेखित दर	दर का अंतर	अतिरिक्त प्रावधान की राशि	कार्यान्वित मात्रा	अद्यतन अतिरिक्त भुगतान (6 * 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
114	डी-13.85.2	2093.15	29.03	20.90	8.13	17017.31		
114	डी-26.7	624.72	3733.62	3589.30	144.32	90159.59		
115	डी-26.2 e	6897.48	2491.47	2370.35	121.12	835422.78		
116	डी-26.3	6182.86	3988.44	3903.85	84.59	523008.13		
116	डी-26.4	1711.82	3062.62	2998.00	64.62	110617.81		
126 ए	डी-16.3.1	697.00	1133.12	610.00	523.12	364614.64		
126 बी	डी-16.3.2	629.00	1285.63	642.65	642.98	404434.42		
126 सी	डी-16.3.3	529.00	1309.11	658.20	650.91	344331.39		
126 डी	डी-16.3.6	233.00	1424.30	772.85	651.45	151787.85		
126 ई	डी-16.3.7	356.00	1468.34	410.65	1057.69	376537.64		
126 एफ	डी-16.3.8	285.00	1298.20	1237.40	60.80	17328.00		
126 जी	डी-16.3.9	285.00	311.43	259.05	52.38	14928.30		
127	डी-16.4	1450.00	392.74	164.00	228.74	331673.00		
135	डी-16.68	3260.00	563.00	516.10	46.90	152894.00		
136 ए	डी-20.2.1	1827.00	1439.00	1318.85	120.15	219514.05		
136 बी	डी-20.3.3	8775.00	2740.69	2441.80	298.89	2622759.75	7796.645	2330339.22
136 सी	डी-20.2.6	21765.00	4993.79	4350.95	642.84	13991412.60	21765.00	13991412.60
136 डी	डी-20.2.7	4860.00	8283.41	7147.95	1135.46	5518335.60	1037.00	1177472.02
140 बी	डी-21.1.1.2	37207.08	376.73	351.30	25.43	946176.04		
140 डी	डी-21.1.2.2	4056.00	431.88	397.75	34.13	138431.28		
146	डी-22.5	1813.00	257.55	133.50	124.05	224902.65		
147	डी-22.6	6386.00	360.32	250.15	110.17	703545.62		
कुल (एफ)						77405378.61	(15वें आर.ए. बिल दिनांक 08/12/2015)	17499223.84
एकरारनामा के अनुसार जोड़ें 18 प्रतिशत: (सं. 9 एस.बी.डी. / 2014-15)						13932968.15		3149860.29
कुल (एफ)						91338346.76		20649084.13
कुल योग (ए + बी + सी + डी + ई + एफ)						169583346.83		71905962.09

(स्रोत: नमूना जाँचित प्रमंडलों के अभिलेखद्वारा

परिशिष्ट-2.2.9
(संदर्भ : कंडिका 2.2.9.5; पृष्ठ-44)
तकनीकी स्वीकृति में विलंब के कारण लागत वृद्धि

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	प्रमंडल का नाम	एकरारनामा संख्या	ए.ए. की तिथि, टी.एस. की तिथि	टी.एस. में समय लिया गया	लागत वृद्धि	टिप्पणियां
1	जमुई	125 एस.बी.डी./ 2011-12	9/3/2011 16/8/2011	160	0.43	कार्य के लिए टी एस ₹183.70 लाख के लिए स्वीकृति की गई (अनुसूचित दर 2009)। इस टी.एस. पर ई.ई. ने एन.आई.टी. प्रकाशित नहीं किया। टी.एस. ₹226.55 लाख के लिए संशोधित किया गया (अनुसूचित दर जून 2011)। इस प्रकार निर्माण लागत ₹183.70 लाख से बढ़कर ₹226.55 लाख हो गई।
2		58एस.बी.डी./ 2012-13	31/5/2011 30/5/2012	365	0.43	टी.एस. मई 2012 में स्वीकृति की गई। इस टी.एस. पर निविदा को अंतिम रूप नहीं दिया गया था और तकनीकी बोली में (सितम्बर 2012) सभी बोली दाताओं को असफल घोषित किया गया था। कार्य उसी बोली दाता को दी गई (दिसम्बर 2012) जिनकी तकनीकी बोली पिछले बोली में विचार नहीं किया गया। अनुसूचित दर संशोधित होने के कारण परिणाम विपत्र की लागत ₹5.24 करोड़ से बढ़कर ₹5.64 करोड़ हो गई। इस प्रकार कार्य की लागत में ₹0.40 करोड़ की वृद्धि हुई।
3		2 एस.बी.डी./ 2013-14	6/9/2011 15/10/2012	405	2.01	ए.ए. के समय अनुसूचित दर जून 2011 प्रभावी था। परिणाम विपत्र अनुसूचित दर जुलाई 2012 पर तैयार किया गया था। इसलिए कार्य का सिविल मद की लागत में ₹2.01 करोड़ की वृद्धि हुई।
4	किशनगंज	1 एस.बी.डी./ 2012-13	4/2/2008 31/10/2012	1731	2.82	इन कार्यों के लिए ए.ए. ₹7.02 करोड़ रुपये (प्रत्येक के लिए ₹3.51 करोड़) स्वीकृति थी। प्रमंडलीय कार्यालय इस ए.ए. से अनजान था अतः कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका। इन दोनों कार्यों के लिए ए.ए. ₹12.59 करोड़ (1एस.बी.डी. के लिए: ₹6.33 करोड़ और 2 एस.बी.डी. के लिए ₹6.26 करोड़) संशोधित किया गया फलस्वरूप प्रत्येक कार्य की लागत में क्रमशः ₹2.82 करोड़ और ₹2.75 करोड़ की वृद्धि हुई।
5		2 एस.बी.डी./ 2012-13	4/2/2008 1/11/2012	1732	2.75	
6		1 एस.बी.डी./ 2013-14	30/1/2012 10/4/2013	436	0.35	ए.ए. के समय अनुसूचित दर जून 2011 प्रभावी था। परिणाम विपत्र अनुसूचित दर जुलाई 2012 पर तैयार किया गया था। इसलिए इन सभी कार्यों के सिविल मद की लागत में वृद्धि हुई।
7		2 एस.बी.डी./ 2013-14	26/3/2012 12/4/2013	382	0.38	
8		132एफ2/ 2013-14	30/1/2012 10/4/2013	436	0.13	
9	भागलपुर	7एफ2/ 2013-14	उपलब्ध नहीं 5/1/2012		0.04	प्राक्कलन प्रमंडलीय कार्यालय द्वारा तैयार किया गया (दिसंबर 2011) था और एस.ई. भागलपुर द्वारा अनुमोदित किया गया (जनवरी 2012)। उस समय अनुसूचित दर जून 2011 प्रभावी था लेकिन टी.एस. में अनुसूचित दर जुलाई 2012 की दरों को उद्धृत किया गया। इस प्रकार अनुसूचित दर जुलाई 2012 की दरों को दर्शाया गया था जो कि जनवरी 2012

क्रम सं.	प्रमंडल का नाम	एकरारनामा संख्या	ए.ए. की तिथि, टी.एस. की तिथि	टी.एस. में समय लिया गया	लागत वृद्धि	टिप्पणियां
						के महीने में स्वीकृत हुए थे जो कि स्पष्ट रूप से पिछली तारीख का अनुमोदन जान बूझकर प्राक्कलन में दरों को बदला गया था और इस प्रकार निर्माण कार्य की लागत में ₹3.62 करोड़ की वृद्धि हुई।
10	पाटलिपुत्र, पटना	2 एस.बी.डी./ 2013-14	26/9/2011 4/3/2013	525	5.27	ए.ए. जून 2011 के अनुसूचित दर पर था। संबंधित सलाहकार द्वारा प्राक्कलन के देरी से प्रस्तुत करने के परिणाम विपत्र जुलाई 2012 के अनुसूचित दर के आधार पर तैयार किया गया था। परिणामस्वरूप निर्माण कार्य के सिविल मदों की लागत में ₹5.27 करोड़ की वृद्धि हुई।
11	पटना भवन, पटना	1एस.बी.डी. /2013-14	1/2/2012 18/3/2013	411	143.51	ए.ए. जून 2011 के अनुसूचित दर पर था, टी.एस. अनुसूचित दर जुलाई 2012 पर स्वीकृत किया गया था और कार्य अगस्त 2013 के अनुसूचित दर पर ₹417.71 करोड़ पर आवंटित किया गया (सितम्बर 2013) टी.एस. स्वीकृत और कार्य आवंटन में बिलम्ब के कारण लागत में ₹143.51 करोड़ की वृद्धि हुई।
	कुल				158.12	

(स्रोत: नमूना जाँचित प्रमंडलों के अभिलेख)

परिशिष्ट-2.2.10

(संदर्भ : कंडिका -2.2.9.6; पृष्ठ-44)

कार्यों के अतिरिक्त मदों के कार्यान्वयन के लिए अनाधिकृत भुगतान

क्रम सं.	प्रमंडल का नाम	कार्यों के नाम	अतिरिक्त निष्पादित कार्य (मदों की संख्या)	अतिरिक्त प्रतिशत में (सीमा)	किए गए अनाधिकृत भुगतान (रुलाख में)
1	अररिया	कृषि भवन, अररिया (92एसबीडी / 2010-11)	34	11 से 1118	34.16
2	भागलपुर	50 शेयर्या वाले रिमांड गृह (174एफ2 / 2012 -13)	1	77	5.07
3		सिविल कोर्ट में हाजत भवन (12F2 / 2013-14)	2	13 से 65	2.03
4	सेंट्रल पटना	सम्मेलन हॉल का निर्माण (153एफ2 / 2014-15)	1	46	1.52
5	जमुई	आई टी आई, जमुई (58 एसबीडी / 2012-13)	15	23 से 946	65.56
6		राजकीय पॉलिटेक्निक, जमुई (2एसबीडी / 2013-14)	14	35 से 1356	314.10
7	जहानाबाद	मंडल कारा, जहानाबाद (2एसबीडी / 2012-13)	24	11 to 4686	64.23
8	किशनगंज	कृषि भवन, किशनगंज (132एफ2 / 2010-11)	01	46	5.80
9		प्रखंड आवासीय भवन ठाकुरगंज, किशनगंज (1एसबीडी / 2012-13)	04	13 से 8438	44.53
10		प्रखंड आवासीय भवन बहादुरगंज, किशनगंज (2एसबीडी / 2012-13)	06	13 से 9301	110.68
11		10 अदालत भवन, किशनगंज (3एसबीडी / 2013-14)	11	13 से 82	41.31
12		डाइट भवन, किशनगंज (2एसबीडी / 2013-14)	04	13 से 75	12.35
13		आई टी आई, किशनगंज में स्टाफ क्वार्टर और कैटीन (132एफ2 / 2013-14)	14	14 से 139	25.21
14		4000 ईवीएम गोदाम, किशनगंज (24एफ2 / 2014-15)	07	20 से 1566	1.38
कुल					727.93

(छोत: नमूना जाँचित प्रमंडलों के अभिलेख)

परिशिष्ट-2.2.11

(संदर्भ : कंडिका-2.2.9.7; पृष्ठ-44)

अपूर्ण कार्य पर निष्फल व्यय

(रुलाख में)

क्रम सं.	प्रमंडल का नाम	एकरारनामा संख्या	एकरारित मूल्य	कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	कार्य बंद होने की तिथि	किया गया व्यय	टिप्पणियां
1	दरभंगा	7एफ 2/12-13	27.36	8/11/2012	18/9/2014	9.03	कार्य को पूरा करने के लिए ठेकेदारों की अनिच्छा
2		1एफ 2/11-12	28.81	8/10/2011	18/3/2013	9.91	जनवरी 2011 के बाद कोई कार्य नहीं किया गया
3		211एफ 2/11-12	7.57	24/4/2012	2/8/2014	3.10	अक्टूबर 2012 के बाद कोई कार्य नहीं किया गया
4		38एफ 2/07-08	76.17	22/12/2008	परित्यक्त	57.45	वर्ष 2008-09 के बाद से परित्यक्त और निधि की कमी
5	जहानाबाद	73एफ 2/13-14	27.93	19/3/2014	परित्यक्त	8.50	मार्च 2014 के बाद से भूमि विवाद के कारण छोड़ दिया
6	संरचना सं.-1, पटना	9एफ 2/07-08	82.05	6/3/2009	14/3/2012	77.34	संशोधित प्र.स्वी. नहीं होने के कारण निधि की कमी
7	किशनगंज	12एफ 2/08-09	178.76	24/7/2010	नवंबर 2010	219.09	कार्य का विलम्ब से प्रारम्भ तथा बगेर संशोधित प्र. स्वी. के कारण निधि की कमी
कुल			428.65			384.42	

(ज्ञोतः नमूना जाँचित प्रमंडलों के अभिलेख)

परिशिष्ट-2.2.12

(संदर्भ : कंडिक्ट-2.2.9.8; पृष्ठ-46)

स्वीकृत प्राथमिकता सूची के परे मरम्मति एवं अनूरक्षण कार्य का निष्पादन

(रुलाख में)

क्रम सं.	प्रमंडल का नाम	एकरारनामा का व्यौरा		कार्यों की संख्या	कुल एकरारित मूल्य
		वर्ष	एकरारनामा संख्या (एफ2)		
1	अररिया	2011-12	9,17, 18,19,27, 28, 30, 31, 32, 35, 36, 37 and 42	13	27.65
2		2012-13	31, 33, 43, 66, 67, 73, 77, 79, 80, 84 and 85	11	11.07
3	जहानाबाद	2012-13	3, 8, 13, 14, 20, 22, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 44, 52, 53, 54, 63, 66, 71, 72, 75, 81, 83, 84, 85, 86A, 119, 123 and 124B	34	38.29
4		2013-14	26A, 27, 39, 44, 51, 53, 54, 56, 62, 66, 70, 73, 74, 81, 95, 96, 98, 100, 102 and 103	20	88.01
5		2014-15	10, 12, 14, 21, 37, 43, 44, 62, 67, 82, 83, 87, 88, 92, 93, 96 and 106	17	33.55
6	किशनगंज	2010-11	27, 29, 40, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 117, 119, 120, 121, 122 and 125	16	17.48
7		2011-12	24, 26, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 43, 44, 45, 48, 60, 73, 74 and 75	24	36.94
8		2013-14	39, 40, 46, 52, 53, 55, 56, 58, 100, 135, 157, 162 and 163	13	25.82
9		2014-15	12, 22, 35, 40, 42, 43, 47, 48, 50, 51, 71, 80 and 83	13	31.87
कुल				161	310.68

(स्रोत: नमूना जाँचित प्रमंडलों के अभिलेख)

परिशिष्ट -2.3.1

(संदर्भ: कांडिका 2.3.5; पृष्ठ-54)

ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत परियोजनाओं की विवरणी

क्रम सं.	परियोजना का नाम	ए.आई.बी.पी. के तहत सम्प्रभुत वर्ष	पूर्ण/अपूर्ण (पूर्ण होने का वर्ष) किया जाना	लेखापरीक्षा के लिए चयनित किया गया अथवा नहीं	टिप्पणीयाँ
1	2	3	4	5	6
वृहद् मध्यम सिंचाई परियोजना					
1	बानसागर डैम परियोजना	1998-99	प्रक्रियाधीन	-----	2013 में ए.आई.बी.पी. से हटाया गया।
2	दुर्गावती जलाशय परियोजना	1996-97	प्रक्रियाधीन	चयनित किया गया	-----
3	उपरी किउल जलाशय परियोजना	1996-97	पूर्ण (2006-07)	-----	-----
4	पश्चिमी कोसी नहर परियोजना	1996-97	प्रक्रियाधीन	चयनित किया गया	2013 में ए.आई.बी.पी. से हटाया गया।
5	ओढ़नी जलाशय परियोजना	1997-98	पूर्ण (2006-07)	-----	-----
6	बिलासी जलाशय परियोजना	1997-98	पूर्ण (2000-01)	-----	-----
7	सोन नहर आधुनिकीकरण परियोजना	1998-99	पूर्ण (2009-10)	-----	-----
8	बताने जलाशय परियोजना	2000-01	प्रक्रियाधीन	-----	2013 में ए.आई.बी.पी. से हटाया गया।
9	पुनर्पुन बैराज योजना	2007-08	प्रक्रियाधीन	चयनित किया गया	-----
10	कोसी बराज परियोजना का पुर्णस्थापना एवं उसका अवयव	2008-09	पूर्ण (2010-11)	चयनित किया गया	-----
11	बटेश्वरस्थान गंगा पम्प नहर परियोजना	प्रस्तावित	अगस्त 2015 तक अनुमोदन प्राप्त नहीं		नया प्रस्तावित परियोजना
12	कोसी नहर परियोजना का विस्तार, जिर्णद्वार तथा आधुनिकीकरण	प्रस्तावित		चयनित किया गया	नया प्रस्तावित परियोजना
13	नेपाल लाभ योजना गंडक परियोजना	प्रस्तावित		-----	नया प्रस्तावित परियोजना
कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम					
1	सोन कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम	2010-11	प्रक्रियाधीन	-----	-----
2	उत्तरी कोयल कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम	2010-11	प्रक्रियाधीन	-----	-----
3	गंडक कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम	2010-11	प्रक्रियाधीन	चयनित किया गया	-----
4	कोसी कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम	2010-11	प्रक्रियाधीन	-----	-----
5	किउल कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम	2010-11	प्रक्रियाधीन	-----	-----
6	बदुआ कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम	2010-11	प्रक्रियाधीन	-----	-----
7	चंदन कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम	2010-11	प्रक्रियाधीन	-----	-----

(झोत: जल संसाधन विभाग, बिहार के अभिलेख)

परिशिष्ट -2.3.2

(संदर्भ: कांडिका 2.3.5; पृष्ठ-54)

मुख्य अभियंता तथा कार्यपालक अभियंता का परियोजनावार विवरणी

परियोजना का नाम	मुख्य अभियंता	प्रमंडल का नाम
दुर्गावती जलाशय परियोजना	मु.अ., ज.सं.वि. डेहरी	दुर्गावती बांध प्रमंडल सं.-1, भीतरीबांध चेनारी
पुनर्पुन बैराज योजना	मु.अ., ज.सं.वि., गया	पुनर्पुन बैराज प्रमंडल सं.-1 गोह, औरगांबाद
कोसी बराज एवं इसके अवयवों के पुनर्स्थापन परियोजना	मु.अ. (मैकेनिकल) ज.सं.वि., पटना	सिंचाई मैकेनिकल प्रमंडल, बीरपुर
पूर्वी कोसी नहर प्रणाली का विस्तारीकरण, जिर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण (ई.आर.एम.)	मु.अ., ज.सं.वि., बीरपुर	सिंचाई प्रमंडल, बीरपुर
		मुख्य कार्य प्रमंडल, बीरपुर
	मु.अ., ज.सं.वि., पुर्णियाँ	सिंचाई प्रमंडल, अररिया
		सिंचाई प्रमंडल, मुरलीगंज
पश्चिमी कोसी नहर परियोजना	मु.अ., ज.सं.वि., दरभंगा	डब्ल्यू.के.सी. प्रमंडल, दरभंगा
		डब्ल्यू.के.सी. प्रमंडल, केवटी
		डब्ल्यू.के.सी. प्रमंडल, सकाड़ी
गंडक कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम	अध्यक्ष—सह—क्षेत्र विकास आयुक्त, गाडा, मुजफ्फरपुर	गाडा प्रमंडल मुजफ्फरपुर

(स्रोत: जल संसाधन विभाग, बिहार के अभिलेख)

परिशिष्ट -2.3.3

(संदर्भ: कंडिका 2.3.9.2; पृष्ठ-62)

मोबेलाईजेशन अग्रिम की गैर-वसूली तथा उस पर ब्याज से संबंधित विवरणी

(राशि ₹ करोड़ में)

प्रमंडल का नाम	एकरारनामा सं./दिनांक	कार्य का नाम	एकरारनामा मूल्य	मार्च 2015 तक का व्यय	मोबेलाईजेशन अग्रिम/दिनांक	मो.अग्रिम का वसूली	शेष मो.अग्रिम	अर्जित ब्याज (मार्च 2015)	मो. अग्रिम पर ब्याज की वसूली	बकाया ब्याज (मार्च 2015)	
					राशि	दिनांक					
पुनर्पुन बराज प्रमंडल सं.-1 गोह, औरंगाबाद	1 एफ2/05-06/10.05.2005	पुनर्पुन नदी, हमीदनगर पर बराज का निर्माण	89.57	50.46	3.40	22.06.2006	6.60	6.84	7.15	0.90	6.25
					5.56	06.03.07					
					4.48	18.03.07					
					13.44						
पुनर्पुन बराज प्रमंडल सं.-1 गोह, औरंगाबाद	1 एस.बी.डी./10-11/ 08.03.11	दाहनी मुख्य नहर 9.00 किमी से 15.66 किमी तक मिट्टी एवं ढाँचा कार्य	4.72	0.00	0.30	21.06.11	0.00	0.30	0.16	0.00	0.16
					0.30						
		सकल योग	94.29	50.46	13.74		6.60	7.14	7.31	0.90	6.41

(स्रोत: का.अ.पुनर्पुन बराज प्रमंडल सं.-1 गोह, औरंगाबाद)

परिशिष्ट -2.3.4

(संदर्भ: कांडिका 2.3.9.3; पृष्ठ-63)

विपत्र में गणना के गलत तरीके के प्रयोग के कारण अधिक भुगतान

(राशि ₹ करोड़ में)

प्रमंडल का नाम	एकरारनामा सं.	एकरारनामा मूल्य	अद्यतन कार्य का मूल्य	एकरारनामा के अनुसार घटौतरी	देय भुगतान (4-5)	भुगतान राशि	अधिक भुगतान (7-6)
1	2	3	4	5	6	7	8
सिंचाई प्रमंडल, बीरपुर	5एस.बी.डी./09- 10	322.91 (परिमाण विपत्र से 15 प्रतिशत कम पर)	128.58	19.28	109.29	110.67	1.38
सिंचाई प्रमंडल, मुरलीगंज	1एस.बी.डी./09- 10	225.27 (परिमाण विपत्र से 11.3 प्रतिशत कम पर)	73.85	8.35	65.50	67.64	2.14
सिंचाई प्रमंडल, अररिया			42.71	4.83	37.88	38.51	0.63
						कुल	4.15

(झोत: संबंधित प्रमंडल के अभिलेख)

परिशिष्ट -2.3.5

(संदर्भ: कांडिका 2.3.9.3; पृष्ठ-64)

रॉयल्टी वापसी तथा रॉयल्टी की कम कटौती की विवरणी

प्रमंडल का नाम	एकरारनामा सं.	एकरारनामा मूल्य (₹ करोड़ में)	रॉयल्टी की कम कटौती			
			मात्रा (क्यू.मी.)	आवेदित दर (प्रति.क्यू.मी.)	लागू दर (क्यू.मी.)	कम कटौती (₹ लाख में)
सिंचाई प्रमंडल, मुरलीगंज	1 एस.बी.डी. /09-10	225.27	257390.45	15	22	18.02
सिंचाई प्रमंडल, बीरपुर	5 एस.बी.डी. /09-10	322.91	2483324.00	15	22	173.83
कुल			2740714.45			191.85

(स्रोत: संबंधित प्रमंडल के अभिलेख)

परिशिष्ट -2.3.6

(संदर्भ: कांडिका 2.3.10; पृष्ठ-67)

गुणवत्ता नियंत्रण प्रतिवेदन के अभाव में रोकी गई राशि की विवरणी

(₹ करोड़ में)

प्रमंडल का नाम	एकरारनामा सं.	एकरारनामा मूल्य	अद्यतन भुगतान	गुणवत्ता नियंत्रण के लिए रोकी गई राशि
सिंचाई प्रमंडल, अररिया	1 एस.बी.डी. /09-10	225.27	38.51	0.77
सिंचाई प्रमंडल, मुरलीगंज			67.64	2.88
मुख्य कार्य प्रमंडल, बीरपुर	5 एस.बी.डी./ 09-10	322.91	37.92	1.61
			151.21	5.26

(स्रोत: संबंधित प्रमंडल के अभिलेख)

परिशिष्ट -2.4.1

(संदर्भ: कांडिका2.4.1; पृष्ठ-69)

आर.टी.पी.एस. के अधीन सेवाओं का नाम

क्रम सं.	विभाग का नाम	क्रम संख्या	सेवा का नाम	नाम निर्दिष्ट लोक सेवक	सेवा हेतु समय सीमा	अपीलीय प्राधिकार	प्रथम अपील के निष्पादन हेतु समय—सीमा	पुनर्विलोकन प्राधिकार	द्वितीय अपील के निष्पादन हेतु समय—सीमा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	वाणिज्य कर	1	बिहार वैट अधिनियम के नियम 19के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन	उपायुक्त	15 कार्यदिवस	संयुक्त वाणिज्य कर आयुक्त	15 कार्यदिवस	वाणिज्य कर आयुक्त	15 कार्यदिवस
		2	सी एस टी नियम (रजिस्ट्रेशन टर्न ओवर) 1957 के नियम 12 के अधीन प्रपत्र 'C' या 'F' में अनुदान की घोषणा के लिए आवेदन	उपायुक्त	7 कार्यदिवस	संयुक्त वाणिज्य कर आयुक्त	15 कार्यदिवस	वाणिज्य कर आयुक्त	15 कार्यदिवस
2	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण	3	नए राशन कार्डों के आवेदन पर निर्णय	अनुमंडल पदाधिकारी	60 कार्यदिवस	जिलाधिकारी	21 कार्यदिवस	प्रमंडलीय आयुक्त	15 कार्यदिवस
3	सामान्य प्रशासन विभाग	4	जाति प्रमाण पत्र निर्गत करना (सी.ओ.)	अंचल अधिकारी	10 कार्यदिवस	अनुमंडल अधिकारी	15 कार्यदिवस	जिलाधिकारी	15 कार्यदिवस
		5	जाति प्रमाण पत्र निर्गत करना (डी.एम.)	जिला पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी	10 कार्यदिवस	जिलाधिकारी	15 कार्यदिवस	प्रमंडलीय आयुक्त	15 कार्यदिवस
		6	जाति प्रमाण पत्र निर्गत करना (एस.डी.ओ)	अनुमंडल पदाधिकारी	10 कार्यदिवस	जिलाधिकारी	15 कार्यदिवस	प्रमंडलीय आयुक्त	15 कार्यदिवस
		7	आय प्रमाण पत्र निर्गत करना (सी.ओ.)	अंचल अधिकारी	10 कार्यदिवस	अनुमंडल अधिकारी	15 कार्यदिवस	जिलाधिकारी	15 कार्यदिवस
		8	आय प्रमाण पत्र निर्गत करना (डी.एम.)	जिला पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी	10 कार्यदिवस	जिलाधिकारी	15 कार्यदिवस	प्रमंडलीय आयुक्त	15 कार्यदिवस

		9	आय प्रमाण पत्र निर्गत करना (एस डी.ओ.)	अनुमंडल पदाधिकारी	10 कार्यदिवस	जिलाधिकारी	15 कार्यदिवस	प्रमंडलीय आयुक्त	15 कार्यदिवस
		10	आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत करना (सी.ओ.)	अंचल अधिकारी	10 कार्यदिवस	अनुमंडल अधिकारी	15 कार्यदिवस	जिलाधिकारी	15 कार्यदिवस
		11	आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत करना (डी.एम.)	जिला पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी	10 कार्यदिवस	जिलाधिकारी	15 कार्यदिवस	प्रमंडलीय आयुक्त	15 कार्यदिवस
		12	आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत करना (एस.डी.ओ.)	अनुमंडल पदाधिकारी	10 कार्यदिवस	जिलाधिकारी	15 कार्यदिवस	प्रमंडलीय आयुक्त	15 कार्यदिवस
4	गृह	13	चरित्र प्रमाणपत्र	आरक्षी उपाधीकाक	पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्राप्ति के दिन से 14 कार्यदिवस	आरक्षी अधीक्षक	10 कार्यदिवस	डी.आई.जी.	15 कार्यदिवस
5	शिक्षा	14	छात्रवृत्ति का वितरण	डी.ई.ओ./ जिला प्रोग्राम पदाधिकारी	राशि प्राप्ति के बाद 30 कार्यदिवस के अन्दर	क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक	15 कार्यदिवस	निदेशक (प्राथमिक)/ निदेशक (माध्यमिक)	15 कार्यदिवस
		15	डी.ई.ओ. कार्यालय से प्राप्त समेकित परिणाम एवं व्यक्तिगत अंकपत्र का प्रावधान / एवं विद्यालयों द्वारा सम्बंधित लड़कों/ लड़कियों को अंकपत्र निर्गत करना	जिला शिक्षा पदाधिकारी/ सम्बंधित विद्यालय का प्रधानाध्यापक	5 कार्यदिवस	क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक/ सम्बंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी	15 कार्यदिवस	सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति	30 कार्यदिवस
		16	निबंधन एवं महाविद्यालय परित्याग प्रमाण—पत्र हेतु आवेदन	सम्बंधित महाविद्यालय का प्राचार्य	7 कार्यदिवस	सम्बंधित डीन, छात्र कल्याण	15 कार्यदिवस	कुलपति	21 कार्यदिवस
		17	अंकपत्र /अस्थाई या मूल प्रमाण—पत्र (उच्च शिक्षा) / माइग्रेशन प्रमाण पत्रों को सुधारने /पुनर्गणना के लिए कार्यवाई	विश्वविद्यालय का परीक्षा नियंत्रक	15 कार्यदिवस	प्रति कुलसचिव	15 कार्यदिवस	कुल सचिव	21 कार्यदिवस

		18	विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्रों का अभिप्रामाणन	उपनिदेशक	30 कार्यदिवस	निदेशक (उच्च शिक्षा)	30 कार्यदिवस	मानव संसाधन विकास विभाग (शिक्षा विभाग)	21 कार्यदिवस
		19	अंकपत्र/अस्थाई या मूल प्रमाण-पत्र/ माइग्रेशन प्रमाण पत्र को सुधारने/ पुनर्गणना के लिए कार्यवाई	सहायक/ उपसचिव, विहार विद्यालय परीक्षा समिति	10 कार्यदिवस	सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति	15 कार्यदिवस	अध्यक्ष, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति	30 कार्यदिवस
6	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध	20	प्रस्तुत दस्तावेजों का निबंधन/ निष्पादन	जिला निबंधक/ अवर निबंधक	दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण के उसी दिन	निबंधक कार्यालय का निरीक्षक (आई.आर.ओ.)	15 कार्यदिवस	निबंधन महानिरीक्षक	21 कार्यदिवस
		21	निबंधित दस्तावेजों का परिदान	जिला निबंधक/ अवर निबंधक	5 कार्यदिवस	निबंधक कार्यालय का निरीक्षक (आई.आर.ओ.)	15 कार्यदिवस	निबंधन महानिरीक्षक	21 कार्यदिवस
		22	तलाश एवं प्रतिलिपि कार्य	जिला निबंधक/ अवर निबंधक	7 कार्यदिवस	निबंधक कार्यालय का निरीक्षक (आई.आर.ओ.)	15 कार्यदिवस	निबंधन महानिरीक्षक	21 कार्यदिवस
		23	संपत्ति अवभार प्रमाण-पत्र	जिला निबंधक/ अवर निबंधक	(क) कम्प्युटरीकृत अभिलेख से— 3 कार्यदिवस (ख) जिल्दबंद खंडो (3 वर्षों तक) में तलाश— 7 कार्यदिवस (ग) जिल्दबंद खंडो (3 वर्षों से अधिक) में तलाश— 14 कार्यदिवस	निबंधक कार्यालय का निरीक्षक (आई.आर.ओ.)	15 कार्यदिवस	निबंधन महानिरीक्षक	21 कार्यदिवस
7	राजस्व एवं भूमि सुधार	24	आपत्ति के साथ/आपत्ति रहित दाखिल खारिज/अंतिम आदेश के प्रभाव की तिथि से संशोधन पर्ची का निर्गमन	अंचल अधिकारी	60 / 18 / 3 दिन	भूमि सुधार उपसमाहर्ता	15 कार्यदिवस	अपर समाहर्ता	15 कार्यदिवस

		25	भूमि धारण प्रमाण पत्र	अंचल अधिकारी	10 कार्यदिवस	भूमि सुधार उपसमाहर्ता	15 कार्यदिवस	अपर समाहर्ता	15 कार्यदिवस
8	समाज कल्याण	26	मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना	प्रखंड विकास पदाधिकारी	15 कार्यदिवस	जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई.सी.डी.एस.)	15 कार्यदिवस	जिलाधिकारी	15 कार्यदिवस
		27	पेंशन योजना (बी.एस.एस.पी.एस.)	प्रखंड विकास पदाधिकारी	21 कार्यदिवस	अनुमंडल पदाधिकारी	15 कार्यदिवस	जिलाधिकारी	15 कार्यदिवस
		28	पेंशन योजना (आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस.)	प्रखंड विकास पदाधिकारी / अनुमंडल पदाधिकारी	21 कार्यदिवस	अनुमंडल पदाधिकारी	15 कार्यदिवस	जिलाधिकारी	15 कार्यदिवस
		29	पेंशन योजना (आई.जी.एन.डब्लू.पी.एस.)	प्रखंड विकास पदाधिकारी	21 कार्यदिवस	अनुमंडल पदाधिकारी	15 कार्यदिवस	जिलाधिकारी	15 कार्यदिवस
		30	पेंशन योजना (एल.बी.एस.एस.पी.एस.)	प्रखंड विकास पदाधिकारी	21 कार्यदिवस	अनुमंडल पदाधिकारी	15 कार्यदिवस	जिलाधिकारी	15 कार्यदिवस
		31	पेंशन योजना (बी.डी.पी.एस.)	प्रखंड विकास पदाधिकारी	21 कार्यदिवस	अनुमंडल पदाधिकारी	15 कार्यदिवस	जिलाधिकारी	15 कार्यदिवस
		32	पेंशन योजना (आई.जी.एन.डी.पी.एस.)	प्रखंड विकास पदाधिकारी	21 कार्यदिवस	अनुमंडल पदाधिकारी	15 कार्यदिवस	जिलाधिकारी	15 कार्यदिवस
		33	राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना	अनुमंडल पदाधिकारी	30 कार्यदिवस	जिलाधिकारी	15 कार्यदिवस	प्रमंडलीय आयुक्त	15 कार्यदिवस
9	परिवहन	34	लर्नर लाइसेंस का निर्गमन	जिला परिवहन पदाधिकारी	7 कार्यदिवस	सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार	15 कार्यदिवस	प्रमंडलीय आयुक्त	21 कार्यदिवस
		35	विभिन्न प्रकार के चालक लाइसेंस का निर्गमन/नवीकरण	जिला परिवहन पदाधिकारी	30 कार्यदिवस	सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार	15 कार्यदिवस	प्रमंडलीय आयुक्त	21 कार्यदिवस
		36	चालक लाइसेंस की द्वितीय प्रति का निर्गमन/इंडोर्सेमेंट	जिला परिवहन पदाधिकारी	7 कार्यदिवस	सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार	15 कार्यदिवस	प्रमंडलीय आयुक्त	21 कार्यदिवस
		37	चालक लाइसेंस का स्मार्ट कार्ड में संपरिवर्तन	जिला परिवहन पदाधिकारी	15 कार्यदिवस	सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार	15 कार्यदिवस	प्रमंडलीय आयुक्त	21 कार्यदिवस
		38	अन्तराष्ट्रीय चालक लाइसेंस का निर्गमन	जिला परिवहन पदाधिकारी	15 कार्यदिवस	सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार	15 कार्यदिवस	प्रमंडलीय आयुक्त	21 कार्यदिवस
		39	वाहनों का अस्थायी निबंधन	जिला परिवहन पदाधिकारी	7 कार्यदिवस	सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार	15 कार्यदिवस	प्रमंडलीय आयुक्त	21 कार्यदिवस

	40	नए निजी वाहनों/ परिवहन वाहनों का निबंधन	जिला परिवहन पदाधिकारी	30 कार्यदिवस	सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार	15 कार्यदिवस	प्रमंडलीय आयुक्त	21 कार्यदिवस
	41	निबंधन प्रमाण—पत्र की द्वितीय प्रति का निर्गमन	जिला परिवहन पदाधिकारी	7 कार्यदिवस	सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार	15 कार्यदिवस	प्रमंडलीय आयुक्त	21 कार्यदिवस
	42	निबंधन प्रमाण—पत्र का नवीकरण	जिला परिवहन पदाधिकारी	15 कार्यदिवस	सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार	15 कार्यदिवस	प्रमंडलीय आयुक्त	21 कार्यदिवस
	43	वाहनों के निबंधन का रद्दीकरण	जिला परिवहन पदाधिकारी	45 कार्यदिवस	सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार	15 कार्यदिवस	प्रमंडलीय आयुक्त	21 कार्यदिवस
	44	ट्रेड सर्टिफिकेट का निर्गमन/ नवीकरण	जिला परिवहन पदाधिकारी	15 कार्यदिवस	सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार	15 कार्यदिवस	प्रमंडलीय आयुक्त	21 कार्यदिवस
	45	कर प्रतीक का निर्गमन	जिला परिवहन पदाधिकारी	1 कार्यदिवस	सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार	15 कार्यदिवस	प्रमंडलीय आयुक्त	21 कार्यदिवस
	46	वाहनों का प्रत्यर्पण	जिला परिवहन पदाधिकारी	30 कार्यदिवस	सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार	15 कार्यदिवस	प्रमंडलीय आयुक्त	21 कार्यदिवस
	47	पेट्रोल पम्प लाइसेंस का निर्गमन/ नवीकरण	जिला परिवहन पदाधिकारी	15 कार्यदिवस	सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार	15 कार्यदिवस	प्रमंडलीय आयुक्त	21 कार्यदिवस
	48	परिवहन वाहनों का दुरुस्ती प्रमाण पत्र का निर्गमन/ नवीकरण	मोटर यान निरीक्षक	15 कार्यदिवस	जिला परिवहन पदाधिकारी	15 कार्यदिवस	प्रमंडलीय आयुक्त	21 कार्यदिवस
	49	प्रत्यर्पित/ दुर्घटनाग्रस्त वाहनों का जांच प्रतिवेदन	मोटर यान निरीक्षक	15 कार्यदिवस	जिला परिवहन पदाधिकारी	15 कार्यदिवस	प्रमंडलीय आयुक्त	21 कार्यदिवस
	50	दुरुस्ती प्रमाण—पत्र की द्वितीय प्रति का निर्गमन	मोटर यान निरीक्षक	7 कार्यदिवस	जिला परिवहन पदाधिकारी	15 कार्यदिवस	सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार	21 कार्यदिवस
	51	कर छुट/ वापसी के आवेदनों का अग्रसारण	जिला परिवहन पदाधिकारी	30 कार्यदिवस	सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार	15 कार्यदिवस	प्रमंडलीय आयुक्त	21 कार्यदिवस

(झोत: बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी द्वारा दी गई सूचना)

परिशिष्ट-2.4.2

(संदर्भः कांडिका 2.4.5; पृष्ठ-71)

चयनित कार्यालयों का नाम

मुख्यालय स्तरीय कार्यालय		
जिला स्तरीय कार्यालय		
अररिया	जिला पदाधिकारी,	अररिया
	जिला शिक्षा पदाधिकारी,	अररिया
	पुलिस अधीक्षक	अररिया
	अनुमंडल पदाधिकारी,	अररिया सदर
	प्रखंड विकास पदाधिकारी,	अररिया सदर
	अंचल पदाधिकारी,	अररिया सदर
	प्रखंड विकास पदाधिकारी,	फारबिसगंज
	अंचल पदाधिकारी,	फारबिसगंज
औरंगाबाद	जिला पदाधिकारी,	औरंगाबाद
	जिला शिक्षा पदाधिकारी,	औरंगाबाद
	पुलिस अधीक्षक	औरंगाबाद
	अनुमंडल पदाधिकारी,	औरंगाबाद सदर
	प्रखंड विकास पदाधिकारी,	औरंगाबाद सदर
	अंचल पदाधिकारी,	औरंगाबाद सदर
	प्रखंड विकास पदाधिकारी,	ओबरा
	अंचल पदाधिकारी,	ओबरा
भोजपुर	जिला पदाधिकारी,	भोजपुर
	जिला शिक्षा पदाधिकारी,	भोजपुर
	पुलिस अधीक्षक	भोजपुर
	अनुमंडल पदाधिकारी,	आरा सदर
	प्रखंड विकास पदाधिकारी,	आरा सदर
	अंचल पदाधिकारी,	आरा सदर
	प्रखंड विकास पदाधिकारी,	शाहपुर
	अंचल पदाधिकारी,	शाहपुर
पूर्वी चंपारण	परीक्षा नियंत्रक, वी.के.एस. विश्वविद्यालय,	आरा
	जिला पदाधिकारी,	मोतिहारी
	जिला शिक्षा पदाधिकारी,	मोतिहारी
	पुलिस अधीक्षक	मोतिहारी
	अनुमंडल पदाधिकारी,	मोतिहारी सदर

	प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी,	कल्याणपुर कल्याणपुर मोतिहारी सदर मोतिहारी सदर
जमुई	जिला पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी,	जमुई जमुई जमुई जमुई सदर जमुई जमुई सिकंदरा सिकंदरा
	जिला पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी,	मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर पूर्वी मोतीपुर मोतीपुर मुशहरी मुशहरी
	परीक्षा नियंत्रक, बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय,	मुजफ्फरपुर
	जिला पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी,	पटना पटना पटना पटना सदर पटना सदर दानापुर दानापुर
	परीक्षा नियंत्रक, पटना विश्वविद्यालय,	पटना
	जिला पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी,	समस्तीपुर समस्तीपुर समस्तीपुर समस्तीपुर सदर जितवारपुर जितवारपुर
	परीक्षा नियंत्रक, पटना विश्वविद्यालय,	पटोरी
	प्रखंड विकास पदाधिकारी,	

	अंचल पदाधिकारी,	पटोरी
वैशाली	जिला पदाधिकारी,	वैशाली
	जिला शिक्षा पदाधिकारी,	वैशाली
	पुलिस अधीक्षक	वैशाली
	अनुमंडल पदाधिकारी,	हाजीपुर
	प्रखंड विकास पदाधिकारी,	हाजीपुर सदर
	अंचल पदाधिकारी,	हाजीपुर सदर
	प्रखंड विकास पदाधिकारी,	महुआ
	अंचल पदाधिकारी,	महुआ

(झोत: विभाग के द्वारा दी गई सूचना को सांख्यकी सैम्प्लिंग द्वारा चयनित)

परिशिष्ट-2.4.3

(सन्दर्भ: कंडिका 2.4.9.2; पृष्ठ-76)

आवेदनों के निष्पादन में भिन्नता दर्शाती हुई विवरणी

क्रम सं.	आई.डी. संख्या	आवेदक का नाम	प्रखंड का नाम	सेवा का नाम	कम्प्युटर डाटाबेस में निष्पादित दर्शाए जाने की तिथि	वास्तविक निष्पादन की तिथि	दिनों में अंतर (6-4)
1	2		4	5	6	7	8
1	010311141141400056	मो. दौलत देवी	मुशहरी	आर.पी.एल.वाई.	28/05/2014	12/03/2015	288
2	010311141141400097	मो. प्रेमलता देवी	मुशहरी	आर.पी.एल.वाई.	28/08/2014	10/04/2015	225
3	010311141141400105	मो. मधु मेहता	मुशहरी	आर.पी.एल.वाई.	18/09/2014	10/04/2015	204
4	010311141141400046	मो. पिंकी देवी	मुशहरी	आर.पी.एल.वाई.	28/05/2014	10/12/2014	196
5	010112192091400586	अजनसिया देवी	पटोरी	आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस.	12/09/2014	21/02/2015	162
6	010112192091400884	महेश्वरी देवी	पटोरी	आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस.	15/10/2014	21/02/2015	129
7	010311141141400173	मो. झलिया देवी	मुशहरी	आर.पी.एल.वाई.	06/12/2014	10/04/2015	125
8	010112192091400909	अनुपी देवी	पटोरी	आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस.	20/10/2014	21/02/2015	124
9	010112192091400916	बालेश्वर मांझी	पटोरी	आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस.	20/10/2014	21/02/2015	124
10	010112192091400944	गुजरी देवी	पटोरी	आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस.	20/10/2014	21/02/2015	124
11	010112192091400949	भवानी देवी	पटोरी	आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस.	20/10/2014	21/02/2015	124
12	010112192091400962	लड्डू सदा	पटोरी	आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस.	20/10/2014	21/02/2015	124
13	010112192091400966	रामसोहाग ठाकुर	पटोरी	आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस.	20/10/2014	21/02/2015	124
14	010112192091400973	मो. युसुफाफ	पटोरी	आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस.	20/10/2014	21/02/2015	124
15	010112192091400975	भागवत मांझी	पटोरी	आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस.	20/10/2014	21/02/2015	124
16	010112192091400981	रघुनी पासवान	पटोरी	आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस.	20/10/2014	21/02/2015	124
17	010112192091400995	गंगा राय	पटोरी	आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस.	20/10/2014	21/02/2015	124
18	010112192091400996	नुनवतिया देवी	पटोरी	आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस.	20/10/2014	21/02/2015	124
19	010112192091400997	पगलु पासवान	पटोरी	आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस.	20/10/2014	21/02/2015	124
20	010112192091401002	अमीना खातून	पटोरी	आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस.	20/10/2014	21/02/2015	124
21	010112192091401003	रामललित बैठा	पटोरी	आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस.	20/10/2014	21/02/2015	124
22	010112192091401006	फुलेश्वरी देवी	पटोरी	आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस.	20/10/2014	21/02/2015	124
23	010112192091401008	नथुनी राय	पटोरी	आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस.	20/10/2014	21/02/2015	124
24	010112192091401012	धर्मदेव राय	पटोरी	आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस.	20/10/2014	21/02/2015	124
25	010112192091401013	शकुंतला देवी	पटोरी	आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस.	20/10/2014	21/02/2015	124
26	010112192091401014	माननी देवी	पटोरी	आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस.	31/10/2014	21/02/2015	113
27	010112192091401015	दिनेश सहनी	पटोरी	आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस.	31/10/2014	21/02/2015	113
28	010112192091401049	चतुरी राय	पटोरी	आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस.	31/10/2014	21/02/2015	113
29	010112192091401016	सावित्री देवी	पटोरी	आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस.	31/10/2014	21/02/2015	113
30	010112192091401026	इन्देश्वर राय	पटोरी	आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस.	31/10/2014	21/02/2015	113
31	010112192091401031	रामाश्रय शर्मा	पटोरी	आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस.	31/10/2014	21/02/2015	113
32	010112192091401032	छोटेलाल महतो	पटोरी	आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस.	31/10/2014	21/02/2015	113
33	010112192091401034	नागेनर राय	पटोरी	आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस.	31/10/2014	21/02/2015	113
34	010112192091401056	पलटन पडित	पटोरी	आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस.	31/10/2014	21/02/2015	113
35	010112192091401057	सोगारथ सहनी	पटोरी	आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस.	31/10/2014	21/02/2015	113
36	010112192091401060	सोनेलाल राय	पटोरी	आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस.	31/10/2014	21/02/2015	113
37	010112192091401064	रामदयाल राय	पटोरी	आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस.	31/10/2014	21/02/2015	113
38	010112192091401067	अर्जुन राय	पटोरी	आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस.	31/10/2014	21/02/2015	113
39	010112192091401068	सुकुमारी देवी	पटोरी	आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस.	31/10/2014	21/02/2015	113
40	010112192091401076	जानकी देवी	पटोरी	आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस.	31/10/2014	21/02/2015	113
41	010112192091401082	जागेश्वर सहनी	पटोरी	आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस.	31/10/2014	21/02/2015	113
42	010112192091401084	राम स्वार्य राम	पटोरी	आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस.	31/10/2014	21/02/2015	113
43	010111141141401758	मो. समुंदरी देवी	मुशहरी	आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस.	12/11/2014	03/03/2015	111
44	010112192091401101	रामदेव साह	पटोरी	आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस.	05/11/2014	21/02/2015	108
45	010112192091401102	मुन्नी देवी	पटोरी	आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस.	05/11/2014	21/02/2015	108
46	010112192091401110	मंगल सदा	पटोरी	आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस.	05/11/2014	21/02/2015	108
47	010112192091401128	परिया देवी	पटोरी	आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस.	05/11/2014	21/02/2015	108
48	010112192091401131	रामचंद्र राय	पटोरी	आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस.	05/11/2014	21/02/2015	108
49	010112192091401135	देवल ठाकुर	पटोरी	आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस.	05/11/2014	21/02/2015	108

क्रम सं.	आई.डी. संख्या	आवेदक का नाम	प्रखंड का नाम	सेवा का नाम	कम्प्युटर डाटाबेस में निष्पादित दर्शाएं जाने की तिथि	वास्तविक निष्पादन की तिथि	दिनों में अंतर (6-4)
1	2		4	5	6	7	8
50	010311141141400167	मो. सुलेखा देवी	मुशहरी	आर.पी.एल.वाई.	29/11/2014	12/03/2015	103
51	010112192091401162	निर्मला देवी	पटोरी	आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस.	15/11/2014	21/02/2015	98
52	010111141141401829	शान्ति देवी	मुशहरी	आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस.	19/11/2014	12/02/2015	85
53	010111141141401853	श्याम झा	मुशहरी	आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस.	19/11/2014	12/02/2015	85
54	010111141141401858	राज मंगल साह	मुशहरी	आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस.	19/11/2014	12/02/2015	85
55	010111141141401856	जटहू पासवान	मुशहरी	आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस.	19/11/2014	12/02/2015	85
56	010111141141402233	असगर अली	मुशहरी	आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस.	06/01/2015	25/03/2015	78
57	010111141141402283	रमणी देवी	मुशहरी	आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस.	07/01/2015	25/03/2015	77
58	010111141141402287	मेहदी भियाँ	मुशहरी	आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस.	07/01/2015	25/03/2015	77
59	010111141141402281	मनोहर मंडल	मुशहरी	आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस.	07/01/2015	25/03/2015	77
60	010111141141402269	रामप्रीत राय	मुशहरी	आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस.	07/01/2015	25/03/2015	77
61	010111141141402143	लाला देवी	मुशहरी	आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस.	16/12/2014	12/02/2015	58
62	010311141141400129	मो. किस्मतिया देवी	मुशहरी	आर.पी.एल.वाई.	13/10/2014	10/12/2014	58
63	010311141141400127	मो. बदामी देवी	मुशहरी	आर.पी.एल.वाई.	13/10/2014	10/12/2014	58
64	010111141141402671	कामाख्या नारायण सिंह	मुशहरी	आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस.	02/02/2015	31/03/2015	57
65	010111141141402390	मो. जयकली देवी	मुशहरी	आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस.	10/01/2015	03/03/2015	52
66	010112192091400946	रुस्तम देवी	पटोरी	एल.बी.एस.एस.पी.एस.	20/10/2014	15/11/2014	26
67	010112192091400982	मीना देवी	पटोरी	एल.बी.एस.एस.पी.एस.	20/10/2014	15/11/2014	26
68	010112192091400998	मो. माया देवी	पटोरी	एल.बी.एस.एस.पी.एस.	20/10/2014	15/11/2014	26
69	010112192091401004	मो. दुखनी देवी	पटोरी	एल.बी.एस.एस.पी.एस.	20/10/2014	15/11/2014	26
70	010112192091401059	मो. रेणु देवी	पटोरी	एल.बी.एस.एस.पी.एस.	31/10/2014	15/11/2014	15
71	010319341051400051	सीता देवी	ओबरा	आर.पी.एल.वाई.	24/09/2014	13/02/2015	142
72	010319341051400011	शीला कुंवर	ओबरा	आर.पी.एल.वाई.	24/09/2014	13/02/2015	142
73	010319341051400031	मर्छी कुवर	ओबरा	आर.पी.एल.वाई.	24/09/2014	13/02/2015	142
74	010319341051400014	राजमथिया कुंवर	ओबरा	आर.पी.एल.वाई.	24/09/2014	13/02/2015	142
75	010319341051400042	कुन्ती कुवर	ओबरा	आर.पी.एल.वाई.	24/09/2014	30/01/2015	128
76	010319341051400061	ललिता कुवर	ओबरा	आर.पी.एल.वाई.	18/11/2014	30/01/2015	73
77	010319341051400034	अभीता देवी	ओबरा	आर.पी.एल.वाई.	25/09/2014	30/01/2015	127
78	010319341051400087	देवती कुवर	ओबरा	आर.पी.एल.वाई.	18/11/2014	30/01/2015	73
79	010319341051400045	फुलझरिया कुंवर	ओबरा	आर.पी.एल.वाई.	22/10/2014	30/01/2015	100
80	010319341051400048	संगीता कुवर	ओबरा	आर.पी.एल.वाई.	22/10/2014	30/01/2015	100
81	010319341051400077	रीता कुवर	ओबरा	आर.पी.एल.वाई.	18/11/2014	30/01/2015	73
82	010319341051400063	रीना कुवर	ओबरा	आर.पी.एल.वाई.	18/11/2014	30/01/2015	73
83	010319341051400059	संजू कुवर	ओबरा	आर.पी.एल.वाई.	18/11/2014	30/01/2015	73
84	010319341051400057	तसलीमा खातून	ओबरा	आर.पी.एल.वाई.	18/11/2014	30/01/2015	73
85	010319341051400081	रामकेश्वरी देवी	ओबरा	आर.पी.एल.वाई.	26/11/2014	13/02/2015	79
86	010319341051400068	कान्ति कुवर	ओबरा	आर.पी.एल.वाई.	26/11/2014	13/02/2015	79
87	010319341051400107	सुगिया कुवर	ओबरा	आर.पी.एल.वाई.	22/12/2014	13/02/2015	53
88	010319341051400112	आशा खातून	ओबरा	आर.पी.एल.वाई.	09/01/2015	30/01/2015	21
89	010319341051500005	सबया कुवर	ओबरा	आर.पी.एल.वाई.	20/01/2015	13/02/2015	24
90	010319341051500006	सकीना खातून	ओबरा	आर.पी.एल.वाई.	20/01/2015	30/01/2015	10
91	010319341051500001	बुची कुवर	ओबरा	आर.पी.एल.वाई.	15/01/2015	13/02/2015	29
92	010319341051400110	सुनीता कुवर	ओबरा	आर.पी.एल.वाई.	15/01/2015	13/02/2015	29
93	010319341051400114	रिकू देवी	ओबरा	आर.पी.एल.वाई.	09/01/2015	30/01/2015	21
94	010319341051500014	देव लक्ष्मी कुवर	ओबरा	आर.पी.एल.वाई.	21/02/2015	28/02/2015	7
95	010319341051500009	सोना कुवर	ओबरा	आर.पी.एल.वाई.	21/02/2015	28/02/2015	7

1. आर.पी.एल.वाई.: राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2. आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस.: इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड पेंशन स्कीम
 3. एल.बी.एस.एस.पी.एस.: लक्ष्मी बाई सोसाल सेक्यूरिटी पेंशन स्कीम
 (झोत: संबंधित बी.डी.ओ. द्वारा दी गई सूचना एवं अभिलेख)

परिशिष्ट -2.4.4

(संदर्भ: कंडिका 2.4.9.2; पृष्ठ-76)

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से संबंधित लंबित मामलों एवं निधि की उपलब्धता से संबंधित विवरणी

क्रम सं.	जिला का नाम	प्रखंड का नाम	भुगतान हेतु लम्बित दर्शाए गए आवेदनों की संख्या	उपलब्ध राशि (₹ लाख में)
1	पूर्वी चंपारण	कल्याणपुर	3303	24.37
2	पूर्वी चंपारण	मोतिहारी सदर	2160	2.40
3	भोजपुर	आरा सदर	1625	22.49
4	समस्तीपुर	जितवारपुर	572	19.55
5	समस्तीपुर	पटोरी	2406	40.17
6	मुजफ्फरपुर	मुशहरी	3556	96.75
7	मुजफ्फरपुर	मोतीपुर	1124	16.00
8	वैशाली	हाजीपुर सदर	615	22.80
9	वैशाली	महुआ	3157	28.17
10	जमुई	जमुई सदर	1537	11.00
11	जमुई	सिकंदरा	728	₹9 लाख के आवंटन की निकासी नहीं की गई
कुल			20783	283.70

(झोत: संबंधित बी.डी.ओ. द्वारा दी गई सूचना एवं अभिलेख)

परिशिष्ट -2.4.5
(संदर्भ: कांडिका 2.4.9.3; पृष्ठ-77 एवं 79)

अस्वीकृत मामले किन्तु कम्प्यूटर डाटावेस में स्वीकृत के रूप में दर्शाए गए मामलों की विवरणी

क्रम सं.	कार्यालय का नाम	जिला	योजना	मामलों की संख्या
समाज कल्याण विभाग				
1	बी.डी.ओ., मुशहरी	मुजफ्फरपुर	एम.के.वी.वाई.*	207
2	बी.डी.ओ., मुशहरी	मुजफ्फरपुर	पेंशन	10
3	बी.डी.ओ., मोतीपुर	मुजफ्फरपुर	एम.के.वी.वाई.	12
4	बी.डी.ओ., मोतीपुर	मुजफ्फरपुर	पेंशन	56
5	बी.डी.ओ., पटोरी	समस्तीपुर	पेंशन	10
6	बी.डी.ओ., सिकंदरा	जमुई	एम.के.वी.वाई.	26
7	बी.डी.ओ., औरंगाबाद	औरंगाबाद	आर.पी.एल.वाई.	25
कुल (समाज कल्याण विभाग)				346
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग				
1	सी.ओ., जितवारपुर	समस्तीपुर	एल.पी.सी.	16
2	सी.ओ., पटोरी	समस्तीपुर	दाखिल खारिज	11
3	सी.ओ., पटोरी	समस्तीपुर	एल.पी.सी.	10
4	सी.ओ., शाहपुर	भोजपुर	दाखिल खारिज	4
5	सी.ओ., कल्याणपुर	पूर्वी चंपारण	दाखिल खारिज	29
6	सी.ओ., मोतीपुर	मुजफ्फरपुर	दाखिल खारिज	4
7	सी.ओ., सिकंदरा	जमुई	दाखिल खारिज	364
8	सी.ओ., सिकंदरा	जमुई	एल.पी.सी.	117
9	सी.ओ., ओबरा	औरंगाबाद	दाखिल खारिज	32
10	सी.ओ., औरंगाबाद	औरंगाबाद	दाखिल खारिज	71
कुल (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)				658
कुल मामले				1004

* एम.के.वी.वाई.: मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
 (आत: संबंधित बी.डी.ओ. एवं सी.ओ. द्वारा दी गई सूचना एवं अभिलेख)

परिशिष्ट-2.4.6
(संदर्भ: कांडिका 2.4.10.1 एवं 2.4.10.2; पृष्ठ-81)

प्रशिक्षित नियमित कर्मी एवं नाम निर्दिष्ट लोकसेवकों के पदस्थापना से सम्बंधित विवरणी

क्रम सं.	कार्यालय/आरटीपीएस काउंटर का नाम	पूर्णकालिक प्रशिक्षित एवं नियमित कर्मी	सम्बंधित डी.पी.एस./कर्मी को आवश्यक प्रशिक्षण
1	2	3	4
1	जिलाधिकारी कार्यालय काउंटर, मुजफ्फरपुर	हाँ	हाँ
2	वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर	हाँ	नहीं
3	एस.डी.ओ., मुजफ्फरपुर	नहीं	नहीं
4	बी.डी.ओ., मुशहरी	नहीं	नहीं
5	सी.ओ., मुशहरी	नहीं	नहीं
6	बी.डी.ओ., मोतीपुर	नहीं	नहीं
7	सी.ओ., मोतीपुर	नहीं	नहीं
8	जिलाधिकारी कार्यालय काउंटर, समस्तीपुर	नहीं	नहीं
9	पुलिस अधीक्षक, समस्तीपुर	हाँ	नहीं
10	एस.डी.ओ., समस्तीपुर	हाँ	हाँ
11	बी.डी.ओ., जितवारपुर	नहीं	हाँ
12	सी.ओ., जितवारपुर	नहीं	हाँ
13	बी.डी.ओ., पटोरी	नहीं	नहीं
14	सी.ओ., पटोरी	नहीं	नहीं
15	जिलाधिकारी कार्यालय काउंटर, वैशाली	हाँ	हाँ
16	पुलिस अधीक्षक, वैशाली	हाँ	नहीं
17	एस.डी.ओ., हाजीपुर	नहीं	नहीं
18	बी.डी.ओ., हाजीपुर	नहीं	नहीं
19	सी.ओ., हाजीपुर	नहीं	हाँ
20	बी.डी.ओ., महुआ	नहीं	हाँ
21	सी.ओ., महुआ	नहीं	हाँ
22	जिलाधिकारी कार्यालय काउंटर, आरा, भोजपुर	हाँ	हाँ
23	एस.डी.ओ., आरा	हाँ	हाँ
24	पुलिस अधीक्षक, आरा	हाँ	हाँ
25	बी.डी.ओ., आरा	हाँ	हाँ
26	सी.ओ., आरा	हाँ	हाँ
27	बी.डी.ओ., शाहपुर	हाँ	हाँ

क्रम सं.	कार्यालय/आरटीपीएस काउंटर का नाम	पूर्णकालिक प्रशिक्षित एवं नियमित कर्मी	सम्बंधित डी.पी.एस./कर्मी को आवश्यक प्रशिक्षण
1	2	3	4
28	सी.ओ., शाहपुर	हाँ	हाँ
29	जिलाधिकारी कार्यालय काउंटर, अररिया	हाँ	हाँ
30	एस.डी.ओ., अररिया	हाँ	नहीं
31	पुलिस अधीक्षक, अररिया	हाँ	नहीं
32	बी.डी.ओ., अररिया	हाँ	नहीं
33	सी.ओ., अररिया	हाँ	नहीं
34	बी.डी.ओ., फारबिसगंज	हाँ	नहीं
35	सी.ओ., फारबिसगंज	हाँ	हाँ
36	जिलाधिकारी कार्यालय काउंटर, पूर्वी चंपारण	हाँ	हाँ
37	एस.डी.ओ., पूर्वी चंपारण	हाँ	नहीं
38	पुलिस अधीक्षक, पूर्वी चंपारण	हाँ	नहीं
39	बी.डी.ओ., मोतिहारी	नहीं	नहीं
40	सी.ओ., मोतिहारी	हाँ	नहीं
41	बी.डी.ओ., कल्याणपुर	नहीं	हाँ
42	सी.ओ., कल्याणपुर	हाँ	हाँ
43	जिलाधिकारी कार्यालय काउंटर, पटना	सूचना उपलब्ध नहीं कराई गयी	सूचना उपलब्ध नहीं कराई गयी
44	पुलिस अधीक्षक, पटना	हाँ	नहीं
45	एस.डी.ओ., पटना	हाँ	हाँ
46	बी.डी.ओ., पटना	नहीं	नहीं
47	सी.ओ., पटना	नहीं	नहीं
48	बी.डी.ओ., दानापुर	हाँ	नहीं
49	सी.ओ., दानापुर	हाँ	हाँ
50	बी.एस.ई.बी., पटना	हाँ	नहीं
51	जिलाधिकारी कार्यालय काउंटर, जमुई	नहीं	नहीं
52	एस.डी.ओ., जमुई	नहीं	नहीं
53	पुलिस अधीक्षक, जमुई	नहीं	नहीं
54	बी.डी.ओ. जमुई सदर	नहीं	नहीं
55	सी.ओ., जमुई सदर	नहीं	नहीं
56	बी.डी.ओ., सिकंदरा	नहीं	नहीं

क्रम सं.	कार्यालय/आरटीपीएस काउंटर का नाम	पूर्णकालिक प्रशिक्षित एवं नियमित कर्मी	सम्बंधित डी.पी.एस./कर्मी को आवश्यक प्रशिक्षण
1	2	3	4
57	सी.ओ., सिकंदरा	नहीं	नहीं
58	जिलाधिकारी कार्यालय काउंटर, औरंगाबाद	नहीं	नहीं
59	एस.डी.ओ., औरंगाबाद	हाँ	नहीं
60	पुलिस अधीक्षक, औरंगाबाद	नहीं	नहीं
61	बी.डी.ओ., औरंगाबाद सदर	नहीं	नहीं
62	सी.ओ., औरंगाबाद सदर	हाँ	नहीं
63	बी.डी.ओ., ओबरा	नहीं	नहीं
64	सी.ओ., ओबरा	नहीं	नहीं

(झोत: संबंधित कार्यालयों से प्राप्त सूचना)

परिशिष्ट -2.4.7

(संदर्भ: कांडिका 2.4.10.2; पृष्ठ-82)

सेवा केन्द्रों पर आधारभूत संरचना की उपलब्धता

क्रम सं.	कार्यालय/आरटीपीएस काउंटर का नाम	आधारभूत संरचना की आवश्यकता	
		शेड	बैठने की व्यवस्था
1	2	3	4
1	जिलाधिकारी कार्यालय काउंटर, मुजफ्फरपुर	हाँ	हाँ
2	वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर	नहीं	नहीं
3	एस.डी.ओ., मुजफ्फरपुर पूर्व	हाँ	हाँ
4	बी.डी.ओ., मुशहरी	हाँ	हाँ
5	सी.ओ., मुशहरी	हाँ	हाँ
6	बी.डी.ओ., मोतीपुर	हाँ	नहीं
7	सी.ओ., मोतीपुर	हाँ	नहीं
8	जिलाधिकारी कार्यालय काउंटर, समस्तीपुर	नहीं	नहीं
9	पुलिस अधीक्षक, समस्तीपुर	नहीं	नहीं
10	एस.डी.ओ., समस्तीपुर	हाँ	हाँ
11	बी.डी.ओ., जितवारपुर	हाँ	नहीं
12	सी.ओ., जितवारपुर	हाँ	नहीं
13	बी.डी.ओ., पटोरी	हाँ	नहीं
14	सी.ओ., पटोरी	हाँ	नहीं
15	जिलाधिकारी कार्यालय काउंटर, वैशाली	हाँ	नहीं
16	पुलिस अधीक्षक, वैशाली	हाँ	हाँ
17	एस.डी.ओ., हाजीपुर	हाँ	हाँ
18	बी.डी.ओ., हाजीपुर	हाँ	हाँ
19	सी.ओ., हाजीपुर	हाँ	हाँ
20	बी.डी.ओ., महुआ	नहीं	नहीं
21	सी.ओ., महुआ	नहीं	नहीं
22	जिलाधिकारी कार्यालय काउंटर, आरा, भोजपुर	हाँ	हाँ
23	एस.डी.ओ., आरा	हाँ	हाँ
24	पुलिस अधीक्षक, आरा	नहीं	नहीं
25	बी.डी.ओ., आरा	हाँ	नहीं
26	सी.ओ., आरा	हाँ	नहीं
27	बी.डी.ओ., शाहपुर	हाँ	नहीं
28	सी.ओ., शाहपुर	हाँ	नहीं
29	जिलाधिकारी कार्यालय काउंटर, अररिया	नहीं	नहीं
30	एस.डी.ओ., अररिया	नहीं	नहीं
31	पुलिस अधीक्षक, अररिया	हाँ	हाँ
32	बी.डी.ओ., अररिया	हाँ	हाँ

क्रम सं.	कार्यालय/आरटीपीएस काउंटर का नाम	आधारभूत संरचना की आवश्यकता	
		शेड	बैठने की व्यवस्था
1	2	3	4
33	सी.ओ., अररिया	हाँ	हाँ
34	बी.डी.ओ., फारबिसगंज	हाँ	हाँ
35	सी.ओ., फारबिसगंज	हाँ	हाँ
36	जिलाधिकारी कार्यालय काउंटर, पूर्वी चंपारण	हाँ	हाँ
37	एस.डी.ओ., पूर्वी चंपारण	नहीं	नहीं
38	पुलिस अधीक्षक, पूर्वी चंपारण	नहीं	नहीं
39	बी.डी.ओ., मोतिहारी	हाँ	हाँ
40	सी.ओ., मोतिहारी	हाँ	हाँ
41	बी.डी.ओ., कल्याणपुर	नहीं	नहीं
42	सी.ओ., कल्याणपुर	नहीं	नहीं
43	जिलाधिकारी कार्यालय काउंटर, पटना	सूचना उपलब्ध नहीं कराई गयी	सूचना उपलब्ध नहीं कराई गयी
44	वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना	नहीं	नहीं
45	एस.डी.ओ., पटना	नहीं	नहीं
46	बी.डी.ओ., पटना	नहीं	नहीं
47	सी.ओ., पटना	नहीं	नहीं
48	बी.डी.ओ., दानापुर	हाँ	नहीं
49	सी.ओ., दानापुर	हाँ	नहीं
50	बी.एस.ई.बी., पटना	हाँ	हाँ
51	जिलाधिकारी कार्यालय काउंटर, जमुई	हाँ	नहीं
52	एस.डी.ओ., जमुई	हाँ	नहीं
53	पुलिस अधीक्षक, जमुई	हाँ	हाँ
54	बी.डी.ओ., जमुई सदर	हाँ	हाँ
55	सी.ओ., जमुई सदर	हाँ	हाँ
56	बी.डी.ओ., सिकंदरा	हाँ	हाँ
57	सी.ओ., सिकंदरा	हाँ	हाँ
58	जिलाधिकारी कार्यालय काउंटर, औरंगाबाद	हाँ	हाँ
59	एस.डी.ओ., औरंगाबाद	हाँ	हाँ
60	पुलिस अधीक्षक, औरंगाबाद	हाँ	नहीं
61	बी.डी.ओ., औरंगाबाद सदर	हाँ	हाँ
62	सी.ओ., औरंगाबाद सदर	हाँ	हाँ
63	बी.डी.ओ., ओबरा	हाँ	हाँ
64	सी.ओ., ओबरा	हाँ	हाँ

(नोट: संबंधित कार्यालयों से प्राप्त सूचना)

परिशिष्ट -2.4.8

(संदर्भः कांडिका 2.4.11.1; पृष्ठ-82)

नागरिकों के बीच जागरूकता में अभीवृद्धि करने से संबंधित विवरणी

क्रम सं.	कार्यालय / आरटीपीएस काउंटर का नाम	नागरिकों के बीच जागरूकता में अभीवृद्धि हेतु व्यय के लिए वर्ष वार राशि की उपलब्धता	अलाभान्वित समुदायों, की जागरूकता में अभीवृद्धि के लिए अभियान/विशेष कार्यक्रम
1	2	3	4
1	जिलाधिकारी कार्यालय काउंटर, मुजफ्फरपुर	नहीं	हाँ
2	वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर	नहीं	नहीं
3	एस.डी.ओ., मुजफ्फरपुर पूर्वी	नहीं	नहीं
4	बी.डी.ओ., मुशहरी	नहीं	नहीं
5	सी.ओ., मुशहरी	नहीं	नहीं
6	बी.डी.ओ., मोतीपुर	नहीं	नहीं
7	सी.ओ., मोतीपुर	नहीं	नहीं
8	जिलाधिकारी कार्यालय काउंटर, समस्तीपुर	नहीं	नहीं
9	पुलिस अधीक्षक, समस्तीपुर	नहीं	नहीं
10	एस.डी.ओ., समस्तीपुर	नहीं	नहीं
11	बी.डी.ओ., जितवारपुर	नहीं	नहीं
12	सी.ओ., जितवारपुर	नहीं	नहीं
13	बी.डी.ओ., पटोरी	नहीं	नहीं
14	सी.ओ., पटोरी	नहीं	नहीं
15	जिलाधिकारी कार्यालय काउंटर, वैशाली	नहीं	नहीं
16	पुलिस अधीक्षक, वैशाली	नहीं	नहीं
17	एस.डी.ओ., हाजीपुर	नहीं	नहीं
18	बी.डी.ओ., हाजीपुर	नहीं	नहीं
19	सी.ओ., हाजीपुर	नहीं	नहीं
20	बी.डी.ओ., महुआ	हाँ	नहीं
21	सी.ओ., महुआ	हाँ	नहीं
22	जिलाधिकारी कार्यालय काउंटर, आरा, भोजपुर	नहीं	नहीं
23	एस.डी.ओ., आरा	नहीं	नहीं
24	पुलिस अधीक्षक, आरा	नहीं	नहीं
25	बी.डी.ओ., आरा	नहीं	नहीं
26	सी.ओ., आरा	नहीं	नहीं

क्रम सं.	कार्यालय / आरटीपीएस काउंटर का नाम	नागरिकों के बीच जागरूकता में अभीवृद्धि हेतु व्यय के लिए वर्ष वार राशि की उपलब्धता	अलाभान्वित समुदायों, की जागरूकता में अभीवृद्धि के लिए अभियान / विशेष कार्यक्रम
1	2	3	4
27	बी.डी.ओ., शाहपुर	नहीं	नहीं
28	सी.ओ., शाहपुर	नहीं	नहीं
29	जिलाधिकारी कार्यालय काउंटर, अररिया	नहीं	नहीं
30	एस.डी.ओ., अररिया	नहीं	नहीं
31	पुलिस अधीक्षक, अररिया	नहीं	नहीं
32	बी.डी.ओ., अररिया	नहीं	नहीं
33	सी.ओ., अररिया	नहीं	नहीं
34	बी.डी.ओ., फारबिसगंज	नहीं	नहीं
35	सी.ओ., फारबिसगंज	नहीं	नहीं
36	जिलाधिकारी कार्यालय काउंटर, पूर्वी चंपारण	नहीं	नहीं
37	एस.डी.ओ., पूर्वी चंपारण	नहीं	नहीं
38	पुलिस अधीक्षक, पूर्वी चंपारण	नहीं	नहीं
39	बी.डी.ओ., मोतिहारी	नहीं	नहीं
40	सी.ओ., मोतिहारी	नहीं	नहीं
41	बी.डी.ओ., कल्याणपुर	नहीं	नहीं
42	सी.ओ., कल्याणपुर	नहीं	नहीं
43	जिलाधिकारी कार्यालय काउंटर, पटना	सूचना उपलब्ध नहीं कराई गयी	सूचना उपलब्ध नहीं कराई गयी
44	वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना	नहीं	नहीं
45	एस.डी.ओ., पटना	नहीं	नहीं
46	बी.डी.ओ., पटना	नहीं	नहीं
47	सी.ओ., पटना	नहीं	नहीं
48	बी.डी.ओ., दानापुर	नहीं	नहीं
49	सी.ओ., दानापुर	नहीं	नहीं
50	बी.एस.ई.बी., पटना	सूचना उपलब्ध नहीं कराई गयी	सूचना उपलब्ध नहीं कराई गयी
51	जिलाधिकारी कार्यालय काउंटर, जमुई	नहीं	नहीं
52	एस.डी.ओ., जमुई	नहीं	नहीं
53	पुलिस अधीक्षक, जमुई	नहीं	नहीं
54	बी.डी.ओ., जमुई सदर	नहीं	नहीं
55	सी.ओ., जमुई सदर	नहीं	नहीं

क्रम सं.	कार्यालय / आरटीपीएस काउंटर का नाम	नागरिकों के बीच जागरूकता में अभीवृद्धि हेतु व्यय के लिए वर्ष वार राशि की उपलब्धता	अलाभान्वित समुदायों, की जागरूकता में अभीवृद्धि के लिए अभियान / विशेष कार्यक्रम
1	2	3	4
56	बी.डी.ओ., सिकंदरा	नहीं	नहीं
57	सी.ओ., सिकंदरा	नहीं	नहीं
58	जिलाधिकारी कार्यालय काउंटर, औरंगाबाद	हाँ	नहीं
59	एस.डी.ओ., औरंगाबाद	हाँ	नहीं
60	पुलिस अधीक्षक, औरंगाबाद	नहीं	नहीं
61	बी.डी.ओ., औरंगाबाद सदर	नहीं	नहीं
62	सी.ओ., औरंगाबाद सदर	नहीं	नहीं
63	बी.डी.ओ., ओबरा	नहीं	नहीं
64	सी.ओ., ओबरा	नहीं	नहीं

(झोत: संबंधित कार्यालयों से प्राप्त सूचना)

परिशिष्ट -2.4.9
(संदर्भ: कांडिका 2.4.12.2; पृष्ठ-84)

कार्यालयों में अपील मामलों का अप्रलेखीकरण

क्रम सं.	कार्यालय/आरटीपीएस काउंटर का नाम	अपील मामलों का प्रलेखन
1	2	3
1	जिलाधिकारी कार्यालय काउंटर, मुजफ्फरपुर	हाँ
2	वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर	नहीं
3	एस.डी.ओ., मुजफ्फरपुर पूर्व	नहीं
4	बी.डी.ओ., मुशहरी	नहीं
5	सी.ओ., मुशहरी	नहीं
6	बी.डी.ओ., मोतीपुर	नहीं
7	सी.ओ., मोतीपुर	नहीं
8	जिलाधिकारी कार्यालय काउंटर, समस्तीपुर	नहीं
9	पुलिस अधीक्षक, समस्तीपुर	नहीं
10	एस.डी.ओ., समस्तीपुर	हाँ
11	बी.डी.ओ., जितवारपुर	नहीं
12	सी.ओ., जितवारपुर	नहीं
13	बी.डी.ओ., पटोरी	नहीं
14	सी.ओ., पटोरी	नहीं
15	जिलाधिकारी कार्यालय काउंटर, वैशाली	नहीं
16	पुलिस अधीक्षक, वैशाली	नहीं
17	एस.डी.ओ., हाजीपुर	हाँ
18	बी.डी.ओ., हाजीपुर	नहीं
19	सी.ओ., हाजीपुर	नहीं
20	बी.डी.ओ., महुआ	हाँ
21	सी.ओ., महुआ	हाँ
22	जिलाधिकारी कार्यालय काउंटर, आरा, भोजपुर	नहीं
23	एस.डी.ओ., आरा	हाँ
24	पुलिस अधीक्षक, आरा	हाँ
25	बी.डी.ओ., आरा	नहीं
26	सी.ओ., आरा	नहीं
27	बी.डी.ओ., शाहपुर	नहीं
28	सी.ओ., शाहपुर	नहीं
29	जिलाधिकारी कार्यालय काउंटर, अररिया	नहीं
30	एस.डी.ओ., अररिया	हाँ
31	पुलिस अधीक्षक, अररिया	नहीं
32	बी.डी.ओ., अररिया	नहीं

क्रम सं.	कार्यालय/आरटीपीएस काउंटर का नाम	अपील मामलों का प्रलेखन
1	2	3
33	सी.ओ., अररिया	नहीं
34	बी.डी.ओ., फारबिसगंज	नहीं
35	सी.ओ., फारबिसगंज	नहीं
36	जिलाधिकारी कार्यालय काउंटर, पूर्वी चंपारण	हाँ
37	एस.डी.ओ., पूर्वी चंपारण	हाँ
38	पुलिस अधीक्षक, पूर्वी चंपारण	नहीं
39	बी.डी.ओ., मोतिहारी	नहीं
40	सी.ओ., मोतिहारी	नहीं
41	बी.डी.ओ., कल्याणपुर	नहीं
42	सी.ओ., कल्याणपुर	नहीं
43	जिलाधिकारी कार्यालय काउंटर, पटना	सूचना उपलब्ध नहीं कराई गयी
44	वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना	हाँ
45	एस.डी.ओ., पटना	हाँ
46	बी.डी.ओ., पटना	नहीं
47	सी.ओ., पटना	नहीं
48	बी.डी.ओ., दानापुर	नहीं
49	सी.ओ., दानापुर	नहीं
50	बी.एस.ई.बी., पटना	नहीं
51	जिलाधिकारी कार्यालय काउंटर, जमुई	नहीं
52	एस.डी.ओ., जमुई	नहीं
53	पुलिस अधीक्षक, जमुई	नहीं
54	बी.डी.ओ., जमुई सदर	नहीं
55	सी.ओ., जमुई सदर	नहीं
56	बी.डी.ओ., सिकंदरा	नहीं
57	सी.ओ., सिकंदरा	नहीं
58	जिलाधिकारी कार्यालय काउंटर, औरंगाबाद	नहीं
59	एस.डी.ओ., औरंगाबाद	हाँ
60	पुलिस अधीक्षक, औरंगाबाद	हाँ
61	बी.डी.ओ., औरंगाबाद सदर	नहीं
62	सी.ओ., औरंगाबाद सदर	नहीं
63	बी.डी.ओ., ओबरा	नहीं
64	सी.ओ., ओबरा	नहीं

(नोट: संबंधित कार्यालयों से प्राप्त सूचना)

परिशिष्ट—2.5.1

संदर्भ : कण्डिका 2.5.4.2, पृष्ठ—89

ई—जीपीएफ डाटाबेस में अंशदाता के खाते में दिखाए गए ऋणात्मक अंतर्शेष

क्र.सं.	जि.भ.नि.का. का नाम	मामलों की संख्या		प्रतिशतता
		नमूना जांचित	ऋणात्मक अंतर्शेष	
1	मधुबनी	130	29	22
2	मोतिहारी	90	25	28
3	सीतामढ़ी	209	23	11
	योग	429	77	18

(स्रोत: जि.भ.नि.प. द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख)

परिशिष्ट—2.5.2

संदर्भ : कण्डिका 2.5.4.2, पृष्ठ—89

सी.टी.एम.आई.एस. एवं ई—जीपीएफ डाटा एक समान नहीं रहे

क्र.सं.	जि.भ.नि.का. का नाम	नमूना जांचित मामलों की संख्या	मामलों की संख्या जो सी.टी.आई.एम.एस., ई—जीपीएफ के साथ मिल नहीं पाये	प्रतिशतता
1	मधुबनी	130	15	12
2	मोतिहारी	90	12	13
3	सीतामढ़ी	209	33	16
	योग	429	60	14

(स्रोत: जि.भ.नि.प. द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख)

परिशिष्ट—2.5.3

संदर्भ : कण्डिका 2.5.4.2, पृष्ठ—89

अंशदाता के खाते अद्यतन नहीं थे

क्र.सं.	जि.भ.नि.का. का नाम	मामलों की संख्या		खाते जो अद्यतन नहीं थे की प्रतिशतता
		नमूना जांचित	खाते जो अद्यतन नहीं थे	
1	मधुबनी	130	20	15
2	मोतिहारी	90	34	38
3	सीतामढ़ी	209	16	8
	योग	429	70	16

(स्रोत: जि.भ.नि.प. द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख)

परिशिष्ट—2.5.4

संदर्भ : कण्डिका 2.5.4.3, पृष्ठ—90

अंशदाता जिनको हकदारी से अधिक लौटाने/नहीं लौटाने योग्य अग्रिम निकासी की अनुमति दी गई

कार्यालय का नाम	मामलों की संख्या	वर्ष	प्रारम्भ शेष (₹)	जमा (₹)	ब्याज (₹)	अग्रिम/अंतिम भुगतान जो लिया गया (₹)	हकदारी के विरुद्ध अधिक अग्रिम (कॉलम 8 – कॉलम 4 + कॉलम 5) (₹)
1	2	3	4	5	6	7	8
मधुबनी	19	2013-15	898560	433595	0	6580089	5247934
मोतिहारी	15	2011-15	-323321	158000	0	4011072	4176393
सीतामढी	14	2013-15	454348	182680	0	3109828	2472800
योग	48		1029587	774275		13700989	11897127

(स्रोत: जि.भ.नि.प. द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख)

परिशिष्ट—2.5.5

संदर्भ : कण्डिका 2.5.4.3, पृष्ठ—90

अंशदाता जिनको हकदारी से अधिक अंतिम भुगतान की अनुमति दी गई

कार्यालय का नाम	मामलों की संख्या	वर्ष	प्रारम्भ शेष (₹)	जमा (₹)	ब्याज (₹)	अग्रिम/अंतिम भुगतान जो लिया गया (₹)	अंतिम भुगतान (₹)
1	2	3	4	5	6	7	8
मधुबनी	10	2013-15	942965	0	0	942965	4436335
सीतामढी	9	2013-15	1385451	20000	57157	1462608	4441977
योग	19		2328416	20000	57157	2405573	8878312

(स्रोत: जि.भ.नि.प. द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख)

परिशिष्ट—2.5.6

संदर्भ : कण्डिका 2.5.4.3, पृष्ठ—90

अंतिम आहरण के बाद ई-जी.पी.एफ. प्रणाली ने अंतशेष को दिखाया जाना

क्र.स.	जीपीएफ संख्या	वर्ष	प्रारम्भ शेष (₹)	जमा (₹)	ब्याज (₹)	अंतिम भुगतान (₹)	संबंधित वर्ष का अंतशेष (₹)	31 मार्च 2015 को अंतशेष (₹)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	SIT/EDN-1157	2013-14	631387	0	10782	608953	33216	36106
2	SIT/COLL-591	2014-15	786140	96000	58650	400000	540790	540790
3	SIW/RVP-326	2013-14	389067	0	24891	411865	2093	2275
योग								579171

(स्रोत: जि.भ.नि.प. द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख)

परिशिष्ट 3.1
(संदर्भ : कंडिका-3.5; पृष्ठ-98)
लीड के अविवेक प्रावधान के कारण परिहार्य व्यय की गणना को दर्शाने वाली विवरणी

पैकेज सं. और पी.एम.जी.एस. बाई. के अंतर्गत निर्मित पथ का नाम	कार्य के मद	मात्रा संपादित	लघु खनिज प्रयुक्त	प्रयुक्त लघु खनिज की मात्रा (घन मीटर में)	पाकुड़ से लीड (कि. मी.)	शाहकुंड से लीड (कि. मी.)	दिया गया अतिरिक्त लीड संख्या	पाकुड़ खदान से बुलाई का किराया प्रति घन मीटर चढ़ाव, उतार को छोड़कर (₹)	शाहकुंड खदान से बुलाई का किराया प्रति घन मीटर चढ़ाव, उतार को छोड़कर (₹)	बुलाई के किराये प्रति घन मीटर में अंतर चढ़ाव, उतार को छोड़कर (₹)	परिहार्य व्यय (₹)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (9/6×7)	11	12 (5 × 11)	13
1/ बाँका -I BR03R- बाँका -L023 बाँका ढाका मोर (शंकरपुरा से बाँकी)	जी.एस.बी.	3611.52 क्यू.मी.	जी.एस.बी. के लिए स्टोन मेटल	2766.4243	113	48	65	632.21	268.55	363.66	1006037.86	एस.ओ.आर. बराबर
	डब्ल्यू.बी.एम. ग्रेडिंग -2	1460 क्यू.मी.	स्टोन एग्रीगेट, ग्रेड -2	1766.6	113	48	65	632.21	268.55	363.66	642441.76	एस.ओ.आर. बराबर
	डब्ल्यू.बी.एम. ग्रेडिंग -3	1460 क्यू.मी.	स्टोन एग्रीगेट, ग्रेड -3	1766.6	113	48	65	632.21	268.55	363.66	642441.76	एस.ओ.आर. बराबर
	सी.सी. पेमेंट	221.51 क्यू.मी.	क्रस्ड स्टोन कोर्स एग्रीगेट	199.359	113	48	65	581.53	247.02	334.51	66687.58	एस.ओ.आर. बराबर
कुल										2357608.96		
2/ बाँका-I BR-03R- 160 खेरामोर नवादा पथ से राजाबार नवादा रोड	जी.एस.बी.	3914.06 क्यू.मी.	जी.एस.बी. के लिए स्टोन मेटल	1749.5848	121	68	53	816.16	458.67	357.49	625459.07	एस.ओ.आर. बराबर
	डब्ल्यू.बी.एम. ग्रेडिंग -2	1428.74 क्यू.मी.	स्टोन एग्रीगेट ग्रेड -2	1728.7754	121	68	53	816.16	458.67	357.49	618019.92	एस.ओ.आर. बराबर
	डब्ल्यू.बी.एम. ग्रेडिंग -3	1428.74 क्यू.मी.	स्टोन एग्रीगेट ग्रेड -3	1728.7754	121	68	53	750.80	421.94	328.86	568525.08	एस.ओ.आर. बराबर
	सी.सी. पेमेंट	399.36 क्यू.मी.	क्रस्ड स्टोन कोर्स एग्रीगेट	359.424	121	68	53	750.80	421.94	328.86	118200.18	एस.ओ.आर. बराबर

पैकेज सं. और पी.एम.जी.एस. वाई. के अंतर्गत निर्मित पथ का नाम	कार्य के मद	मात्रा संपादित	लघु खनिज प्रयुक्त	प्रयुक्त लघु खनिज की मात्रा (घन मीटर में)	पाकुड़ से लीड (कि. मी.)	शाहकुंड से लीड (कि. मी.)	दिया गया अतिरिक्त लीड संख्या	पाकुड़ खदान से दुलाई का किराया प्रति घन मीटर चढ़ाव, उतार को छोड़कर (₹)	शाहकुंड खदान से दुलाई का किराया प्रति घन मीटर चढ़ाव, उतार को छोड़कर (₹)	दुलाई के किराये प्रति घन मीटर में अंतर चढ़ाव, उतार को छोड़कर (₹)	परिहार्य व्यय (₹)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (9/6×7)	11	12 (5 × 11)	13
												1930204.25
3/ बाँका -I BR03R- बाँका -L025 अजीतनगर से भिंडी	जी.एस.बी.	1915.71 क्यू.मी.	जी.एस.बी. के लिए स्टोन मेटल	1467.4339	116	49	67	648.99	274.14	374.85	550067.58	0.1 प्रतिशत नीचे
	डब्ल्यू.बी.एम. ग्रेडिंग -2	1346.855 क्यू.मी.	स्टोन एग्रीगेट, ग्रेड -2	1629.6946	116	49	67	648.99	274.14	374.85	610891.00	0.1 प्रतिशत नीचे
	डब्ल्यू.बी.एम. ग्रेडिंग -3	1346.855 क्यू.मी.	स्टोन एग्रीगेट ग्रेड -3	1629.6946	116	49	67	648.99	274.14	374.85	610891.00	0.1 प्रतिशत नीचे
	सी.सी. पेमेंट	1011.505 क्यू.मी.	क्रस्ट स्टोन कोर्स एग्रीगेट	910.3545	116	49	67	596.97	252.17	344.80	313890.23	0.1 प्रतिशत नीचे
												2085739.81
												0.1 प्रतिशत नीचे के समायोजन के पश्चात कुल
												2083654.07
4/ बाँका -II BR03R- चंदन-L075 कटोरिया सिमुलतला पी. डब्ल्यू.डी. रोड भाया चितखर से आरा	जी.एस.बी.	8132.3 क्यू.मी.	जी.एस.बी. के लिए स्टोन मेटल	6229.3418	160	90	70	895.16	503.53	391.63	2439597.13	एस.ओ.आर. बराबर
	डब्ल्यू.बी.एम. ग्रेडिंग -2	4471.875 क्यू.मी.	स्टोन एग्रीगेट, ग्रेड -2	5410.9688	160	90	70	895.16	503.53	391.63	2119097.69	एस.ओ.आर. बराबर
	डब्ल्यू.बी.एम. ग्रेडिंग -3	4328.437 क्यू.मी.	स्टोन एग्रीगेट, ग्रेड -3	5237.4088	160	90	70	895.16	503.53	391.63	2051126.40	एस.ओ.आर. बराबर
	सी.सी. पेमेंट	409.68 क्यू.मी.	क्रस्ट स्टोन कोर्स एग्रीगेट	368.712	160	90	70	823.41	463.17	360.24	132824.81	एस.ओ.आर. बराबर
												6742646.03

मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र)

पैकेज सं. और पी.एम.जी.एस. वाई. के अंतर्गत निर्मित पथ का नाम	कार्य के मद	मात्रा संपादित	लघु खनिज प्रयुक्त	प्रयुक्त लघु खनिज की मात्रा (घन मीटर में)	पाकुड़ से लीड (कि. मी.)	शाहकुंड से लीड (कि. मी.)	दिया गया अतिरिक्त लीड संख्या	पाकुड़ खदान से दुलाई का किराया प्रति घन मीटर चढ़ाव, उतार को छोड़कर (₹)	शाहकुंड खदान से दुलाई का किराया प्रति घन मीटर चढ़ाव, उतार को छोड़कर (₹)	दुलाई के किराये प्रति घन मीटर में अंतर चढ़ाव, उतार को छोड़कर (₹)	परिहार्य व्यय (₹)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (9/6×7)	11	12 (5 × 11)	13
5/ बँका -II BR03R- चंदन-L082 सूख्या बोरवा (आर.ई.ओ. रोड) से हर्दिया खुर्द	जी.एस.बी.	8546.84 क्यू मी.	जी.एस.बी. के लिए स्टोन मेटल	6546.8794	172	103	69	962.3	576.26	386.04	2527357.32	एस.ओ.आर. बराबर
	डब्ल्यू.बी.एम. ग्रेडिंग -2	4685.36 क्यू मी.	स्टोन एग्रीगेट, ग्रेड -2	5669.2856	172	103	69	962.3	576.26	386.04	2188571.01	एस.ओ.आर. बराबर
	डब्ल्यू.बी.एम. ग्रेडिंग -3	4685.36 क्यू मी.	स्टोन एग्रीगेट, ग्रेड -3	5669.2856	172	103	69	962.3	576.26	386.04	2188571.01	एस.ओ.आर. बराबर
	सी.सी. पेमेंट	235.837 क्यू मी.	क्रस्ट टोन कोर्स एग्रीगेट	212.2533	172	103	69	885.16	530.07	355.09	75369.02	एस.ओ.आर. बराबर
	कुल									6979868.36		
	सकल कुल									20093981.67		

(झोत: संबंधित का.आ. ग्रामीण कार्य विभाग के अभिलेख)

परिशिष्ट 3.2
(संदर्भ : कंडिका-3.6; पृष्ठ -99)

छ: वि.प.प्र. जिन पर कार्य प्रारंभ नहीं किया गया सहित नौ वि.प.प्र. को तैयार करने में हुए व्यय की विवरणी

(₹ लाख में)

क्रम सं.	वि.प.प्र. का नाम	वि.प.प्र. पर व्यय	अभियुक्ति
1.	फुलवारीशरीफ	17.63	कार्य प्रारंभ किया गया एवं 480 आ.इ. का निर्माण किया गया।
2.	खगौल	3.49	
3.	पटना फेज- III	97.57	
		118.69	
4.	दानापुर फेज- I	6.33	कोई कार्य प्रारंभ नहीं किया गया।
5.	दानापुर फेज- II	17.45	
6.	पटना फेज- I	94.79	
7.	पटना फेज- II	75.83	
8.	पटना फेज- IV	164.08	
9.	बोधगया फेज- I	83.16	
		कुल (ब)	441.64
		कुल योग (अ+ब)	560.33

(स्रोत: बुडा एवं हडको के अभिलेख)

परिशिष्ट 3.3
 (संदर्भ : कांडिका-3.7; पृष्ठ - 101)

(अ) असैनिक कार्य से संबंधित अतिरिक्त कक्षा कक्ष (अ.क.क.)/नव विद्यालय भवन (न.वि.भ.) के निर्माण कार्य का वर्षवार वित्तीय स्थिति को दर्शाती विवरणी।

क्र. सं.	जिला	विद्यालय की संख्या	वि.शि.स. खाता में स्थानांतरित राशि	विद्यालय द्वारा निकासी की गई राशि	मा.पु. / प्रतिवेदन स्थिति के अनुसार व्यय	(राशि ₹ में) अंतर राशि / अधिक निकासी
						विद्यालय भवन अनुसार व्यय
1.	बिहार शिक्षा परियोजना, सीतामढ़ी	1	1938602	1938602	0	1938602
2.	बिहार शिक्षा परियोजना, मुजफ्फरपुर	1	4412000	4412000	629315	3782685
3.	बिहार शिक्षा परियोजना, कटिहार	12	10397255	9997550	5807244	4190306
4.	बिहार शिक्षा परियोजना, पूर्णियाँ	8	7293200	4926800	1442325	3484475
5.	बिहार शिक्षा परियोजना, सिवान	9	6154958	4395157	1930496	2464661
6.	बिहार शिक्षा परियोजना, बेगूसराय	12	15511396	13230672	3790000	9440672
7.	बिहार शिक्षा परियोजना, दरभंगा	5	5540000	3731249	1790000	1941249
	कुल	48	51247411	42632030	15389380	27242650

(ब) असैनिक कार्य से संबंधित अतिरिक्त कक्षा कक्ष (अ.क.क.)/नव विद्यालय भवन (न.वि.भ.) के निर्माण कार्य का वर्षवार वित्तीय स्थिति दर्शाती विवरणी।

(विद्यालय जिसमें कार्य शुरू नहीं किया गया)

क्र. सं.	जिला	विद्यालय की संख्या	वि.शि.स. खाता में स्थानांतरित राशि	विद्यालय द्वारा निकासी की गई राशि	मा.पु. / प्रतिवेदन स्थिति के अनुसार व्यय	(राशि ₹ में) अंतर राशि / अधिक निकासी
						विद्यालय भवन अनुसार व्यय
1.	बिहार शिक्षा परियोजना, सीतामढ़ी	1	1938602	1938602	0	1938602
2.	बिहार शिक्षा परियोजना, पूर्णियाँ	4	3852800	1625900	0	1625900

3.	बिहार शिक्षा परियोजना, सिवान	4	1999193	850000	0	850000
4.	बिहार शिक्षा परियोजना, बेगूसराय	5	8597396	7162988	0	7162988
5.	बिहार शिक्षा परियोजना, मुजफ्फरपुर	1	3300000	3300000	0	3300000
6.	बिहार शिक्षा परियोजना, दरभंगा	2	2210000	773749	0	773749
	कुल	17	21897991	15651239	0	15651239

! " # !
!\$ &
%

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	जिला	विद्यालय की संख्या	वि.शि.स. खाता में स्थानांतरित राशि	विद्यालय द्वारा निकासी की गई राशि	मा.पु. / प्रतिवेदन स्थिति के अनुसार व्यय	अंतर राशि / अधिक निकासी
	' -	31	29349420	26980791	15389380	11591411

(द) (i) असैनिक कार्य से संबंधित अतिरिक्त कक्षा कक्ष (अ.क.क.)/नव विद्यालय भवन (न.वि.भ.) के निर्माण कार्य का वर्षवार भौतिक एवं वित्तीय स्थिति दर्शाती विवरणी।

बिहार शिक्षा परियोजना, सीतामढ़ी

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	स्वीकृति का वर्ष	अ.क.क. की स्वीकृति संख्या	वि.शि.स. खाता में स्थानांनतरित राशि	विद्यालय द्वारा निकासी की गई राशि	मा.पु. के अनुसार खर्च की गई राशि/स्थिति प्रतिवेदन	अंतर राशि/अधिक निकासी	भौतिक स्थिति	कार्य बंद/से आरंभ नहीं किया गया (वर्षों की संख्या)	अग्रिम लेने वाले प्रधानाध्यापक की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	पी.एस. पंचहर्वा, मेजरगंज	2008-09	3 ए.सी.आर.	662630	662630	0	662630	आरंभ नहीं किया गया	2	कार्य से विरमित किया गया
2	पी.एस. पंचहर्वा, मेजरगंज	2011-12	प्रधानाध्यापक कक्ष	305972	305972	0	305972	आरंभ नहीं किया गया	3	कार्य से विरमित किया गया
3	पी.एस. पंचहर्वा, मेजरगंज	2014-15	2 ए.सी.आर.	970000	970000	0	970000	आरंभ नहीं किया गया	1	कार्य से विरमित किया गया
कुल				1938602	1938602	0	1938602			

(द) (ii) असैनिक कार्य से संबंधित अतिरिक्त कक्षा कक्ष (अ.क.क.)/नव विद्यालय भवन (न.वि.भ.) के निर्माण कार्य का वर्षवार भौतिक एवं वित्तीय स्थिति दर्शाती विवरणी।

बिहार शिक्षा परियोजना, मुजफ्फरपुर

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	स्वीकृति का वर्ष	अ.क.क. की स्वीकृति संख्या	वि.शि.स. खाता में स्थानांतरित राशि	विद्यालय द्वारा निकासी की गई राशि	मा.पु. के अनुसार खर्च की गई राशि/स्थिति प्रतिवेदन	अंतर राशि/अधिक निकासी	भौतिक स्थिति	कार्य बंद/से आरंभ नहीं किया गया (वर्षों की संख्या)	अग्रिम लेने वाले प्रधानाध्यापक की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9	10	11
1	एम.एस. बारा दाऊद, पारू	2010-11	4	1112000	1112000	629315	482685	जी.एफ. आर.सी.	1	कार्य से विरमित किया गया
कुल (अ)				1112000	1112000	629315	482685			
2	एम.एस. बारा दाऊद, पारू	2011-12	12	3300000	3300000	0	3300000	आरंभ नहीं किया गया	2.5	कार्य से विरमित किया गया
कुल (ब)				3300000	3300000	0	3300000			
सकल कुल (अ + ब)				4412000	4412000	629315	3782685			

(द) (iii) असैनिक कार्य से संबंधित अतिरिक्त कक्षा कक्ष (अ.क.क.)/नव विद्यालय भवन (न.वि.भ.) के निर्माण कार्य का वर्षवार भौतिक एवं वित्तीय स्थिति दर्शाती विवरणी।

बिहार शिक्षा परियोजना, कटिहार

(रुपये ₹ में)

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	स्वीकृति का वर्ष	अ.क.क. की स्वीकृति संख्या	वि.शि.स. खाता में स्थानांतरित राशि	विद्यालय द्वारा निकासी की गई राशि	मा.पु. के अनुसार खर्च की गई राशि/स्थिति प्रतिवेदन	अंतर राशि/अधिक निकासी	भौतिक स्थिति	कार्य बंद/से आरंभ नहीं किया गया (वर्षों की संख्या)	अग्रिम लेने वाले प्रधानाध्यापक की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9	10	11
1	प्राथमिक विद्यालय कामत, बलरामपुर	2004-05	2	298600	298600	195883	102717	आर.सी.	5	कार्य से विरमित किया गया
2	मध्य विद्यालय, काबर बरारी	2006-07	4	630000	630000	196002	433998	एल.एल.	4	मृत्यु
3	प्राथमिक विद्यालय, हरीनकोल, बरारी	2006-07	6	900000	895000	573821	321179	एफ.एफ. एल.एल.	5	कार्य से विरमित किया गया
4	प्राथमिक विद्यालय फाकाटोला, बरसोई	2006-07	3	611000	450000	196952	253048	आर.एल.	6	कार्य से विरमित किया गया
5	मध्य विद्यालय, नवाबगंज, मनिहारी	2006-07	6	1021155	1021000	817131	203869	आर.सी.	4	सेवानिवृत्त

6	मध्य विद्यालय, राधे अमदाबाद	2006-07	3	450000	450000	347557	102443	एफ.एफ. आर.एल.	7	कार्य से विरमित किया गया
7	मध्य विद्यालय, पागलबाड़ी, मनिहारी	2008-09	3	655000	655000	500000	155000	आर.सी.	3	सेवानिवृत्त
8	मध्य विद्यालय, काटीगंज बौलिया, मनिहारी	2008-09	2	456000	456000	154545	301455	एल.एल.	5	सेवानिवृत्त
9	मध्य विद्यालय, मालापडा, बारसोई	2009-10	5	1350000	1350000	825353	524647	एफ.एफ. आर.एल.	5	कार्य से विरमित किया गया
10	प्राथमिक विद्यालय डारीभीता, बलरामपुर	2011-12	3	988950	950000	550000	400000	एल.एल.	3	परिवर्तन नहीं
11	मध्य विद्यालय, बैडोले, बलरामपुर	2010-11	6	1898550	1898550	950000	948550	आर.सी.जी. एफ.	4	परिवर्तन नहीं
12	मध्य विद्यालय, लछौर, बलरामपुर	2011-12	4	1138000	943400	500000	443400	आर.एल.- 3, आरंभ नहीं किया गया -1	2.5	परिवर्तन नहीं
कुल				10397255	9997550	5807244	4190306			

(द) (iv) असैनिक कार्य से संबंधित अतिरिक्त कक्षा कक्ष (अ.क.क.)/नव विद्यालय भवन (न.वि.भ.) के निर्माण कार्य का वर्षवार भौतिक एवं वित्तीय स्थिति दर्शाती विवरणी।

बिहार शिक्षा परियोजना, पूर्णियाँ

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	स्वीकृति का वर्ष	अ.क.क. की स्वीकृति संख्या	वि.शि.स. खाता में स्थानांतरित राशि	विद्यालय द्वारा निकासी की गई राशि	मा.पु. के अनुसार खर्च की गई राशि/स्थिति प्रतिवेदन	अंतर राशि/अधिक निकासी	भौतिक स्थिति	कार्य बंद/से आरंभ नहीं किया गया (वर्षों की संख्या)	अग्रिम लेने वाले प्रधानाध्यापक की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	म.वि. तिरासी टोला, बनमंडी	2009-10	3	800000	800000	214192	585808	सील लेवल 7 फीट तक	4	परिवर्तन नहीं
2	म.वि. पिपरा ,रूपौली	2007-08	4	957600	800000	455573	344427	आर.सी.जी. एफ.	4	कार्य से विरमित किया गया
3	म.वि.. जंगल टोला, रूपौली	2011-12	3	1027800	1045900	382771	663129	एल.एल.जी. एफ.	2	कार्य से विरमित किया गया
4	म.वि. गडहरा, अमौर	2008-09	3	655000	655000	389789	265211	आर.सी.जी. एफ., एफ.एल.एल.	6	कार्य से विरमित किया गया
				3440400	3300900	1442325	1858575			
5	प्र.वि. नवटौलिया रूपौली	2011-12	3 ए.सी.आर.	865900	865900	0	865900	आरंभ नहीं किया गया	3.5	परिवर्तन नहीं
6	प्र.वि. अकबाकी, बी. कोठी	2009-10	एन.एस.बी.	826000	400000	0	400000	आरंभ नहीं किया गया	2	परिवर्तन नहीं
7	प्र.वि. चंद्रगामा, बायसी	2010-11	3 ए.सी.आर.	873000	70000	0	70000	आरंभ नहीं किया गया	4	कार्य से विरमित किया गया

8	प्र.वि. सिंगहिया, अमौर	2011-12	4 ए.सी.आर.	1287900	290000	0	290000	आरंभ नहीं किया गया	3.5	मृत्यु
				3852800	1625900	0	1625900			
				7293200	4926800	1442325	3484475			

(द) (v) असैनिक कार्य से संबंधित अतिरिक्त कक्षा कक्ष (अ.क.क.)/ नव विद्यालय भवन (न.वि.भ.) के निर्माण कार्य का वर्षवार भौतिक एवं वित्तीय स्थिति दर्शाती विवरणी।

बिहार शिक्षा परियोजना, सीवान

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	स्वीकृति का वर्ष	अ.क.क. की स्वीकृति संख्या	वि.शि.स. खाता में स्थानांतरित राशि	विद्यालय द्वारा निकासी की गई राशि	मा.पु. के अनुसार खर्च की गई राशि / स्थिति प्रतिवेदन	अंतर राशि / अधिक निकासी	भौतिक स्थिति	कार्य बंद/से आरंभ नहीं किया गया (वर्षों की संख्या)	अग्रिम लेने वाले प्रधानाध्यापक की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9	10	11
1	यू.एम.एस. बगहा बाधी, बसंतपुर	2006-07	9 ए.सी.आर.	1063275	1063275	672491	390784	एफ.एफ.आर. एल.	1.5	कार्य से विरमित किया गया
		2011-12	2 ए.सी.आर.	652740	477797	81668	396129	प्लीन्थ लेभल		
2	आर.पी.एस. सरहारी, भगवानपुर	2006-07	5 ए.सी.आर.	678750	253085	128248	124837	प्लीन्थ लेभल	6	सेवानिवृत्त
3	एन.पी.एस. गोपालपुर दियारा, सीसवान	2009-10	एन.एस.बी.	672750	672750	229786	442964	फाउण्डेशन तक	4	परिवर्तन नहीं
4	एन.पी.एस. गया राय का टोला, गोरेया कोढी	2007-08	एन.एस.बी.	450000	440000	304640	135360	आर.एल.	2.5	परिवर्तन नहीं
5	यू.एम.एस. बिलासपुर, मेरवा	2008-09	3 ए.सी.आर.	638250	638250	513663	124587	आर.एल.	2.5	सेवानिवृत्त

				4155765	3545157	1930496	1614661			
6	एन.पी.एस. नवका टोला गयासपुर, सीसवान	2011-12	3 ए.सी.आर.	904193	500000	0	500000	आरंभ नहीं किया गया	3 साल	परिवर्तन नहीं
7	एन.पी.एस. हरकेशपुर (दक्षिण से महाराजगंज)	2009-10	एन.एस.बी.	600000	200000	0	200000	आरंभ नहीं किया गया	3 साल	परिवर्तन नहीं
8	एन.पी.एस. मीराचक, दरूनडा	2007-08	एन.एस.बी.	450000	105000	0	105000	आरंभ नहीं किया गया	7 साल	कार्य से विरमित किया गया
9	यू.एम.एस. बगहा बाघी, बसंतपुर	2010-11	भंडार कक्ष	45000	45000	0	45000	आरंभ नहीं किया गया	4 साल	कार्य से विरमित किया गया
				1999193	850000	0	850000			
सकल योग (अ + ब)				6154958	4395157	1930496	2464661			

(द) (vi) असैनिक कार्य से संबंधित अतिरिक्त कक्षा कक्ष (अ.क.क.) / नव विद्यालय भवन (न.वि.भ.) / रिसोर्स केंद्र के निर्माण कार्य का वर्षवार भौतिक एवं वित्तीय स्थिति दर्शाती विवरणी।

बिहार शिक्षा परियोजना, बेगुसराय

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	स्वीकृति का वर्ष	अ.क.क. की स्वीकृति संख्या	वि.शि.स. खाता में स्थानांतरित राशि	विद्यालय द्वारा निकासी की गई राशि	मा.पु. के अनुसार खर्च की गई राशि / स्थिति प्रतिवेदन	अंतर राशि / अधिक निकासी	भौतिक स्थिति	कार्य बंद / से आरंभ नहीं किया गया (वर्षों की संख्या)	अग्रिम लेने वाले प्रधानाध्यापक की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9	10	11
1	यू.एम.एस. जयमंगलगढ़ चेरिया बरियारपुर	2006-07	5 ए.सी.आर.	860000	872684	665000	207684	आर.सी.	6	कार्य से विरमित किया गया

2	पी.एस. मिल्की चेरिया बरियारपुर	2008-09	एन.एस.बी.	750000	750000	500000	250000	आर.एल.	2	परिवर्तन नहीं
3	यू.एम.एस. बरडाहा, छौराही	2010-11	4 ए.सी.आर.	1150000	1150000	700000	450000	आर.एल.	2	कार्य से विरमित किया गया
4	पी.एस. मिल्की चेरिया बरियारपुर	2011-12	3 ए.सी.आर.	650000	615000	440000	175000	आर.एल.	1	कार्य से विरमित किया गया
5	यू.एम.एस. मसतीफतेहपुर, बेगुसराय	2011-12	3 ए.सी.आर.	1068000	410000	182000	228000	एन.सी.	2	कार्य से विरमित किया गया
6	पी.एस. ग्रहबरकुरवा गरहपुरा	2011-12	3 ए.सी.आर.	936000	965000	580000	385000	आर.एल.	8 माह	परिवर्तन नहीं
7	पी.एस. मुसहर टोली सलैमपुर बारो, बरौनी	2011-12	3 ए.सी.आर.	650000	650000	500000	150000	आर.एल.	4	परिवर्तन नहीं
8	पी.एस. लोधीडीह, बेगुसराय	2011-12	4 ए.सी.आर.	850000	655000	223000	432000	पी.एल.	2	परिवर्तन नहीं
				6914000	6067684	3790000	2277684			
9	यू.एम.एस. कुमभीडेरा चेरिया, बरियारपुर	2010-11	4 ए.सी.आर.	850000	850000	0	850000	आरंभ नहीं किया गया	4	परिवर्तन नहीं
10	यू.एम.एस. बठौल, छौराही	2011-12	4 ए.सी.आर.	1183333	1183333	0	1183333	आरंभ नहीं किया गया	1.5	सेवानिवृत्त

मार्ग 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र)

11	यू.एम.एस. छौराही, छौराही	2011-12	3 ए.सी.आर.	600000	1796752	0	1796752	आरंभ नहीं किया गया	4	परिवर्तन नहीं
12	यू.एम.एस. छौराही, छौराही	2011-12	4 ए.सी.आर.	1183333				आरंभ नहीं किया गया	3.5	परिवर्तन नहीं
13	यू.एम.एस. छौराही	2011-12	रिसॉस केन्द्र	1299600				आरंभ नहीं किया गया	3	परिवर्तन नहीं
14	यू.एम.एस. जगदीशपुर, बेगुसराय	2011-12	6 ए.सी.आर.	1770000	1621773	0	1621773	आरंभ नहीं किया गया	2	परिवर्तन नहीं
15	यू.एम.एस. हरदिया	2011-12	2 ए.सी.आर.	450000	450000	0	450000	आरंभ नहीं किया गया	3.5	सेवानिवृत्त
16	यू.एम.एस. हरदिया बेगुसराय	2014-15	3 ए.सी.आर.	1261130	1261130	0	1261130	आरंभ नहीं किया गया	1	सेवानिवृत्त
				8597396	7162988	0	7162988			
+				15511396	13230672	3790000	9440672			

(द) (vii) असैनिक कार्य से संबंधित अतिरिक्त कक्षा कक्ष (अ.क.क.)/नव विद्यालय भवन (न.वि.भ.)/रिसोस केंद्र के निर्माण कार्य का वर्षवार भौतिक एवं वित्तीय स्थिति दर्शाती विवरणी।

बिहार शिक्षा परियोजना, दरभंगा

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	स्वीकृति का वर्ष	अ.क.क. की स्वीकृति संख्या	वि.शि.स. खाता में स्थानात्तरित राशि	विद्यालय द्वारा निकासी की गई राशि	मा.पु. के अनुसार खर्च की गई राशि/स्थिति प्रतिवेदन	अंतर राशि/अधिक निकासी	भौतिक स्थिति	कार्य बंद/से आरंभ नहीं किया गया (वर्षों की संख्या)	अग्रिम लेने वाले प्रधानाध्यापक की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9	10	11
1	एम.एस. सझुआर, बनीपुर	2010-11	3	860000	126000	0	126000	आरंभ नहीं किया गया	अक्टूबर 12/ 2.5	कार्य से विरमित किया गया
2	एम.एस. मझीगामा केवटी	2011-12	5	1350000	647749	0	647749	आरंभ नहीं किया गया	नवम्बर 12/ 2.5	कार्य से विरमित किया गया
उप योग (अ)				2210000	773749	0	773749			
3	बिहार सरकार का मध्य विद्यालय, कुरसो, तारडीह	2011-12	6	1820000	1740000	1200000	540000	रुफ लेवल	नवम्बर 13/ 1.5	कार्य से विरमित किया गया
4	बिहार सरकार का मध्य विद्यालय पंचोव, हनुमाननगर	2010-11	3	860000	567500	200000	367500	डी.पी.सी.	नवम्बर 12/ 2.5	सेवानिवृत्त
5	एन.पी.एस. बलहा बराठ पोखर हाया घाट	2011-12	2	650000	650000	390000	260000	रुफ लेवल	नवम्बर 12/ 2.5	कार्य से विरमित किया गया
उप योग (ब)				3330000	2957500	1790000	1167500			
सकल योग (अ + ब)				5540000	3731249	1790000	1941249			

(ज्ञात: संबंधित जिला परियोजना पदाधिकारी के अभिलेख)

परिशिष्ट 3.4
(संदर्भ : कंडिका-3.8; पृष्ठ - 102)

486

कार्यालय का नाम	वर्ष तथा अनुदान की दर	क्रय की तिथि (मेले में) / बीजक का दिनांक	मेला के पूर्व क्रय		मेला के बाद क्रय		मेला के बिना क्रय	कुल संख्या	अनुदान की राशि (₹ लाख में)
जि.कृ.पदा. मोतिहारी	2012-13 @ ₹ 0.60 लाख	6/7/2012	28/1/2012 से 3/4/2012	2	शून्य	0	0	2	1.20
		7/7/2012	21/6/2010 से 31/5/2012	4	31/3/2013 से 14/4/2013	2	0	6	3.60
		11/9/2012	10/7/2011 से 28/8/2012	7	5/6/2013 से 4/7/2013	2	0	9	5.40
		12/9/2012	14/4/2012 से 11/9/2012	6	27/9/2012 से 26/6/2013	4	0	10	6.00
		22/3/2013	15/6/2012 से 19/10/2012	2	3/6/2013 से 5/5/2014	5	0	7	4.20
		3/1/2014	29/6/2013	1	11/2/2014 से 23/4/2014	2	0	3	1.35

	2013-14 @ ₹ 0.45 लाख	4/1/2014	17/1/2013 से 26/6/2013	4	24/1/2014 से 18/2/2014	3	0	7	3.15
		21/1/2014	25/2/2013 से 30/11/2013	9	29/1/2014 से 21/2/2014	2	0	11	4.95
		22/1/2014	27/6/2013	1	शून्य	0	0	1	0.45
		12/2/2014	19/7/2013 से 19/11/2013	3	शून्य	0	0	3	1.35
		13/2/2014	20/9/2011 से 30/1/2014	32	18/2/2014 से 26/8/2014	5	0	37	16.65
जि.कृ.पदा. बिहारशरीफ	2013-14 @ ₹ 0.45 लाख	26/12/2013	शून्य	0	16/6/2014	1	0	1	0.45
		27/12/2013	शून्य	0	04/6/2014 से 11/7/2014	2	0	2	0.90
		28/12/2013	20/8/2012 से 25/2/2013	2	24/5/14 से 9/7/2014	3	0	5	2.25
		30/12/2013	29/12/2011	1	28/6/2014	1	0	2	0.90
		24/2/2014	शून्य	0	26/4/2014 से 08/5/2014	2	0	2	0.90
		25/2/2014	31/10/2012	1	25/6/2014 से 22/9/2014	5	0	6	2.70

मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र)

जि.कृ.पदा. किशनगंज	2013-14 @ ₹ 0.45 लाख	14/1/2014	5/4/2013 से 23/10/2013	3	10/3/2014 से 14/3/2014	2	0	5	2.25
		3/2/2014	19/9/2013 से 14/11/2014	2	5/2/2014 से 21/4/2014	6	0	8	3.60
		4/2/2014	शून्य	0	7/2/2014 से 11/7/2014	4	0	4	1.80
		4/3/2014	शून्य	0	15/3/2014	2	0	2	0.90
जि.कृ.पदा. गोपालगंज	2012-13 @ 0.45 लाख	26/7/2012	शून्य	0	शून्य	0	1	1	0.45
		27/9/2012	शून्य	0	30/11/2012	1	0	1	0.45
		12/11/2012	शून्य	0	13/2/2013	1	0	1	0.45
	2013-14 @ ₹ 0.45 लाख	22/12/2012	31/1/2012 से 29/11/2012	11	24/12/2012 से 11/02/2015	7	0	18	8.10
	2014-15 @ ₹ 0.45 लाख	21/11/2014	शून्य	0	29/11/2014 से 3/12/2014	2	0	2	0.90
		28/11/2013	शून्य	0	शून्य	0	2	2	0.90
		3/1/2014	4/9/2013 से 31/12/2013	2	शून्य	0	0	2	0.90
		24/1/2014	31/12/2012 से 31/12/2013	3	3/2/2014	1	0	4	1.80

जि.कृ.पदा. सीतामढी	2013-14 @ ₹ 0.45 लाख	25/1/2014	शून्य	0	30/1/2014 से 21/4/2014	5	0	5	2.25
		18/2/2014	शून्य	0	21/2/2014 से 13/3/2014	2	0	2	0.90
		19/2/2014	शून्य	0	19/3/2014	1	0	1	0.45
		21/2/2014	शून्य	0	शून्य	0	3	3	1.35
		27/2/2014	शून्य	0	शून्य	0	3	3	1.35
		28/2/2014	शून्य	0	शून्य	0	19	19	8.55
	2014-15 @ ₹ 0.45 लाख	28/11/2014	शून्य	0	29/11/2014 से 11/12/2014	3	0	3	1.35
		29/11/2014	19/11/2014	1	शून्य	0	0	1	0.45
		28/12/2014	शून्य	0	30/12/2014 से 29/1/2015	3	0	3	1.35
		27/2/2015	शून्य	0	16/3/2015	1	0	1	0.45
		13/3/2015	4/7/2013 से 27/2/2015	2	20/3/2015	1	0	3	1.35
जि.कृ.पदा. मधुबनी	2013-14 @ ₹ 0.45 लाख	10/2/2014	11/7/2013 से 24/7/2013	2	शून्य	0	0	2	0.90
		11/2/14	21/6/2013 से 31/1/2014	7	22/2/2014 से 12/8/2014	7	0	14	6.30

मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र)

जि.कृ.पदा. हाजीपुर	2013- 14@ ₹ 0.45 लाख	3/1/14	17/9/2010 से 19/12/2013	24	25/3/2014 से 19/7/2014	4	0	28	12.60
		4/1/14	20/7/2009 से 26/11/2013	25	5/1/2014 से 12/11/2014	6	0	31	13.95
		8/1/2014	शून्य	0	शून्य	0	1	1	0.45
		13/1/2014	शून्य	0	शून्य	0	1	1	0.45
		3/2/2014	शून्य	0	शून्य	0	1	1	0.45
		4/2/2014	8/6/2013 से 10/12/2013	7	22/2/2014 से 22/7/2014	2	0	9	4.05
		5/2/2014	21/1/2013 से 27/1/2014	13	26/5/2014 से 30/8/2014	2	0	15	6.75
		18/2/2014	17/4/2013	1	शून्य	0	0	1	0.45
		4/3/2014	24/4/2012 से 11/2/2014	8	20/5/2014 से 23/7/2014	2	0	10	4.50
		23/9/2014	26/2/2012	1	24/11/2014 से 1/4/2015	2	0	3	1.35
		24/9/2014	1/10/2012 से 1/9/2014	11	26/9/2014 से 29/9/2014	2	0	13	5.85

		27/11/2014	14/7/2014 से 26/11/2014	3	शून्य	0	0	3	1.35
		28/11/2014	20/12/2013 से 30/8/2014	8	10/12/2014 से 23/3/2015	4	0	12	5.40
	2014- 15@ ₹ 0.45 लाख	26/12/2014	16/7/2014 से 11/11/2014	5	27/12/2014 से 6/5/2015	3	0	8	3.60
		27/12/2014	31/12/2012 से 18/10/2014	7	6/1/2015 से 9/4/2015	4	0	11	4.95
		28/12/2014	शून्य	0	शून्य	0	1	1	0.45
		27/1/2015	17/8/2013 से 22/12/2014	11	4/2/2015 से 29/4/2015	2	0	13	5.85
		28/1/2015	20/10/2013 से 3/12/2014	4	29/01/2015	1	0	5	2.25
		29/1/2015	29/1/2014	1	शून्य	0	0	1	0.45
		6/1/2014	26/11/2013 से 29/11/2013	2	5/2/2014 से 18/10/2014	6	0	8	3.60
		7/1/2014	शून्य	0	7/2/2014 से 8/2/2014	2	0	2	0.90
		7/2/2014	शून्य	0	शून्य	0	1	1	0.45
		12/2/2014	शून्य	0	17/2/2014 से 22/3/2014	3	0	3	1.35

मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र)

जि.कृ.पदा. भागलपुर	2013- 14@ ₹ 0.45 लाख	13/2/2014	शून्य	0	25/2/2014 से 10/9/2014	6	0	6	2.70
		14/2/2014	शून्य	0	30/6/2014 से 17/12/2014	2	0	2	0.90
		24/2/2014	शून्य	0	शून्य	0	1	1	0.45
		3/3/2014	शून्य	0	5/4/2014	1	0	1	0.45
		13/3/2014	शून्य	0	18/7/2014	1	0	1	0.45
		14/3/2014	शून्य	0	26/3/2014	1	0	1	0.45
		19/3/2014	शून्य	0	शून्य	0	1	1	0/45
		20/3/2014	शून्य	0	शून्य	0	2	2	0.90
	2014- 15@ ₹ 0.45 लाख	15/10/2014	28/8/14 से 30/3/15	2	31/10/2014 से 21/1/2015	2	0	4	1.80
		16/10/2014	28/7/14	1	22/1/2015 से 26/5/2015	2	0	3	1.35
		26/11/2014	शून्य	0	23/12/2014 से 16/3/2015	2	0	2	0.90
		26/12/2014	शून्य	0	10/3/2015	1	0	1	0.45
		27/11/2014	22/10/2014	1	2/12/2014 से 23/5/2015	3	0	4	1.80

		27/12/2014	12/2/2015	1	शून्य	0	0	1	0.45	
		29/1/2015	12/2/2015	1	शून्य	0	0	1	0.45	
जि.कृ.पदा. छपरा	2012- 13@ ₹ 0.60 लाख	26/9/2012	शून्य	0	4/4/2013	1	0	1	0.60	
		27/9/2012	23/9/2011 से 5/7/2012	13	1/10/2012 से 14/1/2014	4	0	17	10.20	
		30/10/2012	16/9/2011 से 10/4/2012	3	12/3/2013 से 26/3/2013	2	0	5	3.00	
		31/10/2012	29/6/2012	1	6/11/2012 से 31/12/2012	2	0	3	1.80	
		26/12/2012	19/3/2014	1	शून्य	0	0	1	0.60	
		31/1/2013	शून्य	0	9/11/2012 से 12/8/2013	2	0	2	1.20	
		28/2/2013	शून्य	0	3/4/2013 से 28/12/2013	3	0	3	1.80	
		2013- 14@ ₹ 0.45 लाख	6/1/2014	29/11/2013 से 13/12/2013	2	8/1/2014 से 29/5/2015	8	0	10	4.50
			7/1/2014	11/6/2013 से 7/12/2013	5	9/1/2014 से 13/1/2014	2	0	7	3.15
			31/1/2014	शून्य	0	17/5/2015	1	0	1	0.45
		कुल		270		179	37	486	228.6	

(चोत: संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी एवं जिला परिवहन पदाधिकारी के अभिलेख)

परिशिष्ट 3.5
(संदर्भ : कंडिका-3.8; पृष्ठ-102)

अन्य व्यक्ति से संबंधित स्वीकृत अनुदान की विवरणी

क्र.सं.	प्रमंडल का नाम	चेसिस सं.	लाभार्थियों का नाम (जि.कृ.पदा. के अनुसार)	क्रय तिथि (मेला)	जि.कृ.पदा. के अनुसार क्रय तिथि	जि.कृ.पदा. के अनुसार पंजीकृत नाम	राशि (लाख में)
1	जि.कृ.पदा., मोतिहारी	JENB00928	खेदु पासवान	13/2/2014	19/9/2013	शमशुल हक अंसारी	0.45
2		JCN00993	रामाश्रय सहनी	12/9/2012	11/9/2012	लाल बाबू सहनी	0.60
3	जि.कृ.पदा., किशनगंज	NGLY00457	अब्दुल जलील	4/2/2014	08/3/2014	मो. काजीम	0.45
4		JFNB02893	अफसर अली	3/2/2014	21/4/2014	गणेश प्र. साह	0.45
5	जि.कृ.पदा., सीतामढ़ी	1134512073	दीपनारायण राय	13/3/2015	4/7/2013	शैल कुमार देवी	0.45
6	जि.कृ.पदा., हाजीपुर	RENB00119	अवधेश कुमार	4/3/2014	29/11/2012	शुभम कुमार	0.45
7		NJWH01080	सुरेश राय	24/9/2014	24/6/2013	अवधेश कुमार	0.45
8		92251310376 1	हजारी राम	27/11/2014	26/11/2014	शम्भु राम	0.45
9	जि.कृ.पदा., भागलपुर	RYNH00090	मो. साजिद आलम	29/1/2015	12/2/2015	रिफत प्रवीण	0.45
10		T053249650	चंदन देवी	27/12/2014	12/2/2015	पारो यादव	0.45
11	जि.कृ.पदा., छपरा	CZYSD3206 90S3	रिकु देवी	28/2/2013	3/4/2013	उपेन्द्र कुमार यादव	0.60
12		WRTG/3042 7117297	मंगल राय	7/1/2014	26/7/2013	केशव प्रसाद राय	0.45
			कुल				5.70

(झोत: संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी एवं जिला परिवहन पदाधिकारी के अभिलेख)

परिशिष्ट 3.6
(संदर्भ : कंडिका-3.9; पृष्ठ-103)
रकम प्राप्ति को दर्शाती विवरणी

रकम प्राप्ति संख्या	रकम प्राप्ति की तिथि	राशि रूपये में
634255	5/11/2012	1000
634264	5/11/2012	5000
634281	5/11/2012	1000
634287	10/12/2012	44412
634288	10/12/2012	44412
634289	10/12/2012	8904
634291	10/12/2012	11295
634292	10/12/2012	6678
634307	10/10/2012	10000
634316	21/10/2012	3400
634319	28/10/2012	10000
634331	30/10/2012	1000
634357	9/12/2012	1000
634358	9/11/2012	1000
634396	9/11/2012	1000
634397	9/11/2012	5000
634403	10/12/2012	8904
634404	10/12/2012	24696
634413	24/12/2012	12600
634414	24/12/2012	7200
634435	10/1/2013	29120
634438	11/1/2013	29120
634447	20/1/2013	4400
634470	13/2/2013	4480
634476	17/3/2013	4080
634492	20/3/2013	3156
634495	20/3/2013	3156
634497	22/3/2013	3156
634499	22/3/2013	4080
634802	30/10/2013	4080
634804	30/10/2013	7000
634805	30/10/2013	3300
634806	30/10/2013	3300
634815	1/11/2013	4770
634816	1/11/2013	11872
634818	12/11/2013	2400
634819	12/11/2013	3360
634820	12/11/2013	1784
634821	12/11/2013	1360
634822	12/11/2013	1700
634823	12/11/2013	6300
634824	12/11/2013	1784
634827	18/11/2013	3300

रकम प्राप्ति संख्या	रकम प्राप्ति की तिथि	राशि रूपये में
634828	18/11/2013	4000
634833	20/11/2013	14400
634834	20/11/2013	7200
634835	20/11/2013	3600
634839	25/11/2013	11340
634841	5/12/2013	1000
634842	5/12/2013	5000
634849	10/12/2013	13440
634851	11/12/2013	10213
634852	11/12/2013	4930
634853	11/12/2013	10864
634854	12/12/2013	14560
634855	12/12/2013	4500
634856	15/12/2013	26250
634859	17/12/2013	28224
634860	17/12/2013	3800
634862	18/12/2013	7200
634874	24/12/2013	35000
634876	26/12/2013	14112
634879	26/12/2013	69930
634880	26/12/2013	31367
634881	26/12/2013	8880
634882	26/12/2013	3000
634884	27/12/2013	22638
634885	27/12/2013	7085
634886	27/12/2013	11200
634887	27/12/2013	36456
634888	27/12/2013	14168
634889	28/12/2013	7200
634890	30/12/2013	31367
634891	30/12/2013	69678
634892	30/12/2013	28224
634906	31/12/2013	27730
634907	21/1/2014	24800
634912	2/1/2014	15120
634920	9/1/2014	4080
634923	19/1/2014	13230
634925	19/1/2014	50000
634929	20/1/2014	7680
634930	20/1/2014	14522
634931	20/1/2014	13356
634932	20/1/2014	78792
634935	20/1/2014	42975
634939	20/1/2014	8480
634946	20/1/2014	5000
634943	20/1/2014	15000
634945	20/1/2014	4014

रकम प्राप्ति संख्या	रकम प्राप्ति की तिथि	राशि रूपये में
634947	21/1/2014	46640
634948	21/1/2014	65878
634949	21/1/2014	7685
634950	21/1/2014	7200
634951	21/1/2014	6300
634952	21/1/2014	3150
634953	21/1/2014	6690
634954	21/1/2014	6690
634958	21/1/2014	3300
634955	21/1/2014	6300
634956	21/1/2014	6690
634957	21/1/2014	6690
634959	21/1/2014	7200
634960	21/1/2014	20000
634962	21/1/2014	6690
634963	21/1/2014	6300
634965	21/1/2014	19740
634966	21/1/2014	30000
634969	21/1/2014	100
634975	28/1/2014	46244
634976	28/1/2014	51744
634980	31/1/2014	11220
634981	31/1/2014	30000
634982	31/1/2014	5716
634990	31/1/2014	60270
634991	31/1/2014	160000
664994	31/1/2014	6690
634995	31/1/2014	6300
634996	31/1/2014	6600
29012	16/6/2014	8800
29013	16/6/2014	6600
29014	11/7/2014	3300
29015	11/7/2014	3300
29017	11/7/2014	3300
29018	11/7/2014	3300
29020	11/7/2014	3300
29021	11/7/2014	3300
29025	27/1/2014	28560
29026	31/1/2014	56760
29027	31/1/2014	18656
29028	31/1/2014	46244
29030	31/1/2014	269444
29053	15/6/2014	15360
29054	15/6/2014	3600
29057	3/7/2014	3300
29058	3/7/2014	30000

रकम प्राप्ति संख्या	रकम प्राप्ति की तिथि	राशि रूपये में
635000	19/8/2012 से 26/1/2014	400954
शून्य	2/2/2014 से 13/7/2014	21390
	कुल	2812659 अथवा ₹ 28.13 लाख

वर्ष 2013–14 के दौरान समेकित प्राप्ति और जमा

प्रारंभिक शेष	₹ 59,688
चेक द्वारा प्राप्त धनराशि जो न तो डी.सी.आर. और न ही रोकड़ बही में लिये गये	₹ 14,21,552
चेक द्वारा प्राप्त धन राशि जो डी.सी.आर. एवं रोकड़ बही में लिये गये	₹ 7,62,278
नगद द्वारा प्राप्त धन राशि जो डी.सी.आर. एवं रोकड़ बही में लिये गये	₹ 21,52,242
कुल प्राप्ति	₹ 43,95,760
बैंक में जमा राशि	₹ 29,31,218
राशि जो बैंक में जमा नहीं की राशि	₹ 14,64,542

रोकड़ बही में दिखाये जमा राशि जो वर्ष 2011–12 से 2012–13 से संबंधित था का जब बैंक विवरणी से मिलान किया गया तो बैंक में नहीं पाया गया। विवरणी जैसा कि नीचे है:

जमा रोकड़ बही में इन्द्राज की तिथि	राशि रूपये में
15/2/2012	102766
18/2/2012	99000
18/2/2012	19000
20/2/2012	90000
6/9/2012	49968
6/9/2012	60420
10/10/2012	94480
13/12/2012	82036
13/12/2012	88534
13/12/2012	30000
19/12/2012	46647
कुल	762851

(स्रोत: एस.ओ कम सब-डिविजनल ऑफिसर, ए.पी.एम.सी., समस्तीपुर के अभिलेख)

परिशिष्ट 3.7

(संदर्भ : कंडिका-3.11; पृष्ठ - 105)

भारत सरकार के अधिसूचना के विरुद्ध संवेदकों को भुगतान की गई सेवा कर की राशि की विवरणी

(रुलाख में)

प्रमंडल का नाम	पैकेज संख्या	वित्तीय बीड के अनुसार प्राकलित लागत	वित्तीय बीड जिसमें 12.36 प्रतिशत की दर के अनुसार प्राकलित कीमत में सेवा कर की राशि सम्मिलित है (12.36 × प्राकलित मूल्य / 112.36)	एकरारनामा संख्या/तिथि	एकरारित मूल्य	संवेदकों को अद्यतन भुगतान जिसमें सेवा कर शामिल था (112.36 प्रतिशत)	सेवा कर की राशि जो संवेदकों के भुगतान में शामिल थी अद्यतन भुगतान का @ 12.36 प्रतिशत
कटिहार	34- ओ.पी.आर. एम.सी., कटिहार	3444.26	378.88	07- मा.नि.द. / 2013-14 दिनांक 2/12/2013	3629.85	786.13	86.48
	35- ओ.पी.आर. एम.सी., कटिहार	3467.66	381.45	08- मा.नि.द. / 2013-14 दिनांक 6/12/2013	3746.97	1960.01	215.61
मधेपुरा	27- ओ.पी.आर.एम.सी., मधेपुरा	2015.43	221.70	04- मा.नि.द./ 2013-14 दिनांक 20/2/2014	2122.52	14.17	1.56
नई राजधानी प्रमंडल, पटना	64- ओ.पी.आर. एम.सी., एन.सी. पटना	3563.20	391.96	01- मा.नि.द./ 2013-14	3825.33	945.85	104.05
	65- ओ.पी.आर. एम.सी., एन.सी. पटना	3564.60	392.12	02- मा.नि.द./ 2013-14 दिनांक 21/12/2013	3757.77	945.43	104.00
	66- ओ.पी.आर. एम.सी., एन.सी. पटना	3341.77	367.61	03- मा.नि.द./ 2013-14 दिनांक 20/2/2014	3647.87	1117.69	122.95
पटना सिटी, गुलजारबाग	67- ओ.पी.आर. एम.सी., पटना सिटी	4588.74	504.78	47- मा.नि.द./ 2013-14 दिनांक 31/1/2014	4725.73	411.31	45.25
शेखपुरा	51- ओ.पी.आर. एम.सी., शेखपुरा	3053.32	335.88	01- मा.नि.द./ 2013-14 दिनांक 8/1/2014	3164.23	1175.27	129.28
भमुआ	55- ओ.पी.आर. एम.सी., भमुआ	3519.14	387.12	02 मा.नि.द./2013-14 दिनांक 20/1/2014	3853.03	1843.78	202.82
	56- ओ.पी.आर. एम.सी., भमुआ	2364.20	260.07	01 मा.नि.द./2013-14 दिनांक 9/12/2013	2449.43	1005.67	110.63
कुल		32922.32	3621.57		34922.73	10205.31	1122.63 अथवा 11.23 करोड़

* अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव, प.नि.वि., बिहार के पत्र सं. क्र.-प्रा. 5 बैठक 02-03/2010/2772 दिनांक 03.07.2014 के क्रम संख्या 22 के अनुसार प्राकलन में सेवाकर की राशि @ 12.36 प्रतिशत से शामिल था।
(स्रोत: संबंधित का.अ. के असिलेख)